जून-जुलाई 2017

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
गोपाल भार्गव
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रबंध सम्पादक
शमीम उद्दीन

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

विशेष संपादकीय सहयोग
संजीव सिन्हा
अजय कुमार शुक्ला

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

आवरण कथा : प्रदेश को ग्रामीण विकास में अव्वल लाने का लक्ष्य 5
आयोजन : मध्यप्रदेश में पंचायतों के सशक्तिकरण से सार्थक हुई पंचायती राज अवधारणा 7
विशेष लेख : ग्राम की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव 15
ग्रामोदय से भारत उदय : ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 17
विभागीय : वीडियो कॉफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश 27
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : सबके लिए घर 38
पंचायत गजट : ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों हेतु जारी आदेश 45
पंचायत गजट : निर्माण कार्यों संबंधी निर्देश 69
पंचायत गजट : प्रधानमंत्री आवास योजना 161
पंचायत गजट : राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 179
पंचायत गजट : स्वच्छ भारत मिशन 183
पंचायत गजट : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 191
पंचायत गजट : वृक्षारोपण एवं फलोद्यान 195
पंचायत गजट : पुरस्कार एवं सम्मान संबंधी निर्देश 223
पंचायत गजट : सामाजिक अंकेक्षण 231

संपादक जी,

केन्द्र सरकार के तीन साल पूरे होने पर केन्द्रित अंक मिला। इस अंक में विगत तीन वर्षों में मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास और रचनात्मक कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी मिली। मध्यप्रदेश में ग्रामीणों के विकास के लिए कई नवाचार और जनकल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का लाभ ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बना रहा है।

- राजेश शर्मा
खुरई (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का ग्रामीण विकास पर केन्द्रित अंक पढ़ा। इस अंक में ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बेहद उपयोगी जानकारी प्रकाशित की गई है। आजीविका मिशन से ग्रामीणों को कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार मिल रहा है। इस मिशन के तहत बने स्वसहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं अब स्वावलंबी हो रही हैं। आमदनी बढ़ने से ग्रामीणों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं।

- अनिल जैन
जबलपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का मई माह का अंक पढ़ा। इस अंक में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। पत्रिका में सफल गाथाओं का प्रकाशन किया गया है, जो सराहनीय है। रीवा जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाई गई 'हल्ला बोल मुहिम' का पत्रिका में अच्छी तरह प्रस्तुतीकरण किया गया है। इस मुहिम से लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे, साथ ही पत्रिका में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है, जो निश्चित रूप से प्रदेशवासियों के लिए लाभदायक होगी।

- हेमलता सिंह
सतना (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का अप्रैल अंक मिला। स्वच्छ भारत अभियान पर केन्द्रित इस अंक में स्वच्छ भारत मिशन की सम्पूर्ण जानकारी को प्रश्न-उत्तर के माध्यम से देने के लिए कोटिशः धन्यवाद। शौचालय बनाने की तकनीक, निजी शौचालय, सोखता गड्ढों की गहराई, पानी की कमी इत्यादि सभी प्रश्नों, यहां तक कि आदत और व्यवहार से जुड़े प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं। अतः यह अंक हितग्राहियों एवं आमजन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यह विश्वास है।

- डॉ. एल.डी. गुप्ता
शिवपुरी (म.प्र.)

गांवों की तरक्की से ही राष्ट्र की तरक्की

प्रिय पाठकगण,

भारत की बुनियाद गांव में है। गाँव की खेती, गांव के बगीचे और गांव की पशुशालाएं यदि अन्न, फल, सब्जी, दूध नगरों को न भेजें तो नगरों का जीवन चल ही नहीं सकता। आज उन्नति के कई आयामों के बाद भी हमारे गांवों और नगरों के बीच एक विशेष प्रकार की गहरी रेखा है, जो विकास दर, जीवन शैली और रहने-बोलने की परम्पराओं में साफ झलकती है। इसीलिए आवश्यक है कि भारत में गांव को पृथक से रेखांकित करने वाली विकास योजनाएं बनें। इस पर गांधीजी ने भी जोर दिया था। उनका साफ मत था कि गांव देश की आत्मा है और आत्मा के उदय बिना शरीर का उदय नहीं हो सकता। यदि राष्ट्र को शरीर मानें तो उसका उदय तभी संभव है, जब हृदय रूपी गांव का उदय हो। ग्राम विकास को लेकर पं. दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन में भी व्यापक उल्लेख है।

इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया। उन्होंने माना कि जब तक गांव का उदय नहीं होगा, भारत के उदय की कल्पना भी व्यर्थ है। इसीलिए उन्होंने अपने संकल्प का नाम ही दिया 'ग्राम उदय से भारत उदय'। देश भर में चलने वाले इस अभियान में मध्यप्रदेश ने अभियान के आरंभिक वर्ष 2016 में ही विशेष सक्रियता से कार्य किया। यही वजह है कि विगत वर्ष ग्राम उदय से भारत उदय अभियान में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने, शासकीय योजनाओं के लोकव्यापीकरण, हितग्राहियों की पात्रता का निर्धारण और जरूरतमंदों को शासकीय लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और अधोसंरचना विकास को लेकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

इस वर्ष भी 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती से लगभग डेढ़ माह ग्रामोदय से भारत उदय अभियान चला। चार चरणों में चले इस अभियान में ग्राम संसदों के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं का हितग्राहियों को त्वरित लाभ और समस्याओं का समाधान किया गया। प्रदेश के समेकित विकास के लिए प्राथमिकताएं तय करने के साथ गुणवत्तापूर्वक क्रियान्वयन भी किया गया। इस अभियान में 22,805 ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम संसदों में 25 लाख 70 हजार आवेदन व्यक्तिगत मांग तथा 3 लाख 33 हजार आवेदन सामुदायिक मांग पर प्राप्त हुए। लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक कोई भी पात्र व्यक्ति आवासहीन नहीं रहेगा। हर्ष का विषय है कि निरन्तर चलने वाले प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामोदय अभियान के समापन अवसर पर सात हजार ग्राम पंचायतें, 46 जनपद और 6 जिले ओडीएफ घोषित हुए।

समावेशी विकास की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश अग्रता की ओर है। प्रदेश की इस अग्रता का श्रेय मध्यप्रदेश सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। उन्होंने विशेष रुचि लेकर प्रत्येक गांव और प्रत्येक खेत को सड़कों से जोड़ने का अभियान चलाया। गांव के लिए विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई की योजनाएं लागू कीं। उससे हमारे गांव उदित होकर विश्व स्तर पर राष्ट्र को उदित करने के अभियान में लगे हैं।

भविष्य में यह संवाद निरन्तर रहेगा। पंचायिका में प्रकाशित योजनाओं का लाभ अवश्य लें।

शुभकामनाओं सहित।

(गोपाल भार्गव)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

संचालक की कलम से

समावेशी विकास से ही देश का विकास संभव

प्रिय पाठको,

गाँव के एकीकृत एवं समावेशी विकास से ही देश का विकास सम्भव है, इसीलिये माननीय प्रधानमंत्रीजी की पहल पर माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा "ग्राम उदय से भारत उदय" अभियान की शुरुआत की गयी है। मध्यप्रदेश में इस अभियान का शुभारंभ दिनांक 14 अप्रैल 2017 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली महू से किया गया। अभियान का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द्र एवं समरसता को बढ़ावा देना, हितग्राहीमूलक योजनाओं में लाभान्वितों का चिन्हांकन और स्वीकृति देना, ग्राम पंचायतों की अधोसंरचना विकास हेतु योजना तैयार करना एवं कृषि से आय को दोगुना करने की रणनीति का प्रचार-प्रसार तथा क्रियान्वयन था। अभियान दिनांक 14 अप्रैल 2017 से 9 जून 2017 तक संचालित किया गया। अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 4 चरणों में आयोजित किया गया। अभियान के संचालन हेतु सभी तैयारियां पूर्व से ही कर ली गयी थीं। अभियान के प्रथम चरण का शुभारम्भ दिनांक 14 अप्रैल 2017 को हुआ जिसमें अभियान की रूपरेखा और की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गयी।

अभियान का द्वितीय चरण दिनांक 15 अप्रैल 2017 से 10 मई 2017 तक आयोजित किया गया जिसमें 22816 ग्राम पंचायतों में 3 ग्राम संसदों का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस की ग्राम संसद प्रमुखतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग की गतिविधियों पर केन्द्रित थी। द्वितीय दिवस की ग्राम संसद में महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं आजीविका उन्नयन पर ध्यान दिया गया। तृतीय दिवस की ग्राम संसद में कृषकों से, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में व्यापक परिचर्चा की गयी।

अभियान का तृतीय चरण दिनांक 11 मई से 30 मई 2017 तक आयोजित किया गया। इसमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना शामिल है।

अभियान का चतुर्थ चरण दिनांक 31 मई से 09 जून 2017 तक आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व के तीनों चरणों में की गयी कार्यवाही की समीक्षा एवं प्रगति का लेखा-जोखा ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं देय लाभ वितरित किये गये।

सम्पूर्ण अभियान अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पूर्ण करते हुए परिणाममूलक रहा। पंचायिका के इस अंक में "ग्राम उदय से भारत उदय" अभियान की सम्पूर्ण जानकारी तथा विगत दिनों भोपाल में पंचायतों के सशक्तिकरण के संबंध में आयोजित राज्यों के पंचायत राज मंत्रियों के सम्मेलन की जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव द्वारा जिले/जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्स में दिये गये निर्देशों को पंचायिका में नियमित प्रकाशित किया जाता रहा है। इस अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्स में दिये गये निर्देश भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

पंचायिका का यह संयुक्तांक विशेष रूप से संग्रहणीय विशेषांक है क्योंकि इसमें आपके मार्गदर्शन के लिये अभी तक जारी विभागीय आदेशों/परिपत्रों का सम्पूर्ण संकलन दिया जा रहा है। उम्मीद है कि यह अंक आपके लिये मार्गदर्शी एवं जनोपयोगी होगा।

हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है अपनी प्रतिक्रिया पत्रों अथवा ई-मेल के माध्यम से अवश्य भेजें।

(शमीम उद्दीन)
संचालक, पंचायत राज

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान

प्रदेश को ग्रामीण विकास में अव्वल लाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश में 14 अप्रैल से 9 जून 2017 तक ग्रामोदय से भारत उदय अभियान चलाया गया। चार चरणों में सम्पन्न यह अभियान 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती अवसर पर प्रारम्भ किया गया। द्वितीय चरण 15 अप्रैल से 10 मई तक चला। इस चरण में लगातार तीन दिनों तक ग्राम संसद का आयोजन किया गया, इसमें ग्राम सभा के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इसके तहत प्रथम दिवस की ग्राम संसद में शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता, अपात्रता की जानकारी के साथ अनियमितता अथवा व्यवधान की स्थिति में त्वरित निराकरण किया गया। द्वितीय दिवस की ग्राम संसद में महिला संसद तथा महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। तृतीय दिवस की ग्राम संसद किसान कल्याण पर केन्द्रित रही। अभियान का तीसरा चरण 11 मई से 30 मई 2017 तक रहा। इसमें प्रथम चरण में प्राप्त आवेदन व शिकायतों के निराकरण के साथ आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना तैयार की गयी। अभियान के चौथे चरण में 31 मई से 9 जून 2017 तक मॉप राउंड संपन्न हुआ। 14 अप्रैल से प्रारंभ हुए ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के समापन अवसर पर सीहोर जिले के अहमदपुर गांव में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश को ग्राम विकास के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर लाने का आह्वान किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि यह अभियान प्रदेश के समावेशी विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

सीहोर जिले के ग्राम अहमदपुर में 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान के समापन अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार जनता की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई-लिखाई और दवाई की समुचित व्यवस्था करने के लिये प्रतिबद्ध है।

मध्यप्रदेश को ग्राम विकास के क्षेत्र में देश में नम्बर एक पर लाने के लिये सभी का सहयोग जरूरी है। सरपंच-पंचों को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों का भी निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। श्री चौहान ने ग्रामोदय अभियान के समापन पर ग्रामीणों को संकल्प दिलाया कि वे अपने गाँव में साफ-सफाई, वृक्षारोपण जैसे जनहित के कार्यों पर विशेष ध्यान देंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की 22 हजार 816 ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम संसदों में 25 लाख 70 हजार आवेदन व्यक्तिगत मांग तथा 3 लाख 33 हजार आवेदन सामुदायिक कार्य से संबंधित प्राप्त हुए। ग्राम पंचायतवार आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। एक जून से दस जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकारी जाकर ग्रामीणों को उनके आवेदनों पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा देंगे। सभी जिलों में प्रभारी मंत्री आवेदनों पर हुई कार्रवाई का 5 जून से औचक निरीक्षण भी करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान 7 लाख पात्र गरीब ग्रामीणों को मकान बनाने के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक कोई भी पात्र व्यक्ति आवासहीन न रहे। मकान बनाने का पैसा सीधे हितग्राही के खाते में जमा किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि विभिन्न आवास योजनाओं में मकान बनाने वाले हितग्राही यदि मकान के परिसर में पाँच फलदार पेड़ लगाते हैं, तो उन्हें पाँच हजार रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण क्षेत्र में चलाये जा रहे विकास कार्यों के संबंध में कहा कि अब छोटे-मोटे कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों को 2 लाख रुपये लागत से नल-जल योजनाएँ सुधरवाने के अधिकार दे दिए गए हैं। सरपंचों को ग्राम सचिवों की सी.आर. लिखने के अधिकार दिये गये हैं। श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि जहाँ एक ओर सरकार अच्छा कार्य करने वाले सरपंचों को पुरस्कार देगी, वहीं सामुदायिक विकास या गरीब व्यक्ति के हित लाभ से जुड़ी योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले पंच-सरपंचों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि अब अविवादित नामांतरण के अधिकार भी ग्राम पंचायतों को विकेन्द्रित कर दिये गये हैं।

सात हजार ग्राम पंचायतें, 46 जनपद और 6 जिले ओ.डी.एफ. घोषित

श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में अभी तक प्रदेश की सात हजार ग्राम पंचायतों, 46 जनपद पंचायतों सहित छः जिले ओ.डी.एफ. घोषित किए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका और ग्रामवासियों में जागरूकता को देखते हुए पूरे प्रदेश को इस वर्ष गांधी जयंती तक ओ.डी.एफ. करने का लक्ष्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीहोर सहित भोपाल, बुरहानपुर, आगर-मालवा, नीमच और खरगोन जिलों को ओ.डी.एफ. घोषित किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मई को समापन हुआ है। सभी 52 हजार गांवों में ग्राम सभा और ग्राम संसद के माध्यम से हितग्राहीमूलक योजनाओं, सार्वजनिक कार्यक्रमों का माननीय मुख्यमंत्री समग्र रूप से विचार कर निर्णय करने वाले हैं। 'ग्रामोदय से भारत उदय' में आम लोगों और किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिये शहरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए उनके ग्राम में जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन्हें हितग्राही लाभ योजनाओं की सूची में जोड़ा जा रहा है।

प्रदेश में रोटी, कपड़ा, मकान की कोई समस्या नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रत्येक गरीब को मकान मिलेंगे। प्रदेश में कोई बिना मकान अथवा जमीन के नहीं रहेगा। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान मील का पत्थर साबित होगा।

राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन

मध्यप्रदेश में पंचायतों के सशक्तिकरण से सार्थक हुई पंचायती राज अवधारणा

प्रदेश में पंचायती राज अवधारणा से पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में विचार मंथन के लिए विगत 27 जून को विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में किये जा रहे प्रयास, पंचायतों के माध्यम से मध्यप्रदेश में चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, प्रदेश की स्वच्छता में स्थिति तथा किसानों की आय को दोगुना करने के रोड मैप बनाने की जानकारी दी। केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पंचायत राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर विकास योजनाओं में उनकी सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अग्रणी रहेगा। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया गया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सम्पन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि पंचायतों को सशक्त बनाकर सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। मध्यप्रदेश ने इसका उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मध्यप्रदेश में पंचायती राज की मूल अवधारणा को ग्राम स्तर तक पहुँचाया गया है।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को पूरा करने में मध्यप्रदेश अग्रणी है। आचार्य श्री विनोबा भावे ने कहा था कि देश स्वतंत्र हो गया, पर गाँव स्वतंत्र नहीं हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में अब देश स्वतंत्र है और गाँव भी स्वतंत्र हैं। ग्राम स्वराज की परिकल्पना को जमीन पर उतारा जा रहा है। मध्यप्रदेश में जनता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण योजनाएँ पंचायतों के माध्यम से बनायी गई हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित पंचायतों में संबंधित वर्ग के लोगों से संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये सुझाव लिये जाते हैं। इन्हीं पंचायतों के माध्यम से महिला कल्याण की लाड़ली लक्ष्मी योजना, बुजुर्गों के लिये मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना, किसानों के लिये शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण, छात्रों के लिये मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना जैसी अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं। प्रदेश में अब तक 40 पंचायतें आयोजित की जा चुकी हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वच्छ भारत

ग्रामीण विकास में मध्यप्रदेश को अव्वल बनाने का प्रयास किया जायेगा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भोपाल में सम्पन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अव्वल रहे, ऐसा प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और सड़क योजना में भी राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश के दूरस्थ गाँव मुख्य मार्गों से जोड़े जा चुके हैं। गाँव का विकास होने से प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष 14वें वित्त आयोग की राशि दोगुनी कर दी। जिससे ग्रामों के विकास में आर्थिक कमी नहीं आयेगी। मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नवाचार किया गया है। अब माह में दो बार जिला पंचायत, जनपद पंचायत से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से गाँव में किये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली जा रही है। अब हम पंचायत स्तर तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें सरपंच और सचिव से रू-ब-रू जानकारी लेंगे, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। राज्य की सभी पंचायतें ई-पंचायत प्रणाली से जोड़ी जा चुकी हैं। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसा मौका है, जहाँ अनेक राज्यों के पंचायत राज मंत्रियों ने अपने प्रदेश के ग्रामीण विकास के नवाचारों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए गरिमापूर्ण भागीदारी की है। राज्य और विभाग की ओर से मैं सभी का स्वागत करता हूँ।

अभियान के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी है। देश में हुए स्वच्छता सर्वे में चयनित 100 में से 22 शहर मध्यप्रदेश के हैं। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान मध्यप्रदेश में डेढ़ माह चलाया गया, जिसमें ग्राम संसद, किसान संसद और महिला संसद आयोजित की गईं। इसमें ग्रामों के दो साल के विकास की रूपरेखा बनाई गई। सबके लिये आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यप्रदेश में दो साल में साढ़े सात लाख आवास बनाये जा रहे हैं। किसान संसद में किसानों की आय को दोगुना करने के लिये हर गाँव का रोड मैप बनाया गया है जिस पर तेजी से अमल किया जायेगा। महिला संसद के माध्यम से गाँव की हर महिला का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार उनके इलाज की व्यवस्था की गई। पूरे अभियान के दौरान 25 लाख 70 हजार आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 3 लाख 33 हजार सामुदायिक समस्या से जुड़े हैं। इन आवेदनों का निराकरण कर ग्रामों को

समस्याओं से शून्य बनाया जायेगा।

पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की पहल करें राज्य

केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में पंचायतें और गाँव आगे बढ़ रहे हैं। विकास की जिम्मेदारियाँ बढ़ने के कारण पंचायतों की क्षमता का विकास करना जरूरी हो गया है।

राज्यों और केन्द्र सरकार पर पंचायतों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिये राज्यों के ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य में ही स्थापित अच्छे संस्थानों के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण देने की पहल करना चाहिये।

श्री तोमर ने राज्यों द्वारा ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम के आकल्पन और क्रियान्वयन में सहयोग देने और उसे आगे बढ़ाने के लिये आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों की क्षमता को कमतर आँकना उचित नहीं है। विकास के प्रति उनकी सोच हमेशा सराहनीय होती है। पंचायत राज प्रतिनिधियों को चुने जाने के प्रारंभिक वर्ष में ही प्रशिक्षण मिलना चाहिये, जिससे वे प्रशिक्षण और कौशल का उपयोग विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कर सकें।

आयोजन में परिचर्चा के विषय और शामिल प्रतिनिधि

27 जून 2017 को भोपाल में आयोजित राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में उद्घाटन सत्र उपरांत समूह चर्चा का आयोजन किया गया। समूह परिचर्चा 1 में 'जल संरक्षण में पंचायतों की भूमिका' विषय पर विचार-विमर्श हुआ। चर्चा में डॉ. राजेन्द्र सिंह, तरुण भारत संघ, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित; श्री पोपटराव पवार, पूर्व सरपंच, हिवडे बाजार; डॉ. बाला प्रसाद, अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. योगेश कुमार, समर्थन, भोपाल, मध्यप्रदेश शामिल रहे।

समूह परिचर्चा 2 में 'स्मार्ट गांवों द्वारा राष्ट्र के विकास का प्रतिनिधित्व' विषय पर चर्चा के दौरान श्री ए.के. गोयल, आईएफएस (रिटायर्ड), पूर्व विशेष सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार; श्री रवि पोखेरना, रामभाऊ माहल्गी प्रबोधिनी, मुंबई; श्री डी.के. शर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार; प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड इनफोरमेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कन्ट्रीज, नई दिल्ली; रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम.ई.आई.टी.वाय (केश लेस ट्रांजेक्शन) श्री गोरव लांबा और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम.डी.डब्ल्यू.एस (सेनिटेशन) श्री अतुल श्रीवास्तव ने भाग लिया।

समूह परिचर्चा 3 में 'सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पंचायतों को सक्षम बनाना' विषय पर आधारित परिचर्चा में श्री राकेश मल्होत्रा, यू.एन.डी.पी. मध्यप्रदेश स्टेट हेड, भोपाल; डॉ. आशा कपूर मेहता, आई.आई.पी.ए. नई दिल्ली; श्री ए.के. जैन, एडवाईजर, एन.आई.टी.आई. आयोग, नई दिल्ली; प्रोफेसर अशोक पंकज, काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट, नई दिल्ली और माईकल स्टीवन जूना यूनीसेफ ने भाग लिया। आयोजन में श्री एम.एन. राय, आईएएस (रिटा.) प्रेसीडेंट, रिद्धी फाउन्डेशन, कोलकाता द्वारा 'पंचायत राज संस्थाओं का सशक्तिकरण' विषय पर अपना उद्बोधन दिया गया।

आयोजन में शामिल मंत्रीगण

- श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
  मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार
- श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला,
  राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
- श्री गोपाल भार्गव,
  मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन
- श्री विश्वास सारंग,
  राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन
- श्री जुपाली कृष्णा राव,
  मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तेलंगाना
- श्री राजेन्द्र राठौर,
  मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान
- श्री ओमप्रकाश धनकर,
  मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा
- श्री नारा लोकेश,
  मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आंध्रप्रदेश
- श्री अलो लीबांग,
  मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अरुणाचल प्रदेश
- श्री नाबा कुमार डोली,
  राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आसाम
- श्री जयंती भाई आर. केवडिया,
  मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गुजरात
- श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी,
  मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उत्तरप्रदेश
- श्री अजय चन्द्राकर
  मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़

आयोजन में शामिल राज्य

आसाम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चण्डीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, झारखण्ड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षदीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल।

सम्मेलन में यूनिसेफ द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रकाशित पुस्तिका और सतत विकास एवं सहस्त्राब्दि लक्ष्य की प्रशिक्षण हैंडबुक का विमोचन किया गया। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली 15 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि हिन्दुस्तान की परिकल्पना गाँव के विकास के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से पंचायतों के विकास कार्य को सुदृढ़ करने और विकेन्द्रीकरण के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी।

इस अवसर पर केन्द्रीय पंचायत राज और ग्रामीण विकास सचिव श्री जे.एस.माथुर, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया तथा प्रदेश और विभिन्न राज्यों के अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य के पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल पंचायत प्रतिनिधि और उनके द्वारा किये गये विशेष कार्य

क्रमांक	पंचायत जनप्रतिनिधि का नाम, पद और पता	उत्कृष्ट कार्यों का विवरण
1.	श्रीमती एन. सत्यवती, सरपंच, धर्मसागरम, जिला विशाखापट्टनम, आंध्रप्रदेश	1. बसाहटों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर जीवन-स्तर को सुधारा। 2. स्कूल में आरओ प्लांट लगाकर बच्चों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया। 3. सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जिससे वहां का भूजल स्तर बढ़ा। 4. ग्राम पंचायत ने शौचालय के निर्माण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 100 प्रतिशत संपत्ति कर एकत्रित कर प्रथम स्थान पर रही।
2.	श्रीमती फूल कुमारी देवी, सरपंच जिगना जगन्नाथ, जिला गोपालगंज, बिहार	स्वच्छता अभियान के तहत 'स्वच्छता दूत' और निगरानी समिति का गठन किया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को शौचालय बनाने एवं उपयोग के लिए प्रेरित किया।
3.	श्री शैलेश कुमार चौधरी, सरपंच उसरा, जिला रामगढ़ झारखण्ड	1. गांव के हर घर में शौचालय का निर्माण करवाया और टोला सभा के माध्यम से उपयोग करने को लेकर सतत निगरानी की। 2. 'एक व्यक्ति एक पौधा' अभियान चलाकर वृक्षारोपण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।
4.	श्रीमती माया मोहन कुथे, सरपंच शिवानी, जिला भंडारा, महाराष्ट्र	1. गांव, स्कूल और आंगनवाड़ी परिसरों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाया। 2. उच्चतर माध्यमिक शाला का डिजिटाइजेशन किया। 3. पंचायत को आईएसओ 9001-2015 से सर्टिफाइड किया गया।
5.	श्री बी.डी. खोलिया, सरपंच हल्दू चौरदिना, जिला नैनीताल, उत्तराखंड	—
6.	श्रीमती टी.वी. लक्ष्मी, सरपंच चेम्बीलोडे, जिला कन्नूर, केरल	1. पार्क का विकास कर महिलाओं को रोजगार दिया गया। 2. पंचायत को आईएसओ 9001:2008 से सर्टिफाइड किया गया। 3. बालसभा का आयोजन कर बच्चों को शिक्षित किया तथा स्वरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया।
7.	श्री सतीश कुमार सिंह, सरपंच रंगत, अण्डमान और निकोबार	—
8.	श्री तोपडा भूटिया, सरपंच 28/मनीराम फलीदारा (दक्षिण जिला), सिक्किम	1. प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को त्वरित अंतरिम राहत की व्यवस्था की। 2. निगरानी के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया। 3. 100 प्रतिशत ओडीएफ स्तर अर्जित किया।
9.	श्री दिलीप, सरपंच हसुदी औसानपुर, जिला सिद्धार्थनगर उत्तरप्रदेश	1. निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया और गांव के सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई। इस तरह का नवाचार पूरे प्रदेश में पहली बार हुआ। 2. जीआईएस के द्वारा मेपिंग कर गांव को विकास योजनाओं को लागू करने की योजना बनाई।
10.	श्रीमती मोनिदर कौर, सरपंच बेनलाना, चंडीगढ़	1. स्वच्छता अभियान के तहत घर-घर से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। 2. कैम्पों, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए प्रेरित किया। 3. बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से गांव को प्रेरित किया और प्रचार-प्रसार कर पंचायत को ओडीएफ किया।

क्रमांक	पंचायत जनप्रतिनिधि का नाम, पद और पता	उत्कृष्ट कार्यों का विवरण
11.	श्रीमती संतोष जालप, सरपंच बिरमाना, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के तहत प्रदेश में सर्वाधिक 1103 पट्टे प्रदान किए।
12.	श्री उत्तम शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत नारी, वि.ख. कुरूप, जिला धमतरी छत्तीसगढ़	1. 559 परिवारों को खुले में शौच मुक्त कराया गया। 2. ग्राम की अतिरिक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर वृक्षारोपण कराया गया। 3. युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिये ग्राम को नशा मुक्त कराया गया। 4. करारोपण 100 प्रतिशत किया गया।
13.	श्रीमती ज्योति धुर्वे, अध्यक्ष जिला पंचायत डिण्डोरी, मध्यप्रदेश	1. मनरेगा में आधार फीडिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान। 2. जॉब कार्ड वेरिफिकेशन में प्रथम। 3. आधार बेस राशि प्रदाय में प्रथम। 4. 100 दिवस से ज्यादा रोजगार दिलाने में अव्वल। 5. नर्मदा नदी के तट के समस्त ग्रामों को स्वच्छ किया गया है। 6. सामाजिक न्याय में स्पर्श पोर्टल व दिव्यांग पोर्टल सभी हितग्राहियों का वेरिफिकेशन हो चुका है।
14.	श्रीमती कविता भेरूलाल पाटीदार, अध्यक्ष जिला पंचायत इंदौर, मध्यप्रदेश	1. संपूर्ण जिले के 312 ग्राम पंचायत एवं 610 ग्रामों को इंदौर स्वच्छता संग्राम के बेनर तले खुले में शौच से मुक्त कराया। 2. जिला प्रशासन के 350 तालाबों का जनभागीदारी से गहरीकरण करवाया, जिससे किसानों की भूमि की उर्वरता में वृद्धि हुई। 3. महिला सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रथम पुरस्कार दिया गया।
15.	श्रीमती सम्पतिया उइके, अध्यक्ष जिला पंचायत मण्डला, मध्यप्रदेश	1. खेत तालाब, मेढ़ बंधान। 2. पड़त भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। 3. मनरेगा लेबर पार्ट बढ़ाया गया। 4. नर्मदा तट के 120 ग्राम एवं 62 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ किया गया। 5. 16,000 स्वसहायता समूह बनाकर महिलाओं को सशक्त किया गया है।
16.	श्रीमती मीना बिसेन, अध्यक्ष जिला पंचायत सिवनी, मध्यप्रदेश	—
17.	सुश्री भक्ति शर्मा, सरपंच बरखेड़ी अबदुल्ला, फंदा, भोपाल मध्यप्रदेश	1. ग्राम वासियों के लिए मुक्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। 2. अपराध मुक्त पंचायत एवं सोलर स्ट्रीट लाईट। 3. लड़की के जन्म होने पर माता को 2 माह का मानदेय देकर अभी तक 100 महिलाओं को लाभ पहुंचाया।
18.	श्रीमती मीना पालीवाल, सरपंच, ग्राम पंचायत बरखेड़ा कुर्मी, जनपद पंचायत, इछावर मध्यप्रदेश	गांव को शत-प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त किया गया व ग्राम में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण का कार्य किया गया।
19.	श्रीमती अनुराधा जोशी, सरपंच ग्राम पंचायत कोदरिया, महू, जिला इंदौर	1. वार्षिक कर एकत्रीकरण 445 रुपये से बढ़ाकर 35.00 लाख तक पहुंचाया। 2. डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने हेतु हर घर में डस्टबीन प्रदान किए गए। पंचायत को ओडीएफ किया।
20.	श्रीमती रीना सिलावट, सरपंच ग्राम पंचायत सौठिया, जनपद पंचायत विदिशा, मध्यप्रदेश	1. पंचायत को ओडीएफ किया। 2. आनंद मंत्रालय के तहत ग्राम पंचायत में ग्राम वासियों के साथ नियमित रूप से प्रति सप्ताह कार्यक्रम का संचालन किया गया। 3. ग्राम में तालाब निर्माण किया गया, जिसमें 90 प्रतिशत श्रम योगदान महिलाओं का रहा।

क्रमांक	पंचायत जनप्रतिनिधि का नाम, पद और पता	उत्कृष्ट कार्यों का विवरण
21.	श्रीमती अमृता गुप्ता, सरपंच ग्राम पंचायत पलोहाबडहा, ज.पं. सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश	1. घर-घर से कचरा इकट्ठा किया जाना। 2. सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत कचरे से खाद बनाई जाती है। 3. ग्राम पंचायत 100 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त।
22.	श्रीमती आशा सिंह गौड़, सरपंच शहडोल, मध्यप्रदेश	1. समूह से जुड़कर आर्थिक सहायता ली, 3 एकड़ जमीन कर्ज से मुक्त की। 2. मनिहारी दुकान चला रही हैं, साथ ही स्नातक की पढ़ाई की। 3. बैंक सखी के रूप में कार्य किया गया।
23.	श्रीमती शशि मसराम, सरपंच मण्डला, मध्यप्रदेश	1. मुर्गी पालन तथा उन्नत तकनीक से कृषि कार्य से कम लागत से अधिक उत्पादन, वार्षिक आय 1,50,000 रुपये। 2. महिला सशक्तिकरण के लिए जिला स्तरीय सम्मान प्राप्त।
24.	श्रीमती माधुरी लखन राय, सरपंच ग्राम पंचायत हंथवास, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश	1. ग्राम पंचायत के स्वयं के आय स्रोतों से राशि रु. 20.00 लाख तक ग्राम पंचायत की आय में वार्षिक प्राप्ति कर पंचायत को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया गया एवं पंचायत की स्वयं की आय से नाली एवं सी.सी. रोड का निर्माण किया गया। 2. प्रधानमंत्री आवास में 65 आवासों का निर्माण गुणवत्तापूर्वक तथा तीव्र गति से किया गया।
25.	श्रीमती नर्मदा गणेश परमार, सरपंच ग्राम पंचायत काली बिल्लोद, मध्यप्रदेश	1. कराधान अंतर्गत राजस्व वसूली, रुपये 6.00 लाख की गई। 2. ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त किया। 3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया गया। 4. ग्राम के घूडे हटवाकर, 80 नाडेप बनवाये गये।
26.	श्री मनमोहन नागर, अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल, मध्यप्रदेश	1. निगरानी समितियों को प्रेरित कर ग्राम पंचायतों व ग्रामीण लोगों को शौचालय के इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया एवं संपूर्ण जिले को खुले में शौच से मुक्त किया। 2. व्यवस्थित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत 187 ग्राम पंचायतों में से कोई भी पंचायत भवन विहीन नहीं है।
27.	श्री कान्हा गुण्डेया, सरपंच ग्राम पंचायत पिटोलबड़ी, झाबुआ, मध्यप्रदेश	1. स्वच्छ भारत मिशन, कचरे से जैविक खाद का उत्पादन किया एवं विक्रय कर पंचायत की आय बढ़ायी। 2. करारोपण के अंतर्गत वार्षिक 7.00 लाख रुपये कर की वसूली की।
28.	श्री कैलाश पटेल, उपसरपंच इछावर, सीहोर, मध्यप्रदेश	1. ग्रामवासियों को जागरूक करके ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से शौच मुक्त किया गया। 2. ग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए कचरा प्रबंध में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सोख्ता गड्ढा एवं नालियों का निर्माण किया गया। 3. ग्राम में शराब दुकान बंद करवाकर नशा मुक्त किया।
29.	श्री राजेश जांगडे, सरपंच ग्राम पंचायत बिलकिसगंज, सीहोर, मध्यप्रदेश	1. 26 जनवरी को पंचायत को ओडीएफ किया। 2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत लेब निर्माण कर 25 कम्प्यूटर के द्वारा आसपास के बच्चों को मुक्त प्रशिक्षण दिया। 3. 5.00 लाख का कराधान एकत्र कर आर्थिक रूप से सक्षम किया।
30.	श्री सत्यनारायण अइसके, सरपंच ग्राम पंचायत बागसूले, जनपद पंचायत मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश	1. घर-घर से कचरा इकट्ठा कर ग्राम को स्वच्छ बनाया। 2. साप्ताहिक हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। 3. महिलाओं को जागरूक करने हेतु महिला वार्ड सभा का आयोजन किया गया।

क्रमांक	पंचायत जनप्रतिनिधि का नाम, पद और पता	उत्कृष्ट कार्यों का विवरण
31.	श्री कौशल सिंह घुरैया, सरपंच घुरेयाबसई (जौरा) मुरैना, मध्यप्रदेश	1. ग्राम पंचायत में प्रत्येक गली में सी.सी. रोड निर्माण करवाया गया और प्रत्येक घर के सामने फलदार वृक्ष लगाकर वृक्षों को पोषित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
32.	श्री सरल भार्गव, सरपंच दिल्लोद (भोपाल), मध्यप्रदेश	1. निगरानी समितियों के साथ लगातार समन्वय कर ग्रामीणों को खुले में शौच न करने हेतु समझाईश देकर ग्राम को खुले में शौच से मुक्त किया गया। 2. गांव में जनसहयोग से बोरी बंधान का कार्य कर पेयजल संकट को खत्म किया। 3. साक्षरता के लिए घर-घर बच्चों को प्रेरित किया, शाला में नाम दर्ज करवाया, जिससे गांव की साक्षरता दर बढ़ी है।
33.	श्री लालसिंह नाथूलाल पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत उमरबन (ज.पं उमरबन), धार, मध्यप्रदेश	1. निगरानी समितियों के साथ सतत् प्रयास कर ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्त करवाया। 2. ग्राम में केंप आयोजित कर, नशा मुक्ति का कार्य किया।
34.	श्री घनश्याम सिंह ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत ढाना, जिला सागर, मध्यप्रदेश	1. ग्राम पंचायत में नल-जल योजना के माध्यम से गांव को जल प्रदान किया जा रहा है। 2. गांव में सोख्ता गड्ढे बनवाये गये जिससे भूमिगत जल स्तर में सुधार हो।
35.	श्री कौशल पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत समनापुर, जिला सागर	1. गांव में महिलाओं के सहयोग से मद्य निषेध करवाया गया। 2. ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर कक्ष स्थापित कर आस-पास के बच्चों को मुफ्त में लाभान्वित किया जा रहा है।
36.	श्री शंकर सिंह रूपसिंह हटिला, सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा, मध्यप्रदेश	1. ग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक घर से कचरा इकट्ठा कर इससे जैविक खाद बनाकर राशि रुपये 5.00 लाख की अतिरिक्त आय में वृद्धि की जाकर पंचायत को आर्थिक रूप से सशक्त किया। 2. नल-जल व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित कर प्रत्येक घर को जल प्रदान किया जा रहा है एवं जल कर की वसूली की जा रही है।
37.	श्रीमती कृष्णा बाई, सरपंच खडीहाट (आष्टा) सीहोर, मध्यप्रदेश	–
38.	श्रीमती राजकुमारी पंवार, सरपंच पीलीकरार (बुदनी) सीहोर, मध्यप्रदेश	–
39.	श्री रणवीर सिंह देवगौड़ा, सरपंच पहावली (जौरा) मुरैना, मध्यप्रदेश	1. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 परिवारों को लाभ दिलाया गया। 2. ग्राम पंचायत को नशा मुक्त करवाया।
40.	श्रीमती रानी चतुर्वेदी, सरपंच ग्राम पंचायत बंधोली, जनपद पंचायत मुरार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश	1. ग्राम पंचायत को ओडीएफ किया गया। 2. संपत्ति कर एवं जल कर में 1,20,000 रुपये की राशि वसूल की गई है। 3. ग्राम पंचायत द्वारा 25 नाडेप का निर्माण किया गया।
41.	श्री आनन्द शर्मा, सरपंच बड़ागांव जागरी, जनपद पंचायत बरई, ग्वालियर मध्यप्रदेश	1. ग्राम पंचायत को ओडीएफ किया गया। 2. ग्राम पंचायत में 20,000 रुपये का कर एकत्रित किया गया।

ग्राम की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव

यदि कोई वृक्ष विशाल है, आंधी-तूफान में भी अडिग रहता है और समाज को पर्याप्त मात्रा में फूल-फल, हरियाली और छाया देता है तो इसका सीधा अर्थ है कि उसकी नींव मजबूत होगी जो वृक्ष की प्रसिद्धि और दीर्घ जीवन के लिए पर्याप्त रस का संचार कर रही है। ठीक इसी तरह किसी भी राष्ट्र की प्रगति, उसका दीर्घ जीवन उसके गांवों की प्रगति पर ही निर्भर होती है। गांव न केवल राष्ट्र को अन्न, दूध, फल, सब्जी, श्रमशक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि वनोपज, औषधि, पर्यावरण का संतुलन बनाने की भी धुरी होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामवासी स्वस्थ हों, सक्रिय हों, क्रियाशील हों, तभी ग्राम उन्नत होंगे। जो स्वच्छता, हरियाली के साथ धरती, जल, वायु और आकाश की शुद्धता पर निर्भर करती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफाई जरूरी है और क्रियाशीलता के लिए रोज़गार तथा काम के अवसर। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही एक अभियान शुरू हुआ है, जिसका नाम 'ग्रामोदय से भारत उदय' रखा गया है।

हालांकि देश और प्रदेश में अब तक आई तमाम सरकारों ने गांव के विकास के लिए अनेक योजनाओं को आरंभ किया, लेकिन ग्रामों की उन्नति को एक अभियान के रूप में संचालित करने का काम पहली बार मौजूदा केन्द्र सरकार ने आरंभ किया। इसके अंतर्गत न केवल संबंधित गांवों के विकास की गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं बनाना और बताना है अपितु जागृति का एक ऐसा वातावरण बनाना भी है, जिसमें लोग स्वयं आगे आकर कामों में सहभागी बनें। हरियाली बनाने, पानी के संरक्षण, सामाजिक सद्भाव आदि ऐसे काम हैं, जो केवल सरकार के प्रत्यनों से संभव नहीं हैं। इसके लिए स्थानीय लोगों को स्वयं सामने आना होगा। इस अभियान का यही उभयपक्षीय ध्येय है, जो अपनी गति से आशातीत सफलता प्राप्त कर रहा है। अपनी कार्यशैली और क्षमता के साथ मध्यप्रदेश की गणना इस अभियान में भी एक

अग्रणी प्रांत के रूप में की जा रही है।

केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने जिन कामों को अपनी प्राथमिकता में लिया हुआ है, उनमें पहली प्राथमिकता का काम ग्रामोदय है। सरकार का नारा है 'ग्रामोदय से भारत उदय'। इसकी शुरुआत सालभर पहले मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत महू तहसील से हुई थी। महू सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्म स्थली है। सरकार ने 14 अप्रैल से 9 जून तक बाकायदा एक अभियान चलाकर गांव में यह संदेश पहुंचाया था कि यदि ग्रामों का, ग्रामवासियों का उत्थान नहीं होगा तो भारत का उत्थान कैसे होगा। इस साल भी यह अभियान चला। हालांकि देश के दूसरे प्रांतों में अभियान की अवधि अलग-अलग रही। कहीं एक सप्ताह तो कहीं एक माह लेकिन लगातार डेढ़ महीने तक ऐसा अभियान चलाने वाला मध्यप्रदेश एक मात्र प्रांत है। इसका कारण यह है कि गांवों के विकास के प्रति रुचि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री गोपाल भार्गव दोनों की है। यही कारण है कि ग्रामोदय के मुद्दे पर मध्यप्रदेश में जन जागृति अन्य प्रांतों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।

अभियान की शुरुआत करने के लिए 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती की विशेष तिथि चुनने का भी एक कारण है। देश में तीन महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने गांवों, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान की सबसे ज्यादा बात की और राष्ट्र के सामने कुछ सिद्धांत भी रखे कि किस प्रकार समाज की प्रगति की स्पर्धा में अंतिम कतार के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को एक सक्षम अग्रसर बनाया जाए। इनमें महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. अम्बेडकर ही हैं। चूंकि महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल जी के नाम से कुछ अभियान संचालित थे। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी विशेषज्ञों से परामर्श करके इस अभियान को अंबेडकर तिथि से आरंभ करने की घोषणा की। इस मंशा का उन प्रांतों ने भी स्वागत किया, जो प्रांत केन्द्र में सत्तारूढ़ शासन की राजनैतिक प्राथमिकता के अनुरूप नहीं हैं। और इसीलिए अभियान की शुरुआत करने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं महू पहुंचे।

अभियान के उद्देश्य और आयाम बहुत

व्यापक हैं। इनमें सबसे पहला गांवों में सौहार्द्र एवं समरसता बढ़ाना। कोई भी समाज, कोई

किया गया। इसमें न केवल शासन द्वारा किए गए कामों का विवरण देकर उन योजनाओं के प्रति लाभ लेने का वातावरण बनाया गया, बल्कि जरूरतमंदों की सूचियां भी तैयार की गईं। उनकी प्राथमिकता तय की गई। प्रदेश में कुल 22824 ग्राम पंचायतें हैं, सबके लिए विकास योजना तैयार हुई। ग्रामों के बीच ही गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का नए सिरे से आकलन किया गया। इसमें जो परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर उठ चुके थे उन्हें सूची से हटाया गया तथा नए जरूरतमंदों की सूची में जोड़ा गया। यह भी सामने आया कि इस ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के आरंभ होने से अब तक 16 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अभियान कैसा रहा तथा निर्धारित लक्ष्य में कौन कहां है इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए कलेक्टरों से सीधी बात करके की। इस अभियान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे पारदर्शिता आई है। प्रशासन और जन सामान्य के बीच निकटता और विश्वास दोनों बढ़े। यह भावना काम की गुणवत्ता बढ़ाने और कदाचार पर अंकुश लगाने में सहायक बनी।

● **रमेश शर्मा**
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान

देश का समग्र विकास तभी संभव है जब गांवों का समावेशी विकास हो, इसके लिए जरूरी है कि गांवों में समुचित अधोसंरचना का विकास हो और आजीविका उन्नयन की योजनाओं का यथोचित लाभ मिले। गांवों के अन्तिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान और सशक्तिकरण हो। ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। ग्राम विकास के लिए ग्रामीणों को ग्राम सभाओं में निर्णय लेने का अधिकार है।

गांवों के उत्थान के लिए पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण, ग्राम सभाओं में निर्णय ले सकते हैं। पंचायतों को ऐसी शक्तियां दी गई हैं, जिससे वे स्वशासन की स्थानीय इकाई के रूप में विकसित हो सकें। पंचायतों का प्रमुख कार्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए ग्रामों के विकास की योजना तैयार कर उसे अमल में लाना है।

ग्रामों में विकास की अंत्योदय केन्द्रित तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सुशासन की इसी अवधारणा को सार्थकता प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से मध्यप्रदेश में गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 अप्रैल 2017 से 9 जून 2017 तक 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान चलाया गया।

इसी अभियान में सामाजिक वानिकी, उद्यानिकी एवं सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना बनाकर तैयारी की गयी। उल्लेखनीय है कि अभियान की सफलता जन सहभागिता पर निर्भर है इसलिये अभियान में प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधि तथा आम जन शामिल हुए।

अभियान में जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। इस संपूर्ण अभियान में लोगों ने तीनों ग्राम संसद में अपनी बात रखी, ग्राम विकास योजना बनाने में भागीदार रहे, जिससे ग्राम विकास योजना गांव की आवश्यकता और क्षमता के आधार पर बनाई गयी। योजनाओं की जानकारी देने से लेकर क्रियान्वयन तक ग्रामीणजन साथ चले। अतः यह अभियान सरकार और ग्रामीणों ने साथ मिलाकर पूर्ण किया।

● **प्रस्तुति : भूपेन्द्र नामदेव**
(लेखक स्तंभकार हैं)

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के उद्देश्य

- सामाजिक सौहार्द्र एवं समरसता को बढ़ावा देना।
- 'ग्राम पंचायत विकास योजना' के तहत चयनित अधोसंरचना विकास के कार्यों की समीक्षा करना एवं ग्रामों की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आगामी 2 वर्षों के लिए अधोसंरचना निर्माण की कार्ययोजना बनाना।
- शासन की हितग्राहीमूलक विकास और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करना तथा आगामी 2 वर्ष के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर क्रियान्वयन प्रारंभ करना।
- शासन की हितग्राहीमूलक विकास और कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के लिये उनसे आवेदन प्राप्त करना, उनकी पात्रता का परीक्षण करना और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये परस्पर प्राथमिकता क्रम तय करना।
- कृषि की आय को दोगुना करने के लिये कृषि वैज्ञानिकी, उन्नत तकनीकों और प्रणालियों, कृषि विस्तार तथा विकास कार्यों का प्रचार-प्रसार तथा क्रियान्वयन प्रारंभ करना।
- महिला स्वास्थ्य परीक्षण करना और रोगों का उपचार प्रबंधन करना।
- कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके समुचित पोषण की व्यवस्था करना।
- जल अभिषेक अभियान की आगामी दो वर्ष की कार्ययोजना बनाना और क्रियान्वयन प्रारंभ करना।

ग्रामोदय से भारत उदय अभि

प्रदेश में 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान का क्रियान्वयन चार चरणों में किया गया:-

प्रथम चरण- इस चरण में 14 अप्रैल 2017 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर अभियान का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया गया। जिलों में जिला स्तर पर और प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर सामाजिक सौहार्द्र तथा समरसता समारोह आयोजित कर अभियान का शुभारंभ किया गया।

जिला स्तर का समारोह प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद तथा विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यगणों सहित अन्य जन प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया। ग्राम स्तर का समारोह ग्राम सभा का आयोजन कर आयोजित किया गया। ग्राम स्तर के कार्यक्रमों में भी विधायकगणों तथा जिला एवं जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों और सदस्यों को आमंत्रित किया गया।

जिला तथा ग्राम स्तर पर अभियान के शुभारंभ अवसर पर सामाजिक सौहार्द्र तथा समरसता समारोह में शामिल गतिविधियां- प्रभातफेरियां निकाल कर सामाजिक सौहार्द्र एवं समरसता की भावना विकसित की गयी। प्रभातफेरी के समापन पर सामाजिक सौहार्द्र एवं समरसता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गयी। डॉ. अम्बेडकर की उपलब्धियों, जीवन मूल्यों तथा समाजिक सुधार एवं राष्ट्रीय एकता पर उनके विचारों पर संगोष्ठी तथा चर्चा की गयी। साथ ही डॉ. अम्बेडकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं तथा आयामों से संबंधित साहित्य का वितरण किया गया।

द्वितीय चरण- इस चरण में 15 अप्रैल से 10 मई 2017 की अवधि में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 3 दिवस लगातार ग्राम संसद का आयोजन किया गया। इस हेतु कलेक्टर द्वारा अपने जिले की पंचायतों के क्लस्टर का गठन किया गया। इस चरण का उद्देश्य ग्रामीण जन को विभिन्न योजनाओं, सेवाओं के प्रावधानों से अवगत कराना था, ताकि वे इनका लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ ग्राम पंचायतों के अधीन एक से अधिक गांव भी हैं, अतः ग्राम पंचायत में सम्मिलित समस्त ग्रामों के ग्रामवासियों को ग्राम संसद से संबंधित निर्धारित कार्यक्रम की पूर्व सूचना दी गयी। ग्राम संसद की निर्धारित समय सारणी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की गयी। ग्राम संसद शाम के समय या ऐसे समय आयोजित की गयी, जब ग्राम सभा के ज्यादा से ज्यादा सदस्य उपस्थित हो सके।

प्रथम दिवस की ग्राम संसद- इस ग्राम संसद में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधोसंरचना विकास योजनाओं तथा हितग्राहीमूलक विकास तथा कल्याण योजनाओं और सामाजिक न्याय विभाग की हितग्राहीमूलक कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधानों, किये जाने वाले कार्यों तथा प्रदान किये जाने वाले आर्थिक लाभ, प्रदान की जाने वाली सेवाओं, हितग्राहियों की पात्रता तथा अपात्रता, तथा इन योजनाओं को और प्रभावशील बनाने के संबंध में आवश्यक

यान का चरणबद्ध क्रियान्वयन

जानकारी उपलब्ध कराकर ग्रामीणों के साथ व्यापक परिचर्चा की गयी। इन योजनाओं के तहत पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों का वाचन किया गया, प्रगति की समीक्षा, किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता तथा उपयोगिता का विश्लेषण तथा आगामी कार्ययोजना के लिए ग्राम की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कार्यों का चयन व निर्धारण किया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में व्यवधान तथा अनियमितता की स्थिति होने पर ग्राम संसद में ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की गयी।

यह ग्राम संसद प्रमुखतः निम्नानुसार योजनाओं के कार्यों तथा गतिविधियों पर केन्द्रित है-

- महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कपिलधारा कूप निर्माण, प्रत्येक ग्राम के लिए शांतिधाम निर्माण, खेल मैदान निर्माण, सड़क संपर्क से वंचित सभी बसाहटों में सुदूर सड़क निर्माण, सामाजिक वानिकी तथा तालाब निर्माण।
- भूजल दोहन के आधार पर वर्गीकृत अतिदोहित, दोहित एवं अर्ध दोहित विकास खंडों में महात्मा गांधी नरेगा में वाटरशेड परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- ग्राम पंचायत विकास योजना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण।
- स्वच्छ भारत मिशन।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।
- पंच-परमेश्वर योजना।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना।
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाएं और निःशक्तजनों को उपचार एवं उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी योजनाएं।
- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
- विगत वर्ष के 'ग्राम उदय से भारत उदय' में चिन्हांकित पुरानी जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्स्थापन एवं जीर्णोद्धार।
- श्रमिक कल्याण योजनाएं।

इस ग्राम संसद में सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011 के अनुसार प्राथमिकता सूची का वाचन किया गया। ऐसे हितग्राही, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मापदण्डों के अनुरूप पात्र हैं परन्तु उनका नाम इस प्राथमिकता सूची में नहीं है, तो ग्राम संसद में उनसे आवेदन प्राप्त किये गये।

इसी ग्राम संसद में राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन तथा भूखण्ड धारक प्रमाण पत्र के लिए और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे पात्र

परिवारों से भी आवेदन प्राप्त किये गये।

स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की गयी। गांव में पेयजल की व्यवस्था के लिए स्त्रोत सृजन की आवश्यकता अनुसार अनुशंसा भी की गयी। बन्द पड़ी नल-जल योजनाओं को पुनः शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय स्त्रोतों और प्रणाली पर भी विचार-विमर्श किया जायेगा।

द्वितीय दिवस की ग्राम संसद- इस ग्राम संसद में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वावधान में महिला संसद का आयोजन किया गया। साथ ही महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार प्रबंधन किया गया।

तृतीय दिवस की ग्राम संसद- तृतीय दिवस की ग्राम संसद किसान कल्याण केन्द्रित थी। अतः इस ग्राम संसद में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के प्रावधानों, किये जाने वाले कार्यों, प्रदान किये जाने वाले लाभ तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, हितग्राहियों की पात्रता, अपात्रता, तथा इन योजनाओं को और प्रभावशील बनाने के संबंध में ग्रामीणों के साथ व्यापक परिचर्चा की गयी।

इसमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गयी, किये गये कार्यों की गुणवत्ता तथा उपयोगिता का विश्लेषण और गांव की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कार्यों का चयन किया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई अनियमितता पायी गयी तो ग्राम संसद में ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की गयी।

तृतीय चरण- इस चरण में 11 मई से 30 मई 2017 की अवधि में निम्नानुसार गतिविधियां शामिल रहीं-

'दीनदयाल अंत्योदय योजना' के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को योजना की अवधारणा के अनुरूप गरीबी मुक्त बनाने की समेकित आयोजना तैयार की गयी और क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।

ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए आगामी 2 वर्ष की कार्ययोजना के अनुरूप अधोसंरचना विकास कार्यों की तकनीकी तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रिया पूरी की जाकर क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।

हितग्राहीमूलक विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं में पात्र हितग्राहियों तथा परिवारों के नाम जोड़ने और अपात्र हितग्राहियों अथवा परिवारों के नाम हटाने की कार्यवाही की गयी। साथ ही यह चरण हितग्राहीमूलक योजनाओं के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को देय लाभ तथा देय आर्थिक सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करने पर भी केन्द्रित रहा।

विभिन्न योजनाओं तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं विशेषकर राजस्व विभाग से संबंधित के संदर्भ में प्रथम चरण में प्राप्त हुई शिकायतों और आवेदनों का शत-प्रतिशत

निराकरण किया गया।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तैयार किये गये माइक्रोप्लान के अनुसार ग्राम स्तर पर महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उपचार प्रबंधन कार्यक्रम तैयार किया गया। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा कृषि रथों के माध्यम से विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार तथा किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी करने के लिए रोडमेप को अद्यतन किया गया। किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा उद्यानिकी विभाग द्वारा चिन्हित योजनाओं के लाभों का समयबद्ध वितरण भी सुनिश्चित किया गया।

सूख गये पेयजल स्त्रोतों (हेण्डपम्प व नल-जल योजना) का सत्यापन किया गया। साथ ही क्रियाशील व अक्रियाशील नल-जल योजना की पहचान कर ऐसी नल-जल योजनाएं, जो छोटी-मोटी खराबी के कारण बंद पड़ी हुई हैं, उन्हें चालू करवाया गया। विगत वर्ष के 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान के अंतर्गत ऐसी जल संरक्षण तथा संवर्धन संरचनाओं को चिन्हांकित किया गया, जिन्हें मरम्मत, पुनर्स्थापन तथा जीर्णोद्धार कर उपयोगी बनाया जा सकता है। अभियान के तृतीय चरण में इन चिन्हित संरचनाओं के मरम्मत, पुनर्स्थापन तथा जीर्णोद्धार कार्य स्वीकृत कराकर प्रारंभ किये गये। इन कार्यों का पर्यवेक्षण जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया।

चतुर्थ चरण- अभियान का यह चरण 31 मई से 9 जून 2017 की अवधि में मॉप अप राउंड के रूप में आयोजित किया गया। इस चरण में पूर्व के तीन चरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा और प्रगति का लेखा-जोखा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने की कार्य योजना प्रस्तुत की गयी।

इस चरण में हितग्राहीमूलक योजनाओं के मापदण्डों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र, लाभ पत्र तथा देय लाभ वितरित किये गये।

अभियान पश्चात कार्यवाही- अभियान के दौरान जिले में अर्जित प्रगति और की गई कार्यवाही का संकलन, दस्तावेजीकरण तथा नवाचारों का अभिलेखीकरण कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया गया। कलेक्टर द्वारा संकलित जानकारी जिला योजना समिति तथा राज्य शासन को प्रस्तुत की गयी। राज्य स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्रीजी के समक्ष कलेक्टर तथा सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा उनके जिले में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के कार्यान्वयन तथा प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया गया।

● **प्रस्तुति : अभिषेक सिंह**
(लेखक स्तंभकार हैं)

स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का जन-आंदोलन चलेगा

प्रदेश में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का जन-आंदोलन चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में बैठक में स्व-सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण के लिये रणनीति बनाने के निर्देश दिये। प्रदेश में वर्तमान में दो लाख से अधिक सक्रिय स्व-सहायता समूह हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि स्व-सहायता समूहों के कार्य के लिये नये क्षेत्रों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनायें। स्व-सहायता समूहों के सुदृढीकरण के लिये मिशन मोड में काम करें। इसके लिये लक्ष्य तय करें और रोड मेप बनायें।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक लाख 79 हजार, महिला-बाल विकास के तहत 17 हजार तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तहत 12 हजार स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं। आजीविका मिशन के तहत अनूपपुर, बैतूल और होशंगाबाद जिलों में स्व-सहायता समूहों द्वारा बेहतर कार्य किया गया है। स्व-सहायता समूहों के लिये वस्त्र निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। महिला-बाल विकास विभाग की तेजस्विनी योजना के तहत 6 जिलों में स्व-सहायता समूहों द्वारा 11 हाट बाजारों का संचालन किया जा रहा है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कन्सोटिया, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल तथा आजीविका मिशन के संचालक श्री एल.एम. बेलवाल उपस्थित थे।

ग्रामोदय से भारत उदय

मध्यप्रदेश में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल 2017 से 9 जून 2017 तक आयोजित किया गया। यह अभियान चार चरणों में संपन्न हुआ। अभियान के पहले चरण में 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सामाजिक सौहार्द्र और समरसता समारोह का आयोजन किया गया। अभियान का दूसरा चरण 15 अप्रैल से 10 मई 2017 तक संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम तीन दिवसों में क्रमशः ग्राम विकास संसद, महिला संसद और कृषि संसद का आयोजन किया गया। अभियान का तीसरा चरण 11 मई से 30 मई 2017 तक चला, जिसमें ग्राम विकास योजनाओं का निर्माण किया गया। चतुर्थ चरण 31 मई से 9 जून 2017 तक मॉप अप राउंड के रूप में संपन्न हुआ।

ग्राम संसद- ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत 14 अप्रैल 2017 से 9 जून 2017 के बीच चरणबद्ध ग्राम संसद का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम संसद, महिला संसद और कृषि संसद का आयोजन किया गया।

ग्राम पंचायत विकास योजना संसद- प्रथम दिवस ग्राम पंचायत विकास योजना संसद का आयोजन प्रदेश की 22816 पंचायतों में से 22805 पंचायतों में किया गया। इस ग्राम संसद में 2812515 लोग उपस्थित रहे। औसत उपस्थिति प्रति संसद 123 रही। ग्राम संसद में योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ ग्रामीणों द्वारा आवेदन देने के अलावा शिकायतें भी दर्ज की गईं।

महिला संसद- ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान महिला संसद का आयोजन किया गया। प्रदेश की 22804 पंचायतों में महिला संसद सम्पन्न हुई। प्रदेश में आयोजित महिला संसद में 1958479 महिलाएं उपस्थित रहीं। औसत प्रति संसद 86 महिलाएं शामिल हुईं। महिला संसद में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण से सम्बद्ध योजनाओं की जानकारी दी गयी। मांग हेतु आवेदन स्वीकृत किये गये तथा किसी विषय या आवंटन को लेकर शिकायत की स्थिति में निराकरण की प्रक्रिया की गयी।

कृषि संसद- ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान कृषि संसद का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में कुल 22805 पंचायतों में कृषि संसद का आयोजन किया गया, जिसमें 2476998 लोगों ने भाग लिया। औसत प्रति संसद 109 लोग शामिल हुए। किसान कल्याण पर केन्द्रित कृषि संसद में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की जानकारी, योजना के तहत दिये जाने वाले लाभ, हितग्राहियों की पात्रता, अपात्रता तथा योजनाओं को और अधिक प्रभावशील बनाने के लिये व्यापक विचार-विमर्श हुआ। किसान संसद में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की प्रगति, कार्यों की उपयोगिता तथा गांव की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार योजनाओं का चयन और क्रियान्वयन पर विश्लेषण हुआ। साथ ही समस्या और शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की गयी।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान में प्राप्त आवेदन- ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के दौरान आयोजित ग्राम संसदों में संसद स्थल पर ग्रामसभा के दौरान प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। पात्रता के ब्यौरे के साथ हितग्राहियों से लाभ प्राप्त करने के आवेदन भी प्राप्त किये गये। मांग संबंधी आवेदनों के साथ शिकायत

अभियान में ग्राम संसद

संबंधी आवेदन भी प्राप्त हुए। इस पूर्ण अभियान की प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत मांग संबंधी कुल 2574000 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 1414790 मांग संबंधी आवेदन स्वीकृत हुए, जो मांग का 55 प्रतिशत है तथा 936292 मांग संबंधी आवेदन अस्वीकृत किये गये जो 36 प्रतिशत है। मांग संबंधी आगामी वर्षों की कार्ययोजना में शामिल 313355 आवेदन प्राप्त हुए जो 9 प्रतिशत है।

अभियान के दौरान शिकायत संबंधी आवेदन भी दिये गये। प्रदेश भर में शिकायत संबंधी 30944 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में से 14950 आवेदन स्वीकृत हुए, जो आवेदन का 48 प्रतिशत है। शिकायत संबंधी 16083 आवेदन अस्वीकृत किये गये, जो 52 प्रतिशत है। प्रदेश में मांग और शिकायत सहित कुल आवेदनों की संख्या 2604944 है।

ग्राम पंचायत विकास योजना - ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान गांवों के समुचित विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया गया। अभियान में वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 की कार्ययोजना बनायी गयी। वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश भर में 539269 कार्य प्रस्तावित किये गये। इनमें से 64601597 कार्य स्वीकृत हुए। अभियान अवधि में विकास योजना के लिए बनी आयोजना में से 3441847 कार्य प्रारंभ किये गये। वर्ष 2018-19 के लिए शेष 20365793 कार्य प्रस्तावित हैं।

सामाजिक-आर्थिक गणना 2011- पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सामाजिक-आर्थिक गणना 2011 को आधार बनाया गया है। इस अनुसार यदि कोई परिवार छूट गये हों अथवा उनके सत्यापन की आवश्यकता हो, इससे संबद्ध परिवारों को सूचीबद्ध करने का कार्य ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान किया गया। इस अवधि में प्रस्तावित परिवारों की संख्या 696497 पायी गयी तथा 541233 पात्र परिवारों का सत्यापन किया गया।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की उपलब्धियां

प्रथम चरण
अभियान का शुभारंभ
14 अप्रैल 2017

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर राज्य स्तर तथा प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला स्तर और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के स्तर पर सामाजिक सौहार्द्र एवं समरसता के कार्यक्रम आयोजन कर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देकर उनके जीवन संदर्भ पर संगोष्ठी एवं चर्चा की गई तथा उनसे संबंधित साहित्य का वितरण किया गया। ग्रामीणों को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की रूप-रेखा और ली जाने वाली गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

द्वितीय चरण
22816 ग्राम पंचायतों में तीन ग्राम संसदों का आयोजन
15 अप्रैल से 10 मई 2017
प्रथम दिवस की ग्राम संसद

प्रथम दिवस की ग्राम संसद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की गतिविधियों पर केन्द्रित थी, जिसकी उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

- 28.12 लाख ग्रामीणों की सहभागिता।
- 2016-17 में तैयार की गई "ग्राम पंचायत विकास योजना" की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार 2,05,727 कार्य पूर्ण हुए।
- वर्ष 2017-18 के लिए "ग्राम पंचायत विकास योजना" में 5,39,269 कार्य प्रस्तावित किये गये।
- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त कार्य निम्नानुसार अनुमोदित किये गये:-
  - शांतिधाम - 21,006
  - खेल मैदान - 16,293
  - सुदूर संपर्क सड़क - 13,809
  - कपिलधारा कूप सह खेत तालाब निर्माण- 45,365
  - नवीन तालाब - 7,713
  - वृक्षारोपण परियोजनाएं - 2.59 लाख
  - वाटरशेड विकास कार्य - 2,061
- 16,901 जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य स्वीकृत किये गये।
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 का वाचन कर छूटे हुए 11.24 लाख परिवारों से आवेदन प्राप्त किये गये।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 22,816 ग्राम पंचायतों का स्वच्छता प्लान प्रस्तुत किया गया।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए 40,225 कार्यों को शामिल कर आयोजना तैयार की गई।
- वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र वाले ग्रामों में सिंचाई एवं पेयजल के उपयोग के लिए जल संरक्षण तथा संवर्धन के संबंध में ग्रामीणों से परिचर्चा की गई।
- नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन, भूधारक प्रमाण पत्र हेतु जरूरतमंदों के आवेदन प्राप्त किये गये।
- जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 31,530 आवेदन प्राप्त कर सत्यापन किया गया।

- विभाग की पेंशन योजनाओं तथा निःशक्तजन कल्याण योजनाओं से वंचित हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उनसे आवेदन पत्र प्राप्त किये गये।

द्वितीय दिवस की ग्राम संसद

द्वितीय दिवस की ग्राम संसद महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं आजीविका उन्नयन पर केन्द्रित थी, जिसके लिए प्रमुखतः लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की विविध गतिविधियां नियोजित की गई। प्रमुख गतिविधियां एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं-

- 19.58 लाख महिलाओं की सहभागिता।
- महिला स्वास्थ्य एवं पोषण पर परिचर्चा कर समस्याओं के निदान हेतु विकल्प बताये गये।
- ग्राम स्तर पर 28,082 महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर कुल 11,81,906 महिलाओं का परीक्षण किया गया।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के 4,21,000 पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर लाभान्वित किया गया।

तृतीय दिवस की ग्राम संसद

इसमें कृषकों से किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के प्रावधानों और कार्यों के संबंध में व्यापक परिचर्चा आयोजित कर उन्हें उन्नत कृषि प्रणालियों और तकनीकों के संबंध में अवगत कराया गया। इस ग्राम संसद में 24.76 लाख कृषकों ने भाग लिया।

तृतीय चरण
योजनाओं का क्रियान्वयन
11 मई से 30 मई 2017

- इस चरण में पूर्व के चरणों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया तथा हितग्राहीमूलक विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृत कार्यों का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस चरण की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-
- 2017-18 की "ग्राम पंचायत विकास योजना" - 3,23,527 कार्य स्वीकृत किये जाकर 1,35,400 कार्य प्रारंभ।
- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त कार्य निम्नानुसार प्रारंभः-
  - शांतिधाम - 16,540
  - खेल मैदान - 12,078
  - सुदूर संपर्क सड़क - 9,530
  - कपिलधारा कूप सह खेत तालाब निर्माण- 28,648
  - नवीन तालाब - 5,230
  - वृक्षारोपण परियोजनाएं - 47,021
  - वाटरशेड विकास कार्य - 946
- जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार- 12,585 कार्य प्रारंभ।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओ.डी.एफ. ग्रामों का सत्यापन।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बना चुके परिवारों द्वारा प्रोत्साहन राशि की ऑनलाइन डिमाण्ड का निराकरण।
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु प्राप्त आवेदनों के भौतिक सत्यापन में पात्र परिवार-7.23 लाख ।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना - 10,422 कार्य प्रारंभ।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से संबद्ध 53,897 स्व-सहायता समूहों का सत्यापन तथा 10,813 शालाओं में कार्यक्रम का दायित्व स्व-सहायता समूहों को सौंपा।
- नामांतरण के 71,673, बंटवारे के 21,629, सीमांकन के 17,917 प्रकरण निराकृत।
- 2,34,459 भूधारक प्रमाण पत्र वितरित।
- पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत 18,473 स्वीकृतियां निरस्त तथा 83,003 नवीन प्रकरण स्वीकृत।
- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की गईः-
  - अपात्र हितग्राही - 94,283
  - पात्र हितग्राही - 36,413
  - निरस्त खाद्यान्न पर्चियां - 80,224
  - जारी खाद्यान्न पर्चियां - 69,185
- सुधार कर प्रारंभ की गईं नल-जल योजनाएं- 2,635
- सुधार कर चालू किये गये हैंडपम्प - 41,286
- लाड़ली लक्ष्मी योजना की समीक्षा हेतु गृह भेंट की गईं बालिकाएं- 5.82 लाख
- 44,974 महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर निम्नानुसार कार्यवाही की गईः-
  - कुल 20.50 लाख महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण।
  - 3.61 लाख गर्भवती महिलाओं का परीक्षण, जिसमें से 37,679 को

उच्च स्तरीय स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु रैफर किया गया।

- 11.77 लाख अन्य महिलाओं का परीक्षण, जिसमें से 82,691 को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु रैफर किया गया।
- 1,799 संभावित कैंसर वाली महिलाओं को रोशनी क्लीनिक, जिला अस्पताल में रैफर किया गया।
- 5.11 लाख किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण।

- लालिमा अभियान के अंतर्गत महिलाओं को आयरन एवं एलबेन्डाजोल की गोली का वितरण।
- आंगनवाड़ियों में विशेष पोषण दिवस का आयोजन।
- 22,816 ग्राम पंचायतों में कृषकों को कृषि से आय को दोगुना करने के लिए रोडमैप की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्य

- **शांतिधाम - 16,540**
- **खेल मैदान - 12,078**
- **सुदूर संपर्क सड़क - 9,530**
- **कपिलधारा कूप सह खेत तालाब निर्माण- 28,648**
- **नवीन तालाब - 5,230**
- **वृक्षारोपण परियोजनाएं - 47,021**
- **वाटरशेड विकास कार्य - 946**
- **जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार- 12,585 कार्य प्रारंभ।**
- **स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओ.डी.एफ. ग्रामों का सत्यापन।**
- **स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बना चुके परिवारों द्वारा प्रोत्साहन राशि की ऑनलाइन डिमाण्ड का निराकरण।**

- विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं के संबंध में प्राप्त व्यक्तिगत एवं सामुदायिक आवेदनों का निराकरण निम्नानुसार किया गया:-
  - शिकायत संबंधी निराकृत आवेदन- 30,944
  - विभिन्न योजनाओं के मांग संबंधी निराकृत आवेदन - 25.74 लाख

चतुर्थ चरण
योजनाओं का क्रियान्वयन
31 मई से 9 जून 2017

- पूर्व के तीन चरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा और प्रगति का लेखा-जोखा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- हितग्राहीमूलक योजनाओं के मापदण्डों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र/लाभ पत्र एवं देय लाभ वितरित किये गये।
- ग्राम स्तर पर बिजली पंचायत का भी आयोजन हुआ।

वीडियो काँफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश

विकास आयुक्त कार्यालय
विन्ध्याचल भवन

क्रमांक 7760/22/वि-8/मॉनिट/2016 **भोपाल, दिनांक 02.07.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला (समस्त)
   मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत (समस्त)
   मध्यप्रदेश।

विषय : साप्ताहिक विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के निर्देशों/निर्णयों का पालन।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिये प्रति गुरुवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिये नियत है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के दौरान मेरे द्वारा लिये गये निर्णय एवं दिये गये निर्देशों के पालन की समीक्षा करने पर यह विदित हुआ है कि कुछ मैदानी अधिकारियों ने पृथक से शासन आदेश की अपेक्षा करते हुए पालन की कार्यवाही नहीं की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने यह स्पष्ट किया है कि मेरे द्वारा दिये जाने वाले निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मिनिट्स में समाहित होकर शासन आदेश होंगे और पृथक से आदेश जारी होने का इंतजार न किया जाए। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के पश्चात विभाग के वेबसाइट (पंचायत दर्पण पोर्टल) पर कार्यवाही विवरण अपलोड किया जाता है।

पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि मेरे द्वारा ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मिनिट्स को ही विकास आयुक्त/शासन का आदेश/निर्देश मानकर पालन किया जाए। पृथक से आदेश की प्रतीक्षा न की जाए।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

पृ.क्र. 7761/22/वि-8/मॉनिट/2016 **भोपाल, दिनांक 02.07.2016**

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, पंचायतराज, संचालनालय, तिलहन संघ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यक्रम अधिकारी, समस्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विकास आयुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देश
18 मई 2017
महात्मा गांधी नरेगा

- प्रत्येक जिले में आजीविका मिशन अथवा तेजस्विनी के स्व-सहायता समूहों द्वारा एक नर्सरी स्थापित की जानी है। नर्सरी के लिए जिले में जलाशय के निकट 2 एकड़ जमीन ली जाए।
- सुदूर संपर्क सड़क ग्रामों को, (i) मुख्य सड़क से जोड़ने, (ii) परस्पर तथा (iii) मजरे-टोले से जोड़ने के लिए बनाई जाए। यदि सड़क की लम्बाई लागत ज्यादा हो तो भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति देकर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए। सुदूर संपर्क सड़क के लिए ग्राम पंचायत की शासकीय स्वीकृति सीमा रुपये 15.00 लाख शिथिल की जाती है। प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति जनपद पंचायत को सूचनार्थ भेज दी जाए। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत ही रहेगी।
- स्पष्ट किया गया है कि पुल-पुलिया निर्माण नरेगा से करने पर कोई रोक नहीं है। यदि पुल-पुलिया की लागत अधिक हो तो सांसद निधि अथवा विधायक निधि, जनपद तथा जिला पंचायत सदस्यों के विकल्प पर उपलब्ध अधोसंरचना विकास (परफॉरमेंस ग्रांट) की राशि का मनरेगा से अभिसरण किया जा सकता है।
- मनरेगा के तहत सामग्री भुगतान के सभी प्रकरण निपटाये जाएं। धनराशि की कोई कमी नहीं है।
- स्वीकृत हितैषी कपिलधारा कूप प्रकरणों में हितग्राही को देय प्रथम किश्त (अग्रिम) सामग्री मद से जारी की जाए। सभी स्वीकृत प्रकरणों में कूप निर्माण ग्राम उदय के दौरान प्रारम्भ कराये जाएं।
- जहां कपिलधारा कूप खुद गये हैं वहां बंधाई कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व कराए जाएं।
- वर्षा ऋतु के पूर्व कपिलधारा कूप पूर्ण करने की प्रगति जिलों द्वारा स्व-निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बहुत कम है। चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत समीक्षा कर सुधार लायें।
- ग्राम उदय अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम में एक तालाब का जीर्णोद्धार अथवा नवीन तालाब का निर्माण करना है।
- तालाब जीर्णोद्धार अथवा नवीन तालाब निर्माण कार्य के स्थल का जियो टैग फोटो लिया जाए, ताकि भविष्य में शिकवा-शिकायतों का निराकरण आसानी से किया जा सके।
- तालाबों के जीर्णोद्धार अथवा निर्माण के सम्बन्ध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं से तकनीकी कार्य कराए जाएं। इस सम्बन्ध में पूर्व में पृथक से निर्देश जारी किये गये हैं।
- प्रत्येक ग्राम में वृक्षारोपण की न्यूनतम दो परियोजनाएं स्वीकृत कर वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदने का कार्य 30 मई तक प्रारम्भ कराया जाए। वृक्षारोपण परियोजना से सम्बन्धित जानकारी गूगल शीट में दर्ज की जाए।
- लेबर बजट का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मजदूरों का नियोजन यथोचित बढ़ाया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन

- छिंदवाड़ा एवं होशंगाबाद जिले 15 अगस्त को ओडीएफ घोषित होंगे।
- रायसेन, दतिया, अलीराजपुर, झाबुआ, रीवा एवं उमरिया जिले 02 अक्टूबर को ओडीएफ घोषित होंगे।
- शेष जिले ओडीएफ के लिए अपना लक्ष्य तय करें।

पुरानी आवास योजनाओं के निर्माण की प्रगति

- रायसेन, अशोकनगर, गुना, कटनी एवं बड़वानी जिलों की उपलब्धि प्रशंसनीय पाई गई।
- आवास निर्माण पूर्ण कराने हेतु एडीईओ एवं पीसीओ को तैनात किया जाए। आशातीत प्रगति न हो तो कार्रवाई करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- PTG अथवा अन्य आदिवासी वर्ग के जिन परिवारों को 2 कक्ष कच्चा आवास श्रेणी में होते हुए भी त्रुटिवश प्रथम किश्त जारी कर दी है, उन्हें अपात्र नहीं किया जावे।
- पात्रता का निर्धारण स्वीकृति के दिन की परिस्थिति में किया जावे।
- PTG के प्रकरणों में केवल पक्का आवास वाला परिवार अपात्र है। अपात्रता के अन्य बिन्दु लागू नहीं हैं।
- मौसमी पलायन के आधार पर हितग्राही को अपात्र नहीं किया जाए। पात्रता क्रम में आने वाले अगले हितग्राही को योजना का लाभ दिया जाए। मौसमी पलायनकर्ता के लौटने पर ऐसे हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए अतिरिक्त लक्ष्य दिया जाएगा।

पंचायत राज

- चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत मुख्यालय पर सरपंचों का एक दिवसीय सहप्रशिक्षण नियमित रूप से निम्नानुसार आयोजित करें:-
  (i) 06 अथवा कम विकास खण्ड वाला जिला - माह में एक बार।
  (ii) 06 से अधिक विकास खण्ड वाला जिला - 2 माह में एक बार।
- गरीबी मुक्त करने के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति

परिवार व्यय सीमा CEO, SRLM नियत करें। जिले इस सीमा के भीतर जिला पंचायत से धनराशि व्यय कर सर्वेक्षण कराएं। संचालक, पंचायत व्यय की प्रतिपूर्ति जिला पंचायतों को करें।

- मार्च, 2017 में क्षेत्र के माननीय विधायक के विकल्पों पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 03 मंगल तथा सामुदायिक भवन और एक ग्राम पंचायत भवन की स्वीकृति देते हुए संचालनालय से धनराशि की प्रथम किश्त जिला पंचायतों को भेजी गई है। अधिकांश जिलों में कार्य प्रारम्भ नहीं कराये गये हैं। निर्देश दिये हैं कि:-

(अ) जिन माननीय विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हों उनसे दूरभाष पर संपर्क कर प्रस्ताव प्राप्त करें।

(ब) सभी निर्माण कार्य 30 मई के पूर्व अनिवार्यतः प्रारम्भ कराएं।

(स) जिन माननीय विधायकों से उनकी अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई हो, उन भवनों को 31 मार्च की स्थिति में संचालनालय को समर्पित किया जाए।

(द) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निर्धारित प्रपत्र अ, ब, स तथा द में अविलम्ब संचालनालय को भेजी जाए।

अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देश

26 मई 2017

महात्मा गांधी नरेगा

- प्रत्येक ग्राम में वृक्षारोपण की न्यूनतम 2 परियोजनाओं की स्वीकृति देकर पौधरक्षकों का चयन किया जाए। स्वीकृत परियोजना एवं पौधरक्षक की जानकारी गूगल शीट में दर्ज की जाए।
- प्रत्येक जिले में नर्सरी लगाने के लिए जलाशय के निकट दो एकड़ शासकीय भूमि चिन्हित की जाए। आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह द्वारा नर्सरी इसी वर्ष वर्षा ऋतु में लगाई जाए।
- प्रत्येक ग्राम में एक तालाब का जीर्णोद्धार अथवा नवीन तालाब निर्माण का कार्य स्वीकृत कराकर ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के दौरान कार्य प्रारंभ कराए जाएं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वितों में से इच्छुक को महात्मा गांधी नरेगा से फलदार तथा छायादार वृक्ष लगाने के लिए रुपये 5 हजार की परियोजना स्वीकृत की जाए।

स्वच्छ भारत मिशन

- अधिकांश जिलों में स्व-निर्धारित लक्ष्य की प्रगति में सुधार की आवश्यकता है।
- शौचालय विहीन घरों की जानकारी के शुद्धिकरण का कार्य 2 सप्ताह में पूर्ण किया जाए।

पुरानी आवास योजनाएं

- रायसेन जिले की उपलब्धि उत्कृष्ट है। जिले ने मई माह का लक्ष्य पूर्ण किया है।
- पूर्ण आवास की ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रविष्टि के अंतर को समाप्त किया जाए। यह जिम्मेदारी पंचायत समन्वयक की होगी।

ग्राम उदय से भारत उदय

- ग्राम उदय से भारत उदय के चतुर्थ चरण में एटीआर ग्राम संसद में प्रस्तुत की जाना है। एटीआर का संशोधित प्रारूप तैयार कर जिलों को पृथक से भेजा जावे।
- हितग्राहीमूलक योजनाओं में आवेदन अस्वीकृत तथा अपात्र पाए जाने की दशा में आवेदकों को सूचना दी जाना है। सूचना एक ही नोटिस में इकजाई रूप से सूची बनाकर ग्राम पंचायत में चस्पा कर दी जाए। ग्राम पंचायत में चस्पा की जाने वाली सूची में अस्वीकृति तथा अपात्रता के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
- आयुक्त, खाद्य ने अन्नपूर्णा योजना के संबंध में पात्रों के लिए राशन पर्ची जारी करने तथा अपात्रों की पर्ची को निरस्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट की। अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न पर्ची निरस्त करने अथवा स्वीकृति जारी करने के आधार पर ही आवेदनों का निराकरण मान्य किया जावेगा।
- आयुक्त, खाद्य ने हितग्राहियों के एक से अधिक आधार कार्ड, एक ही परिवार के कई राशन कार्ड होने की जानकारी दी। जिलों को अवगत कराया गया कि पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के लिए अपात्रों को चिन्हित कर उनके नाम हटाने की काफी गुंजाइश है।
- सुनिश्चित किया जाए कि अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रत्येक पात्र आवेदक को योजना का लाभ राशन पर्ची जारी कर दी जाए। इस हेतु यथाशीघ्र अपात्र हितग्राहियों के नाम अन्नपूर्णा योजना से हटाया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- बड़ी तादाद में ऐसे प्रकरण जिलों में लंबित हैं, जिनमें प्रथम किश्त के एफटीओ को दो माह और चार माह से अधिक हो चुके हैं। इनमें द्वितीय किश्त जारी न होना चिन्ताजनक है। अभियान चलाकर जियोटेगिंग की कार्रवाई करते हुए सभी पात्र प्रकरणों में अगली वीसी तक द्वितीय किश्त जारी की जाए। जिन प्रकरणों में द्वितीय किश्त जारी किए दो माह से अधिक का समय हो चुका है, उनमें पात्रता अनुसार जियोटेगिंग करते हुए तृतीय किश्त जारी की जाए।
- मनरेगा मजदूरी तथा शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान आवास पूर्ण होने के पश्चात जियोटेगिंग कर किया जावे।
- उज्ज्वला के तहत प्रत्येक हितग्राही को मकान पूर्ण होने पर एलपीजी कनेक्शन दिया जाए।
- प्रथम किश्त जारी करने के बाद अपात्र पाए गए हितग्राहियों की जानकारी के संबंध में निम्न निर्देश दिए गए:-

i. सभी जिलों में अपील समिति की

बैठक की कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है। कार्रवाई 31 मई तक पूर्ण कराएं।

ii. अपील समिति द्वारा अपात्र पाए गए प्रकरणों में निम्न प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरण जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की परीक्षण टीप के साथ संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना को भेजें:-

अ. शासकीय सेवा।
ब. चार पहिया वाहन होना।
स. पूर्व से पक्का मकान होना।
द. पूर्व में रु. 25000 या अधिक का लाभ लिया होना।

iii. राज्य स्तर से जारी निर्देशों में किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर हितग्राही को अपात्र करने के निर्देश नहीं हैं।

iv. अपील समिति द्वारा अपात्र पाए गए प्रकरणों में हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना के तहत लाभ लेने का विकल्प दिया जावे।

अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देश

8.6.2017

स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत मिशन के जिला एवं विकासखंड समन्वयकों को स्वच्छ भारत मिशन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न दिया जावे।
- भविष्य में BC एवं प्रेरकों को भुगतान जनपद पंचायत स्तर से उनके द्वारा किये कार्य एवं परिणाम के आधार पर करने की व्यवस्था की जावे।
- प्रत्येक ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में रुचि लेने वाले व्यक्ति को स्वच्छता स्वयंसेवक के लिए 15 जून तक चिन्हित कर 20 जून तक प्रशिक्षित किया जाए। इनकी प्रविष्टि GoI- MIS में 20 जून तक की जाए। प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को मिशन की गतिविधियों में निरंतर संलग्न रखा जाए।
- टाटा ट्रस्ट द्वारा जिलों को उपलब्ध कराए गए जिला स्वच्छ भारत प्रेरक को "District Motivator" नाम से सम्बोधित किया जाए। उन्हें दिये गये दायित्व के अतिरिक्त एक ग्राम 15 दिवस में ओडीएफ करने हेतु दिया जाए जिससे वे ग्राम को ओडीएफ करने की पद्धति का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर लें।
- 11 जिलों (रायसेन, विदिशा, दतिया, अलीराजपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सीधी, शाजापुर, खण्डवा एवं रीवा) ने 30 नवम्बर 2017 के पूर्व जिले को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा।
- 08 जिलों (श्योपुर, अशोकनगर, कटनी, बैतूल, सागर, अनूपपुर, उमरिया एवं देवास) ने 28 फरवरी 2018 के पूर्व जिले को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा।
- पन्ना जिले को पूर्णकालिक जिला समन्वयक उपलब्ध कराएं।
- अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़, उमरिया जिले की करकेली, देवास जिले की बागली, मुरैना जिले की पहाड़गढ़, अशोकनगर जिले की अशोकनगर तथा विदिशा जिले की गंजबासौदा जनपद के लिए एक-एक अतिरिक्त ब्लॉक समन्वयक की स्वीकृति दी गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- झाबुआ, पन्ना, सतना एवं शहडोल शेष स्वीकृतियां पूर्ण करें।
- ग्रामोदय अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्रों का भौतिक सत्यापन कर SECC-2011 में पंचायत दर्पण पर प्रविष्टि की जाए।

पंच परमेश्वर योजना

- मटेरियल पेमेंट का लंबित भुगतान अगली वीसी तक सुनिश्चित करें।
- Delay payment के प्रकरणों की जनपदवार समीक्षा की जाए। अगली वीसी तक Delay payment जिन जनपदों में 30% या ज्यादा और जिलों में 20% या ज्यादा होंगे उनके CEO के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देश

22.06.2017

महात्मा गांधी नरेगा

- मोक्षधाम निर्माण में कतिपय जिलों में स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के द्वारा जांच में पाया गया कि मोक्षधाम में आर.सी.सी. पिलर का निर्माण किया गया है। मोक्षधाम में गार्डर लगाना है। गार्डर की ऊंचाई 04 के बजाए 06 रखी जाए। मोक्षधाम में आर.सी.सी. पिलर निर्माण सख्त रूप से मनाही है। जहां-जहां आर.आर.सी. पिलर का निर्माण हुआ है, वहां अभियान चलाकर disallow करें।
- जिला शहडोल, उमरिया, सीधी में नवीन चयनित यंत्रियों की पदस्थापना की जाए जिससे नरेगा कार्यों में विलंब भुगतान की स्थिति निर्मित न हो।

स्वच्छ भारत मिशन

- खुले में शौच से मुक्त घोषित ग्रामों की भारत शासन के एमआईएस में दर्ज शौचालय विहीन परिवारों की सूची के आधार पर परिवार के शौचालय की वर्तमान स्थिति के आधार पर पुनः बेसलाइन सर्वे 2012 के डाटा बेस के संशोधन/परिवर्तन की कार्रवाई करें। खुले में शौच से मुक्त घोषित ग्राम में शौचालय विहीन परिवारों की संख्या शून्य (0) होना चाहिए।
- योजना की समीक्षा हेतु जिला समन्वयकों की बैठक प्रतिमाह मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जाए।
- समस्त जिले माह जून में शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूर्ण करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- जिन जिलों ने लक्ष्य से अधिक स्वीकृतियां जारी कर दी हैं वे पात्र

हितग्राहियों की जानकारी विकास आयुक्त को ग्रामवार सूची भेजकर अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त करें।

- सभी जिले लक्ष्य के विरुद्ध 100 प्रतिशत प्रथम किश्त जारी करें।
- सभी जिले पूर्ण आवास की फोटो आवास सॉफ्ट में इन्द्राज करें।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जिलों में पदस्थ समस्त मैदानी अमला चाहे वो संविदा हो या नियमित कर्मचारी हो, को आवास सॉफ्ट का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण कार्य आगामी वीसी के पूर्व संपन्न करा लिया जाए।
- यदि किसी कारणवश हितग्राही की मृत्यु हो जाए तो परिवार के उत्तराधिकारी को हितग्राही मानकर कार्रवाई करें।

सीसी रोड़

- जून 2018 तक प्रदेश के सभी ग्रामों में सी.सी. रोड एवं पक्की नालियों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।
- सभी जिले समीक्षा कर लें कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि की जानकारी पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है।
- रुपये 10.00 लाख से अधिक की राशि शेष रहने वाले जिलों की समीक्षा अगली वीसी में की जावेगी। राशि व्यय न होने की दशा में अगली किश्त मिलने में कठिनाई रहेगी।

अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देश 20.07.2017

पुरानी आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना

- जुलाई 17 हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध आवास पूर्णता में प्रगति अत्यन्त धीमी है। 31 जुलाई 2017 तक लक्ष्य पूर्ण करें। द्वितीय किश्त जारी करने एवं आवास पूर्णता में जिला धार, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, दमोह, पन्ना, मंदसौर एवं उज्जैन की प्रगति न्यून पाई गयी।
- वनाधिकार एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना अन्तर्गत अप्रारंभ तथा नींव स्तर तक के प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा CEO, JP स्वयं करें।
- ऑफ लाइन एवं ऑनलाइन आंकड़ों की भिन्नता का समाधान 15.08.17 तक करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- कुछ प्रकरणों में आवास साफ्ट में पूर्ण आवास की फोटो बिना पुताई एवं प्लास्टर के अपलोड की गई है। यह घोर लापरवाही का कृत्य है। संबंधित CEO, JP को दो वेतन वृद्धि रोकने का SCN जारी किया जाए एवं संबंधित GRS का सेवा अनुबंध समाप्त किया जाए।
- मुख्यालय स्तर की अपीलेंट कमेटी में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों के निराकरण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वयं मौका स्थल निरीक्षण कर कमेटी को प्रस्तुतीकरण दें।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के Geotagging photo upload करने हेतु Mobile App का प्रशिक्षण SHG, स्वच्छता प्रेरक, आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उपयंत्री, ADEO/PCO आदि को एक सप्ताह के भीतर दिया जाए। इनमें से जो व्यक्ति फोटो अपलोड करे उसे प्रति फोटो रुपये 50/- के मान से भुगतान किया जाए और ऐसी राशि GRS के मानदेय से कम की जाए।

स्वच्छ भारत मिशन

- सभी जिले डाटा क्लीनिंग का कार्य 25 जुलाई 2017 तक पूर्ण करें।
- 27 जिलों में शौचालय निर्माण के जुलाई माह के स्व-निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 50% ही है। ध्यान दें।

बजट

जिला/जनपद पंचायतों द्वारा पूर्व में संधारित सभी बैंक खातों, बचत पत्रों, निवेश तथा अन्य रूप से रखी गयी धनराशि को एकल खाते में अंतरित किया जाना था। कुछ जिलों द्वारा एकल बैंक खाते संबंधी जानकारी एवं पालन प्रतिवेदन नहीं भेजे हैं। प्रतिवेदन का परीक्षण करने हेतु मुख्यालय से दल भेजे जाएं।

पंचायत

- ग्राम पंचायतों को प्राप्त राशि तथा व्यय राशि की समीक्षा कर राशि का उपयोग सुनिश्चित कराएं।
- ग्राम पंचायतवार समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि पंच परमेश्वर योजना की राशि का व्यय निर्देशों के अनुसार ही हो।
- सुनिश्चित करें कि समस्त ग्राम पंचायतों में सीमेंट कांक्रीट कार्य प्रारंभ हो जाए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव, जो सचिव अथवा सहायक सचिव हो सकता है, की व्यवस्था की जाए। किसी भी व्यक्ति को उसकी पदस्थापना से अन्यत्र ग्राम पंचायत का दायित्व नहीं दिया जाए। अतिरिक्त प्रभार निषेध है। जहां कहीं अतिरिक्त प्रभार दिया हो, उसे तत्काल समाप्त करें।
- समस्त स्तरों पर संलग्नीकरण तत्काल समाप्त करें।

खनन सामग्री व्यवस्था

- ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए गौण खनिज निकालने के संबंध में खनिज साधन विभाग ने कलेक्टरों को दि. 10.04.2013 को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
- जलाशयों से वर्षाऋतु में de-silting कर रेत निकालने पर प्रतिबंध नहीं है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं सीसी रोड के लिए रेत एवं गिट्टी की व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर से अगली VC के पूर्व खनिज अधिकारी के साथ बैठक सम्पन्न कराएं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में दिये गये निर्देश

27.7.2017

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत 01.08.2017 से समस्त प्रकार के भुगतान, खाद्यान्न रिलीज आर्डर आदि ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।
- समस्त जिले विभागीय पोर्टल में प्रविष्टि कर आवश्यक तैयारी करें ताकि शिक्षक पालक संघ, SHG, PTO रसोईया को भुगतान में विलम्ब न हो और राशन दुकानों को खाद्यान्न रिलीज आर्डर समय पर जारी किए जा सकें।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए मैदानी अमला गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें और सतत् निगरानी करें।
- नागरिक आपूर्ति निगम से राशन दुकानों पर रिलीज आर्डर के अनुसार खाद्यान्न की सुनिश्चितता उपलब्ध कराई जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि अधिकाधिक तादाद में आवास पूर्ण कराकर पुरस्कार योजना का लाभ उठाएं।
- आवास योजना से संबंधित जानकारी/शिकायत हेतु हेल्पलाइन नं. 9407509864, 9407509464 या 18002337202 पर सम्पर्क करने की जानकारी अधिकाधिक लोगों को दी जाए।

पंच परमेश्वर योजना

- ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध धनराशि का शीघ्र सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। सी.सी. सड़क एवं निर्माण कार्यों के लिए रेत एवं गिट्टी की रायल्टी फ्री व्यवस्था की जाए।
- रेत एवं गिट्टी के निर्बाद्ध परिवहन के लिए प्रत्येक विकास खण्ड हेतु 2 से 4 डम्पर आवश्यकतानुसार किराए पर लिए जाएं और उनके रूटचार्ज एवं दैनिक फेरी तय कर दी जाए। प्रति फेरी किराया भी तय कर दिया जाए।
- सीमेंट निर्माताओं/विक्रेताओं से बातचीत कर खुदरा बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सीमेंट उपलब्ध कराने की व्यवस्था के प्रयास किए जाएं।
- प्रत्येक जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की सामान्य मासिक बैठक के लिए माह की एक तिथि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नियत करें। इसी दिन विभिन्न समितियों की बैठक भी रखी जाए।
- सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का एजेण्डा निम्नानुसार होगाः-
  (1) पूर्व बैठक का पालन प्रतिवेदन।
  (2) शासन द्वारा जारी नवीन निर्देश/नीतियों से समस्त निर्वाचित प्रतिनिधियों को अवगत करवाना।
  (3) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, इंदिरा आवास योजना के अपूर्ण आवास, मध्यान्ह भोजन योजना, पंचपरमेश्वर योजना अंतर्गत सी.सी. रोड निर्माण, नाली निर्माण इत्यादि योजनाओं की प्रगति की जानकारी उपलब्ध करवाना।
  (4) विगत माह के आय-व्यय की जानकारी बैठक में रखना।
  (5) अगले माह के प्रस्तावित आय-व्यय का ब्यौरा बैठक में रखना।
- CEO, जिला पंचायत सुनिश्चित करें कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय तथा बैठक भत्तों का भुगतान नियमित रूप से किया जाए। सभी उपस्थित सदस्यों के मानदेय का भुगतान बैठक के दिन ही किया जावे।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सी.सी. सड़क एवं पक्की नाली निर्माण के प्रगति की समीक्षा की जाए। जिन ग्राम पंचायतों में सी.सी. सड़क बनाने का कार्य किया जा चुका हो उनमें खरंजा अथवा पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त सड़क की अनुमति हेतु पृथक से मानक लागत निर्धारित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

वृक्षारोपण

- समस्त प्लांटेशन 'नरेगा साफ्ट' में दर्ज कर नियमानुसार मस्टररोल भुगतान की कार्रवाई की जाए।
- पौध रक्षकों की ऑनलाइन जानकारी की प्रविष्टि पूर्ण की जाए और जानकारी का सत्यापन किया जाए।
- पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए निर्देश

03.08.2017

स्वच्छ भारत मिशन

- जून माह में स्वनिर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कमजोर प्रगति वाले जिलों के CEO जिला पंचायत ने उनके स्पष्टीकरण में जुलाई 2017 में लक्ष्यपूर्ति करने का लेख किया था। जिन जिलों की उपलब्धि जुलाई माह के स्वनिर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध दयनीय है उनके CEO जिला पंचायतों को वस्तुस्थिति का पत्र लिखकर उनके अभिलेख में रखा जाए।
- जिन जिलों की स्वनिर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि जून एवं जुलाई माह की लगातार 60 प्रतिशत से कम है उनके जिला समन्वयक एवं विकासखण्ड समन्वयकों का मानदेय एक माह के लिए 50 प्रतिशत तक सीमित किया जाए।
- CEO जिला पंचायत विकास खण्डवार समीक्षा कर ऐसे समन्वयक चिन्हित करें जिनकी दोनों माह के स्वनिर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति नगण्य रही हो। ऐसे समन्वयकों को अनुबंध के मुताबिक 15 दिवस का पारिश्रमिक देते हुए अनुबंध समाप्त किया जाए।
- शौचालय निर्माण के लिए उचित मूल्य पर ईंट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
- वर्षाऋतु के दौरान आजीविका मिशन/तेजस्विनी के स्व-सहायता समूहों से आवश्यकतानुसार ईंट भट्टे लगवाने के लिए प्रकरण बनवाकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना में स्वीकृति कराई जाए। उपयुक्त मिट्टी की खनन अनुज्ञप्ति तथा ईंधन के लिए आवश्यक व्यवस्था वर्षाऋतु के दौरान ही कराई जाए ताकि वर्षाऋतु समाप्त होते ही ईंट निर्माण प्रारम्भ हो।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के भुगतान संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जाए। यदि पोर्टल से निराकरण में समय लगे तो मुख्यालय से RTGS की अनुमति दी जाए। पोर्टल से भुगतान नहीं होने संबंधी प्रकरणों में मुख्यालय में पदस्थ उपायुक्त एवं SPO, SBM जिम्मेदार माने जाएंगे।
- भारत सरकार की वेबसाइट पर सभी जिले शौचालयविहीन घरों की जानकारी का शुद्धिकरण करें। दि. 04.08.2017 को अशोकनगर दि. 05.08.2017 को छिन्दवाड़ा एवं दि. 10.08.2017 को पन्ना एवं कटनी तथा दि. 11.08.2017 को सतना, जबलपुर एवं सिंगरौली के अधिकारी जानकारी लेकर भोपाल आएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- CEO इछावर, आष्टा द्वारा 400 से अधिक प्रकरण F.T.O. के लिए लम्बे समय तक लंबित रखने से CEO को निलम्बित किया गया है। प्रत्येक जनपद पंचायत में F.T.O. के लिए लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर पात्रता मुताबिक एफटीओ जारी कराएं।
- जिला अनूपपुर, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, हरदा, खण्डवा, मन्दसौर, नरसिंहपुर, नीमच, सतना, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया में आवास पूर्णता की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। CEO, जिला पंचायत ध्यान दें।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

- 1 अगस्त 2017 से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए समस्त आदेश धनराशि एवं खाद्यान्न रिलीज आर्डर राज्य स्तर से विभागीय पोर्टल से जारी किए जाएंगे। जिला/जनपद स्तर से कोई धनराशि अथवा खाद्यान्न आवंटन नहीं किया जाए।
- विभागीय पोर्टल पर पीटीए, SHG, रसोईया एवं विद्यालयों की जानकारी में विसंगति को आगामी 3 दिनों में दूर किया जाए।

मुख्यमंत्री आवास मिशन

- मुख्यमंत्री आवास मिशन के लिए किराए के सभी वाहनों का अनुबंध दि. 01 अगस्त से बंद कर दिया जाए। जिलों द्वारा पुराने भुगतान संबंधी प्रकरणों को संचालक, ग्रामीण रोजगार को भेजें जिनका परीक्षण पश्चात दि. 15 अगस्त 2017 तक निराकरण किया जाएगा।
- बैंकों के द्वारा हितग्राही को स्वीकृत ऋण की दोनों किश्तें जारी की जाने और ऋण राशि के विरुद्ध फिक्सड डिपॉजिट नहीं कराने का प्रमाणीकरण प्राप्त होने के पश्चात ही बैंकों के लिए आवंटन जारी किया जाएगा।
- 2017-18 के लिए जारी किए गए लक्ष्य में से अब तक ऋण वितरित प्रकरणों को छोड़कर शेष लक्ष्य निरस्त कर मुख्यालय स्तर पर वापस लिए जाते हैं। आवश्यकतानुसार जिलों द्वारा मांग करने पर मुख्यालय स्तर से लक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे।

मिशन अन्त्योदय-गरीबी मुक्त पंचायत

- सभी जिले सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में 15 अगस्त तक एक्शन प्लान तैयार कर लें। दिनांक 18, 21 एवं 22 अगस्त को भोपाल बैठक में सीईओ, जनपद पंचायत जानकारी लेकर स्वयं आएं और 15-15 मिनिट का प्रस्तुतीकरण दें।
- दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मान. मुख्यमंत्रीजी प्रशासन अकादमी में महिला स्व-सहायता समूहों को सम्बोधित करेंगे। C.E.O., जनपद पंचायत इस बैठक में भाग लें। आपने साथ SRLM के DPM को भी लाएं।

मनरेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम

- सभी जिले पौधरक्षकों का प्रशिक्षण एक बार पुनः उद्यानिकी/वन विभाग के समन्वय से कराएं।
- सभी जिलें दिनांक 13 अगस्त, 2017 को अभियान चलाकर नरेगा अन्तर्गत कराए गए वृक्षारोपण का शत-प्रतिशत स्थल निरीक्षण कराएं।
- जहां वृक्षारोपण पश्चात् पौधे मृत हो गए हैं, वहां नए पौधे लगवाएं।
- पौधरक्षकों को मटके उपलब्ध कराने के लिए कुम्हारों के साथ बैठक करें।

पंच परमेश्वर योजना

- ग्राम पंचायत के बैंक खातों में उपलब्ध राशि और व्यय की सतत् समीक्षा की जाए।
- जिन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य नहीं हो रहे हों उनके सरपंचों एवं सचिवों की बैठक लेकर कार्य प्रारम्भ कराएं।
- रायल्टी मुक्त रेत एवं गिट्टी की व्यवस्था करते हुए उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जाए।
- आगामी वीडियो कांफ्रेंस में जिन ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में रुपये 20.00 लाख अथवा अधिक का शेष होगा उनकी समीक्षा की जाएगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में दिये गये निर्देश

22.8.2017
कार्रवाई बिन्दु

- प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं पंच परमेश्वर आदि कार्यों के लिए रायल्टी मुक्त रेत एवं गिट्टी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक विकासखण्ड के लिए दो से चार डम्पर आगामी चार से छः माह के लिए किराए पर लेते हुए उनके रूट चार्ट एवं फेरी निर्धारित कर दी जाए। ऐसे वाहनों की जानकारी पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग के मैदानी अधिकारियों को दी जावे ताकि रेत एवं गिट्टी का परिवहन निर्बाध हो। प्रति फेरी किराए एवं लागत राशि निर्धारित कर दी जाए ताकि संबंधित ग्राम पंचायत/हितग्राही को उचित दर पर रायल्टी मुक्त रेत एवं गिट्टी उपलब्ध हो।
- आबादी क्षेत्र में सी.सी. रोड एवं पक्की नाली निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार पूरक डीपीआर बनाई जा सकती है। पूरक डीपीआर अपलोड करने के लिए पोर्टल में सुविधा दी जाए।
- पंचायतराज संस्थायें शासन का अंग होकर शासन की परिभाषा में आती हैं। अतः उनके द्वारा कराए गए कार्यों के भुगतान के लिए जीएसटी नहीं लगता है। ग्राम पंचायतों के देयकों में जीएसटी कॉलम में शून्य राशि दर्शाई जाए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिव अथवा रोजगार सहायक कोई एक व्यक्ति की व्यवस्था की जाए। सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पंचायत का सचिव/रोजगार सहायक का प्रभार न हो।
- जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं सचिव/ग्राम रोजगार सहायक के मध्य विवाद की स्थिति हो उनमें विवाद समाप्त कराया जाए। आवश्यक परिस्थितियों में सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को स्थानान्तरित किया जाए।
- जिन ग्राम पंचायतों में धनराशि जमा होते हुए भी सरपंच द्वारा कार्य नहीं कराया जाए वहां उप सरपंच की अध्यक्षता में निर्माण समिति से कार्य कराए जाएं।
- भवन विहीन आंगनवाड़ियों को शासकीय भवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित ग्राम में उपलब्ध रिक्त शासकीय भवन की व्यवस्था कराई जाए। कई ग्रामों में शालाओं के मर्जर से शाला भवन रिक्त हैं अथवा शाला भवन में रिक्त कमरे उपलब्ध हैं। अन्य शासकीय विभागों के भी कुछ स्थानों में रिक्त भवन उपलब्ध हो सकते हैं। इन्हें भवन विहीन आंगनवाड़ियों के लिए उपलब्ध कराया जाए।
- जिन ग्राम पंचायतों में संपूर्ण आबादी के लिए सी.सी. रोड एवं पक्की नाली निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए उनमें वर्ष 2009 या पूर्व के निर्मित पत्थर के खरंजों/जर्जर सी.सी. रोड के नवीनीकरण के लिए विस्तृत तकनीकी एवं प्रशासकीय दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
- जिन ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्र के लिए सी.सी. रोड, पक्की नाली निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ओडीएफ कार्य पूर्ण हो जाएं वहां सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृति की प्राथमिकता दी जाएगी।
- भवन विहीन पंचायतों के लिए जानकारी संकलित कर योजनाबद्ध तरीके से भवन निर्माण के कार्य कराए जाएं।
- ग्राम पंचायतों को उनके जिला पंचायत के खाते में जमा राशि से निम्न तालिका में दर्शाए अनुसार धनराशि सी.सी. रोड एवं पक्की नाली निर्माण के लिए जारी की जाए। Dir(P) पृथक से आदेश भी जारी करें।

ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला	राशि (रु. लाख में)
रसुलियाखेड़ी	आष्टा	सीहोर	10.00
दुमनी	दाता	नीमच	10.00
नोहटा	जबेरा	दमोह	10.00
पिपरिया परासर	ग्यारसपुर	विदिशा	10.00
छींद	सिलवानी	रायसेन	10.00
बम्होरी	उदयपुरा	रायसेन	10.00
ईंटखेड़ी	बाड़ी	रायसेन	10.00

सामुदायिक भवन

ग्राम	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला	लागत राशि (रु. लाख में)
मंडावर	मंडावर	नरसिंहगढ़	राजगढ़	25.50
बरखेड़ी अब्दुल्ला	बरखेड़ी अब्दुल्ला	फंदा	भोपाल	25.50
मालन मालन	गुन्नौर	पन्ना	20.00	
सिरसासिरसा	सेवड़ा	दतिया	12.00	
कुंवरपुर खेजड़ा	कुंवरपुर खेजड़ा	दमोह	दमोह	22.00
सावन सावन	नीमच	नीमच	25.50	

आंगनवाड़ी भवन (मनरेगा अभिसरण से)

ग्राम	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला	लागत राशि (रु. लाख में)
धनौरा धनौरा	हर्राई	छिंदवाड़ा	07.80	
खामखेड़ा	खामखेड़ा	शाजापुर	शाजापुर	07.80
तिरलाई	तिरलाई	दमोह	दमोह	07.80

सबके लिए घर

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

आवास मनुष्य के जीवन की मुख्य आवश्यकता तो है ही साथ ही यह सुरक्षा का एहसास भी है, जो व्यक्ति को मानसिक संतोष देता है। सबके अपने घर के सपने को आकार देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास 2022" का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक इन तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ आवासों का निर्माण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

आवास योजना का परिणाम है कि हर एक गाँव की तस्वीर बदल रही है। कच्चे, खपरैल घरों के स्थान पर पक्के मकान इस बात का परिचायक है कि प्रदेश सरकार की योजनाओं से प्रदेश विकसित हो रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
मुख्य बातें

- "सभी के लिये घर" के उद्देश्य को पूरा करने के लिये यह लाभ बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास बनाने के लिये दिया जा रहा है।
- आवास कम से कम 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाये जायें, जिसमें स्वच्छ रसोई भी शामिल है।
- बुनियादी सुविधायुक्त आवास का निर्माण यथासंभव प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से करवाया जाये।
- यदि हितग्राही तकनीकी सहायता चाहे तो आपकी ग्राम पंचायत के क्लस्टर में पदस्थ उपयंत्री निःशुल्क सहायता देंगे। उपयंत्री की सहायता लेना बंधनकारी नहीं है।
- रुपये 1,20,000/- की राशि के अलावा आवास निर्माण के लिये मनरेगा से रुपये 18,000/- की मजदूरी एवं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिये रुपये 12,000/- की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
- राशि हितग्राही के बैंक खाते में सीधे भुगतान की जायेगी।
- यदि हितग्राही चाहें तो आवास में अतिरिक्त कार्य के लिये बैंक से रुपये 70,000/- तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आपकी सहायता करेंगे।

किस्तें	किस्त की राशि (रु.)	निर्माण स्तर।
प्रथम	40 हजार	आवास स्वीकृति के साथ।
द्वितीय	40 हजार/45 हजार *	प्लिंथ (कुर्सी) स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर।
तृतीय	25 हजार/30 हजार *	लिंटल (छज्जा) स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर।
चतुर्थ	15 हजार	आवास पूर्ण करके आवास सॉफ्ट में फोटो अपलोड होने के उपरांत।

शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि रु. 12,000/- तथा महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी रु. 18,000/- कुल रु. 30,000/- दी जाएगी।

*** एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) वाले जिले।**

अनुदान लाभ

अनुदान राशि 4 किश्तों में दी जायेगी जो एफटीओ के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जमा की जायेगी। आपकी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा 'मोबाइल एप' के माध्यम से प्रत्येक स्तर के कार्य का फोटो खींचकर अपलोड किया जायेगा। स्वीकृति दिनांक से आवास निर्माण का कार्य यथासंभव छह माह में पूर्ण करना होगा। आवास निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना का 'लोगो' लगाने के बाद ही पूर्ण माना जायेगा।

आवास डिजाइन

- हितग्राही इस योजना के तहत उपलब्ध 10 आवास डिजाइनों में से किसी भी एक अथवा अपनी सुविधानुसार अन्य डिजाइन का आवास बना सकते हैं। आवास में बुनियादी सुविधाएँ रखी जाना आवश्यक हैं।
- कम से कम 25 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल।
- शौचालय।

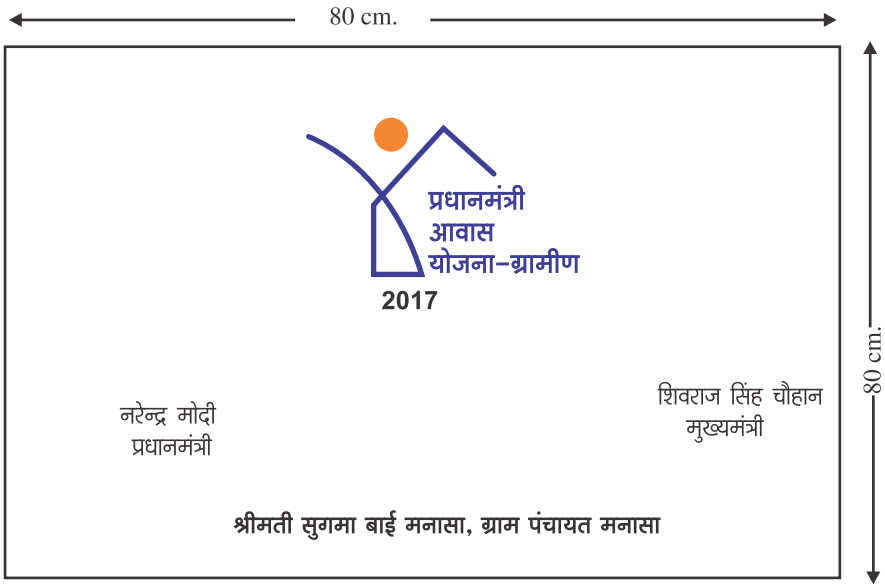

- सुविधाजनक रसोई।
- आवास में अतिरिक्त सुविधाएँ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे - स्नान घर, नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, चार दीवार (बाउण्ड्रीवॉल)
- सामने की दीवार पर 80 से.मी. x 80 से.मी. की जगह में लोगो बनाना अनिवार्य होगा।
- मच्छरों से बचाव हेतु आवास के दरवाजों खिड़कियों में बारीक जाली लगाई जाए, ताकि मलेरिया से बचाव हो।
- हितग्राही यह सुनिश्चित करें कि आवास के आस-पास गंदगी या पानी इकट्ठा न हो। पानी की निकासी का समुचित उपाय हो।

आवास की नींव और प्लिंथ कार्य में हितग्राही क्या देखें

- ले-आउट आपके द्वारा चयनित ड्राइंग अनुसार कराएं ताकि निर्माण पूरा कराने में राशि कम न पड़े।
- ले-आउट अनुभवी मिस्त्री अथवा उपयंत्री से कराएं।
- ले-आउट सभी कोनों में समकोण हो। इसकी जांच गुनिया से भी की गई हो।
- ले-आउट में गलती होने से आवास की दीवारें टेड़ी (रेंच) होने की आशंका रहती है।
- यदि गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है तो पाईल फाउण्डेशन बनाया जाए। अन्य स्थिति में कॉलम फुटिंग का फाउण्डेशन बनाया जावे।
- कवेलू की छत बनाने की स्थिति में कॉलम फुटिंग के स्थान पर ओपन फाउण्डेशन का भी विकल्प रहेगा।
- कॉलम फुटिंग की नींव पक्की कठोर मिट्टी, मुरम या चट्टान पर ही रखी जाए।
- कॉलम का बेस कांक्रीट 1:4:8 (1 तगाड़ी सीमेंट, 4 तगाड़ी रेत और 8 तगाड़ी 40 मि.मी. गिट्टी) का डाला जाए।
- प्लिंथ स्तर पर सीमेंट कांक्रीट की बीम डाली जाए।
- प्लिंथ स्तर सड़क के स्तर से 30 से.मी. या अधिक ऊँचाई पर रखा जाए।
- कॉलम, पाइल फुटिंग और प्लिंथ सभी में निर्धारित आकार का लोहे का सरिया, जाल, रिंग बनाकर डाला जाए।
- प्लिंथ में दानेदार मुरम अथवा बजरी का भराव 15-15 से.मी. की परतों में किया जाए।
- प्रत्येक परत में पानी डालकर दुरमुट से पर्याप्त कुटाई की जाए।
- बरामदे की प्लिंथ का स्तर मुख्य कमरों के प्लिंथ से कम से कम 10 से.मी. नीचे रखा जाए।
- बरामदे का ढाल बाहर की ओर हो, ताकि बरामदे में पानी नहीं रुके।

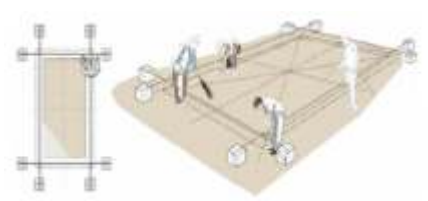

दीवारों के कार्य में हितग्राही क्या देखें

- लोहा डालकर कॉलम में सेंटरिंग लगाई

जाए।

- कॉलम को निर्धारित ऊँचाई तक कांक्रीट से भरा जाए।
- सेंटरिंग के पटिए, लोहे के सरिये तथा रिंग निर्धारित आकार और गुणवत्ता के हों।
- उपयोग की जा रही 12-20 मि.मी. ग्रेडेड गिट्टी, क्रेशर से टूटी हुई हो।
- ईंटों की जुड़ाई करने के पूर्व ईंटों को पानी की टंकी में कम से कम 2 घंटे तक डुबाकर रखा जाए।
- ईंटों की जुड़ाई के दौरान दरवाजे, खिड़कियों एवं रोशनदान को भी अपने निर्धारित स्थानों पर साहुल में लगाया जा रहा हो।
- दरवाजे, खिड़कियों एवं रोशनदान के चौखट एवं पल्ले लोहे के हों।
- लिंटल और छज्जों के लिए नक्शे के अनुसार ही लोहे के सरिये बांधे जाएं।
- ध्यान रखें कि छज्जों के लिए मुख्य सरिये ऊपर की दिशा से बांधे गये हों।
- जुड़ाई में 2 ईंटों के जोड़ 1 से.मी. से बड़े न हों। जोड़ लगातार एक के ऊपर एक न लगाए जाएं।
- ईंटों का खांचा ऊपर की ओर हो।
- दरवाजे और खिड़की के होल्ड फास्ट कांक्रीट में दबाये गए हों।

कांक्रीट की छत के कार्य में हितग्राही क्या देखें

- आवास में सीमेंट कांक्रीट स्लेब की ही छत डाली जा रही हो।
- छत में डाले जाने वाले लोहे का आकार और बिछाने का तरीका ड्राइंग में बताये अनुसार हो।
- छत की ढलाई सीमेंट कांक्रीट (सीमेंट, रेत, गिट्टी) के न्यूनतम 1:2:4 अनुपात से ही की जा रही हो।
- छत की सेंटरिंग मजबूत हो। यथासंभव लोहे की प्लेट से बनी हो।
- सेंटरिंग की सतह चिकनी हो, जिससे बाद में प्लास्टर की आवश्यकता न पड़े।
- सेंटरिंग लगाने से पूर्व फर्श की बेस पर कांक्रीट का कार्य कराया जाये।
- सेंटरिंग के बाद लोहा बिछाते समय लोहे का आकार, उसका झुकाव और बंधाई ड्राइंग अनुसार हो।
- दो सरियों के बीच सामान्यतः 15 से.मी. से ज्यादा दूरी न हो।
- प्रत्येक सरिये में कम से कम 25 मि. मी. का कव्हर (सेंटरिंग की सतह एवं लोहे की छड़ में दूरी) दिया जा रहा हो।
- छत की ढलाई में 10 से.मी. का ढाल बाहर की ओर दिया जा रहा हो। यह ढाल सेंटरिंग में दिया गया हो।
- व्यवहारिक रूप से बाहर की दीवाल में यदि एक ईंट कम लगाई जाये तो यह पर्याप्त होगा।
- छत एवं बीम की कांक्रीट में 12 मि.मी. - 20 मि.मी. की, क्रेशर की टूटी ग्रेडेड गिट्टी का ही उपयोग किया जा रहा हो।
- उपयोग की जाने वाली रेत साफ धुली हुई हो। काली या मिट्टी मिली हुई रेत का उपयोग नहीं किया जा रहा हो।
- 3 माह से अधिक पुरानी सीमेंट का उपयोग नहीं किया जा रहा हो।
- सीमेंट बनने का सप्ताह एवं वर्ष सीमेंट की बोरी पर लिखा होता है।
- छत एवं बीम की कांक्रीट की ढलाई के लिए मैकेनिकल मिक्सर का उपयोग किया जाए।
- ढलाई के समय वाईब्रेटर का उपयोग किया जाए।
- कांक्रीट बनाने के लिए पीने योग्य पानी का ही उपयोग किया जाए।
- सीमेंट की एक बोरी के लिए औसतन 22 लीटर से अधिक पानी का उपयोग नहीं किया जाए।
- सेंटरिंग को कांक्रीट ढलाई के 14 दिन तक नहीं खोला जाए।
- तराई भी 21 दिन तक छत पर मसाले की क्यारियां बनाकर की जाए।
- छत दीवार से कम से कम 15 से.मी. बाहर निकली हो एवं इस पर मुंडेर नहीं बनाएं।
- इस निकले हुए हिस्से के सिरे पर एक ग्रूव बनाया गया हो, ताकि पानी दीवारों तक न पहुंचे।

यदि सीमेंट कांक्रीट के स्थान पर कवेलू की छत डाली जाये तो हितग्राही ध्यान रखें

- मेंगलौर/बालाघाट/मोरवी/बागड़ा तवा के प्रचलित कवेलू का ही उपयोग किया गया हो।
- कवेलू लगाने के लिए 4 इंच व्यास की बल्लियां 60-70 से.मी. की दूरी पर लगाई गई हों।
- राफ्टर के लिए बल्लियों के स्थान पर कटी हुई लकड़ी भी उपयोग की जा सकती है, जिसका आकार 3 इंच x 4 इंच से कम न हो।
- इन राफ्टर्स के ऊपर बांस या कटी हुई लकड़ी के बेटन 8 - 10 इंच दूरी पर लगाये जायेंगे। यह दूरी कवेलू में बने हुए खांचे के अनुसार होगी।
- रिज (मध्य की बड़ी लकड़ी- जिसे म्यारी या म्याल भी कहते हैं) का व्यास 6 इंच से कम न हो। यदि कटी हुई लकड़ी

लगाई जाती है तो उसका आकार 4 इंच x 6 इंच से कम न हो।

- यदि लकड़ी का उपयोग किया जाता है तो उसमें इमारती लकड़ी जैसे सागौन का प्रयोग न करते हुए साल, बीजा, हल्दू, अंजर, बबूल आदि का उपयोग किया गया हो।
- कवेलू अच्छे पके हुए हों, जिसमें आपस में टकराने पर धातु ध्वनि महसूस हो।
- रिज की बल्ली या लकड़ी को दीवार में गेबल सिरे के सर्वोच्च भाग पर रखा जाये। इसे रखने की जगह पर कांक्रीट के दीवार की चौड़ाई के बराबर का 8 इंच (20 से.मी.) गहराई का सीमेंट कांक्रीट का ब्लॉक (1:2:4) डाला गया हो। कांक्रीट ब्लॉक में कम से कम 12 मि.मी. मोटा लोहे का एंकर बोल्ट लगाया जाये, जिसे रिज में छेद करके कसा जायेगा।
- यदि कॉलम की स्थिति रिज के ठीक नीचे है तो यही प्रक्रिया कॉलम के ढलाई के समय की जायेगी।
- रिज को रखने के लिए दीवार को तिकोना गेबल के रूप में बनाया जायेगा। इस गेबल का दोनों ओर का ढाल 1:3 से 1:2 के मध्य रखा जाये।
- यदि कमरे की चौड़ाई अधिक है तो कैंची लगाना पड़ सकती है।
- राफ्टर दीवार के बाहर की ओर कम से कम 50 से.मी. निकले हों। राफ्टर के अंत में एक लोहे की चादर या पटिये का बोर्ड बनाया जायेगा, ताकि छत का पानी दीवार पर न उतरे, सीधा नीचे गिरे।
- कवेलू की छत के नीचे की तीन कतार में कवेलूओं को सीमेंट मसाले (1:3) से जोड़ा गया हो।
- रिज के लिए लगने वाले टाईल तिकोने आकार के होते हैं, वो रिज की लकड़ी के ऊपर पूरी लंबाई में लगाये गये हों और उन्हें सीमेंट मसाले से पैक किया गया हो।
- छत में कवेलू डालने के पहले बनाये गये लकड़ी या लोहे के ढांचे को लंबाई एवं चौड़ाई की दिशा में सूत बांधकर प्रत्येक बेटन को चैक किया गया है कि वे एक सीध में हैं, ताकि छत निर्माण के बाद झोल न दिखे। यही प्रक्रिया रिज के लिए भी की जायेगी।
- कवेलू के लिए ढांचे का निर्माण करने और कवेलू बिछाने के लिए जानकार मिस्त्री एवं कारपेंटर (बढ़ई) को नियोजित किया जाये।
- कवेलू के आखिरी तार को लंबाई की दिशा में मोटे तार या 3 मि.मी. के सरिये से बांध दिया जाये, ताकि कवेलू के हवा या बंदरों के कूदने के कारण टूट-फूट न हो।
- कवेलू लगाने के पहले लकड़ी के ढांचे को दो कोट अच्छी किस्म के पेंट से पेंटिंग की जाये।
- दोनों ओर के गेबल सिरों के ऊपर कवेलू बिछाने के बाद मुंडेर बनाई जाये। यह मुंडेर सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 या ईंटों की जुड़ाई करके ऊपर कोपिंग करके बनाई जा सकती है।

रसोई के कार्य में हितग्राही क्या देखें

- रसोई में हवा हेतु खिड़की लगाई गई हो।
- रसोई में दो रोशनदान आवश्यक रूप से लगाए जाएं, जिससे कि धुएं की समस्या नहीं हो।
- प्लेटफार्म इस तरह बनाया जाए कि गैस चूल्हा रखा जा सके। इसकी चौड़ाई 50 से.मी. से कम न हो।
- रसोई से पानी के निकासी की व्यवस्था की जाए।

फिनिशिंग एवं अन्य कार्य में हितग्राही क्या देखें

- छत की सेंटरिंग खुलने के बाद उसकी सतह चिकनी हो।
- यदि सतह चिकनी नहीं हो तो उसे अगले 48 घंटे के अंदर ठीक कराया जाए।
- प्लास्टर का कार्य करने के पूर्व ईंट की दीवाल को गीला किया जाए।
- ईंट के जोड़ को 1 से.मी. गहराई तक साफ किया जाए, ताकि प्लास्टर की पकड़ बने।
- सीमेंट मसाला 1:6 से प्लास्टर का कार्य किया जाए।
- बाहर की ओर कम से कम 10 मि.मी. और अंदर की ओर 15 मि.मी. प्लास्टर किया जाए।
- प्लास्टर करते समय प्लास्टर की सतह को साहुल और फंटी से चैक किया जाए।
- प्लास्टर को लगातार 7 दिन तक गीला रखा जाए।
- फर्श के कार्य के लिए 75 मि.मी. बेस कांक्रीट 1:4:8 के अनुपात (1 तगाड़ी सीमेंट, 4 तगाड़ी रेत और 8 तगाड़ी 40 मि.मी. गिट्टी) में डाला जाए।
- बेस कांक्रीट के ऊपर 40 मि.मी. मोटाई का सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 का फर्श ही बनाया जाए।
- इसके ऊपर नीट सीमेंट से घुटाई भी की जाए।
- फर्श का कार्य 1 मीटर से 1.2 मीटर के वर्गाकार भागों में किया जाए।
- प्रत्येक वर्ग के बीच कांच की पट्टियां फर्श की मोटाई के बराबर लगाई जाएं।
- फर्श की तराई कम से कम 7 दिन तक की जाए।
- दरवाजे खिड़कियां नक्शे के साथ बनी तालिका में दिये गये वजन एवं आकार के ही उपयोग किए जाएं।
- दरवाजे खिड़कियों एवं रोशनदान को लगाने से पहले उनमें कम से कम 2 कोट रेड ऑक्साइड (लाल रंग का अस्तर) प्रायमर पोता जाए अन्यथा उसमें जंग लगने की आशंका रहेगी।

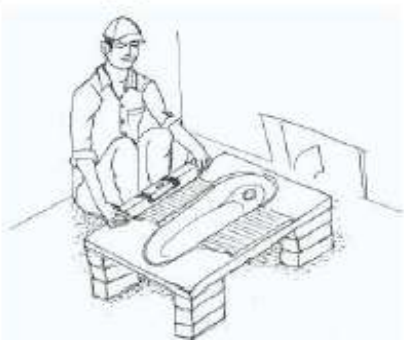

- दरवाजे खिड़कियों एवं रोशनदान के प्रायमर के पहले उसमें लगा हुआ सीमेंट मसाला पूरी तरह से रेतमाल से साफ किया जाए।

शौचालय निर्माण कार्य में ध्यान दें

- आवास निर्माण तभी पूरा माना जाएगा जब उसमें शौचालय की व्यवस्था हो।
- शौचालय के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत दिये गये शौचालय की ड्राइंग, मानक स्पेसीफिकेशन और दोहरे लीच पिट के मानकों का उपयोग किया जा रहा हो।
- लीच पिट से शीटों का जंक्शन सावधानी से बनाया गया हो, जिससे बाद में किसी भी प्रकार के पानी का रिसाव न हो।
- लीच पिट में जालीदार ईंट की जुड़ाई की गई हो।
- भूतल से 30 से.मी. नीचे तक की जुड़ाई ठोस रखी गई हो।
- शौचालय की नींव आरसीसी की बनाना आवश्यक नहीं है।
- कट स्टोन या शीट की छत भी बनाई जा सकती है।
- शौचालय के साथ स्वच्छ भारत अभियान के नक्शे के अनुसार एक टंकी और वॉशबेसिन भी लगाई गई हो।
- टंकी की ऊँचाई प्लिंथ से कम से कम 45 से.मी. ऊपर हो।
- टंकी से एक नल का कनेक्शन वॉशबेसिन में और दूसरे का कनेक्शन शौचालय में दिया गया हो।
- शौचालय की फर्श में ढाल चारों ओर से लेट्रिन शीट की ओर दिया गया हो, ताकि पानी तत्काल शीट में चला जाए।
- शौचालय की दीवाल के आंतरिक भाग में सीमेंट मसाले 1:4 का प्लास्टर किया जाकर उस पर कम से कम 1 मीटर ऊंचाई तक सीमेंट से घुटाई की गई हो।
- शौचालय के साथ हितग्राही अपनी सुविधा अनुसार स्नानघर भी बना सकता है।

आवास निर्माण (शौचालय सहित) में लगने वाली सामग्री की मात्रा

- 25 वर्गमीटर के एक आवास निर्माण के लिए लगने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा :–

कॉलम फाउण्डेशन के आवास के लिए सामग्री

क्र.	सामग्री	मात्रा	प्लिंथ स्तर तक	प्लिंथ से लिंटल स्तर तक	लिंटल स्तर से पूर्ण होने तक (शौचालय सहित)	कुल मात्रा
1.	सीमेंट	बेग (बोरी)	35	20	50	105
2.	रेत	घ.मी.	3	3	6	12
3.	गिट्टी (40 मि.मी.)	घ.मी.	2.50		0.50	3.00
4.	गिट्टी (20 मि.मी.)	घ.मी.	3.00	1.5	4.50	9.00
5.	मुरम	घ.मी.	2.50		0.30	2.80
6.	लोहा					
	8 मि.मी.	कि.ग्रा.	100	20	100	220
	10 मि.मी.	कि.ग्रा.	115	10	215	340
	12 मि.मी.	कि.ग्रा.	170		20	190
7.	ईंट	नग	1000	5000	2000	8000
8.	दरवाजे	नग		2	1	3
9.	खिड़की	नग		4	4	4
10.	रोशनदान	नग		3	1	4
11.	चूना	कि.ग्रा.			40	40
12.	डिस्टेम्पर	कि.ग्रा.			10	10
13.	रेड आक्साईड प्राइमर	लीटर			2	2
14.	पेंट	लीटर			3	3
15.	सेंटरिंग	वर्ग मी.	10	25	25	60
16.	अन्य आयटम	वाशबेसिन 01, शीट 01, बेण्ड 01, 100 मि.मी. पाईप लगभग 5 मीटर, रस्सी, सुतली आदि विविध सामग्री				

पाईल फाउण्डेशन के आवास के लिए सामग्री

क्र.	सामग्री	मात्रा	प्लिंथ स्तर तक	प्लिंथ से लिंटल स्तर तक	लिंटल स्तर से पूर्ण होने तक (शौचालय सहित)	कुल मात्रा
1.	सीमेंट	बेग (बोरी)	35	20	50	105
2.	रेत	घ.मी.	2	3	6	11
3.	गिट्टी (40 मि.मी.)	घ.मी.	0.50		0.50	1.00
4.	गिट्टी (20 मि.मी.)	घ.मी.	2.50	1.5	4.50	8.50
5.	मुरम	घ.मी.	2.50		0.30	2.80
6.	लोहा					
	8 मि.मी.	कि.ग्रा.	130	20	100	250
	10 मि.मी.	कि.ग्रा.	45	10	215	270
	12 मि.मी.	कि.ग्रा.	280		20	300
7.	ईंट	नग	1000	5000	2000	8000
8.	दरवाजे	नग		2	1	3
9.	खिड़की	नग		4		4
10.	रोशनदान	नग		3	1	4
11.	चूना	कि.ग्रा.			40	40
12.	डिस्टेम्पर	कि.ग्रा.			10	10
13.	रेड आक्साईड प्राइमर	लीटर			2	2
14.	पेंट	लीटर			3	3
15.	सेंटरिंग	वर्ग मी.	10	25	25	60
16.	अन्य आयटम	वाशबेसिन 01, शीट 01, बेण्ड 01, 100 मि.मी. पाईप लगभग 5 मीटर, रस्सी, सुतली आदि विविध सामग्री				

- भवन हेतु दो दरवाजों में से एक दरवाजे (D1) का साईज 1 X 2 मीटर (लगभग 50 कि.ग्रा.) का होगा एवं अन्य (D2) का साईज 0.9 X 2 मीटर (लगभग 40 कि.ग्रा.) का होगा।
- शौचालय में लगने वाले दरवाजे (D3) का साईज 0.8 X 2 मीटर (लगभग 30 कि.ग्रा) होगा।
- खिड़की (W1) का साईज 0.9 X 1.2 मीटर (लगभग 30 कि.ग्रा. जाली सहित) होगा।
- रोशनदान का साईज 0.45 X 0.30 मीटर होगा।

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों हेतु जारी आदेश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय

क्रमांक : 335/475/2016/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 15.12.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त) म.प्र.

विषय :- जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को प्रदाय की जाने वाली मूलभूत राशि के वितरण हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2-2015/22/पं-1 दि. 09.08.2016 द्वारा जारी मार्गदर्शिका।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य वित्त आयोग मद से जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत अनुदान राशि के संबंध में मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. प्रदेश के सभी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की आबादी तथा क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं। कुछ जिलों में 2 या 3 विकासखण्ड ही हैं तो कुछ जिलों में 10 से अधिक विकासखण्ड हैं। जिला पंचायत के वार्ड तथा जनपद पंचायत के वार्ड उनके क्षेत्र का सामान्यतः समानुपातिक प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः वर्ष 2016-17 एवं उसके बाद के वर्षों के लिए जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर लिए जाने वाले अधोसंरचना कार्यों के लिए अनुदान धनराशि निम्नानुसार की जाती है:-

2.1 **जिला पंचायत के लिए राशि का विकल्प निम्नानुसार किया जावेगा :-**

अ. जिला पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 25.00 लाख
ब. जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 15.00 लाख
स. जिला पंचायत के अन्य प्रत्येक सदस्य के विकल्प पर राशि रु. 10.00 लाख

2.2 **जनपद पंचायत के लिए राशि का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा :-**

अ. जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 12.00 लाख
ब. जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 08.00 लाख
स. जनपद पंचायत के अन्य प्रत्येक सदस्य के विकल्प पर राशि रु. 04.00 लाख

3. मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान की राशि जारी करने के लिए पिछले वर्षों में दी गई राशि का निम्नानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:-

अ. गत वर्ष दी गई राशि में से न्यूनतम 70 प्रतिशत का उपयोग; एवं
ब. गत वर्ष को छोड़कर पूर्ववर्ती वर्षों में दी गई राशि एवं उस पर प्राप्त ब्याज (हो तो) का शत-प्रतिशत उपयोग।

4. राशि के उपयोग संबंधी समस्त कार्यवाही पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जावेगी तथा कार्य की प्रगति एवं राशि के उपयोग की गणना भी पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जावेगी।

5. उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) प्रक्रिया का भाग होगी।

6. कृपया जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों को अवगत कराएं।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक : 335/475/2016/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 15.12.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त) म.प्र.

विषय :- पंच परमेश्वर योजना वर्ष 2016-2017 से प्राथमिकताएं।

संदर्भ :- 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में जारी दिशा निर्देश क्रमांक/335/475/2016/22/पं-1 दि. 04.03.2016

पंच-परमेश्वर योजना का उद्देश्य ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं का सर्वांगीण विकास करना है। उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 14वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जो पंच-परमेश्वर योजना का अंश हैं।

2. पंच-परमेश्वर योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए आबादी के मान से वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार न्यूनतम अनुदान राशि प्रदाय की जाती है:-

क्रमांक	जनसंख्या	राशि
1.	2000 तक	5.00 लाख
2.	2001-5000	8.00 लाख
3.	5001-10,000	10.00 लाख
4.	10001 से अधिक	15.00 लाख

3. पंच-परमेश्वर योजना के तहत ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग मूलभूत अधोसंरचना को विकसित करने के लिए इस प्रकार किया जाना है कि चयनित अधोसंरचनाओं के संबंध में परिपूर्णता (saturation) की स्थिति प्राप्त की जाए। निश्चित समयावधि में चिन्हित मूलभूत अधोसंरचना सुविधाओं के परिपूर्णता (saturation) की स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए पंच-परमेश्वर योजना के तहत प्राथमिकताएं नियत करने का निर्णय लिया गया है, जिनका विस्तार आगे दिया गया है।

4. **पंच-परमेश्वर योजना-ग्राम पंचायतों के दैनंदिनी कार्य हेतु अनुदान-**

ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के तहत प्रदाय राशि में से ग्राम पंचायतों के दैनंदिनी कार्यों के लिए प्रतिवर्ष निम्न तालिका में दर्शाए अनुसार धनराशि आबद्ध रहेगी :-

(राशि रुपये में)

क्र.	कार्य/मद	जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत की जनसंख्या			
		2000 से कम	2001-5000	5001-10000	10001 से अधिक
1.	चौकीदार तथा ग्रामों में सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था। इसमें पारिश्रमिक, सामग्री एवं संसाधन शामिल हैं।	30,000	45,000	80,000	1,50,000
2.	स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी और सामग्री	10,000	15,000	20,000	20,000
3.	ग्राम पंचायत कार्यालय के बिजली बिल तथा बिजली संबंधी मरम्मत।	15,000	20,000	20,000	20,000
4.	ग्राम पंचायत तथा सामुदायिक भवनों का रख-रखाव एवं मरम्मत। सामुदायिक/ मांगलिक भवन का विद्युत व्यय।	25,000	30,000	40,000	50,000
5.	लेखे-जोखों का संधारण एवं डाटा एन्ट्री।	10,000	10,000	10,000	10,000
6.	टी.व्ही. कनेक्शन, सार्वजनिक पर्व/ कार्यक्रम तथा अन्य आकस्मिकताएं	10,000	30,000	50,000	50,000
	योग	**1,00,000**	**1,50,000**	**2,20,000**	**3,00,000**

टीप- उपरोक्त तालिका में दर्शाए विभिन्न कार्यों/मदों के लिए निर्धारित राशि में बचत की दशा में बचत राशि साफ-सफाई व्यवस्था हेतु व्यय की जा सकेगी।

5. पंच-परमेश्वर योजना-अधोसंरचना विकास -

ग्राम पंचायतों के दैनंदिनी कार्यों के लिए आबद्ध उपरोक्त राशि को छोड़कर 14वें वित्त आयोग की शेष समस्त धनराशि का उपयोग अधोसंरचना विकास के लिए करना बंधनकारी होगा। वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के लिए अधोसंरचना विकास के निम्न कार्य लिये जा सकेंगे-

I. ग्रामों के आबादी क्षेत्र में सीमेंट कांक्रीट सड़कों तथा पक्की नालियों का निर्माण।

II. पंचायत भवन निर्माण।

III. शांतिधाम/कब्रिस्तान का उन्नयन (उन्नयन संबंधी दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं)।

IV. ग्राम के आबादी क्षेत्र में LED स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। (सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था केवल उन्हीं ग्रामों में की जा सकेगी जो ग्राम विद्युतीकृत नहीं हुए हैं।)

V. पूर्व निर्मित अधोसंरचना/परिसंपत्तियों की विशेष मरम्मत/सुदृढ़ीकरण (इस हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम राशि 1.00 (एक) लाख व्यय की जा सकेगी।)

6. पंच-परमेश्वर योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिये प्रदेश के सभी ग्रामों के आबादी क्षेत्र में सीमेंट-कांक्रीट सड़क तथा पक्की नाली निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु -

6.1 प्रत्येक ग्राम के लिए CC सड़कें एवं पक्की नाली बनाने की एकजाई डीपीआर बनाई जाए।

6.2 लागत के लिए 70:30 के आधार पर निम्नानुसार धनराशि की व्यवस्था होगी:-

6.2.1 ग्राम पंचायत को लागत की 70 प्रतिशत धनराशि लगानी होगी। इसके लिए निम्न स्त्रोत उपलब्ध हैं:-

(i) 14वें वित्त आयोग की धनराशि;

(ii) जिलों को जिला खनिज न्यास में मिलने वाली खनिज रायल्टी;

(iii) जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को राज्य शासन से दिए जाने वाले मूलभूत अनुदान की राशि; तथा

(iv) ग्राम पंचायत की स्वयं की आय तथा अन्य स्त्रोत।

6.2.2 राज्य स्तर से 30 प्रतिशत राशि दी जाएगी।

6.2.3 जो ग्राम पंचायत 30 जून 2017 के पूर्व ओडीएफ हो जाएगी उसके लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि राज्य स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी ग्राम पंचायत को 30+10 कुल 40 प्रतिशत राशि राज्य स्तर से दी जाएगी और ग्राम पंचायत 60 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था करेगी।

6.3 जिन ग्राम पंचायतों में एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि से ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र के लिए CC सड़कें एवं पक्की नाली बनाने का कार्य पूर्ण करना संभव नहीं होगा उनमें आगामी तीन वर्षों में अर्थात 2018-19 तक कार्य पूर्ण करना होगा।

6.4 ग्राम पंचायत द्वारा 70:30 (अथवा 60:40 जैसी स्थिति लागू हो) के अनुपात में अपने हिस्से की राशि वर्ष विशेष में व्यय करने के उपरांत ही राज्यांश की राशि दी जाएगी।

6.5 ग्रामवार बनाई जाने वाली डीपीआर की लागत रु. 15.00 लाख से अधिक होने की दशा में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के उपरांत सक्षम स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाएगी।

6.6 निर्माण कार्य यथासंभव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा भले ही प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 15.00 लाख से अधिक की हो।

7. डी.पी.आर. संबंधी समस्त कार्यवाही पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जावेगी तथा कार्य की प्रगति एवं राशि के उपयोग की गणना भी पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जावेगी।

8. उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) प्रक्रिया का भाग होगी।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/335/475/22/2017/पं.-1 **भोपाल, दिनांक 02.03.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (समस्त) मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषय - पंच परमेश्वर योजना 14वें वित्त आयोग की परफार्मेंस ग्रांट के लिए प्राथमिकताएं।

संदर्भ - 1. पंचायतीराज संचालनालय का ज्ञापन क्रमांक प.रा./14 वित्त/पं.ग्रा./2017/1159 दिनांक 28.01.2017;
2. पंच परमेश्वर योजना के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के दिशा निर्देश क्रमांक 335/475/2016/122/पं.-1, दिनांक 15.12.2016.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 28.01.2017 से ग्राम पंचायतों को वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व वृद्धि के आधार पर परफार्मेंस ग्रान्ट की धनराशि कुल रु. 265.84 करोड़ जारी की गई है।

2. 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत परफार्मेंस ग्रान्ट संबंधी नीति पत्र क्रमांक 882/1032/22/पं-1, दिनांक 11.08.2016 जारी गई थी। इसके उपरान्त पंच परमेश्वर योजना के संबंध में विभाग के ज्ञाप क्रमांक 335/475/2016/122/पं.-1 दिनांक 15.12.2016 से वर्ष 2016-17 से प्राथमिकताएं निश्चित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। धनराशि के उपयोग के संबंध में पंचायतराज संचालनालय के पत्र दिनांक 11.08.2016 द्वारा जारी निर्देश शासन के पत्र दिनांक 15.12.2016 से अधिक्रमित होकर विभागीय पत्र दिनांक 15.12.2016 में दिए गए निर्देश लागू हैं।
3. यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में भेजी गई राशि रु. 265.84 करोड़ परफार्मेंस ग्रान्ट का उपयोग विभागीय पत्र क्रमांक 335/475/2016/122/पं.-1 दिनांक 15.12.2016 में दर्शित प्राथमिकताओं के अनुसार ही किया जाए।
4. यदि कोई ग्राम पंचायत परफार्मेंस ग्रान्ट की धनराशि का उपयोग राजस्व वृद्धि के लिए दुकानें, हाट बाजार एवं व्यावसायिक मेला ग्राउन्ड उपयोग करना चाहे तो प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजकर अनुमोदन प्राप्त करें। जिला पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुमति जारी करेंगे और ऐसी अनुमति की एक प्रति आयुक्त, पंचायती राज संचालनालय को भेजेंगे।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

क्रमांक/335/475/22/2017/पं.-1 **भोपाल, दिनांक 02.03.2017**

प्रतिलिपि :-

1. विकास आयुक्त, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. आयुक्त, म.प्र. पंचायत राज संचालनालय।
3. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारण्टी परिषद्।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।
5. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्र./4502/22/वि.आ./2017 **भोपाल, दिनांक 18.04.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) म.प्र.

विषय :- मान. मुख्यमंत्री जी को मध्यप्रदेश सरपंच संगठन द्वारा दिया गया ज्ञापन दि. 15.04.2017.

मध्यप्रदेश सरपंच संगठन द्वारा दि. 15.04.2017 को माननीय मुख्यमंत्रीजी को दिए गए ज्ञापन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/विकास आयुक्त कार्यालय से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण एवं सही जानकारी पंचायती राज संस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं दी गई है।

2. मध्यप्रदेश सरपंच संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन के तारतम्य में निम्न स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

(1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 335/475/2016/22/पं.-1 दिनांक 15.12.2016 द्वारा पंचपरमेश्वर योजना के तहत प्राथमिकताएँ निर्धारित करते हुए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। पत्र के बिंदु 4 की तालिका में ग्राम पंचायत को सार्वजनिक पर्व/कार्यक्रम तथा अन्य आकस्मिकताओं के साथ-साथ पंचायत एवं सामुदायिक भवनों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विद्युत व्यय के लिए राशि की व्यवस्था की गई है। पत्र के बिंदु क्रमांक 5 (V) में पूर्व निर्मित अधोसंरचना/परिसंपत्तियों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के लिए एक वित्तीय वर्ष में रु. 1.00 (एक) लाख तक की राशि व्यय करने की अनुमति है। अधोसंरचना/परिसंपत्तियों में पेयजल परियोजना, पुल-पुलिया, जल संरचनाएँ, स्ट्रीट-लाईट, भवन आदि की विशेष मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण शामिल है।

(2) विकास आयुक्त के पत्र क्र. 7505/22/वि-10/ग्रायांसे/2016 दि. 24.12.2016 द्वारा पंच परमेश्वर योजना में सीसी सड़क एवं पक्की नाली निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्रति वर्ग मीटर मानक लागत निर्धारित करते हुए मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर निर्माण के आधार पर करने की व्यवस्था की गई है। निर्देशों में सीसी सड़क की चौड़ाई 3 मीटर से अधिक होने पर मौका अनुसार सीसी सड़क बनाई जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीसी सड़क एवं पक्की नाली निर्माण के लिए सामग्री क्रय, भाड़ा, किराया आदि के दस्तावेज संधारण करने की आवश्यकता समाप्त की गई है। महात्मा गांधी नरेगा से अभिसरण की दशा में ही मजदूरी अभिलेख संधारित करना है, अन्यथा नहीं। स्पष्ट किया जाता है कि निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होने से ईपीओ/एफटीओ निर्माण समिति के अध्यक्ष के नाम से जारी किया जा सकता है।

(3) विकास आयुक्त के पत्र क्र. 12677/MGNREGS/2016 दि. 18.10.2016 द्वारा सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। पत्र के बिंदु क्रमांक 5.2 (ii) के अनुसार मजरे-टोले मार्ग को प्रथम प्राथमिकता से लिया जाना है। विकास आयुक्त के पत्र दिनांक 16.10.2016 के पश्चात वीडियो कान्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया गया है कि :-

(अ) एक समय में एक ग्राम पंचायत में आबादी जोड़ने वाली न्यूनतम दो सड़कों का काम कराया जा सकता है।

(ब) ग्राम पंचायत का समस्त आबादी क्षेत्र एकल मार्ग से जुड़ जाए तो आबादी क्षेत्र को परस्पर जोड़ने के लिए अतिरिक्त मार्ग बनाये जा सकते हैं।

(4) विकास आयुक्त के पत्र क्र. 11002/एनआर-तीन/तक./मनरेगा/2016 दि. 01.11.2016 में महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत कपिलधारा कूप निर्माण के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं। विकास आयुक्त के पत्र दिनांक 01.11.2016 के पश्चात वीडियो कान्फ्रेंस में यह निर्देश दिये गये हैं कि :-

(अ) प्रदेश के 95 विकास खण्डों, जो भू-जल की दृष्टि से अति दोहित अथवा संवेदनशील हैं, में कूप निर्माण के लिए खेत तालाब बनाया जाना बंधनकारी है। शेष विकास खण्डों में कूप के साथ खेत तालाब बनाया जाना अनिवार्य नहीं होकर लाभान्वित कृषक के विकास पर निर्भर है।

(ब) कूप की गहराई 12 मीटर से अधिक होने की दशा में प्रति मीटर अतिरिक्त गहराई के लिये रुपये 9,000/- की दर से अतिरिक्त भुगतान देय होगा।

(स) कूप के बिना खेत तालाब बनाये जाने पर कोई रोक नहीं है। जल संरक्षण के उद्देश्य से अधिकाधिक खेत तालाब बनाए जाना चाहिए। मानक आकार के खेत तालाब की मानक लागत रु. 30,000 है। स्पष्ट किया जाता है कि इसमें मजदूरी एवं सामग्री/मशीन किराया अंश 70:30 माना जाए और निर्माण एजेंसी हितग्राही स्वयं हो।

(द) प्रति ग्राम पंचायत कूप निर्माण की अधिकतम संख्या नियत नहीं की गई है। अतः एक एकड़ से ढाई एकड़ भूमि धारण करने वाले सभी कृषकों को भले ही वह किसी भी वर्ग से हों, कपिलधारा कूप स्वीकृत किया जा सकता है।

(5) विकास आयुक्त के पत्र क्र. 12443/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16, दि. 9.12.2016 द्वारा खेल मैदान की मानक लागत निर्धारित की गई है। खेल मैदान का क्षेत्रफल के न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने की पृष्ठभूमि में वीडियो कान्फ्रेंस में न्यूनतम क्षेत्रफल कम करते हुए 2400 वर्ग मीटर किया गया है। पत्र के बिंदु क्रमांक V में खेल का मैदान विकसित करने के लिए मानक लागत प्रति वर्गमीटर रुपये 32/ निर्धारित की गई है। यदि खेल मैदान 100x100 से बड़ा बनाया जाए तो प्रति वर्गमीटर के मान से लागत निर्धारित करने पर कोई रोक नहीं है।

(6) विकास आयुक्त के पत्र क्र. 12445/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16, दिनांक 09.12.2016 द्वारा शांतिधाम के लिए मानक डिजाइन एवं लागत निर्धारित की गई है। वीडियो कान्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक ग्राम के लिए एक मोक्षधाम बनाया जाना है न कि प्रत्येक ग्राम में एक। एक से अधिक ग्रामों के लिए एक स्थान पर मोक्षधाम सामूहिक रूप से बनाने पर कोई रोक नहीं है।

(7) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना की मार्गदर्शिका नवम्बर माह के प्रारंभ में ही सभी अधिकारियों को वेबसाइट पर उपलब्ध थी। मा. मुख्यमंत्रीजी द्वारा दि. 04.12.2016 को प्रदेश में योजना के शुभारंभ के अवसर पर योजना के लिए प्रसारित पुस्तिका में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपात्रता के 13 बिन्दुओं की जानकारी दी गई थी। इन बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण देते हुए पोस्टर छपवाकर प्रत्येक ग्राम में चस्पा करने के लिए भेजे गये हैं। साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस में निर्देशित किया गया है कि :-

(अ) तकनीकी कारणों से यदि कोई परिवार जिसे PMAY स्वीकृत किया गया हो वह गरीब होते हुए भी अपात्र होकर आवास लाभ से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हो तो पूर्ण विवरण के साथ प्रकरण निर्णय हेतु विकास आयुक्त को भेजा जाए।

(ब) ऐसे परिवार जिन्हें पूर्व में योजना के तहत आवास स्वीकृत किया गया था और जो अपात्र पाए गए हैं यदि वे इच्छुक हों तो उनके प्रकरण बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत आवास स्वीकृति दिलाई जाए।

(स) जिन परिवारों का नाम SECC-2011 में नहीं है यदि वे "ग्राम उदय से भारत उदय अभियान-2017" में आवेदन दें तो उनकी पात्रता का परीक्षण किया जाए। अभियान के चतुर्थ चरण 21 से 31 मई के दौरान आयोजित होने वाली ग्राम संसद में इनके संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाए। तत्पश्चात जिला पंचायत से अनुमोदन लिया जाए। ऐसे हितग्राहियों को SECC-2011 में जोड़ने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

(8) हितग्राही मूलक योजनाओं, जिनमें धनराशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातें में जमा कराई जाती है, में धनराशि के दुरुपयोग की दशा में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्रवाई के न तो कोई निर्देश हैं और न ही कार्रवाई की जाना उचित है।

(9) कपिलधारा उपयोजना को छोड़कर जिन कार्यों के लिए मानक प्राक्कलन एवं मानक लागत निर्धारित की गई है उनमें लगभग सभी स्थानों पर मानक लागत से कार्य होना अपेक्षित है। आपवादिक परिस्थिति में जिन प्रकरणों में मानक लागत से कार्य संभव न हो उनमें कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा स्थल निरीक्षण कर मौके के मान से प्राक्कलन बनाकर तकनीकी स्वीकृति दें और तदानुसार प्रशासकीय स्वीकृति दी जा सकती है।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्र. 15/एसीएस/2017/22/ **भोपाल दिनांक , 06.05.2017**

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त), मध्यप्रदेश।

विषय :- राज्य वित्त आयोग की राशि से कार्य कराने बाबत्।

सन्दर्भ :- 1. विभागीय पत्र क्र. एफ-2/2015/22/पं.-1/दि. 09.08.2016 द्वारा जारी मार्गदर्शिका

2. विभागीय पत्र क्र. 335/475/2016/22/पं.-1, दि. 15.12.2016

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर शासन द्वारा जिला/जनपद पंचायत को मूलभूत कार्यों (अधोसंरचना विकास के कार्य) के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. कुछ जिला/जनपद पंचायत के सदस्यों से यह विदित हुआ है कि उनके विकल्प पर स्वीकृत किए जाने वाले अधोसंरचना कार्यों के संबंध में भी मैदानी अधिकारी पंच परमेश्वर योजना संबंधी विभागीय पत्र दि. 15.12.2016 की कंडिका-5 में दी गई प्राथमिकता के अतिरिक्त कोई कार्य स्वीकृत नहीं कर रहे हैं।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर अधोसंरचना विकास के लिए प्रदाय की गई धनराशि पंच परमेश्वर योजना से पृथक है। अतः जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर अधोसंरचना कार्य, जिनमें पेयजल योजना और नलकूप खनन भी शामिल है, लेने पर कोई रोक नहीं है।

4. उपरोक्त संदर्भ-2 की कंडिका-3 में यह प्रावधान है कि मूलभूत कार्यों के लिए दिए गए अनुदान की राशि के उपयोग पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही अनुदान की आगामी राशि जारी की जा सकेगी।

5. आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर अधोसंरचना विकास के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि के तहत निर्वाचित सदस्यों के विकल्प प्राप्त कर स्वीकृति जारी करें और कार्यों को यथाशीघ्र पूरा कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजें ताकि इस वर्ष के लिए अनुदान राशि प्रदाय की जा सके।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 16/एसीएस/2017/22/ **भोपाल, दिनांक 06.05.2017**

प्रतिलिपि :-

1. विकास आयुक्त, भोपाल।
2. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोज़गार गारण्टी परिषद, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश।
6. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्र. 31/एसीएस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 13.06.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर, समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- जिला/जनपद पंचायत के बैंक खाते संबंधी।

जिला/जनपद पंचायत के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला/जनपद पंचायतों में भिन्न-भिन्न योजनाओं के भिन्न-भिन्न खाते हैं। कई खाते बन्द हो गई योजनाओं से संबंधित हैं। कई योजनाओं की धनराशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा गया है। जिला/जनपद पंचायतों में विकास/निर्माण योजनाओं को गति देने, धनराशि का युक्तियुक्त उपयोग सुनिश्चित करने, लेखे-जोखों को सहज एवं सुविधाजनक बनाने तथा अंकेक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से निम्न निर्देश दिए जाते हैं :-

1. प्रत्येक जिला पंचायत एवं प्रत्येक जनपद पंचायत का केवल एक-एक बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में रखा जाए। इस खाते में टर्म डिपॉजिट की ऑटोशिफ्ट सुविधा ली जाए ताकि जिला/जनपद पंचायत को ब्याज की हानि नहीं हो।

2. उपरोक्त बैंक खाते में संबंधित जिला/जनपद पंचायत के समस्त प्रकार के बैंक खातों/बचत खातों/सावधि जमा खातों एवं अन्य स्वरूप के निवेश आदि की धनराशि अनिवार्यतः 20 जून 2017 तक अंतरित कर ऐसे समस्त खाते बन्द किए जाएं।

3. जिला/जनपद पंचायत में एक कैशबुक संधारित की जाए। जिला/जनपद पंचायत में प्रत्येक योजना के लिए पृथक-पृथक लेज़र (खाता) संधारित किया जाए। शासन की विभिन्न योजनाओं अथवा निकाय की गतिविधियों के लिए भिन्न-भिन्न कैशबुक का संधारण 21 जून से बंद किया जाए।

4. उपरोक्तानुसार जिला पंचायत/जनपद पंचायत के एकल बैंक खाते का संचालन जिला/जनपद पंचायत के वरिष्ठतम लेखाधिकारी/लेखापाल के माध्यम से नस्ती प्रस्तुत कर किया जाए।

5. जिला/जनपद पंचायत के बैंक खाते में धनराशि जमा अथवा आहरण करने के लिए नस्ती संबंधित कार्यक्रम/योजना के लेखाधिकारी/लेखालिपिक द्वारा संधारित की जाए। नस्तियाँ जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निकाय के वरिष्ठतम लेखाधिकारी/लेखा लिपिक के माध्यम से प्रस्तुत की जाएँ।

6. अगली वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 15 जून 2017 में सभी जिला/जनपद पंचायत के लेखा शाखा के प्रभारियों को उपस्थित रखें ताकि उनकी पृच्छाओं का समाधान किया जा सके।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 32/एसीएस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 13.06.2017**

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. संयुक्त आयुक्त (स्थापना), विकास आयुक्त, कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. विशेष सहायक/निज सहायक, मा. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. सभी संबंधितों को विभागीय वेबसाइट एवं म.प्र. पंचायिका में प्रकाशन के माध्यम से।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10.08.2017

क्रमांक 560/NR-4/वित्त एवं लेखा/2017 - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत संभागायुक्त कार्यालयों एवं जिला/जनपद पंचायतों के प्रशासनिक व्यय तथा वाहन व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों तथा संभागायुक्त कार्यालय, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की समस्त प्रकार की प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए समस्त प्रकार के व्यय का भुगतान विकास आयुक्त के अधीन पंजाब नेशनल बैंक में संचालित राज्य स्तरीय खाता क्र. **6310000100004265**, आईएफएससी कोड PUNB0631000 शाखा EPCO शाहपुरा, भोपाल से FTO (Fund Transfer Order) से किया जाएगा।

3. प्रशासनिक व्यय की वार्षिक सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(अ) संभागायुक्त कार्यालय -

(रु. लाख में)

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर संभाग	
पेयजल एवं स्वच्छता	0.30
विद्युत व्यय (जेनरेटर, फिक्सचर, फिटिंग सहित)	1.30
टेलीफोन/ICT/Broadband/Internet etc.	1.20
बैठक व्यवस्था	3.00
स्टेशनरी/ICT/Computer consumables, etc.	1.20
अन्य आकस्मिकताएं	0.50
योग	**7.50**

नर्मदापुरम, शहडोल, चम्बल एवं रीवा संभाग	
पेयजल एवं स्वच्छता	0.30
विद्युत व्यय (जेनरेटर, फिक्सचर, फिटिंग सहित)	1.20
टेलीफोन/ICT/Broadband/Internet etc.	0.80
बैठक व्यवस्था	1.50
स्टेशनरी/ICT/Computer consumables, etc.	0.80
अन्य आकस्मिकताएं	0.40
योग	**5.00**

(ब) जिला पंचायत -

(रु. लाख में)

6 या अधिक जनपद वाले जिले	
पेयजल एवं स्वच्छता	0.30
विद्युत व्यय (जेनरेटर, फिक्सचर, फिटिंग सहित)	3.00
टेलीफोन/ICT/Broadband/Internet etc.	3.60
बैठक व्यवस्था	4.80
स्टेशनरी/ICT/Computer consumables, etc.	6.00
अन्य आकस्मिकताएं	2.30
योग	**20.00**

6 से कम जनपद वाले जिले	
पेयजल एवं स्वच्छता	0.30
विद्युत व्यय (जेनरेटर, फिक्सचर, फिटिंग सहित)	2.00
टेलीफोन/ICT/Broadband/Internet etc.	2.80
बैठक व्यवस्था	2.90
स्टेशनरी/ICT/Computer consumables, etc.	4.80
अन्य आकस्मिकताएं	2.20
योग	**15.00**

(स) जनपद पंचायत

(रु. लाख में)

प्रयोजन	80 से कम ग्राम पंचायत वाली जनपद	अन्य जनपद
पेयजल एवं स्वच्छता	0.30	0.30
विद्युत व्यय (जेनरेटर, फिक्सचर, फिटिंग सहित)	1.20	1.20
टेलीफोन/ICT/Broadband/Internet etc.	2.00	2.00
बैठक व्यवस्था	1.50	1.50
स्टेशनरी/ICT/Computer consumables, etc.	3.50	3.50
अन्य आकस्मिकताएं	0.50	1.50
योग	**9.00**	**10.00**

3. वाहन व्यय की मासिक सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(अ) संभागायुक्त कार्यालय : 2 वाहन

प्रयोजन	किराया (वाहन चालक सहित)	पीओएल
आयुक्त के लिए	25,000	18,000
संयुक्त आयुक्त विकास (हो तो) के लिए	20,000	15,000

(ब) जिला पंचायत -

(i) भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, हरदा, नीमच, श्योपुर, सिंगरोली एवं उमरिया

प्रयोजन	किराया (वाहन चालक सहित)	पीओएल
कलेक्टर के लिए	25,000	15,000
सीईओ के लिए	25,000	15,000
पूल वाहन-3	20,000	15,000

(ii) अन्य जिलों के लिए:-

प्रयोजन	किराया (वाहन चालक सहित)	पीओएल
कलेक्टर के लिए	25,000	18,000
सीईओ के लिए	25,000	18,000
पूल वाहन-6	20,000	15,000

(स) जनपद पंचायत -

प्रयोजन	किराया (वाहन चालक सहित)	पीओएल
सीईओ के लिए	20,000	15,000

4. उक्त पैरा-3 के तहत वाहन व्यवस्था हेतु निर्धारित व्यय सीमा के संबंध में निम्न शर्तें लागू होंगी:-

(i) संभागायुक्त कार्यालय, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के लिए बिन्दु-3 में दर्शाई गई वाहन संख्या में शासकीय/संस्था के स्वत्व के वाहन शामिल होंगे।

(ii) जिला/जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए Fixed वाहन भत्ते की व्यवस्था के पृथक से आदेश जारी किए जाने के परिप्रेक्ष्य में उनके लिए वाहन संबंधी कोई व्यय नहीं किया जाए।

(iii) शासकीय/संस्था का वाहन उपलब्ध होने की स्थिति में कलेक्टर पीओएल के लिए उक्त सीमा के भीतर व्यय किया जा सकेगा। शासकीय/संस्था के वाहन के संधारण के लिए शासन द्वारा नियत सीमा के भीतर व्यय किया जा सकेगा।

(iv) किराए पर लिए जाने वाले वाहन, वाहन चालक सहित किराए पर लेना होंगे। वाहन चालक हेतु पृथक से कोई भुगतान मान्य नहीं होगा।

(v) संभागायुक्त एवं कलेक्टर के लिए वाहन की अधिकतम सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियत की गई है। किराए पर वाहन लेने के लिए इस सीमा का पालन अनिवार्य होगा।

(vi) वाहन किराए पर लेने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।

5. प्रशासनिक व्यय एवं वाहन व्यवस्था के लिए पंचायतीराज संचालनालय, डीआरडीए, जिला/जनपद पंचायत की निजी अथवा अन्य किसी मद से कोई व्यय नहीं किया जा सकेगा।
6. जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उक्त व्यय सीमा से अधिक राशि किसी मद में व्यय नहीं होने दें।
7. संभागायुक्त कार्यालय के व्यय (संभागायुक्त द्वारा ली जाने वाली बैठकों, भोजन, चाय, नाश्ते एवं अन्य व्यय सहित) का भुगतान संभागायुक्त कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त अथवा विकास शाखा के प्रभारी द्वारा किया जाएगा। किसी भी दशा में देयक जिला/जनपद पंचायत द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
8. उपरोक्त व्यय सीमा से अधिक व्यय विकास आयुक्त की पूर्वानुमति के बगैर नहीं किया जा सकेगा।
9. राज्य स्तर से भ्रमण पर आने वाले अधिकारियों के लिए वाहन की व्यवस्था पूल वाहन से की जाए। यदि किसी परिस्थिति विशेष में राज्य स्तर के अधिकारी के चाहने पर उसके भ्रमण पर वाहन किराए पर लिया जाता है तो उसके देयक का भुगतान जिला/जनपद पंचायत से नहीं किया जाकर ऐसे अधिकारी द्वारा राज्य स्तर से कराया जाएगा।
10. विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार, विशेष अभियान, भारत सरकार के अधिकारियों के भ्रमण, कार्यशाला, राज्य स्तर के अधिकारियों की बैठक आदि के लिए समय-समय पर पृथक से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के आदेश राज्य स्तर से जारी किए जा सकेंगे और ऐसी दशा में अनुमत्य व्यय ऐसे आदेश के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर रखना जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। ऐसे व्यय का भुगतान भी भोपाल स्थित बैंक खाते से FTO द्वारा ही अनुमत्य (permissible) होगा।
11. उपरोक्त व्यवस्था दि. 1 सितंबर, 2017 से लागू होगी। अतः दि. 31 अगस्त, 2017 के पश्चात् संभागायुक्त कार्यालय, जिला/जनपद पंचायत समस्त प्रकार का प्रशासनिक एवं वाहन व्यय पंजाब नेशनल बैंक के उपरोक्त बिन्दु-1 में वर्णित भोपाल स्थित बैंक खाते से एफटीओ द्वारा ही कर सकेगी। जिला/जनपद पंचायत के खाते से कोई व्यय अनुमत्य नहीं रहेगा।
12. जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी 31 अगस्त, 2017 तक की अवधि के देयकों का युक्तियुक्त निराकरण कर उनका भुगतान सुनिश्चित करें।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ क्र. 561/NR-4/वित्त एवं लेखा/2017, **भोपाल, दिनांक 10.08.17**

प्रतिलिपि-

1. विकास आयुक्त/संचालक पंचायत/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय/संस्था प्रमुखों को सूचनार्थ।
2. समस्त संभाग आयुक्त/कलेक्टर।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश को पालनार्थ।
5. विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशन हेतु।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14.08.2017

क्रमांक एफ-2-1-17/22/पंचा-1-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 560/NR-4/वित्त एवं लेखा/2017, दि. 10.08.2017 विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत संभागायुक्त कार्यालयों एवं जिला/जनपद पंचायतों के प्रशासनिक व्यय तथा वाहन व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

2. विभागीय पत्र क्र. एफ 3-10/2006/22/पं-1, दि. 04.12.2010 द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत/जनपद पंचायत को पूरे माह निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने एवं विभागीय पत्र क्र. एफ 3-3/22/08/पं-1, दि. 27.02.2013 द्वारा जिला पंचायत के उपाध्यक्षों को माह में एक सप्ताह के लिए वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

3. जिला पंचायत/जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष की वाहन व्यवस्था सुगम एवं सहज करने तथा बिल/व्हाऊचर, आदि लेखा-जोखा की आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रतिमाह निम्नानुसार एक मुश्त वाहन किराया तथा ईंधन व्यय का भुगतान सीधे संबंधित पदाधिकारी के बैंक खाते में करने का निर्णय लिया गया है:-

पदाधिकारी	**विभागीय निर्देशों के अनुसार पात्रता**		**एक मुश्त किराया एवं ईंधन**
अध्यक्ष, जिला पंचायत	पूरे माह निःशुल्क वाहन		जिला भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, हरदा, नीमच, श्योपुर, सिंगरौली एवं उमरिया रु. 40000/-
		अन्य जिले -	रु. 43,000/-
अध्यक्ष, जनपद पंचायत	पूरे माह निःशुल्क वाहन		रु. 35,000/-
उपाध्यक्ष, जिला पंचायत	एक सप्ताह के लिये वाहन किराया रु. 4,500/- एवं 50 लीटर डीजल		रु. 9000/-

4. उपरोक्त राशि का भुगतान प्रतिमाह की एक तारीख को विकास आयुक्त के अधीन पंजाब नेशनल बैंक में संचालित खाता क्रमांक 6310000100004265, आईएफएससी कोड PUNB0631000 शाखा EPCO शाहपुरा, भोपाल से संबंधित पदाधिकारी के बैंक खाते में सीधे Electronic Payment Order से किया जाएगा।

5. शर्तें-
(i) अध्यक्ष जिला/जनपद पंचायत एवं उपाध्यक्ष जिला पंचायत उनकी इच्छा अनुसार स्वयं का अथवा किराये का वाहन उपयोग कर सकेंगे। (ii) वाहन किराया एवं ईंधन आदि के संबंध में किसी प्रकार के देयक वाऊचर अथवा लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता नहीं होगी। (iii) जिला/जनपद पंचायत अथवा किसी अन्य शासकीय संस्था से उक्त पदाधिकारियों की वाहन संबंधी व्यवस्था के लिए कोई व्यय नहीं किया जा सकेगा। (iv) उपरोक्त राशि में वाहन चालक का व्यय शामिल है। अतः शासन/जिला पंचायत/जनपद पंचायत/शासकीय संस्था में नियुक्त अथवा उनके व्यय पर वाहन चालक उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा, अन्यथा वाहन चालक को देय पारिश्रमिक की राशि उपरोक्त तालिका में दर्शाई राशि से समायोजित की जाएगी। (v) जिन जिला/जनपद पंचायतों में संस्था का वाहन चालक नियमित सेवा में सेवारत हो उनकी सेवाओं का उपयोग मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत अन्यत्र करेंगे।

6. उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 01 सितम्बर 2017 से लागू होगी।

7. जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी 31 अगस्त 2017 तक की अवधि के देयकों का युक्तियुक्त निराकरण कर उनका भुगतान सुनिश्चित करें।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक - 05/अ.मु.स./पंग्राविवि/2016 **भोपाल, दिनांक 04.10.2016**

प्रति,

1. आयुक्त, संभाग - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. कलेक्टर, जिला-समस्त, मध्यप्रदेश।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

समस्त - राजस्व अनुभाग, मध्यप्रदेश।

विषय - मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अंतर्गत कार्रवाई करने बाबत्।

संदर्भ - 1. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 3/175/2010/22/P-2 दि. 08.02.2013
2. संचालनालय पंचायत राज म.प्र. का पत्र क्रमांक पंचा/2011/4137 दिनांक 28.08.2011
3. संचालनालय पंचायत राज म.प्र. का पत्र क्र. 3417 दि. 12.04.2013

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अंतर्गत निर्वाचित पंचायत पदधारी के विरुद्ध कार्रवाई विधि की अपेक्षा एवं प्रक्रिया अनुसार की जाए। यद्यपि धारा 40 में उन आधारों को स्पष्ट किया गया है, जिनके कि आधार पर संबंधित पदधारी के विरुद्ध विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अस्तु इस संबंध में धारा 40 का सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन अवश्य किया जाए।

2. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अंतर्गत विहित प्राधिकारियों के समक्ष में संस्थित प्रकरणों का सावधानी और विधि पूर्वक कार्रवाई की जाना विधि की अपेक्षा है। लंबित प्रकरणों के अंतिम निपटारे में विलंब भी न्याय हित की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः धारा 40 में प्रकरण के अंतिम निपटारे के लिए निर्धारित की गई अधिकतम समय-सीमा 120 दिन में अंतिम निराकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
3. संभाग एवं जिला स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठक के निर्धारित एजेण्डा में लंबित धारा 40 के प्रकरणों को भी शामिल किया जाए तथा मॉनिटरिंग की जाकर लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की निर्धारित प्रपत्र में जानकारी आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश को E-mail address - dirpanchayat@mp.gov.in पर प्रतिमाह 15 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाए।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विधि के अंतर्गत जिन प्रकरणों के निपटारे की किसी अधिनियम की धारा में समय सीमा नियत है और नियत समय सीमा में दर्ज प्रकरण का निराकरण नहीं किया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से विधि का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

(मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 06/अ.मु.स./पंग्राविवि/2016 **भोपाल, दिनांक 04.10.2016**

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. विशेष सहायक, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक. एफ 5-2/2017/22/पं.-1 **भोपाल, दिनांक 03.05.2017**

प्रति,

कलेक्टर (समस्त),

मध्यप्रदेश

विषय :- पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के प्रयोजनार्थ विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-2-2017-बाईस-पी-1, दिनांक 01 मई 2017

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 पंचायत के पदधारियों का हटाया जाना तथा धारा 92 अभिलेख और वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति के प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 309-126-बाईस-पं-2/94 दिनांक 5 मार्च 1994 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजस्व को विहित प्राधिकारी अधिसूचित किया गया था।

2. राज्य शासन द्वारा उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाकर नवीन अधिसूचना क्र. एफ-5-2-2017-बाईस-पी-1, भोपाल दिनांक 1 मई 2017, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 192 में प्रकाशित की गई है। इसके द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के प्रयोजनार्थ पूर्व में अधिसूचित विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को विहित प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है। इसे वेबसाइट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील हो गई है। अतः उक्त धाराओं के अधीन आपके जिला अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) के कार्यालयों में लंबित धारा 40 तथा धारा 92 के प्रकरणों को तत्काल संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अंतरित किये जाएं।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5-2/2017/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 03.05.2017**

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश बाणगंगा भोपाल।
4. संचालक, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संभागीय कमिश्नर - समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
6. उपखण्ड अधिकारी राजस्व, समस्त राजस्व अनुभाग मध्यप्रदेश।

उक्त समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र./4678/22/वि-1/वित्त/17 **भोपाल, दिनांक 20.04.2017**

प्रति,

समस्त सरपंच,
ग्राम पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः- वर्ष 2017-18 के लिये सरपंच एवं पंचों का मानदेय।

वर्ष 2017-18 के लिये आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंचों के मानदेय के भुगतान के लिए 6 माह की अग्रिम राशि आपकी ग्राम पंचायत के खाते में पंचायत राज संचालनालय द्वारा सीधे भेजी गई है।

2. आप विदित हैं कि सरपंच का मानदेय रु. 1750 प्रतिमाह नियत है और पंच को प्रति मासिक बैठक रु. 100 के मान से वर्ष में अधिकतम 6 बैठकों के लिए रु. 600 का मानदेय दिया जाता है। संचालनालय पंचायत राज द्वारा जारी अग्रिम राशि में सरपंच के लिए 6 माह का एवं पंच के लिए तीन बैठकों का मानदेय आपकी ग्राम पंचायत के बैंक खाते में संचालनालय से सीधे भेजा गया है। जारी की गई राशि का मदवार विवरण ग्राम पंचायतवार पंचायत दर्पण पोर्टल पर **"पंचायतों को प्राप्तियां"** ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

3. कृपया सुनिश्चित करें किः-

1. वर्ष 2017-18 में सरपंच को प्रतिमाह और पंच को प्रति दो माह में एक बैठक के लिए मानदेय का नियमित भुगतान किया जाये'
2. मानदेय का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाये;
3. पिछले वर्ष का मानदेय यदि बकाया हो तो उसकी मांग पृथक से जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजी जावे; एवं
4. इस आदेश द्वारा जारी राशि से पूर्व बकाया/ऐरियर का भुगतान नहीं किया जाये।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 29/अमुस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 31.05.2017**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।

विषय :- पंचायत राज संचालनालय एवं अधीनस्थ मैदानी शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली

सन्दर्भ :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 1001/1016/2015/22/पं. 1, दि. 13.07.2016

ग्राम पंचायत सचिव के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार प्रणाली निर्धारित की जाती है:-

प्रथम मत दर्ज करने वाला अधिकारी	समीक्षाकर्ता अधिकारी	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	अधिकारी जिसके द्वारा प्रतिकूल मत संसूचित किया जाएगा।	कार्यालय जहाँ प्रतिवेदन रखा जावेगा।
सरपंच (पद रिक्त हो तो उप सरपंच)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	जिला पंचायत कार्यालय

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 30/अमुस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 31.05.2017**

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल, म.प्र.।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला एवं जनपद पंचायत, मध्यप्रदेशऊ
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सरपंच ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में प्रकाशन द्वारा। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्र. 42/अमुस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 18.07.2017**

प्रति,

श्री इलैया राजा टी,
कलेक्टर,
भिण्ड, मध्यप्रदेश।

विषय :- ग्राम पंचायत सचिव/सहायक सचिव- अतिरिक्त कार्यभार व्यवस्था समाप्त करने विषयक।

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-613 दि. 20.07.2017 के उत्तर के लिए प्राप्त जानकारी से यह विदित होता है कि कुछ ग्राम पंचायतों में सचिव/सहायक सचिव को एक से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। अनुरोध है कि कृपया :-

1. अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाए।
2. किसी भी सचिव अथवा रोज़गार सहायक को एक से अधिक ग्राम पंचायत का कार्यभार नहीं दिया जाए।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पूर्णकालिक सचिव अथवा पूर्णकालिक सहायक सचिव (रोज़गार सहायक) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 43/अमुस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 18.07.2017**

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, नरेगा, भोपाल। संचालक, पंचायत, भोपाल।
2. संयुक्त आयुक्त समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1757/ACS/P&RD **भोपाल, दिनांक 12.09.2016**

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में हितग्राहियों की धनराशि का बैंक खातों से त्वरित आहरण।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को देय राशि सीधे बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्तांतरण (DBT) करने की व्यवस्था की गई है। राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत भी हितग्राहियों को बैंक खातों से DBT करने की व्यवस्था है। परिणामस्वरूप हितग्राहियों के खातों में जमा की जाने वाली राशि में काफी वृद्धि हुई है। इस पृष्ठभूमि में हितग्राहियों को बैंक खातों से धनराशि निकालने की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है।

विषयान्तर्गत आज मुख्य सचिव ने स्टेट लीड बैंक अधिकारी और अन्य वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बैंक खातों से हितग्राहियों की धनराशि के त्वरित आहरण की सुविधा के संबंध में निम्न निर्णय लिए गए -

(i) प्रत्येक जिले में लीड बैंक अधिकारी और जिला कलेक्टर बैठक कर जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं तथा उनके व्यावसायिक संवाददाता (Banking Correspondent) की राजस्व नक्शे पर मेपिंग करें।

(ii) बैंक खातों से आहरण के लिए निकटस्थ बैंक शाखा/बैंकिंग करेस्पोंडेंट को चिन्हित करते हुए ग्राम पंचायत वार सप्ताह का दिन विशेष निर्धारित किया जाए।

(iii) निर्धारित साप्ताहिक दिन बैंक शाखा/बैंकिंग करेस्पोंडेंट निर्धारित ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों के बैंक खातों से संबंधित लेनदेन का कार्य अनिवार्यतः प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक करें। दिन विशेष के लिए निर्धारित ग्राम पंचायत के खातेदारों के लेनदेन पूरे होने के पश्चात् अन्य ग्राम पंचायतों के खातेदारों का लेनदेन संव्यवहार किया जाए।

(iv) यदि किसी ग्राम की दूरी निकटस्थ बैंक शाखा/बैंकिंग करेस्पोंडेंट से 10 किलोमीटर अथवा ज्यादा हो तो निर्धारित दिवस पर निर्दिष्ट स्थान (यथासंभव ग्राम पंचायत का कार्यालय) नियत कर बैंक पृथक से व्यवस्था करे।

(v) उपरोक्त व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए संबंधित बैंक यह सुनिश्चित करे कि उनकी शाखा/बैंकिंग करेस्पोंडेंट के पास पर्याप्त नगद धनराशि उपलब्ध रहे।

2. यदि किसी जिले में ग्रामीण विकास अथवा शासन की अन्य किसी योजना के तहत दिए गए लाभ की राशि के बैंक खातों से आहरण के हितग्राहियों के लंबित प्रकरणों की संख्या ज्यादा हो तो बेकलॉग के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एक बार के लिए अधिकतम 15 दिन के लिए उपयुक्त संख्या में बैंकों को वाहन एवं सुरक्षा उपलब्ध कराएं ताकि वे बैकलॉग समाप्त कर सकें। वाहन व्यवस्था के लिए व्यय NREGS मद से किया जा सकता है।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई कर हितग्राहियों के खातों में जमा राशि के आहरण के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि आगामी एक माह के बैकलॉग शून्य हो जाए।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 61/अमुस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 11/09/2017**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त) म.प्र.

विषय : जिला/जनपद पंचायतों को अधोसंरचना कार्यों हेतु अनुदान-वर्ष 2017-18

संदर्भ : विभाग का पत्र क्र./335/475/2016/22/पं.-1 दिनांक 15.12.2016

विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.12.2016 द्वारा जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर लिए जाने वाले अधोसंरचना कार्यों के लिए अनुदान राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

1.1 जिला पंचायत के लिए राशि का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा-

अ. जिला पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर राशि रुपये 25.00 लाख

ब. जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर राशि रुपये 15.00 लाख

स. जिला पंचायत के अन्य प्रत्येक सदस्य के विकल्प पर राशि रु. 10.00 लाख

1.2 जनपद पंचायत के लिए राशि का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा-

अ. जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए विकल्प पर राशि रुपये 12.00 लाख

ब. जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर राशि रुपये 8.00 लाख

स. जनपद पंचायत के अन्य प्रत्येक सदस्य के विकल्प पर राशि रुपये 4.00 लाख

2. वर्ष 2017-18 के लिए जिला एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर अधोसंरचना कार्यों के लिए उपरोक्तानुसार स्वीकृति संबंधित जिला पंचायत एवं संबंधित जनपद पंचायत के बैंक खाते में उपलब्ध राशि से प्रदान करने की अनुमति संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत को निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

2.1 इस आदेश के तहत जारी की जाने वाली स्वीकृतियां पंच परमेश्वर योजना के तहत जारी मानी जाएंगी।

2.2 जिन जनपद पंचायतों के बैंक खातों में जमा धनराशि उपरोक्तानुसार आवश्यक धनराशि की तुलना में कम है उनके बैंक खातों में राज्य स्तर से धनराशि पंचायतीराज संचालनालय से जारी की जाए।

2.3 पंच परमेश्वर योजना के तहत प्राथमिकताएं विभागीय पत्र दिनांक 15.12.2016 द्वारा निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल हेतु अधोसंरचना विकास पर भी व्यय अनुमत्य होगा।

2.4 निर्माण एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत हो सकेगी लेकिन पेयजल संबंधी अधोसंरचना के लिए कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तकनीकी सलाह एवं स्वीकृति बंधनकारी होगी।

2.5 दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अधोसंरचना कार्य हेतु उसके विकल्प का इस्तेमाल नहीं करने की दशा में यह माना जाएगा कि उसने उसका विकल्प समर्पित कर दिया है और ऐसी दशा में वर्ष 2017-18 के लिए संबंधित सदस्य का विकल्प समाप्त माना जाएगा।

3. विभागीय ज्ञाप दिनांक 28.4.2017 द्वारा जिला पंचायत/जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों के क्षेत्र के संबंध में जारी निम्न निर्देश बंधनकारी होंगे :-

3.1 जिला पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर लिए जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला रहेगा।

3.2 जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प के कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र संपूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्र रहेगा।

3.3 जिला/जनपद पंचायत के शेष सभी निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर लिए जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र उनके निर्वाचित क्षेत्र की सीमा रहेगी अर्थात् संबंधित सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर उनके विकल्प पर आवंटित धनराशि से अधोसंरचना कार्य स्वीकृत नहीं किए जा सकेंगे।

4. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि :

4.1 दिनांक 22 से 29 सितम्बर, 2017 के मध्य प्रत्येक जिला/जनपद पंचायत की सामान्य सभा आयोजित करने के लिए तिथि नियत कराकर सामान्य सभा की बैठक अनिवार्यतः आयोजित कराएं।

4.2 उक्त बैठक में जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से अधोसंरचना विकास कार्य हेतु विकल्प प्राप्त किए जाएं और बैठक समाप्त होने के 7 दिवस के भीतर आवश्यकतानुसार तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी कराई जाए।

4.3 सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य का विकल्प प्राप्त किए बगैर इस आदेश के तहत कोई स्वीकृति जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जारी नहीं करें।

5. जिला/जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर अधोसंरचना कार्यों हेतु दी गई स्वीकृति की जानकारी विभागीय पोर्टल पर 10 अक्टूबर 2017 तक अनिवार्यतः दर्ज की जाए।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 62/अमुस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 11.9.2017**

प्रतिलिपि -

1. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. संचालक, म.प्र. पंचायतराज संचालनालय।
3. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारण्टी परिषद्।
4. प्रमुख अभियंता/समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।
5. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

निर्माण कार्यों संबंधी निर्देश

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक : 7505/22/वि-10/ग्रायांसे/2016 **भोपाल, दिनांक 24.12.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) म.प्र.

विषय :- पंच-परमेश्वर योजना CC सड़क एवं पक्की नाली निर्माण-दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- विभाग का पत्र क्रमांक /335/475/2016/22/पं-1, दिनांक 14.12.2016.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में ग्रामों के आबादी क्षेत्र में आंतरिक मार्गों में CC सड़कें तथा पक्की नाली बनाने के लिए 70:30 के अनुपात में राशि की व्यवस्था के निर्देश निहित हैं। आंतरिक मार्गों में CC सड़कें तथा पक्की नाली बनाने के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

1. प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति

1.1 प्रत्येक ग्राम के लिए एक डीपीआर परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रपत्र में बनाई जाए। डीपीआर में ग्राम के आबादी क्षेत्र के ऐसे सभी आंतरिक मार्ग जिनमें वर्तमान में CC सड़कें नहीं हैं उन्हें शामिल किया जाए। पूर्व निर्मित CC सड़क को शामिल नहीं किया जाए।

1.2 आवश्यक CC सड़क एवं पक्की नाली का आकलन उपयंत्री द्वारा मौके पर माप लेकर किया जाए। नमूना सत्यापन जनपद पंचायत में पदस्थ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहायक यंत्री द्वारा किया जाए।

1.3 प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा CC सड़क तथा पक्की नाली निर्माण के लिए तकनीकी मानक तय करते हुए CC सड़क की मानक लागत रु. 800 प्रति वर्गमीटर और पक्की नाली की मानक लागत रु. 550 प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। लागत में आगामी 2 वर्षों में संभावित मूल्यवृद्धि शामिल है। मानक लागत के आधार पर डीपीआर में निर्माण कार्य की लागत निर्धारित की जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि नाली की लागत केवल क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई के आधार पर तय की जाना है। उदाहरण के लिए, 100 मीटर लम्बाई में आधा मीटर चौड़ी और एक फिट गहरी नाली बनाने के लिए क्षेत्रफल 100x0.50 अर्थात 50 वर्गमीटर होगा और रु. 550 प्रति वर्गमीटर की दर से लागत रु. 27,500 होगी।

1.4 निर्माण कार्य की लागत का 85 प्रतिशत सामग्री अंश एवं 15 प्रतिशत मजदूरी अंश माना जाए।

1.5 परिशिष्ट-1 में दर्शाए डीपीआर पत्रक में उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के हस्ताक्षर होने पर इसे तकनीकी स्वीकृति माना जाएगा। तकनीकी स्वीकृति के लिए पृथक से दस्तावेज बनाने या नस्ती संधारित करने की आवश्यकता नहीं है।

1.6 प्रत्येक ग्राम की डीपीआर बनाने के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रस्ताव क्रमांक एवं ग्राम पंचायत की मुद्रा के साथ डीपीआर में सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर किये जाएं। इसे प्रशासकीय स्वीकृति माना जाएगा।

1.7 परिशिष्ट-1 में दर्शाए प्रपत्र में डीपीआर (टीएस तथा प्रशासकीय स्वीकृति सहित) दो प्रतियों में बनाई जाए। एक प्रति

ग्राम पंचायत में रखी जाए और एक प्रति जनपद पंचायत को भेजी जाए।

1.8 ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव का डीपीआर प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में इन्द्राज होने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

1.9 सामान्यतः ग्रामों में आवश्यक CC सड़कें एवं पक्की नाली की लागत ग्राम पंचायत के प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा रु. 15 लाख से अधिक होगी। अतः जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के सभी ग्रामों की डीपीआर को संकलित कर संलग्न परिशिष्ट-2 में दर्शाए अनुसार प्रपत्र में एकजाई सूची (गोशवारा) बनाकर दो प्रतियों में एकल नस्ती में जिला पंचायत से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस स्वीकृति को पुस्तक के रूप में जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में रखा जाए।

1.10 यदि किसी ग्राम के लिए डीपीआर में लागत रु. 30 लाख से अधिक आती हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत स्वयं स्थल निरीक्षण कर आवश्यकता प्रमाणित करेगा। जिले में ऐसे ग्रामों में से 10 प्रतिशत ग्रामों का स्थल निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत करेगा।

2. निर्माण

2.1 पंच-परमेश्वर योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा CC सड़कें एवं पक्की नाली की लागत 70:30 के अनुपात में वहन की जाने से प्रदेश के सभी ग्रामों में आगामी 2 से 3 वर्ष में आबादी क्षेत्र के आंतरिक मार्गों का सीमेन्टीकरण किया जा सकता है।

2.2 ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा है कि वे अनुसूचित जाति की बस्तियों में आंतरिक मार्गों में CC सड़कें एवं पक्की नाली बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

2.3 निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. 15 लाख से अधिक होने की दशा में ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा शिथिल मानी जाएगी।

2.4 निर्माण के लिए प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा तकनीकी मापदंड एवं दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य कराने में इन दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जाए ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अच्छी हो।

3. मूल्यांकन

3.1 निर्मित CC सड़क की लंबाई एवं चौड़ाई का तथा निर्मित पक्की नाली की लंबाई एवं चौड़ाई का पृथक-पृथक माप लेते हुए वर्गमीटर में क्षेत्रफल निकालकर निर्माण कार्य का माप लिया जाए।

3.2 निर्माण कार्य का मूल्यांकन प्रमुख अभियंता द्वारा उपरोक्त बिन्दु 1.3 में उल्लेखित प्रति वर्गमीटर मानक निर्माण लागत पर किया जाए।

3.3 सामग्री खरीदी एवं मजदूरी भुगतान आदि के देयक संधारित करना आवश्यक नहीं होगा।

3.4 संपन्न कराए गए कार्यों का माप एवं मानक लागत के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और कार्य सम्पन्नता के प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-3) को देयक के रूप में मान्य किया जाएगा।

3.5 निर्माण कार्यों का मूल्यांकन संपन्न किए गए कार्यों के माप के आधार पर ग्राम पंचायत की समिति द्वारा किया जाएगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी निर्माण समिति के अध्यक्ष, संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायत का सचिव करेगा। यह समिति मूल्यांकन भी करेगी। यदि ग्राम पंचायत चाहे तो किसी अन्य निर्वाचित सदस्य को भी इस समिति में रख सकती है।

3.6 उक्त समिति निर्माण के दौरान कार्यों के माप, कांक्रीट की मोटाई, निर्माण के दौरान गुणवत्ता, सीमेन्ट-गिट्टी एवं रेती के अनुपात आदि का समय-समय पर सत्यापन करेगी।

3.7 निर्माण कार्य निर्धारित कांक्रीट से कम मोटाई का अथवा घटिया पाए जाने की दशा में समिति के सभी सदस्य संयुक्त

रूप से जिम्मेदार होंगे और धनराशि उनसे वसूल की जा सकेगी।

3.8 कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रत्येक गली/मोहल्ला के लिए परिशिष्ट-4 में पृथक-पृथक दर्शाए प्रारूप में जारी किया जाए।

4. **अभियंताओं की जिम्मेदारी**

4.1 उपयंत्री अथवा सहायक यंत्री द्वारा निर्माण कार्यों के लिए लेआउट दिया जाना अथवा निर्माण का मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

4.2 ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग मांगे जाने पर उपयंत्री लेआउट देने के लिए बाध्य होगा।

4.3 उपयंत्री भी निर्मित कार्यों का माप लेगा तथा ग्राम पंचायत के द्वारा लिए गए माप और उपयंत्री के द्वारा लिए गए माप में अंतर होने की दशा में ग्राम पंचायत के साथ-साथ जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनिवार्यतः सूचित करेगा।

4.4 उपयंत्री निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सतत् निगाह रखेगा तथा गुणवत्ता में कमी की दशा में ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जनपद पंचायत के सहायक यंत्री को तत्काल सूचना देगा।

4.5 निर्माण कार्य की गुणवत्ता अपेक्षित गुणवत्ता से कम होकर स्वीकार योग्य नहीं होने की दशा में उपयंत्री/सहायक यंत्री निर्माण कार्य रोक सकेगा और कार्यपालन यंत्री के निरीक्षण के उपरांत उनके निर्देशानुसार सुधार कार्य के लिए ग्राम पंचायत बाध्य होगी।

4.6 समय-समय पर गुणवत्ता संबंधी आवश्यक परीक्षण करना/कराना उपयंत्री की जिम्मेदारी होगी।

4.7 सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री औचक निरीक्षण करके तथा मार्गदर्शन देकर गुणवत्ता सुनिश्चित कराएंगे।

संलग्न - चार परिशिष्ट।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-1

ग्राम .....

ग्राम पंचायत ....., जनपद पंचायत.....

तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति

ग्राम के आंतरिक मार्ग की सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण के लिए

(अ) कार्य का विवरण एवं लागत का प्राक्कलन :-

(क्षेत्र मीटर में एवं राशि रु. में)

अनु. क्र.	गली/मोहल्ला का नाम	सी.सी. सड़क					पक्की नाली					योग लागत राशि
		लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	मानक लागत प्रति वर्गमीटर	लागत राशि	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	मानक लागत प्रति वर्गमीटर	लागत राशि	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
	योग											

(ब) तकनीकी स्वीकृति :-

उपयंत्री द्वारा माप लेने का दिनांक ..... सहायक यंत्री द्वारा किसी एक मोहल्ला/गली के माप का सत्यापन दिनांक .....

हस्ताक्षर — हस्ताक्षर

नाम — नाम

पदमुद्रा — पदमुद्रा

(स) प्रशासकीय स्वीकृति :-

ग्राम पंचायत का प्रस्ताव क्र. .....दिनांक .....

हस्ताक्षर — हस्ताक्षर

नाम — नाम

सचिव — सरपंच

पदमुद्रा — पदमुद्रा

परिशिष्ट-2

कार्यालय जिला पंचायत .....

क्र. ..... **दिनांक .....**

प्रशासकीय स्वीकृति

जनपद पंचायत .....

विषय - जनपद पंचायत ..... के ग्रामों के आंतरिक मार्गों की सी.सी. सड़कों एवं नालियों के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

(क्षेत्रफल वर्गमीटर में एवं राशि रुपये में)

अनु. क्र.	ग्राम का नाम	सी.सी. सड़क		पक्की नाली		योग
		क्षेत्रफल	लागत	क्षेत्रफल	लागत	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
	योग					

हस्ताक्षर

नाम.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत.....

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

नाम.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत.....

पदमुद्रा

परिशिष्ट–3

ग्राम पंचायत.............................जनपद पंचायत.............................

सीसी सड़क एवं पक्की नाली निर्माण का देयक

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 7418/22/वि–10/ग्रायांसे/2016 दि. 24.12.2016 में दिए गए दिशा–निर्देशों के तहत एवं प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्धारित तकनीकी दिशा-निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन करते हुए आवश्यक सामग्री एवं मजदूरी की व्यवस्था कर निम्न तालिका में दर्शाई सीसी सड़क एवं पक्की नाली का निर्माण कराया गया है:-

(क्षेत्र मीटर में एवं राशि रू.में)

गली/मोहल्ला का नाम	सी.सी.सड़क				पक्की नाली				योग व्यय राशि
	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	व्यय राशि	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	व्यय राशि	
योग	–	–	–		–	–	–		

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त तालिका में दर्शाई धनराशि का व्यय तालिका में दर्शाए निर्माण कार्यों के लिए सामग्री क्रय करने, सामग्री की व्यवस्था करने, परिवहन करने एवं कारीगर तथा मजदूरों की व्यवस्था में किया गया है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
सचिव	सरपंच
मुद्रा	मुद्रा

सत्यापन

मैंने निर्माण कार्य का समय समय पर निरीक्षण किया और निर्माण कार्य मानक गुणवत्ता का पाया है

हस्ताक्षर उपयंत्री

नाम

दिनांक

परिशिष्ट-4

ग्राम.....

ग्राम पंचायत.....,जनपद पंचायत.....

पूर्णता प्रमाण पत्र

ग्राम के आंतरिक मार्ग की सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण का

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न तालिका में दर्शाया गया कार्य गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न किया गया है:-

(क्षेत्र मीटर में एवं राशि रू. में)

अनु. क्र.	गली/मोहल्ला का नाम	सी.सी.सड़क					पक्की नाली					योग व्यय राशि
		लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	दर प्रति वर्गमीटर	व्यय राशि	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	दर प्रति वर्गमीटर	व्यय राशि	
1												
2												
3												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
	योग	—	—	—	—		—	—	—	—		

हस्ताक्षर
नाम सचिव
दिनांक
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
नाम सरपंच
दिनांक
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
नाम उपयंत्री
पदमुद्रा
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम सहायक यंत्री
पदमुद्रा
दिनांक

कार्यालय प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
बी विंग, द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल
eincres@mp.gov.in, Ph. : 0755-2551398

क्रमांक 53/22/वि.-10/2017 **भोपाल, दिनांक 04.01.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
3. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश के समस्त मुख्य अभियंता,
   समस्त अधीक्षण यंत्री एवं समस्त कार्यपालन यंत्री

विषय :- पंच परमेश्वर योजना सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण के विषयक तकनीकी निर्देश।

संदर्भ :- विकास आयुक्त का पत्र क्र. 7505/22/वि-10/ग्रायांसे/2016 दिनांक 24.12.16 का बिन्दु क्र.-1.

विषयांतर्गत संदर्भ से ग्रामों के आंतरिक मार्गों में सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण के संबंध में दिशा-निर्देश विकास आयुक्त द्वारा जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुक्रम में सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण के संबंध में तकनीकी दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं:-

1. निर्माण कार्यों का सामान्य स्पेसीफिकेशन

1.1 सीसी सड़क की मोटाई न्यूनतम 20 से.मी. रखी जाए-

(अ) सीसी सड़क का निर्माण 10-10 से.मी. कांक्रीट की दो परतों में किया जाए।

(ब) पहली परत 1:2:4 के अनुपात में सीमेंट कांक्रीट की 10 से.मी. की रखी जाए।

(स) दूसरी परत 1:3:6 के अनुपात में सीमेंट कांक्रीट की 10 से.मी. की रखी जाए।

1.2 सीसी सड़क में नल जल योजना तथा गंदे पानी की निकासी के लिए पाइप लाइन डालने की व्यवस्था निम्नानुसार रखी जाए:-

(अ) सड़क की क्रासिंग 200 मि.मी. व्यास के आरसीसी ह्यूम पाइप अथवा एचडीपीई पाइप (नान-प्रेशर मोटाई न्यूनतम 2 मि.मी.) रखा जा सकता है।

(ब) उक्त पाइप का उद्देश्य भविष्य में नल जल योजना के तथा गंदे पानी की निकासी के पाइप डालने की व्यवस्था को दृष्टिगत रखकर किया जाना आवश्यक है।

1.3 सीसी नाली निर्माण के लिए स्पेसीफिकेशन निम्नानुसार होगा:-

(अ) नाली की गहराई न्यूनतम 30 से.मी. एवं चौड़ाई न्यूनतम 30 से.मी. रखी जाए।

(ब) नाली 1:2:4 का कांक्रीट मिक्चर बनाकर न्यूनतम 10 से.मी. मोटाई की बनाई जाए।

(स) सीसी सड़क की चौड़ाई 2 मीटर से कम होने की दशा में नाली नहीं बनाई जाए।

(द) सड़क की चौड़ाई 2 मीटर से कम हो तो सड़क के विद्यमान ढाल की दिशा में व्ही अथवा एल शेप में सड़क से जल निकासी की व्यवस्था की जाए।

2. ले आउट की तैयारी

2.1 निर्माण के लिए ले आउट इस प्रकार नियत किया जाए कि सड़क का ढाल निर्माण के पश्चात विद्यमान ढाल के अनुरूप बना रहे और सड़क के दोनों किनारों के मकानों के दरवाजों के फर्श से सड़क नीचे रहे।

2.2 यदि वर्तमान मार्ग सड़क के दोनों किनारों के दरवाजों के फर्श से 40 से.मी. से कम नीचे हो तो सीसी सड़क बनाने के पूर्व मार्ग

की आवश्यक खुदाई की जाए ताकि सीसी सड़क बनने के बाद सड़क मकानों के दरवाजों से कम से कम 10 से.मी. नीचे रहे।

2.3 मार्ग के जिन स्थानों में पानी इकट्ठा होकर कीचड़ होती हो उसकी खुदाई कर मिट्टी हटाई जाए और मुरम/कोपरा डालकर उसकी दबाई/कुटाई की जाए।

2.4 सड़क के एक किनारे की नाली दूसरे किनारे की नाली पर जाती हो वहां 40 से.मी. चौड़ी कांक्रीट की नाली बनाई जाए। नाली की क्रासिंग के लिए 40 से.मी. व्यास के ह्यूम पाईप अथवा एचडीपीई भूमिगत पाईप लगाकर उसके ऊपर कांक्रीटिंग की जाए। भूमिगत पाईप के स्थान पर सीमेंट कांक्रीट का 40 से.मी. (16 इंच) चौड़ी और एक फिट गहरी नाली बनाकर उसे कांक्रीट के ढक्कन से ढंका जा सकता है।

2.5 यदि नाली क्रासिंग की लम्बाई ज्यादा हो तो सफाई के लिए बीच में सुविधानुसार चेम्बर भी बनाया जा सकता है।

3. खुदाई एवं जल निकासी व्यवस्था

3.1 नाली के लिए खुदाई घर की दीवारों से सटकर की जाये। नाली की खुदाई में लंबाई की दिशा में क्षेत्र का सामान्य ढाल दिया जाये। यह 1:100 से कम न हो।

3.2 चौड़ाई की दिशा में सड़क के मध्य से दोनों ओर 3 प्रतिशत ढाल खुदाई के दौरान बनाया जाये। यदि बिना खोदे बनाई जा रही है तो सबग्रेड की मिट्टी की ड्रेसिंग करके यह ढाल बनायें।

3.3 जिस अवधि में गली में यह कार्य चल रहा हो उस दौरान ट्राफिक अन्य गली में डायवर्ट किया जाये।

4. सबबेस की तैयारी

4.1 सबबेस के लिए तैयार स्थान को पानी डालकर रोलर से दबाया जाये। ग्रेवल अथवा नदी नालों की बजरा/बजरी का उपयोग सबबेस के लिए किया जा सकता है।

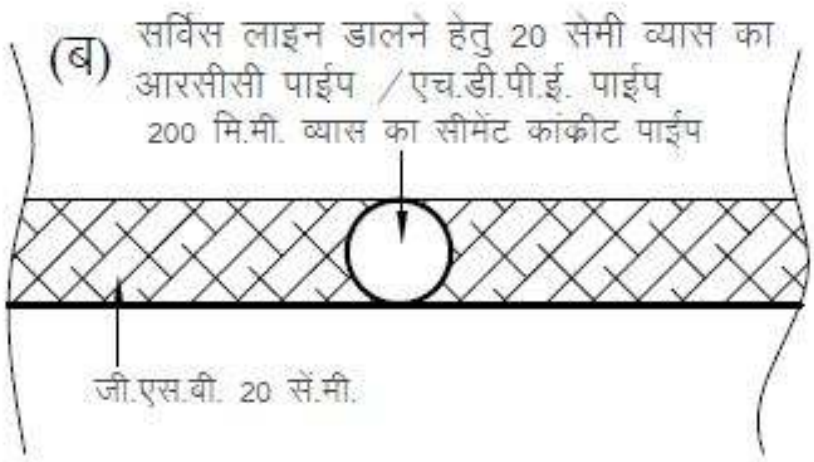

4.2 सामग्री को समान मोटाई में लगभग 25 से.मी. मजदूरों से बिछवाया जाये, ताकि काम्पेक्शन पश्चात मोटाई न्यूनतम 20 से.मी. शेष रहे। सबबेस को काम्पेक्ट करने के लिए उसकी मात्रा का लगभग 15 प्रतिशत पानी लगता है, जिसे मिलाकर ही रोलर से काम्पेक्शन किया जाये। केम्बर इस तरह में बना लिया जाये।

4.3 प्रत्येक 50 मीटर पर जनोपयोगी सेवाओं के एक तरफ से दूसरी तरफ क्रास करने के लिए जीएसबी के बीचोंबीच 3.30 मीटर लंबा 20 से.मी. व्यास का ह्यूम पाईप अथवा एच.डी.पी.ई. पाईप डाला जायेगा। पाईप की लंबाई सड़क की चौड़ाई से 0.30 सेमी अधिक होगी। पाईप के दोनों सिरों पर ग्रेवल और बजरी से भरा जाये। नीचे पड़े पाईप के स्थान को चिन्हित करने के लिए सड़क के दोनों ओर निशान लगा दें और इसका अभिलेख भी ग्राम पंचायत में सुरक्षित रखें।

5. बेस कांक्रीट की तैयारी और कार्य संपादन

5.1 जीएसबी के काम्पेक्शन होने के 24 घंटे के अंदर बेस कांक्रीट का कार्य किया जावे।

5.2 बेस कांक्रीट के लिए सीमेंट रेत और गिट्टी 1:3:6 के मान से सामग्री, मिलाने के लिए मिक्सर मशीन, वाईब्रेटर और पर्याप्त

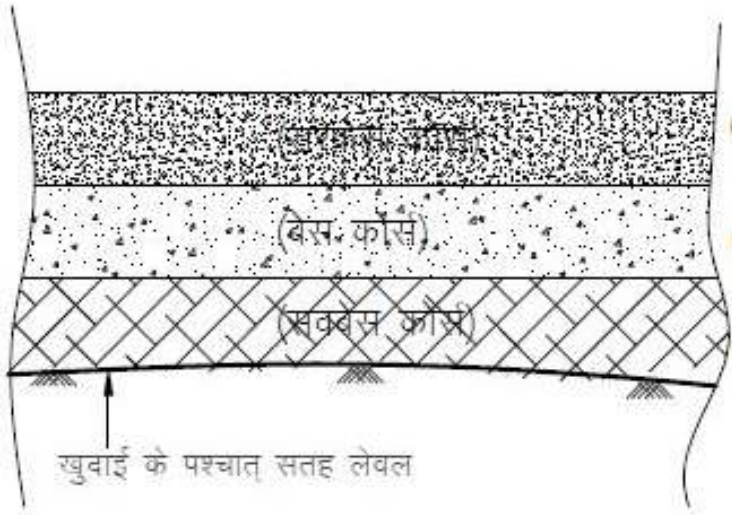

पानी की व्यवस्था रखें। एक घनमीटर कांक्रीट 1:3:6 के लिए सीमेंट की मात्रा 4.5 बोरी, 0.9 घनमीटर गिट्टी (32 घनफुट) और 0.5 घनमीटर (18 घनफुट) रेत लगेगी। क्रेशर की टूटी गिट्टी का आकार 40 मि.मी. (1.50 इंच) ग्रेडेड हो और नदी की धुली रेत का आकार 2.36 मि.मी. हो। काली रेत का उपयोग नहीं किया जाए।

5.3 कांक्रीट को मिक्स होने के 30 मिनिट के अंदर बिछायें। लगभग 12 से.मी. मोटाई में मिक्स बिछाकर वाईब्रेटर से काम्पेक्ट किया जाये।

5.4 सीमेंट आई एस अनुमोदित कम्पनी की उपयोग की जाए। सीमेंट तीन माह से अधिक पुरानी न हो (यह सीमेंट की बोरी पर बैच और निर्माण सप्ताह अंकित होता है, उसे देखकर सुनिश्चित करें)।

5.5 बेसकोर्स और सरफेस कोर्स और नाली में सीमेंट का खपत रजिस्टर बनाया जाये, जिसमें दैनिक सीमेंट की साईट पर प्राप्ति एवं प्रतिदिन हुई खपत का चैनेजवार विवरण ग्राम पंचायत के अभिलेखों में रखा जाए।

5.6 सीमेंट का मसाला बनाते समय लगभग सीमेंट के वजन के 38 से 40 प्रतिशत पानी मिलाया जायेगा।

5.7 सीमेंट कांक्रीट बेस, सरफेस कोर्स और नाली की कांक्रीट की क्योरिंग (तराई) दूसरे दिन से प्रारंभ कर 14 दिन तक लगातार की जाये। इस पर आवागमन की अनुमति नहीं रहेगी।

6. सरफेस कोर्स की तैयारी और कार्य संपादन

6.1 सीमेंट कांक्रीट बेस के सेट होने के बाद सरफेस कोर्स का कार्य किया जा सकता है।

6.2 इस सतह का भी मिक्सिंग, वाइब्रेशन, क्योरिंग और पानी की मात्रा सीमेंट के वजन के 40 से 42 प्रतिशत तक हो। विशेष रूप से ध्यान रखें कि हनीकॉम न बने।

6.3 एक घनमीटर कांक्रीट 1:2:4 के लिए सीमेंट की मात्रा 6.5 बैग्स, 0.85 घनमीटर गिट्टी और 0.45 घनमीटर रेत लगेगी।

6.4 प्रत्येक 4.5 मीटर की लंबाई में कांट्रेक्शन ज्वाइंट मशीन से काटकर फिलर या डामर रेत में मिलाकर भर दिया जाये। इसकी गहराई 5 मिमी रखी जाये।

6.5 प्रतिदिन कार्य के पश्चात शाम के समय सीमेंट कांक्रीट की सतह को झाड़ू/वायर ब्रश से खुरदुरा करें।

7. नाली निर्माण

7.1 नाली का ढाल इस प्रकार बनाया जाए कि यह ग्राम के समीपस्थ बहने वाले नाले से मिल जाए। प्रायः नाली का ढाल सड़क के ढाल के बराबर होगा। इसमें भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बीच में ऊँचा अथवा नीचा होने पर नाली की गहराई तद्नुसार एडजस्ट की जाये।

7.2 यदि सड़क के दोनों ओर मकान हैं और जमीन उपलब्ध है तो दोनों ओर नालियां बनाई जायें, अन्यथा किसी भी स्थिति में कम से कम एक ओर नाली बनाई जाये।

7.3 ग्राम की नाली को नजदीकी नाले से जोड़ने हेतु सीसी की लम्बाई से 100 मीटर अधिक लम्बी नाली बनाने की अनुमति होगी।

7.4 नाली का नाप उसके सरफेस एरिया के आधार पर अंकित होगा।

नाली निर्माण–विभिन्न सतह

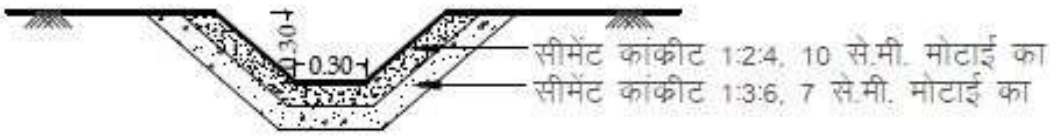

ट्रेपेझायडल आकार की नाली

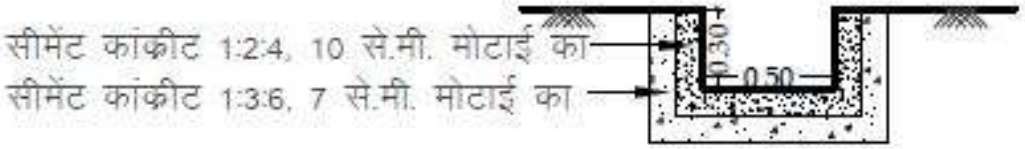

आयताकार आकार की नाली

वी या एल आकार की नाली

8. निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

8.1 निरीक्षण के संबंध में विकास आयुक्त के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24.12.16 के निर्देशानुसार कार्यवाही हो।

8.2 सीमेंट कांक्रीट की कॉम्प्रेन्सिव स्ट्रेन्थ (मजबूती) हेतु प्रयोगशाला परीक्षण किया जावे। प्रति दिवस सीमेंट कांक्रीट के 6 क्यूब तैयार किये जावें जिनमें से 3 का परीक्षण 7वें दिवस तथा 3 का परीक्षण 28वें दिवस किया जावे।

8.3 प्रत्येक सड़क पर रिवाउन्ड हैमर के माध्यम से स्ट्रेंथ नियमित रूप से चैक की जाये।

संलग्नः- ड्राइंग।

(अनिरुद्ध डी. कपाले)
प्रमुख अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
मध्यप्रदेश, भोपाल

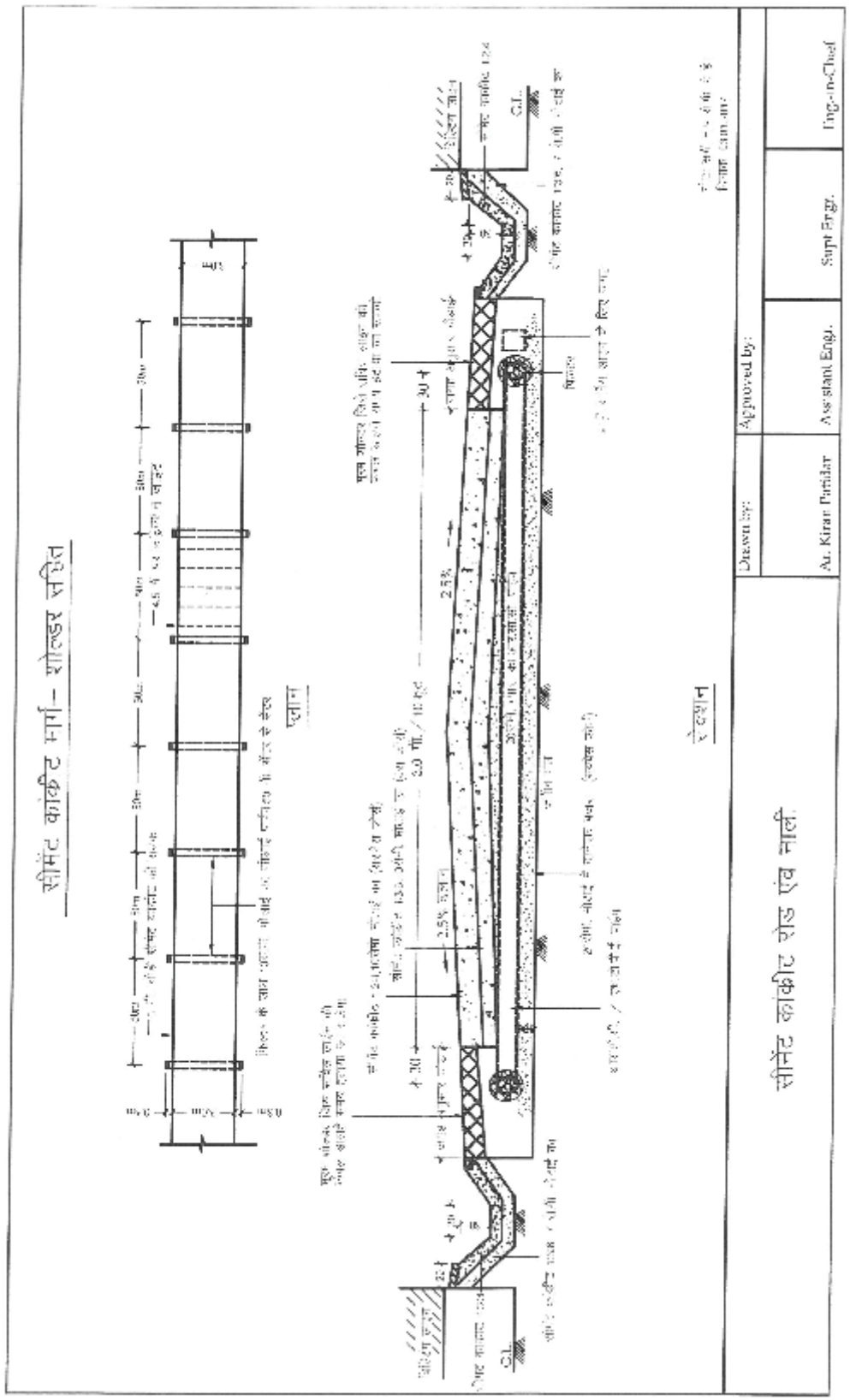

सीमेंट कांक्रीट मार्ग- शोल्डर सहित
प्लान
सेक्शन
सीमेंट कांक्रीट रोड एवं नाली
Drawn by:
Approved by:
Ar. Kiran Patidar
Assistant Engg.
Supt Engg.
Eng-in-Chief
G.L.

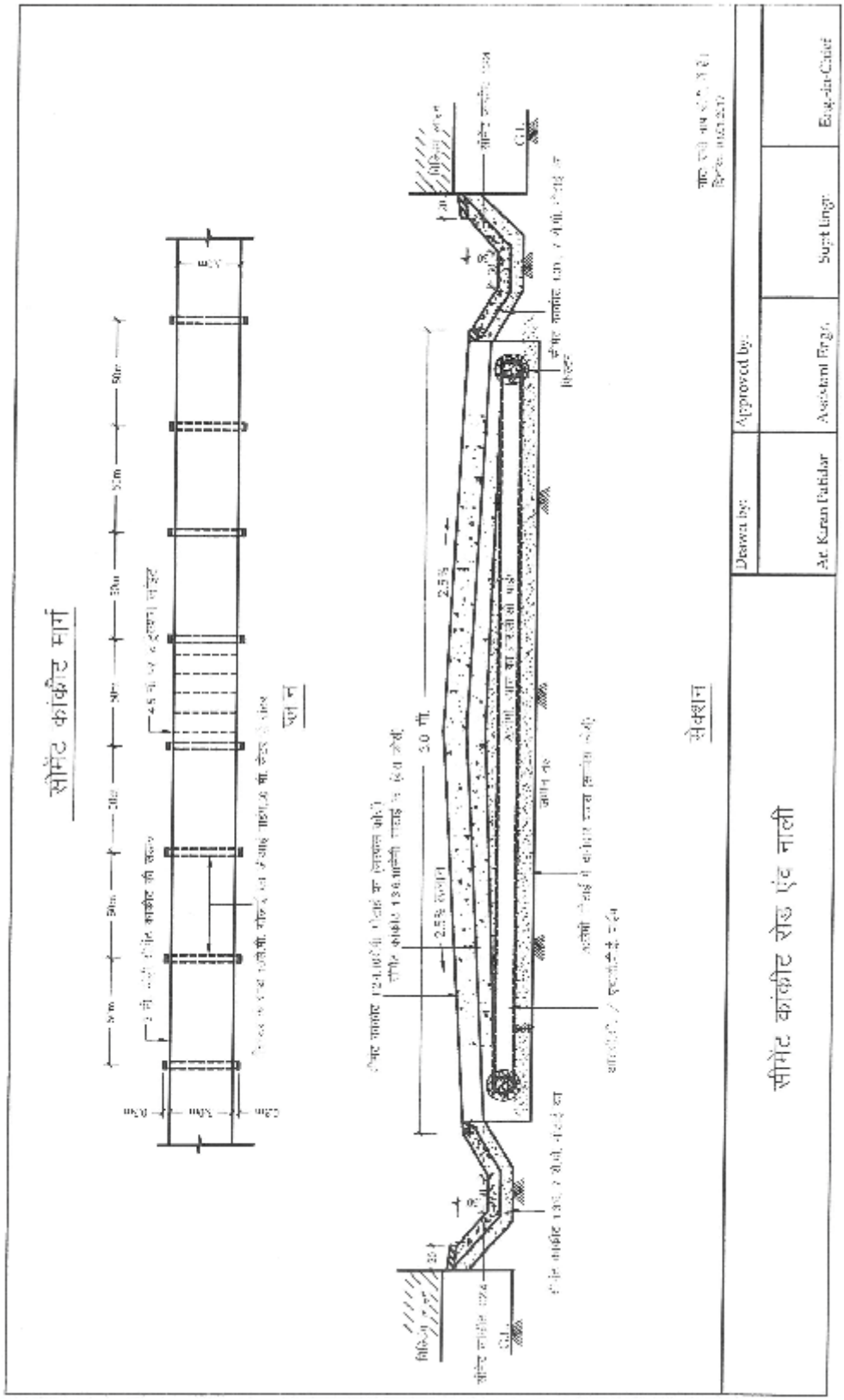

सीमेंट कांक्रीट मार्ग
प्लान
सेक्शन
3.0 मी.
सीमेंट कांक्रीट रोड एवं नाली
Drawn by:
Approved by:
Assistant Engg.
Supt Engg.
Eng-in-Chief

कार्यालय प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
"बी" विंग, द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल
eincers@mp.gov.in, Phone : 0755.2551398

क्रमांक 4125/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 **भोपाल, दिनांक 04/09/2017**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
2. समस्त परिक्षेत्र मुख्य अभियंता/मण्डल अधीक्षण यंत्री/संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र.

विषय : वर्ष 2009 या उसके पूर्व में निर्मित सीमेंट कांक्रीट सड़क/पत्थर खरंजा/पक्की नाली का सुधार कार्य-तकनीकी निर्देश।

संदर्भ : 1. विकास आयुक्त का पत्र क्र. 7505/22/वि-10/ग्रायांसे/2017, 24.12.2016

2. प्रमुख अभियंता कार्यालय का पत्र क्रमांक 53/22/वि-10/ग्रायांसे/2017, 04.01.2017

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों में ग्रामों के आबादी क्षेत्र में आंतरिक मार्गों में सीमेंट कांक्रीट (सीसी) सड़कें तथा पक्की नाली बनाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत डीपीआर निर्धारित प्रारूप में बनाए गए हैं। डीपीआर में पूर्व निर्मित सीसी सड़क को शामिल नहीं किया गया था। योजना अंतर्गत सीमेंट कांक्रीट एवं पक्की नाली के निर्माण बड़े पैमाने पर सम्पन्न हो रहे हैं। प्रदेश के कुछ ग्रामों में सीसी सड़क ग्राम की गलियों में पूर्ण हो चुके हैं।

पूर्व निर्मित सीसी सड़कों एवं पक्की नालियाँ जो कि संधारण/रूपांकन के अभाव में जर-जर हो चुकी हैं उनके नवीनीकरण हेतु निम्नानुसार मानक ड्राइंग एवं मानक प्राक्कलन नियत करने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

1. सी.सी. सड़क/पत्थर खरंजा - जिन ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामों के आबादी क्षेत्र में सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली का कार्य पूर्ण हो गया है एवं अब कोई भी आबादी क्षेत्र में सीसी रोड शेष नहीं है, उनमें वर्ष 2009 या उससे पूर्व में निर्मित सीसी सड़क/पत्थर खरंजे/नाली जो कि जर-जर होकर अनुपयोगी/धस गए हैं, ऐसे कार्यों को भी हाथ में लिया जा सकेगा। परन्तु इसके लिए उपयंत्री सरपंच के साथ निरीक्षण कर प्रकरण तैयार करेंगे एवं डीपीआर स्वीकृति के पूर्व सहायक यंत्री का निरीक्षण अनिवार्य होगा।

2. नाली निर्माण - यदि नाली नहीं बनी है अथवा आकार/प्रकार स्थल अनुसार अनुपयुक्त है तो आवश्यकतानुसार संदर्भित पत्रों से जारी मानक प्राक्कलन एवं मानक लागत

अनुसार कार्य कराया जाए। यदि नाली टूट-फूट गई है किन्तु स्थल अनुसार आकार/प्रकार उपयुक्त है तो इसे उपयोगी बनाए जाने हेतु संधारण कार्य किया जाए।

3. तकनीकी अनुदेश -

3.1 जर्जर खरंजा/सड़क का पुनर्निर्माण -

(i) सीसी सड़क की सतह को पानी से पूरी तरह से धूल एवं कीचड़ विहीन किया जाए, क्रेक्स/गड्ढे को पानी के प्रेशर से या अन्य साधन से पूरी तरह से साफ किया जाए।

(ii) पूर्व निर्मित सीसी रोड/पत्थर खरंजा में कई स्थानों पर ऐसी स्थिति हो सकती है कि उसमें बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हों एवं जिनमें पानी भरता हो, उनमें 1:3:6 सीमेंट कांक्रीट (1 भाग सीमेंट, 3 बालू तथा 6 भाग 20 एमएम गिट्टी) के साथ भरा जाकर पूरी सड़क को एक लेविल में लाया जाकर ऊपरी सतह की कांक्रीट की जावेगी।

(iii) जहां पर पूर्व निर्मित सीसी सड़क/पत्थर खरंजे की सतह अच्छी है वहां पर सीमेंट एवं बालू रेत 1:3 का मसाला पूरी सड़क पर फैलाया जाए ताकि ठीक प्रकार से सतह की कांक्रीट में पेनीट्रेट हो जाए, क्रेक्स भी पूरे भर जाएं।

(iv) सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 से किनारे पर 10 से.मी. एवं बीच में कैम्बर अनुसार 14 से.मी. मोटाई रखते हुए कैम्बर (ढाल) बनाया जाए। कार्य के मानक कार्यालयीन पत्र क्र. 53 दिनांक 04.01.2017 अनुसार होंगे। (प्रतिलिपि वेबसाइट पंचायत दर्पण पर उपलब्ध है)। पूर्व निर्मित सीसी सड़क अथवा खरंजे में जो संभावित सतह स्थल पर उपलब्ध होगी उसमें किए जाने वाले नए सीसी सड़क की सतह को किस तरह किया जाएगा, आगे दर्शाए चित्र में समझाया गया है।

(v) सरफेस कोर्स कांक्रीट के लिए सीमेंट, रेत और गिट्टी 1:2:4 के मान से सामग्री, मिलाने के लिए मिक्सर मशीन, वाईब्रेटर और पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखें। एक घनमीटर कांक्रीट 1:2:4 के लिए सीमेंट की मात्रा 6.50 बोरी, 0.85 घनमीटर गिट्टी और 0.45 घनमीटर रेत लगेगी। क्रेशर की टूटी गिट्टी का आकार 20 मि.मी. (लगभग 3/4 इंच) ग्रेडेड हो और नदी की धुली रेत का आकार 2.36 मि.मी. हो। मिट्टी मिली रेत का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

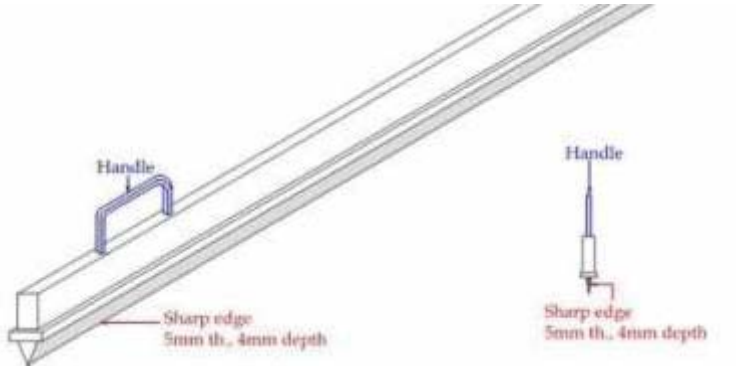

(vi) कांक्रीट को मिक्स होने के 30 मिनिट के अंदर बिछायें एवं वाईब्रेटर से काम्पेक्ट किया जाये।

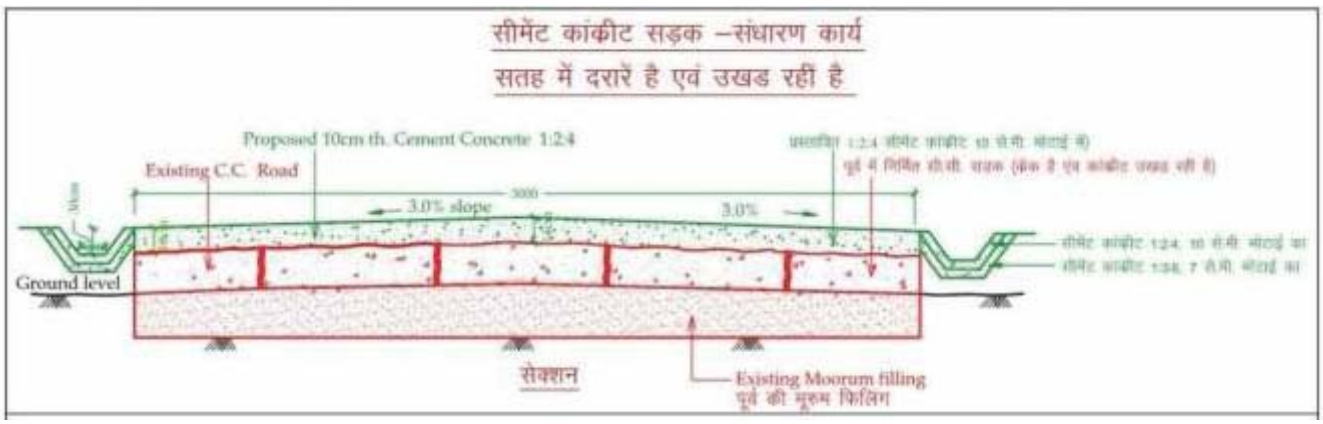

(vii) सीमेंट आई.एस. अनुमोदित कम्पनी की उपयोग की जाए। सीमेंट तीन माह से अधिक पुरानी न हो (यह सीमेंट की बोरी पर बैच और निर्माण सप्ताह अंकित होता है, उसे देखकर सुनिश्चित करें)।

(viii) सरफेस कोर्स और नाली में सीमेंट का खपत रजिस्टर बनाया जाये, जिसमें दैनिक सीमेंट की साईट पर प्राप्ति एवं प्रतिदिन हुई खपत का चैनेजवार विवरण ग्राम पंचायत के अभिलेखों में रखा जाए।

(ix) सीमेंट का मसाला बनाते समय लगभग सीमेंट के वजन के 38 से 40 प्रतिशत पानी मिलाया जायेगा। अर्थात एक बोरी सीमेंट के कांक्रीट के लिए 19-20 लीटर पानी मिलाना चाहिए।

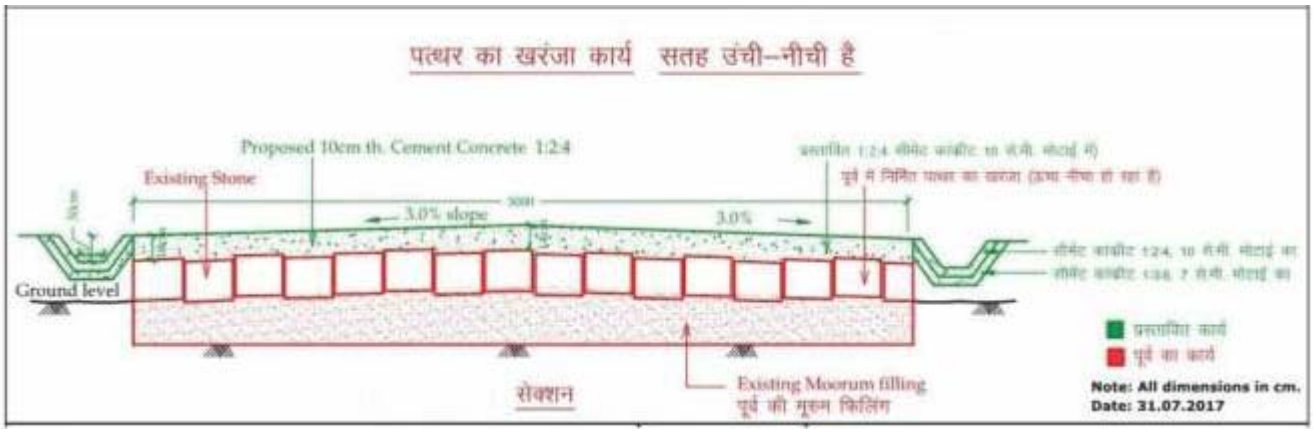

(x) सीमेंट कांक्रीट बेस, सरफेस कोर्स और नाली की कांक्रीट की क्योरिंग (तराई) दूसरे दिन से प्रारंभ कर 14 दिन तक लगातार की जाये। इस पर आवागमन की अनुमति नहीं रहेगी।

(xi) प्रत्येक 4.5 मीटर की लंबाई में कांट्रेक्शन ज्वाइंट मशीन से 2.50 सेमी से 4 सेमी गहराई के काटकर डामर रेत में मिलाकर भर दिया जाये।

(xii) सरफेस कोर्स कार्य के पश्चात शाम के समय सीमेंट कांक्रीट की सतह को झाड़ू/वायर ब्रश से खुरदुरा करें।

(xiii) सीमेंट कांक्रीट की ऊपरी सतह आजू-बाजू के मकानों के प्लिंथ लेवल से कम से कम 10 सेमी नीचे हो।

(xiv) **उक्त कार्य में मानक प्राक्कलन अनुसार मानक लागत रुपये 460 प्रति वर्गमीटर होगी।** मानक लागत में आगामी दो वर्षों में संभावित मूल्य वृद्धि शामिल है।

3.2 पूर्व निर्मित नाली का पुनर्निर्माण -

(i) यदि नाली नहीं बनी है अथवा आकार/प्रकार स्थल अनुसार अनुपयुक्त है तो आवश्यकतानुसार संदर्भित पत्रों से जारी मानक प्राक्कलन एवं मानक लागत अनुसार कार्य कराया जाए।

(ii) यदि नाली टूट-फूट गई है किन्तु स्थल अनुसार आकर/प्रकार उपयुक्त है तो इसे उपयोगी बनाए जाने हेतु संधारण कार्य किया जाए। यदि नाली की लंबाई पर्याप्त नहीं है अथवा कुछ भाग तोड़कर बनाना है तो कार्य पूर्व से जारी मानक लागत एवं प्राक्कलन अनुसार कराया जाए।

(iii) यदि नाली की साईड की दीवारें एवं बेस कांक्रीट/पत्थर/ईंट क्षतिग्रस्त हैं तो साईड की दीवालों एवं तल में सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 से 10 से.मी. की मोटाई में कार्य कराया जाए। **कार्य की मानक लागत रुपये 330/- प्रति वर्गमीटर होगी।** मानक लागत में आगामी दो वर्षों में संभावित मूल्य वृद्धि शामिल है।

(iv) नाली का ढाल इस प्रकार बनाया जाए कि यह ग्राम के समीपस्थ बहने वाले नाले से मिल जाए। प्रायः नाली का ढाल सड़क के ढाल के बराबर होगा। इसमें भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बीच में ऊँचा अथवा नीचा होने पर नाली की गहराई तद्नुसार एडजस्ट की जाये।

(v) यदि सड़क के दोनों ओर मकान हैं और जमीन उपलब्ध है तो दोनों ओर नालियां बनाई जायें।

(vi) ग्राम की नाली को नजदीकी नाले से जोड़ने हेतु सीसी की लम्बाई से 100 मीटर अधिक लम्बी नाली आवश्यकतानुसार बनाने की अनुमति होगी।

(vii) नाली का नाप उसके सरफेस एरिया के आधार पर अंकित होगा।

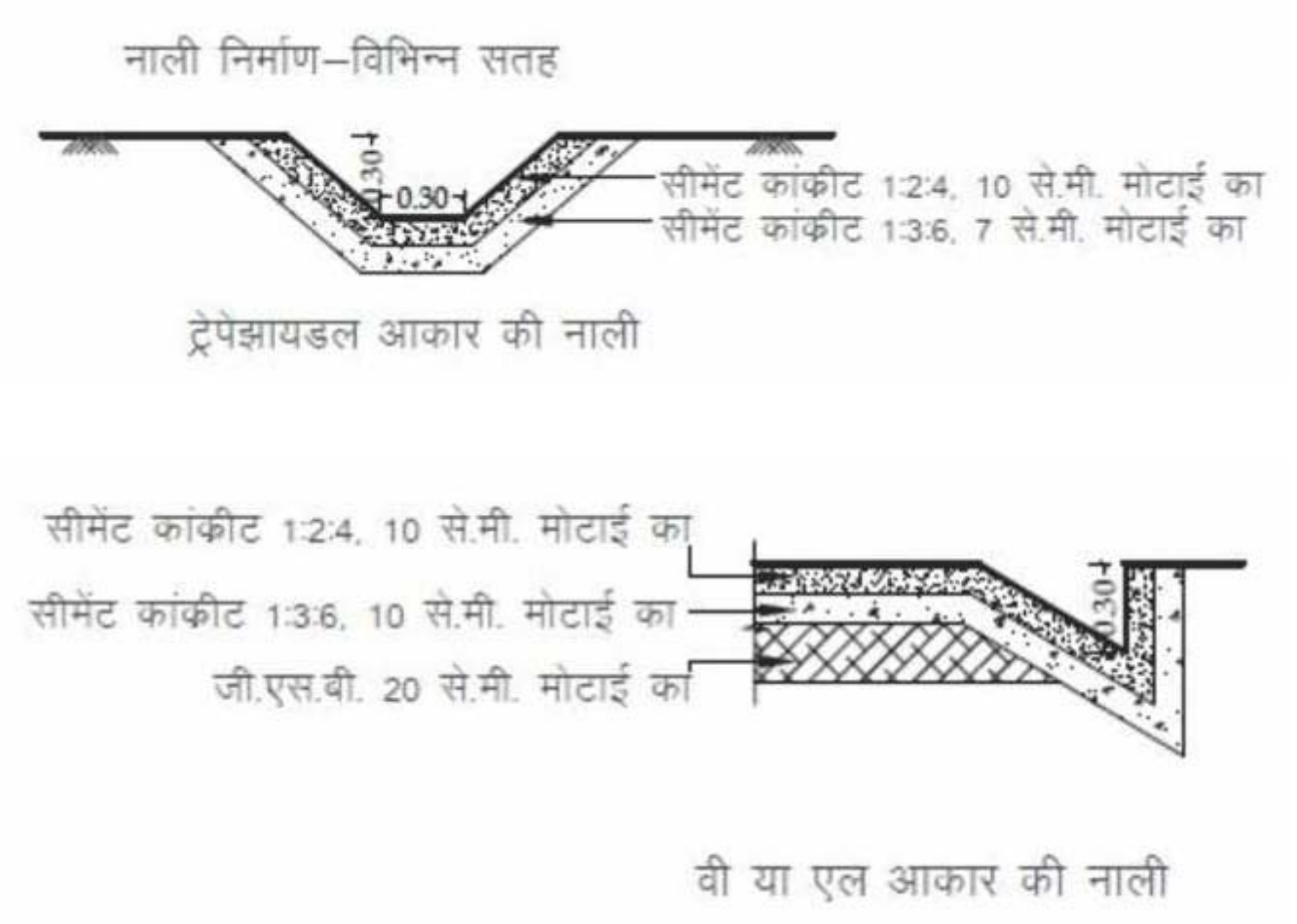

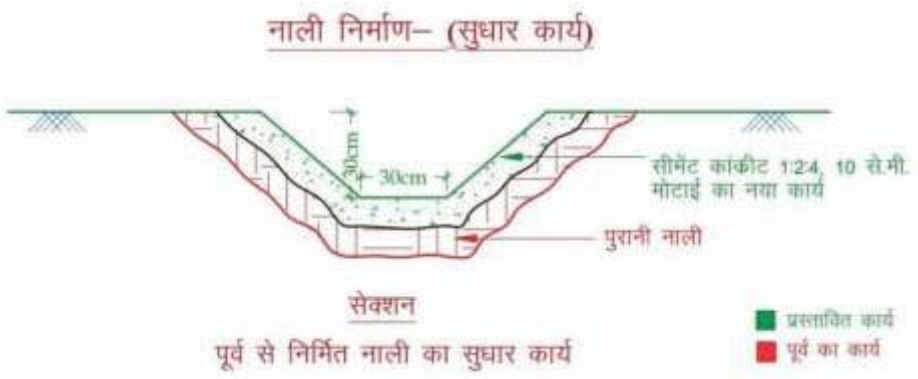

4. मानक लागत -

कार्य	मानक लागत	संदर्भ
पत्थर खरंजा/सी.सी. सड़क का पुनर्निर्माण	460/- प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान पत्र
नवीन सी.सी. सड़क	800/- प्रति वर्ग मीटर	विकास आयुक्त का पत्र क्र. 7505 दि. 24.12.2016
पुरानी नाली का जीर्णोद्धार	330/- प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान पत्र
नवीन पक्की नाली निर्माण	550/- प्रति वर्ग मीटर	विकास आयुक्त का पत्र क्र. 7505 दि. 24.12.2016

5. गुणवत्ता नियंत्रण -

(i) सीमेंट कांक्रीट की कॉम्प्रेन्सिव स्ट्रेन्थ (मजबूती) हेतु प्रयोगशाला परीक्षण किया जावे। प्रति दिवस सीमेंट कांक्रीट के 7 क्यूब तैयार किये जावें जिनमें से 3 का परीक्षण 7वें दिवस तथा 3 का परीक्षण 28वें दिवस किया जावे एक क्यूब तकनीकी अधिकारी के निरीक्षण के दौरान आवश्यकता के अनुरूप टेस्ट किया जाने के लिए रखा जावे। परीक्षण के परिणाम पंजी में अंकित करें।

(ii) प्रत्येक सड़क पर रिवाउन्ड हैमर के माध्यम से स्ट्रेंथ नियमित रूप से चैक की जाये।

(iii) सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं नाली निर्माण में सामग्री की गुणवत्ता एवं वर्कमैनशिप के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र. 53 दिनांक 04.01.2017 अनुसार दिए गए निर्देश लागू होंगे।

(iv) कार्य के संबंध में विकास आयुक्त कार्यालय के पूर्व पत्र क्र. 7505 दिनांक 24.12.16 में उल्लेखित शेष निर्देश यथावत लागू होंगे।

(प्रियदर्शी खैरा)
प्रमुख अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक /4126/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 **भोपाल, दिनांक 04/09/2017**

प्रतिलिपिः-

1. विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3. संभागायुक्त समस्त, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय
5. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
6. ग्रामीण विकास विभाग की सभी शाखाएं

की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश, भोपाल

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6967/22/वि.10/2017 **भोपाल, दिनांक 01.06.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त), मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद (समस्त), मध्यप्रदेश।

विषय : आंगनवाड़ी भवन ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, शांतिधाम निर्माण-दिशा निर्देश।

संदर्भ : प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का पत्र क्र 1278/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 दिनांक 23.03.2017

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा आंगनवाड़ी भवन, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक/मंगल भवन एवं शांतिधाम निर्माण के लिये मानक रूपांकन, प्राक्कलन एवं लागत निर्धारित की गई है।

2. **तकनीकी स्वीकृति :-**

मानक रूपांकन एवं प्राक्कलन अनुसार निर्माण कराने के लिये उपरोक्त संदर्भित पत्र को ही तकनीकी स्वीकृति माना जाये और ऐसे प्रकरणों से तकनीकी की आवश्यकता नहीं है।

3. **प्रशासकीय स्वीकृति :-**

निर्माण कार्य के लिये शासन/संचालनालय स्तर से धनराशि जारी करने की दशा में धनराशि जारी करने के आदेश में ही प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने का लेख किया जाए। इससे प्रशासकीय स्वीकृति के लिये पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। नरेगा से अभिसरण की दशा में नरेगा अंश के लिये ग्राम पंचायत प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेगी।

4. **मूल्यांकन :-**

4.1 विषयांतर्गत कार्यों का मूल्यांकन विस्तृत माप के बजाए निर्माण के विभिन्न चरण पूर्ण होने के आधार पर करने के लिये प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से अभिमत प्राप्त किया गया। प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार निर्माण के भिन्न-भिन्न चरणों के लिये मानक मूल्यांकन नियत किया है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये मान्य किया जाए :-

स.क्र.	निर्माण कार्य	मानक लागत	निर्माण के चरण पर मान्य मूल्यांकन (लाख रु. में)				
			प्लिंथ स्तर तक निर्माण पर	प्लिंथ स्तर से छत स्तर तक निर्माण पर	छत डलने पर	कार्य पूर्ण होने पर	फिनिशिंग एवं फिटिंग पूर्ण होने पर
1.	आंगनवाड़ी	7.80	1.50	1.50	2.10	2.10	0.60
2.	ग्राम पंचायत भवन	14.48	3.00	3.00	3.50	3.50	1.48
3.	सामुदायिक भवन टाईप-1	10.00	2.00	2.00	2.50	2.50	1.00
4.	सामुदायिक भवन टाईप-2	22.35	4.50	4.50	6.00	6.00	1.35
5.	शांतिधाम टाईप-1	1.80	0.35	0.35	0.90	0.20	-
6.	शांतिधाम टाईप-2	2.45	0.50	0.50	1.25	0.20	-

4.2 ग्राम पंचायत की निर्माण समिति द्वारा सामग्री, परिवहन एवं मजदूरी आदि के देयक (बिल-बिल्टी व्हाउचर) संधारित करना आवश्यक नहीं होगा।

4.3 निर्माण कार्य का मूल्यांकन उपरोक्त तालिका में दर्शाये मानक मूल्यांकन के आधार पर ग्राम पंचायत की निर्माण समिति द्वारा किया जायेगा।

4.4 निर्माण कार्य का देयक ग्राम पंचायत की निर्माण समिति के अध्यक्ष द्वारा परिशिष्ट-1 में दर्शाये अनुसार बनाया जाये जो स्वप्रमाणीकरण पर आधारित है।

4.5 उपरोक्त तालिका में दर्शाये निर्माण के किसी चरण के पूर्व होने के संबंध में ग्राम पंचायत के सचिव का निर्माणाधीन कार्य का सत्यापन कर फोटो लगाते हुए नस्ती में फोटो संधारित करना होगा। ग्राम पंचायत के सचिव के सत्यापन के उपरांत भुगतान देय होगा। यदि किसी कारण से ग्राम पंचायत का सचिव सत्यापन नहीं करे तो क्लस्टर के उपयंत्री/जनपद के सहायक यंत्री/जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नामांकित किसी भी अधिकारी से सत्यापन कराया जा सकेगा।

4.6 निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की जिम्मेदारी निर्माण समिति के अध्यक्ष एवं सहस्यों की होगी। निर्माण कार्य घटिया पाये जाने की दशा में निर्माण समिति के सभी सदस्य पृथक-पृथक तथा संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे और उनसे धनराशि की वसूली की जा सकेगी।

4.7 कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न परिशिष्ट-2 में दर्शाये प्रारूप में जारी किया जाए।

5. **अभियंताओं की जिम्मेदारी :-**

5.1 उपयंत्री अथवा सहायक यंत्री द्वारा निर्माण कार्यों के लिये लेआउट दिया जाना अभवा निर्माण का मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

5.2 ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग मांगे जाने पर उपयंत्री लेआउट देने के लिये बाध्य होगा।

5.3 उपयंत्री निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सतत् निगाह रखेगा तथा गुणवत्ता में कमी की दशा में ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जनपद पंचायत के सहायक यंत्री को तत्काल सूचना देगा।

5.4 निर्माण कार्य की गुणवत्ता अपेक्षित गुणवत्ता से कम होकर स्वीकार योग्य नहीं होने की दशा में उपयंत्री/सहायक यंत्री निर्माण कार्य रोक सकेगा और कार्यपालन यंत्री के निरीक्षण के उपरांत उनके निर्देशानुसार सुधार कार्य के लिये ग्राम पंचायत बाध्य होगी।

5.5 समय-समय पर गुणवत्ता संबंधी आवश्यक परीक्षण करना उपयंत्री की जिम्मेदारी होगी।

5.6 सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री औचक निरीक्षण करके तथा मार्गदर्शन देकर गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे।

संलग्नः परिशिष्ट एक एवं दो।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 6968/22/वि.10/ग्रायांसे/2017 **भोपाल, दिनांक 01.06.2017**

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागायुक्त।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद।
3. संचालक, मध्यप्रदेश पंचायती राज संचालनालय।
4. समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत एवं समस्त सरपंच को वेबसाइट तथा म.प्र. पंचाचिका में प्रकाशन के माध्यम से।
6. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-1

निर्माण कार्य का देयक

(संदर्भ- विकास आयुक्त, भोपाल का पत्र क्र. 6967/22/वि-10/ग्रायांसे/2017, दि. 01.06.2017)

ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत ..... जिला .....

भवन/निर्माण कार्य का नाम ..... ग्राम .....

स्वीकृत लागत रु .....

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ज्ञापन क्र. 1278/22/वि-10/ग्रायांसे/2017, भोपाल, दिनांक 23.03.2017 द्वारा जारी मानक डिजाइन एवं मानक प्राक्कलन का पालन करते हुए ..... (कार्य का नाम) प्लिंथ स्तर/छत स्तर तक/छत पूर्ण स्तर/कार्य पूर्ण/फिटिंग-फिनिशिंग पूर्ण (जो लागू न हो उसे काटें) तक पूर्ण करा लिया है। निर्माण कार्य मानक गुणवत्ता का है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के निर्माण के लिये सामग्री क्रय करने, सामग्री की व्यवस्था करने, परिवहन करने एवं कारीगर तथा मजदूरों की व्यवस्था में निम्न धनराशि व्यय की गई जो मानक मूल्यांकन अनुसार है :-

पूर्व में पूर्ण कार्य का स्तर		मूल्यांकन
वर्तमान देयक से पूर्णता स्तर		मूल्यांकन
	योग मूल्यांकन	

हस्ताक्षर दिनांक .....

नाम सरपंच/अध्यक्ष निर्माण समिति

पदमुद्रा

प्रमाणीकरण

मैंने निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण किया है। निर्माण कार्य मानक गुणवत्ता का है और उक्त देयक में दर्शित प्रगति मौके पर पाई है जिसका फोटो लेकर नस्ती में संधारित किया है।

हस्ताक्षर सचिव दिनांक .....

नाम

पदमुद्रा

परिशिष्ट-2

निर्माण कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र

(संदर्भ- विकास आयुक्त, भोपाल का पत्र क्र. 6967/22/वि-10/ग्रायांसे/2017, दि. 01.06.2017)

ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत ..... जिला .....

भवन/निर्माण कार्य का नाम ..... ग्राम .....

स्वीकृत लागत रु .....

कुल व्यय रु. .....

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ज्ञापन क्र. 1278/22/वि-10/ग्रायांसे/2017, भोपाल, दिनांक 23.03.2017 द्वारा जारी मानक डिजाइन एवं मानक प्राक्कलन का पालन करते हुए ..... (कार्य का नाम) का निर्माण कार्य पूर्ण कर फिटिंग-फिनिशिंग पूर्ण करा लिया है। निर्माण कार्य मानक गुणवत्ता का है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम सरपंच/अध्यक्ष निर्माण समिति	नाम सचिव
दिनांक	दिनांक
पदमुद्रा	पदमुद्रा

प्रमाणीकरण

मैंने निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण किया है। निर्माण कार्य मानक गुणवत्ता का है और मौके पर कार्य फिटिंग-फिनिशिंग सहित पूर्ण है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम उपयंत्री	नाम सहायक यंत्री
पदमुद्रा	पदमुद्रा
दिनांक	दिनांक

कार्यालय प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
"बी" विंग, द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल
eincres@mp.gov.in, Phone 0755-2551398

क्रमांक 3773/22/वि.-10/ग्रायांसे/2017 **भोपाल, दिनांक 14/08/2017**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
2. समस्त परिक्षेत्र मुख्य अभियंता/मण्डल अधीक्षण यंत्री/संभागीय कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र.

विषयः सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक भवन सह पंचायत भवन - तकनीकी दिशा-निर्देश।

संदर्भः प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का पत्र क्र. 1278/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 दि. 23.03.2017

सामुदायिक भवनों के लिये निम्न चार प्रकार के मानक ड्राइंग एवं मानक प्राक्कलन नियत करने का निर्णय लिया गया है :-

सामुदायिक भवन	लागत (रु. लाख)		
	भवन कार्य	बाउन्ड्रीवॉल	योग
टाईप-1	10.00	2.00	12.00
टाईप-2	17.00	3.00	20.00
टाईप-3	22.50	3.00	25.50
टाईप-4 (पंचायत भवन सह सामुदायिक भवन)	19.00	3.00	22.00

टीपः- उपरोक्त मानक लागत में आगामी दो वर्षों में संभावित मूल्य वृद्धि शामिल है।

2. मूल्यांकन :

पंचायत स्वयं द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों का मूल्यांकन निर्माण के विभिन्न चरणों के पूर्ण हो जाने के आधार पर किया जा सकेगा। निर्माण के विभिन्न चरणों के पूर्ण होने पर मानक लागत निम्नानुसार नियत की जाती है :-

(राशि लाख रु. में)

सामुदायिक भवन	मानक लागत	निर्माण के चरण पर मान्य मूल्यांकन				
		प्लिंथ स्तर पर निर्माण पर	प्लिंथ स्तर से छत स्तर तक निर्माण पर	छत डलने पर	कार्य पूर्ण होने पर	फिनिशिंग एवं फिटिंग पूर्ण होने पर
टाईप-1	10.00	2.00	2.00	2.50	2.50	1.00
टाईप-2	17.00	3.40	3.40	4.25	4.25	1.70
टाईप-3	22.50	4.50	4.50	5.62	5.62	2.28
टाईप-4	19.00	3.80	3.80	4.75	4.75	1.90

टीपः- यदि कार्य स्थल विशेष की आवश्यकतानुसार बाउन्ड्रीवॉल का कार्य किया जाता है तो पैरा (1) की तालिका में दी गई लागत अंतर्गत किया जा सकेगा। बाउन्ड्रीवॉल की प्रति रनिंग मीटर लागत (रु. 3550/- प्रति रनिंग मी.) इस कार्यालय के पत्र क्र. 3531 दिनांक 02.08.2017 अनुसार होगी। मानक प्राक्कलन संलग्न है।

3. सामुदायिक भवन टाईप-2 के निर्माण के संबंध में प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पत्र क्र. 1278 दिनांक 23.03.2017, विकास आयुक्त के पत्र क्र. 6967 दिनांक 01.06.17 द्वारा मानक लागत चरणवार निर्धारित की गई थी। उक्त सभी आदेश टाईप-2 के संबंध में इस आदेश के जारी होने की तिथि से अधिक्रमित होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में स्वीकृत टाईप-2 सामुदायिक भवन जो निर्माणाधीन हैं, उनके संबंध में पूर्व निर्देश प्रभावशील रहेंगे।

4. पैरा (2) की तालिका में वर्णित कार्यों के संबंध में विकास आयुक्त कार्यालय के पूर्व पत्र क्र. 6967 दि. 01.06.2017 में उल्लेखित शेष निर्देश यथावत लागू होंगे।

5. पैरा-1 की तालिका में उल्लेखित भवन निर्माण के लिये निम्नानुसार तकनीकी दिशा निर्देश एवं माडल प्राक्कलन जारी किये जाते हैं:-

6. कार्य का लेआउट :

6.1 परिशिष्ट 1 से 4 जो भी लागू हो के चयनित स्थल पर ले-आउट ड्राइंग अनुसार दिया जाए।

6.2 ले-आउट अनुभवी मिस्त्री अथवा अभियंता से कराएं।

6.3 ले-आउट सभी कोनों में समकोण हो इसकी जांच गुनियां से की गई हो।

6.4 जहाँ पर भवन का निर्माण करना है वहाँ निर्माण स्थल की सफाई करते हुए यथा संभव भूमि को समतल किया जावे।

6.5 सभी कोनों पर रिफरेंस पिलर लगायें। ये नींव से लगभग 1.5 मीटर दूरी पर होने चाहिए।

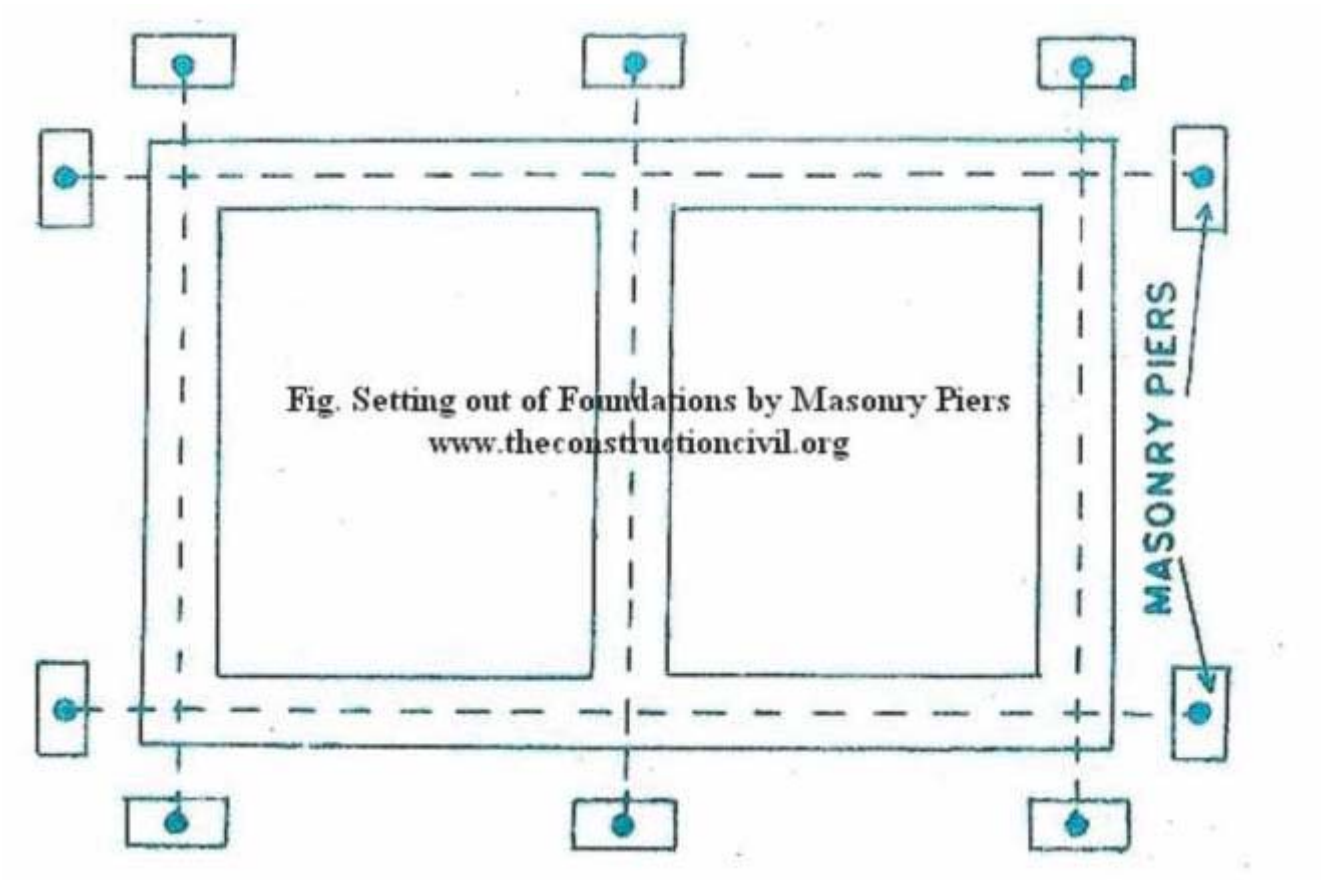

7. नींव (फुटिंग) की खुदाई एवं उसकी भराई का कार्य :

7.1 नींव में उपलब्ध मिट्टी की भार सहन करने की क्षमता के आधार पर नींव की डिजाइन की जाती है और डिजाइन अनुसार ही कार्य कराया जाए। उपलब्ध स्ट्रेटा अनुसार नींव का कार्य फ्रेम्ड स्ट्रक्चर (आर.सी.सी. कॉलम एवं बीम) अथवा पाईल फाउंडेशन की हो सकती है। मानक डिजाइन परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

7.2 नींव में मुरुम स्ट्रेटा उपलब्ध होता है तो समान्य परिस्थितियों में फुटिंग की साइज हॉल के कॉलम में 1.50 मीटर x 1.50 मीटर एवं अन्य कमरों के कॉलम की फुटिंग 1.20 मीटर x 1.20 मीटर आकर की होगी।

7.3 कड़ी एवं अच्छी मिट्टी में सामान्यतः नींव की न्यूनतम गहराई 1.50 मी. रखी जाती है। मिट्टी के प्रकार को देखते हुए गहराई इससे अधिक भी हो सकती है। नींव की खुदाई में कड़ी सतह आ जाने के बाद सीमेंट कांक्रीट 1:3:6 (1 तगाड़ी सीमेंट, 3 तगाड़ी रेत एवं 6 तगाड़ी 40 मि.मी. गिट्टी) मसाले से 10 से.मी. मोटाई में डालकर वायब्रेटर से काम्पेक्शन किया जाये। इस कांक्रीट बेस पर कम से कम तीन दिन पानी की तराई किये जाने के बाद आरसीसी फुटिंग का कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

7.4 फुटिंग में 12 मि.मी. व्यास के सरिये 20 से.मी. की दूरी पर मानक डिजाइन अनुसार दोनों दिशाओं में बांधे जाएंगे।

7.5 इसके ऊपर सीमेंट कांक्रीट 1:1.5:3 (M-20) से जाल के ऊपर किनारे में 15 सेमी मोटी एवं इससे ऊपर 45 से.मी. की मोटाई में ट्रेपोजाईडल सेक्शन में 1:1.5:3 की सीमेंट कांक्रीटिंग संलग्न ड्राइंग अनुसार की जाए। कॉलम के पास 30 से.मी. मोटाई में कार्य किया जायेगा। सीमेंट कांक्रीट को वायब्रेटर से काम्पेक्ट करना एवं ढलाई कार्य मैकेनिकल मिक्सर से करना अनिवार्य है। इसकी 14 दिन तक सतत् पानी से तराई की जायेगी।

7.6 हॉल के कॉलम की साइज 30 x 40 से.मी. एवं अन्य कॉलम 20 x 30 से.मी. के होंगे। हॉल के कॉलम में 16 मि.मी. व्यास के 4 सरिये, 12 मि.मी. व्यास के 2 एवं अन्य कॉलम में 12 मि.मी. व्यास के 4 सरिये, 8 मि.मी. व्यास की रिंग से 20 से.मी. की दूरी पर बांधे जाएंगे। इसके ऊपर प्लिंथ बीम साइज बीम साइज 20 से.मी. चौड़ी एवं 30 से.मी. ऊंची रखी जाये। प्लिंथ बीम को आर.सी.सी. डिजाइन अनुसार ढाला जाए। इसमें सामान्य परिस्थितियों में 4 सरिये 10 मि.मी. के निचले तल में एवं 2 सरिये 10 मि.मी. के ऊपरी तल पर डाले जाएं एवं 2 सरिये वेन्ट-अप किए जाएं। इन सरियों को आपस में बांधने के लिये 8 मि.मी. रिंग 20 से.मी. की दूरी पर बांधी जाती है। कॉलम फुटिंग में सीमेंट कांक्रीट M-20 (1:1.5:3) दिखाये गये चित्रानुसार की जाए।

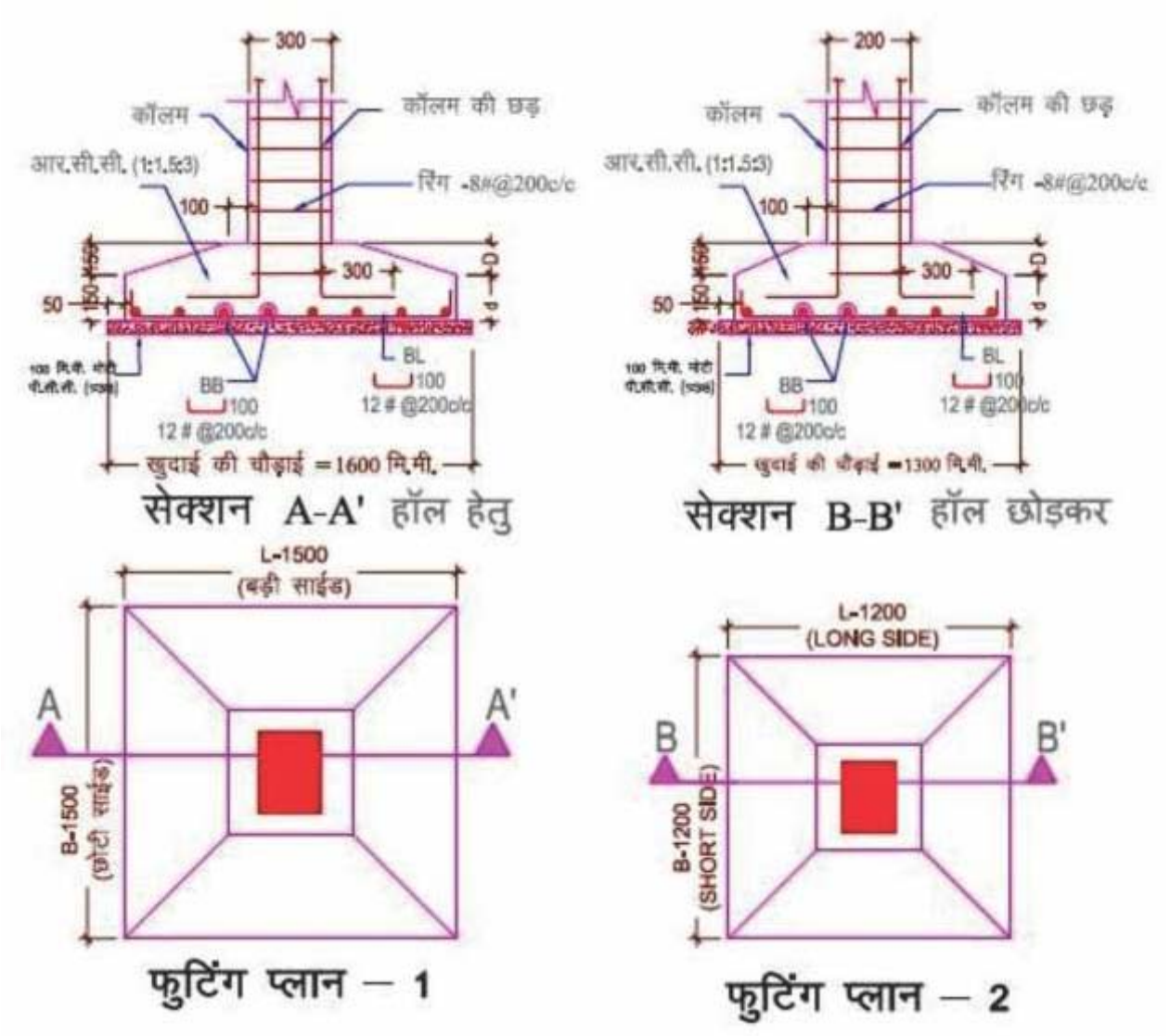

7.7 निर्माण स्थल सड़क मार्ग से ऊँचाई पर हो तो प्लिंथ की ऊँचाई 75 से.मी. एवं ऊँचाई पर न हो तो एक मीटर रखी जावे। प्लिंथ बीम को 20 से.मी. की ब्रिक वॉल के ऊपर रखा जावे। ब्रिक वॉल ग्राउन्ड लेवल से न्यूनतम 10 से.मी. नीचे से बनाई जाती है एवं इसे 10 से.मी. की 1:3:6 सीमेंट कांक्रीट पर रखा जाता है। दीवाल के ऊपर बीम को रखा जाये। बीम के लिये सीमेंट कांक्रीट 1:1.5:3 का उपयोग कर वायब्रेटर से इसे

प्लिंथ बीम का विवरण

नाम	साईज (लम्बाई x ऊँचाई)	सीधी छड़ें		मुड़ी छड़ें	रिंग 8 मि.मी. व्यास की दो लेग्गड	
		ऊपर की ओर	नीचे की ओर		सपोर्ट के पास, स्पान के L/4 तक	मध्य स्पॉन में
PB1	200 x 300	2-10#	2-10#	2-10# की छड़ मध्य स्पान में नीचे की ओर रहेगी जो कि सपोर्ट के पास जाकर ऊपर की ओर मुड़ेगी	8#@150 c/c	8#@ 200 c/c

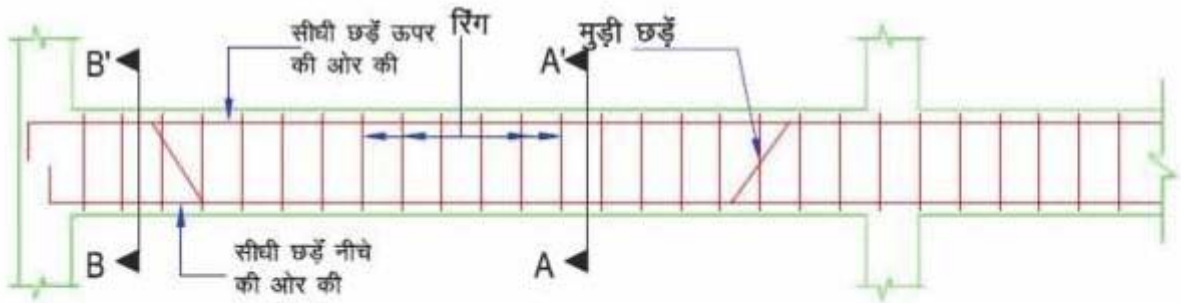

प्लिंथ बीम का लम्बाई में सेक्शन

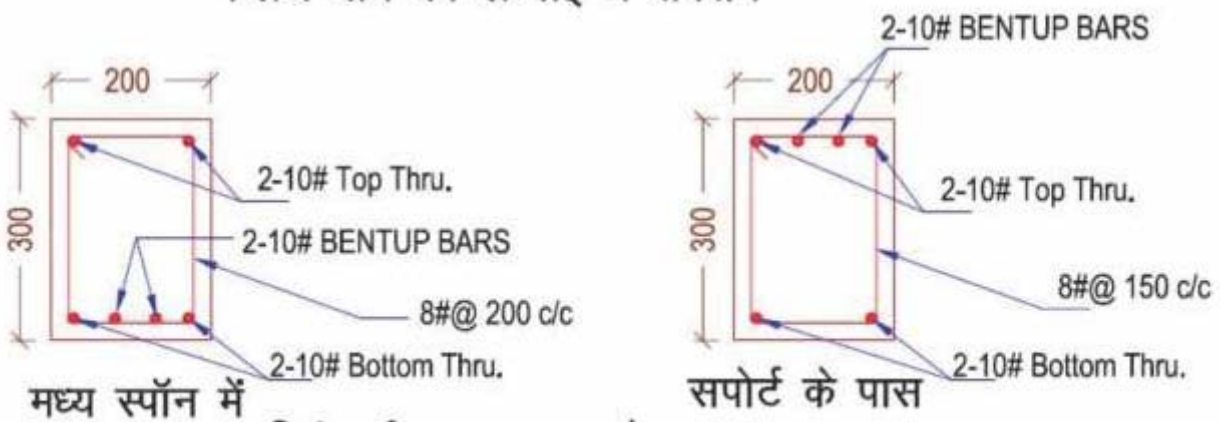

प्लिंथ बीम का क्रास सेक्शन

काम्पेक्शन करना अनिवार्य है। सीमेंट कांक्रीट में पानी की मात्रा प्रति सीमेंट बोरी 20 लीटर से अधिक न हो। सामान्यतः पीने योग्य पानी कांक्रीट के लिए उपयुक्त होता है। कांक्रीट की तराई जूट के वारदानों को लपेटकर 14 दिन तक लगातार की जावेगी।

7.8 प्लिंथ का भराव मुरम से 15-15 सेमी की परत में बिछाकर प्रत्येक परत को दुरमुठ से

लगभग 15 प्रतिशत पानी डालकर काम्पेक्ट की जाये।

8. कुर्सी स्तर से छत स्तर तक कार्य :

8.1 नक्शे के अनुसार लोहा डालकर कालम की सेंट्रिंग की जाए। कालम को निर्धारित ऊंचाई तक कांक्रीट से भरा जाए।

8.2 उपयोग की जा रही गिट्टी 12 से 20 मि.मी. की ग्रेडेड बी.टी. गिट्टी क्रशर से टूटी हुई हो।

8.3 ईंटों की जुड़ाई करने के पूर्व ईंटों को पानी की टंकी में कम से कम 24 घण्टे तक डुबाकर रखा जाए। ईंटों के जोड़ 1 से.मी. से बड़े न हों एवं जोड़ लगातार एक के ऊपर एक न लगाए जाएं। ईंटों का खांचा ऊपर की ओर हो।

8.4 उपयोग की जाने वाली रेत नदी की साफ धुली हुई एवं दानेदार होनी चाहिए। मिट्टी मिली हुई रेत उपयोग नहीं की जाए।

8.5 सीमेंट आई.एस.आई. मार्क का हो एवं तीन माह से अधिक पुरानी न हो। सीमेंट बनने का सप्ताह एवं वर्ष सीमेंट की बोरी पर लिखा होता है।

8.6 आर.सी.सी. कॉलम डिजाइन अनुसार सीमेंट कांक्रीट M-20 (1:1.5:3) में कराए जाएं। कांक्रीट कार्य की तराई जूट के वारदानों को लपेटकर 14 दिन तक लगातार की जावेगी।

8.7 आर.सी.सी. कॉलम लिंटल स्तर तक भरे जाने के एवं तराई हो जाने के पश्चात ईंट की जुड़ाई का कार्य किया जावे। ड्राइंग अनुसार दरवाजे एवं खिड़की, ग्रिल आदि फिक्स किए जाएं।

8.8 ईंट की जुड़ाई का कार्य पक्की ईंटों में 20 से.मी. मोटाई की सीमेंट मसाला 1:8 से जुड़ाई की जाएगी एवं कम से कम 7 दिन तक लगातार तराई की जाएगी।

8.9 दीवार के दोनों ओर 1 से.मी. की मोटाई का 1:6 सीमेंट मसाले से प्लास्टर किया जाएगा एवं 7 दिन तक तराई की जाएगी।

8.10 दरवाजे, खिड़की एवं ग्रिल के ऊपर आवश्यकतानुसार आर.सी.सी. लिंटल एवं छज्जे बनाए जाएंगे। आर.सी.सी. लिंटल की मोटाई 20 से.मी. एवं इसमें 3 सरिये 10 एमएम के नीचे एवं 2 सरिये 10 एमएम के ऊपर 8 एमएम की रिंग से 15 सेमी की दूरी पर बांधे जावेंगे। छज्जा 60 से.मी. दीवार से बाहर निकाला जावेगा जिसकी किनारे पर मोटाई 7 से.मी. न्यूनतम होगी एवं इसमें 10 एमएम के सरिये 15 से.मी. की दूरी पर एवं 8 एमएम के सरिये बांधे जावेंगे। यह पूरा कांक्रीट का कार्य 1:1.5:3 में कराया जाएगा।

8.11 दरवाजे एवं खिड़की लोहे के लगाए जावेंगे जिसमें चद्दर का गेज 18 से कम नहीं हो। फिक्सार एस.ओ.आर./सी.पी.डब्ल्यू.डी. के मानकों अनुसार लगाए जावेंगे। चौखट की साइज 50 x 50 x 6 एमएम एंगल की होगी। वेंटिलेटर की साइज 100 x 30 सेमी साइज के होंगे। वेंटिलेटर स्क्वायरबार 6 से 8 एमएम साइज के होंगे (आकार

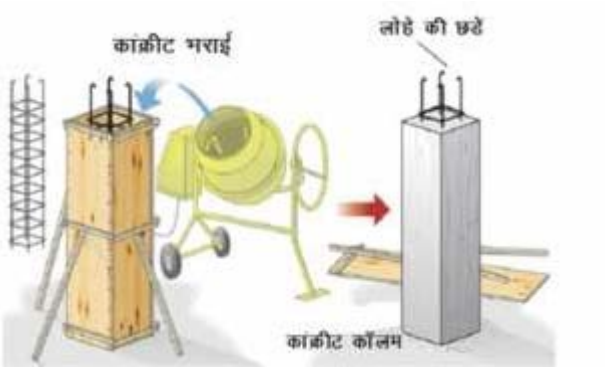

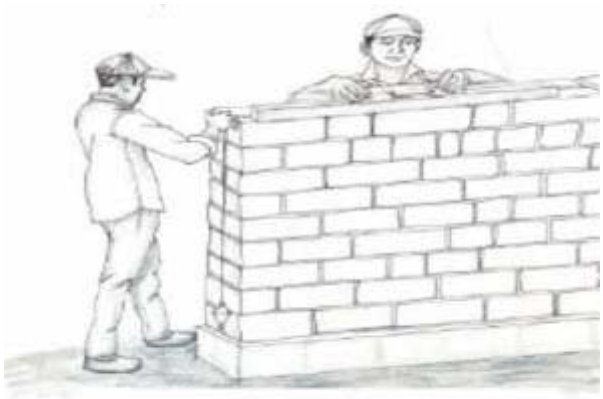

प्लंब से जुड़ाई की जांच

ईंट के जोड़ 1 सेमी से कम एवं खड़े में एक सीध में नहीं हों

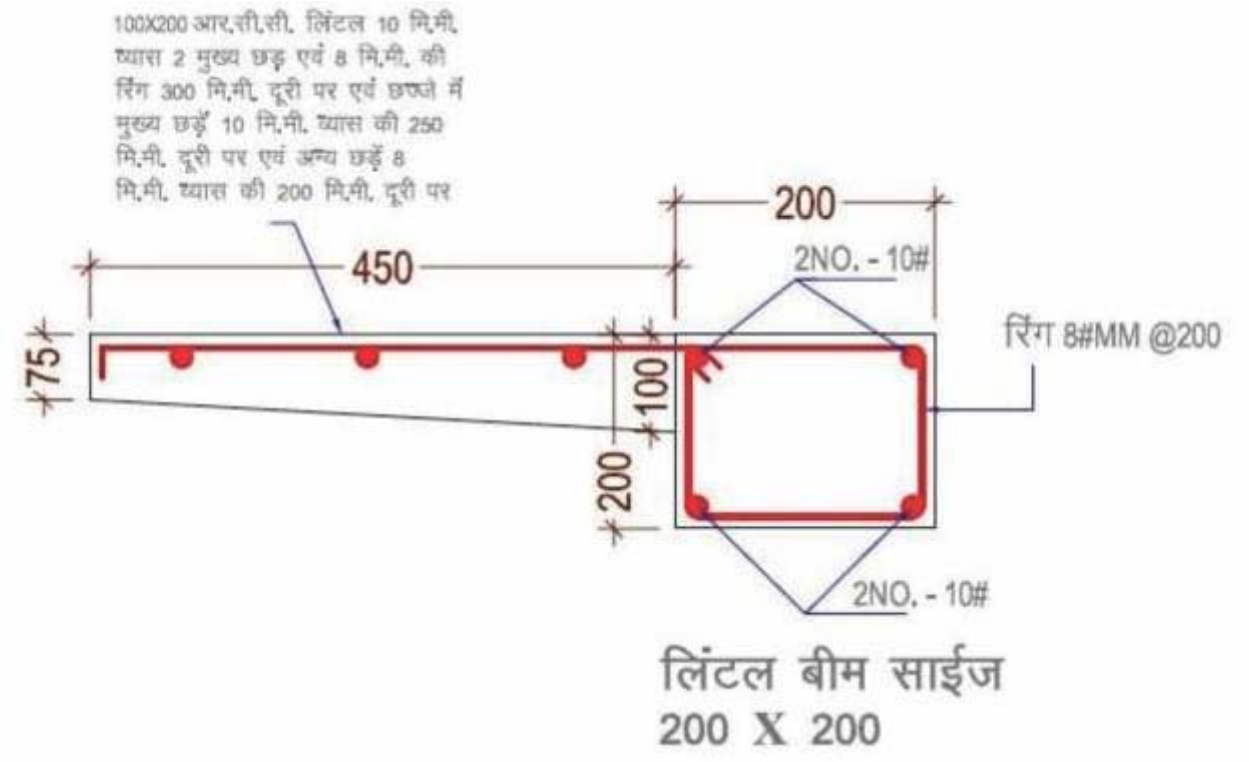

60 से.मी. x 45 से.मी.)।

8.12 रूफ बीम आर.सी.सी. 1:1.5:3 कांक्रीट की होगी एवं प्लिंथ बीम अनुसार इसके आकार एवं सरिये होंगे।

9 छत कार्य :

9.1 आरसीसी स्लेब एवं बीम का आकार एवं सरिये डिजाइन अनुसार निर्धारित किए जावेंगे।

9.2 लोहे की सेंटरिंग एवं शटरिंग उपयोग में लाई जाए। विशेष परिस्थितियों में सेंटरिंग में 4 से 6 इंच व्यास की सीधी एवं मजबूत लकड़ी की बल्ली उपयोग में लाई जा सकती है जिसे ब्रेसिंग से आपस में कसा जाए। सेंटरिंग कार्य बेस फर्श की बेस कांक्रीट (1:3:6, 10 से.मी. मोटाई) न्यूनतम 7 दिन सेट होने के पश्चात की जावे।

9.3 सेंटरिंग में न्यूनतम ढाल 5 प्रतिशत (4 मी. के स्पान में 20 सेमी) रखा जाए। इस हेतु किनारे की वॉल को बीच की दीवार/बीम से 20 से.मी. कम भी बनाया जा सकता है।

9.4 छत कार्य 1:1.5:3 सीमेंट कांक्रीट में डिजाइन अनुसार किया जावेगा। स्लेब की मोटाई हॉल में न्यूनतम 11 से.मी. एवं कमरों में 10 से.मी. होगी। मेनबार 10 एम.एम. व्यास एवं डिस्ट्रीब्यूशनवार 8 एम.एम. व्यास से कम का न हो एवं इनके बीच की अधिकतम

सरिए के नीचे गिट्टी रखकर कवर देना एवं उन्हें ड्राईंग अनुसार मोड़ना

दूरी 15 से.मी. से कम न हो।

9.5 छत के स्लेब का प्रोजेक्शन 20 से.मी. रखा जावे एवं मुडेर का कार्य नहीं किया जावे। ड्रिप कोर्स स्लेब में एवं छज्जों में आवश्यक रूप से बनाया जावे।

9.6 सीमेंट कांक्रीट की तराई अधिकतम 24 घंटे पश्चात क्यारियां बनाकर एवं कम से कम एक इंच पानी भर कर 28 दिन तक की जावे।

9.7 हॉल की टी-बीम डिजाइन अनुसार बनाई जाए। बीम की न्यूनतम चौड़ाई 30 से.मी. एवं ऊँचाई 50 से.मी. होगी। मेनबार न्यूनतम 20 एमएम व्यास के एवं टॉपबार 12 एम.एम. व्यास के होंगे। रिंग 8 एम.एम. व्यास की होंगी।

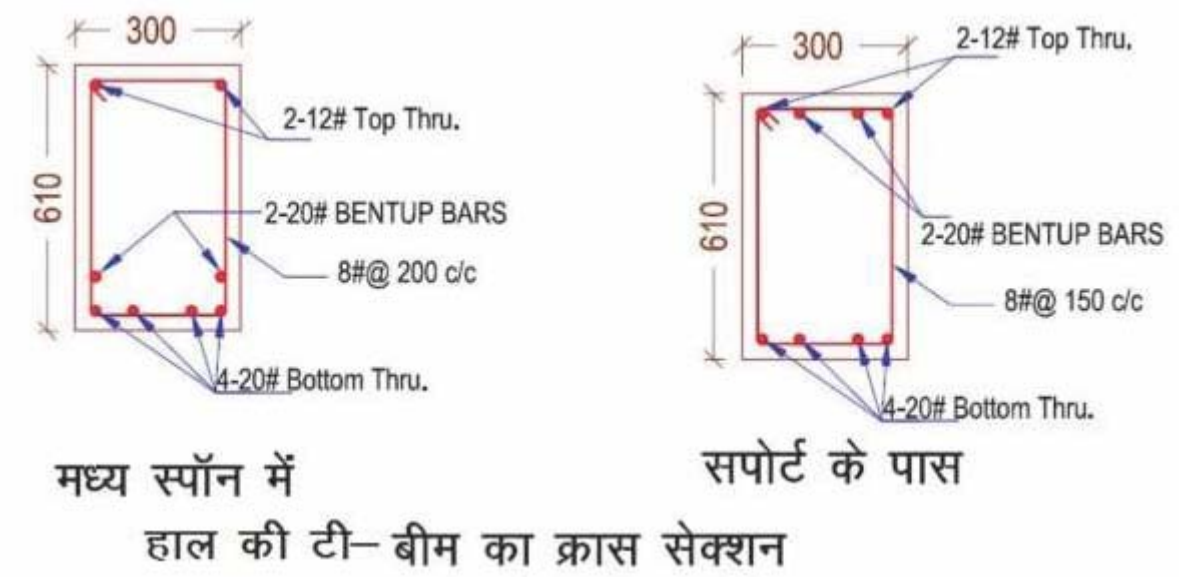

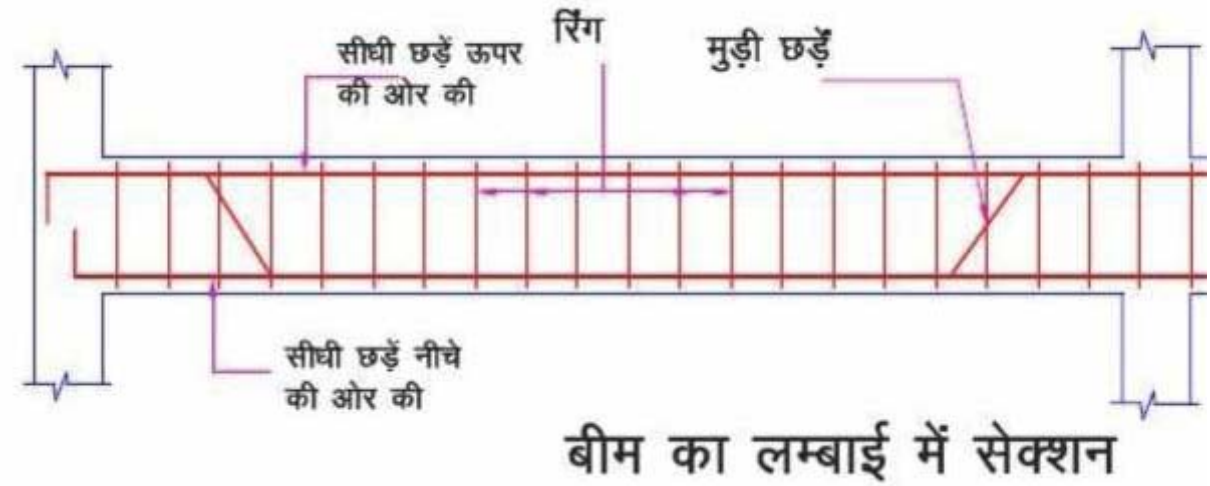

9.8 सेंटरिंग एवं शटरिंग को न्यूनतम 21 दिन से पूर्व नहीं खोला जाए। सेंटरिंग खोलने के तत्काल बाद आवश्यकतानुसार स्लेब एवं बीम की 1:3 सीमेंट वाटर से फिनिशिंग की जाए एवं तराई की जाए।

9.9 छत में फेन हुक ड्राइंग अनुसार 16/12 एमएम के व्यास का नीचे दी हुई ड्राइंग के अनुसार होना अति आवश्यक है।

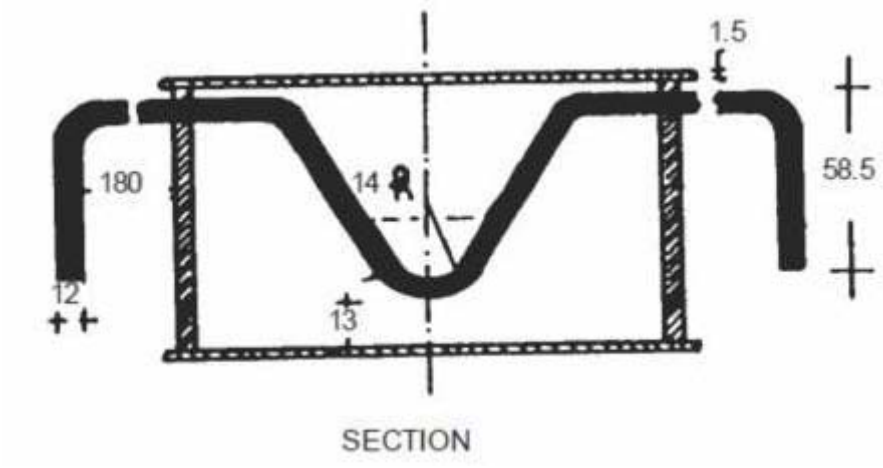

SECTION

10 फिनिशिंग कार्य :

10.1 प्लास्टर कार्य सीमेंट मार्टर 1:6 में 15 एमएम बाहर की ओर एवं 10 एमएम अंदर की ओर किया जाए एवं 7 दिन तक लगातार तराई की जाए। प्लास्टर कार्य प्लंब में हो यह सुनिश्चित किया जाए।

10.2 फर्श कार्य में सर्वप्रथम बेस कांक्रीट 1:3:6 के अनुपात में 10 सेमी की मोटाई में पूर्व से तैयार मुरूम के बेस पर की जाए एवं 7 दिन तक इसकी तराई की जावे। बेस कांक्रीट के ऊपर कोटा पॉलिश स्टोन 25 एमएम की मोटाई में किया जावेगा एवं इसके नीचे आवश्यकतानुसार बेस मार्टर सीमेंट मसाले में किया जाए। मशीन से पॉलिश किया जाए।

10.3 टॉयलेट में ग्लेज्ड टाईल्स 1.5 मी. की ऊंचाई में किया जावे एवं लेटरिंग शीट साइज 580 मि.मी. की लगाई जावेगी। ड्राइंग अनुसार सेफ्टी टैंक एवं सोकपिट एवं अन्य कनेक्शन किए जावें।

10.4 पुताई कार्य इमल्शन से 2 कोट में कम से कम किया जावे। पेंट कार्य आई.एस.आई. मार्क का पेंट 2 कोट में किया जाएगा।

10.5 किचिन शेड आर.सी.सी. छत का होकर दीवार से 20 से.मी. बाहर प्रोजेक्टेड होगा। रूफ बीम के नीचे 60 से.मी. की ऊंचाई में पीछे की परी दीवार की लंबाई के बराबर धुआं निकलने हेतु लोहे की जाली लगाई जाए।

10.6 फर्श लेवल से 75 से.मी. की ऊंचाई तक किचिन प्लेटफार्म ड्राइंग अनुसार बनाया जाए।

10.7 बिजली फिटिंग का कार्य ड्राइंग अनुसार आई.एस.आई. मार्क का सामग्री से पंखे, ट्यूबलाईट, इंटरनल वायरिंग, बाहरी कनेक्शन सहित किया जाएगा। यह कार्य लायसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन से ही कराया जाए।

11. निर्माण कार्य में लगने वाली अनुमानित मात्रा :-

सामुदायिक भवन टाईप - 1

क्र.	सामग्री	मात्रा	प्लिंथ स्तर पर निर्माण पर	प्लिंथ स्तर से छत स्तर तक निर्माण पर	छत डलने पर	कार्य पूर्ण होने पर	कुल मात्रा
1	सीमेंट	बेग (बोरी)	147	145	200	56	**549**
2	रेत	घ.मी.	17	10	13	11	**50**
3	गिट्टी (40 मि.मी.)	घ.मी.	21	-	-	-	**21**
4	गिट्टी (20 मि.मी.)	घ.मी.	13	8	23	-	**44**
5	मुरम	घ.मी.	40	-	-	-	**40**
6	सरिया (लोहा)	कि.ग्रा.	1249	915	1888	-	**4052**
7	ईंट	नग	3263	10252	4623	-	**18138**
8	दरवाजे	नग	-	9	-	-	**9**
9	खिड़की	नग	-	4	-	-	**4**
10	रोशनदान	नग	-	13	-	-	**13**
11	कोटा स्टोन	वर्ग मी.	-	-	-	112.04	**112.04**
12	ग्लेज्ड टाईल	वर्ग मी.	-	-	-	27.70	**27.70**
13	डिस्टेम्पर	कि.ग्रा.	-	-	-	60	**60**
14	रेड ऑक्साईड प्राइमर	लीटर	-	-	-	12	**12,**
15	पेंट	लीटर	-	-	-	12	**12**

सामुदायिक भवन टाईप - 2

क्र.	सामग्री	मात्रा	प्लिंथ स्तर पर निर्माण पर	प्लिंथ स्तर से छत स्तर तक निर्माण पर	छत डलने पर	कार्य पूर्ण होने पर	कुल मात्रा
1	सीमेंट	बेग (बोरी)	200	196	271	76	**743**
2	रेत	घ.मी.	31.76	17.78	24.14	20.32	**94**
3	गिट्टी (40 मि.मी.)	घ.मी.	23.00	-	-	-	**23**
4	गिट्टी (20 मि.मी.)	घ.मी.	15.92	9.55	26.53	-	**52**
5	मुरम	घ.मी.	169.00	-	-	-	**169**
6	सरिया (लोहा)	कि.ग्रा.	1463.62	1072.25	2213.13	-	**4749**
7	ईंट	नग	7676	24116	10876	-	**42669**

क्र.	सामग्री	मात्रा	प्लिंथ स्तर पर निर्माण पर	प्लिंथ स्तर से छत स्तर तक निर्माण पर	छत डलने पर	कार्य पूर्ण होने पर	कुल मात्रा
8	दरवाजे	नग	-	13	-	-	**13**
9	खिड़की	नग	-	11	-	-	**11**
10	रोशनदान	नग	-	29	-	-	**29**
11	कोटा स्टोन	वर्ग मी.	-	-	-	176.54	**176.54**
12	ग्लेज्ड टाईल	वर्ग मी.	-	-	-	96.48	**96.48**
13	डिस्टेम्पर	कि.ग्रा.	-	-	-	114	**114**
14	रेड ऑक्साइड प्राइमर	लीटर	-	-	-	20	**20**
15	पेंट	लीटर	-	-	-	20	**20**

सामुदायिक भवन टाईप - 3

क्र.	सामग्री	मात्रा	प्लिंथ स्तर पर निर्माण पर	प्लिंथ स्तर से छत स्तर तक निर्माण पर	छत डलने पर	कार्य पूर्ण होने पर	कुल मात्रा
1	सीमेंट	बेग (बोरी)	242	236	335	91	**1021**
2	रेत	घ.मी.	32.25	18.25	24.72	20.24	**130**
3	गिट्टी (40 मि.मी.)	घ.मी.	31.00	-	-	-	**39**
4	गिट्टी (20 मि.मी.)	घ.मी.	19.27	11.66	32.53	-	**69**
5	मुरम	घ.मी.	95.00	-	-	-	**216**
6	सरिया (लोहा)	कि.ग्रा.	1781.06	1307.00	2708.78	-	**6291**
7	ईंट	नग	7579	23773	10739	-	**55232**
8	दरवाजे	नग	-	13	-	-	**13**
9	खिड़की	नग	-	11	-	-	**11**
10	रोशनदान	नग	-	29	-	-	**29**
11	कोटा स्टोन	वर्ग मी.	-	-	-	245.30	**245.30**
12	ग्लेज्ड टाईल	वर्ग मी.	-	-	-	96.48	**96.48**
13	डिस्टेम्पर	कि.ग्रा.	-	-	-	126	**126**
14	रेड ऑक्साईड प्राइमर	लीटर	-	-	-	22	**22**
15	पेंट	लीटर	-	-	-	22	**22**

सामुदायिक भवन टाईप - 4

क्र.	सामग्री	मात्रा	प्लिंथ स्तर पर निर्माण पर	प्लिंथ स्तर से छत स्तर तक निर्माण पर	छत डलने पर	कार्य पूर्ण होने पर	कुल मात्रा
1	सीमेंट	बेग (बोरी)	236	230	327	89	**882**
2	रेत	घ.मी.	37.84	21.19	28.76	24.22	**112**
3	गिट्टी (40 मि.मी.)	घ.मी.	31.00	-	-	-	**31**
4	गिट्टी (20 मि.मी.)	घ.मी.	18.37	11.02	30.61	-	**60**
5	मुरम	घ.मी.	192.84	-	-	-	**193**
6	सरिया (लोहा)	कि.ग्रा.	1701.24	1246.33	2572.43	-	**5520**
7	ईंट	नग	8806	27667	12478	-	**48951**
8	दरवाजे	नग	-	14	-	-	**14**
9	खिड़की	नग	-	12	-	-	**12**
10	रोशनदान	नग	-	31	-	-	**31**
11	कोटा स्टोन	वर्ग मी.	-	-	-	196.34	**279.45**
12	ग्लेज्ड टाईल	वर्ग मी.	-	-	-	96.48	**96.48**
13	डिस्टेम्पर	कि.ग्रा.	-	-	-	141	**141**
14	रेड ऑक्साइड प्राइमर	लीटर	-	-	-	21	**21**
15	पेंट	लीटर	-	-	-	21	**21**

12 निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण :

12.1 निरीक्षण के संबंध में विकास आयुक्त के संदर्भित परिपत्र क्र. 6967 दिनांक 01.06.17 निर्देशानुसार कार्यवाही हो।

12.2 फाउन्डेशन एवं आरसीसी मेम्बर्स का रूपांकन स्थल एवं आवश्यकता अनुसार किया जावे। सामान्य स्ट्रेटा मुरम या समान स्ट्रेटा होने की स्थिति में फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लेब आदि की डिजाइन ड्राइंग के साथ संलग्न है।

12.3 सीमेंट कांक्रीट की कॉम्प्रेन्सिव स्ट्रेन्थ (मजबूती) हेतु प्रयोगशाला परीक्षण किया जावे। प्रति दिवस सीमेंट कांक्रीट के 6 क्यूब तैयार किये जावें जिनमें से 3 का परीक्षण 7वें दिवस तथा 3 का परीक्षण 28वें दिवस किया जावे।

12.4 कांक्रीट कार्य की रिवाउन्ड हैमर के माध्यम से स्ट्रेंथ नियमित रूप से चैक की जाये। आरसीसी कार्य के रीइन्फोर्समेन्ट की बंधाई एवं प्लेसिंग, कांक्रीट का कार्य उपयंत्री अपने पर्यवेक्षण में कराएंगे।

12.5 सामग्रियों का गुणवत्ता परीक्षण नियमानुसार कराया जाए एवं अभिलेख संधारित किया जाएं। परीक्षण सुनिश्चित करना सहायक यंत्री एवं उपयंत्री की जिम्मेदारी होगी।

12.6 निर्धारित मानक की ही सामग्री उपयोग की जाए।

12.7 सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री औचक निरीक्षण करके तथा मार्गदर्शन देकर गुणवत्ता सुनिश्चित कराएंगे। बिजली फिटिंग के कार्य की गुणवत्ता विभाग के इलेक्ट्रीकल इंजीनियर्स सुनिश्चित करेंगे।

12.8 यह संक्षिप्त सामान्य निर्देश हैं। कार्य के स्पेसीफिकेशन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रभावशील दर अनुसूची एवं CPWD के मानकों अनुसार होगी।

संलग्न :- 1. मानक मानचित्र (टाईप-1 से टाईप-4)।
2. मानक रूपांकन।

(प्रियदर्शी खैरा)
प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)

SAMUDAYIK BHAWAN -TYPE-1

सामुदायिक भवन– टाईप 1

कुर्सी क्षेत्रफल–96.94 वर्गमी.

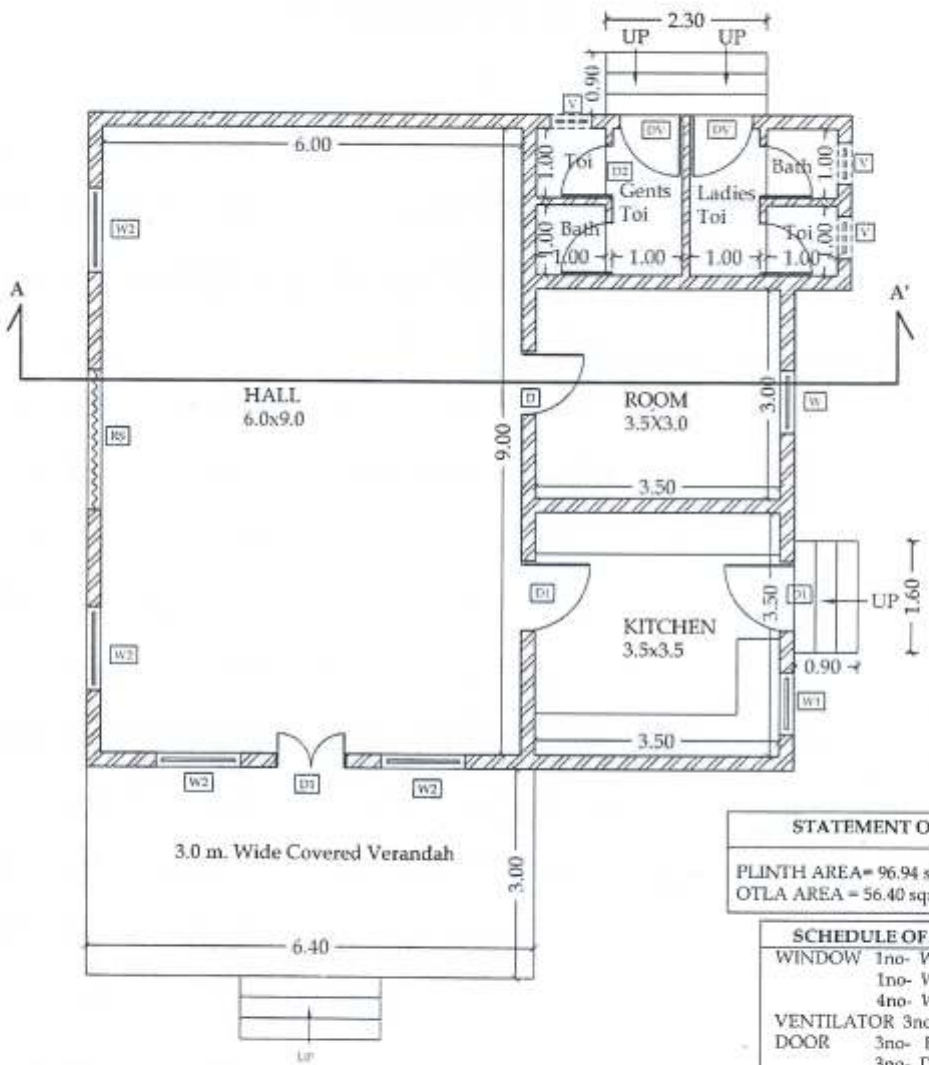

PLAN

STATEMENT OF AREA
PLINTH AREA= 96.94 sqm. = 1043.07 sqft.
OTLA AREA = 56.40 sqm. = 606.86sqft.

SCHEDULE OF OPENING		
WINDOW	1no- W	0.9X1.2m
	1no- W1	0.9X0.9m
	4no- W2	1.2x1.2m
VENTILATOR	3no- V	0.6X0.45m
DOOR	3no- D	0.9X2.1m
	3no- D1	1.0X2.1m
	4no- D2	0.75X2.1m
ROLLING SHUTTER	6no-2.0X2.1m	

अनुमानित लागत –रु 10.00 लाख (दिनांक 01.02.16 से प्रभावशील एस.ओ.आर अनुसार)

RURAL ENGINEERING SERVICE	DRAWING NO.	APPROVED BY:	DRAWN BY:
	1		
PROJECT	DATE:		
SAMUDAYIK BHAWAN			

(TYPE-I)

SAMUDAYIK BHAWAN / MANGAL BHAWAN

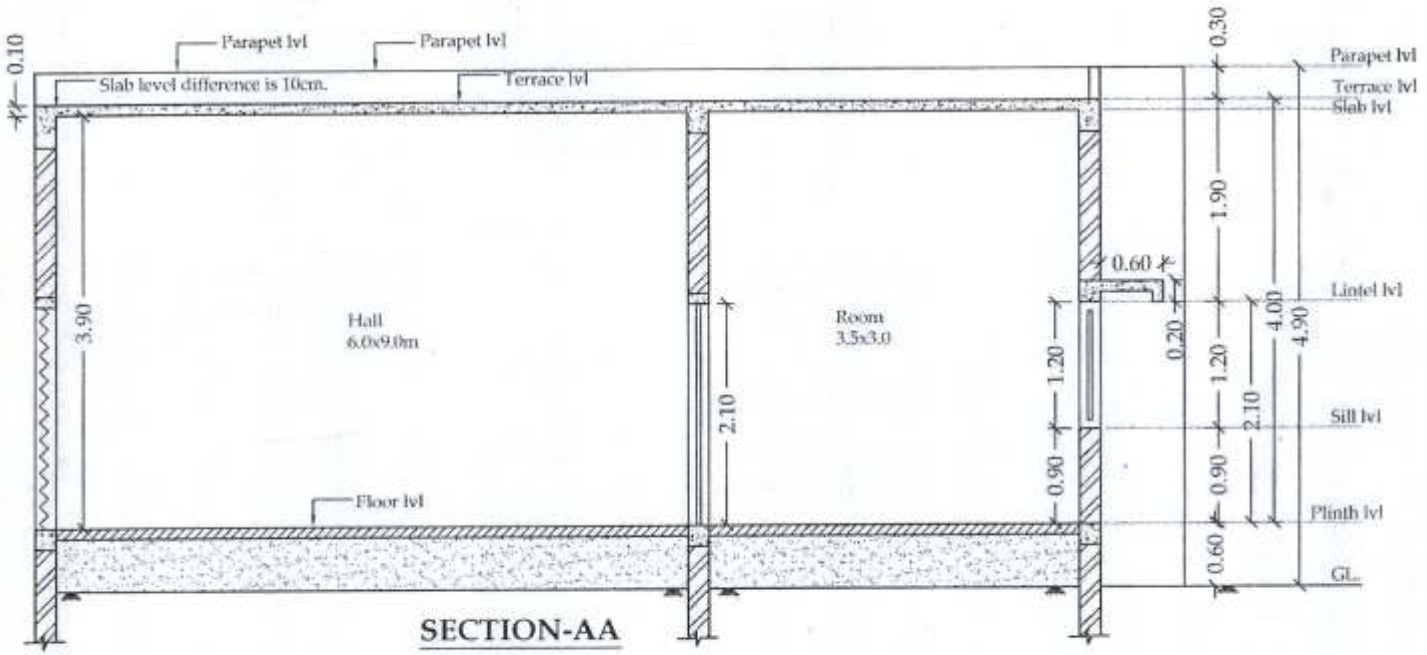

SECTION-AA

अधिक्षण यंत्री (तकनीकी)
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकासआयुक्त कार्यालय
भोपाल (म. प्र.)

RURAL ENGINEERING SERVICES VINDHYACHAL BHAWAN BHOPAL (M. P.)			
PROJECT: MANGAL BHAWAN - TYPE-I			
DATE: 05-10-2016	NOTE: ALL DIM. IN METER 20 cm WALL THICKNESS		
APPROVED BY :			DRAWN BY :-
ENGINEER-IN-CHIEF R.E.S.	C.E. R.E.S.	S.E. R.E.S.	AR.KIRAN PATIDAR R.E.S.

SAMUDAYIK BHAWAN -TYPE 2 सामुदायिक भवन– टाईप 2

कुर्सी क्षेत्रफल –169.09 वर्ग मी.

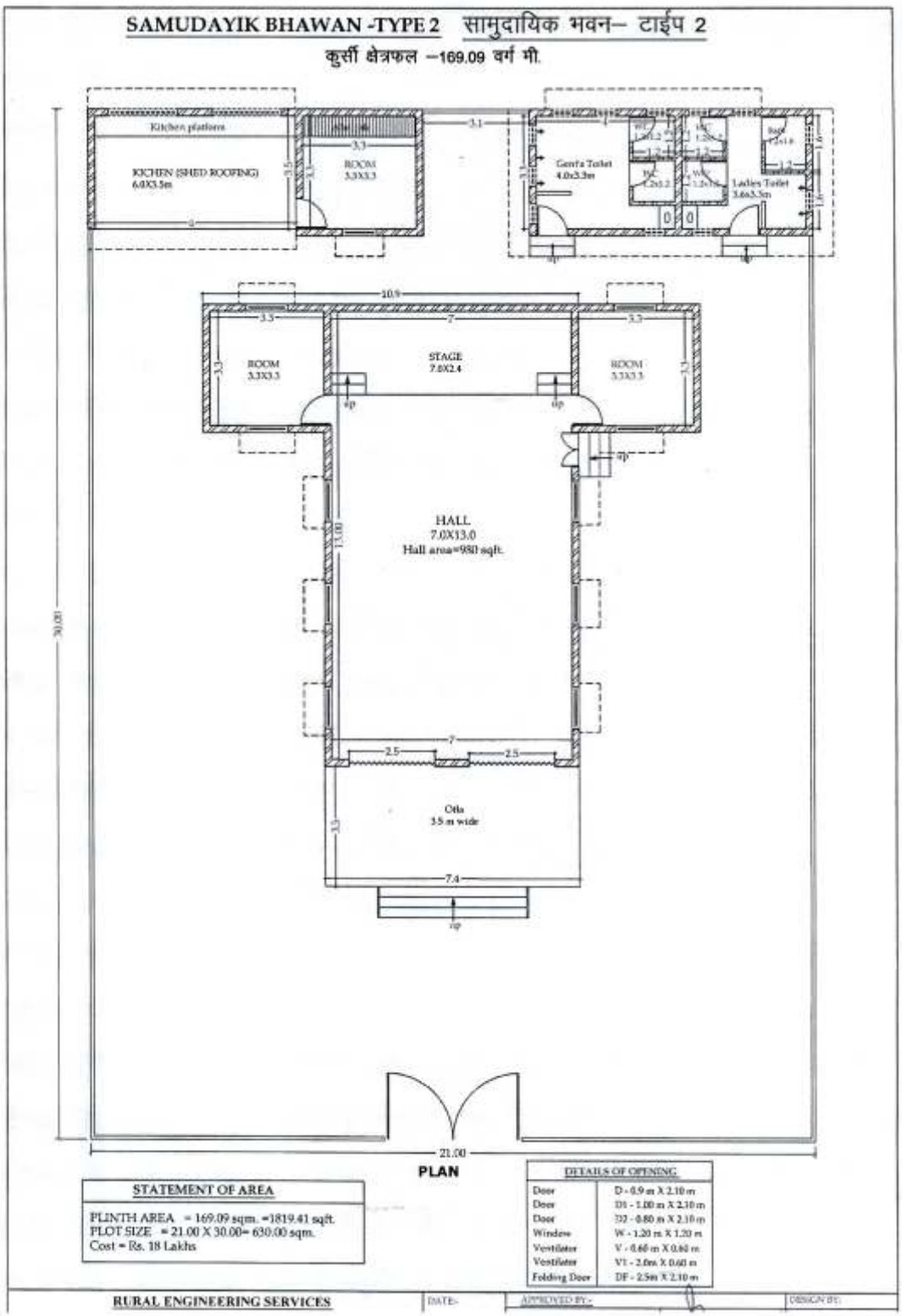

STATEMENT OF AREA

PLINTH AREA = 169.09 sqm. =1819.41 sqft.
PLOT SIZE = 21.00 X 30.00= 630.00 sqm.
Cost = Rs. 18 Lakhs

DETAILS OF OPENING

Door	D - 0.9 m X 2.10 m
Door	D1 - 1.00 m X 2.10 m
Door	D2 - 0.80 m X 2.10 m
Window	W - 1.20 m X 1.20 m
Ventilator	V - 0.60 m X 0.60 m
Ventilator	V1 - 2.0m X 0.60 m
Folding Door	DF - 2.5m X 2.10 m

RURAL ENGINEERING SERVICES | DATE:- | APPROVED BY:- | DESIGN BY:

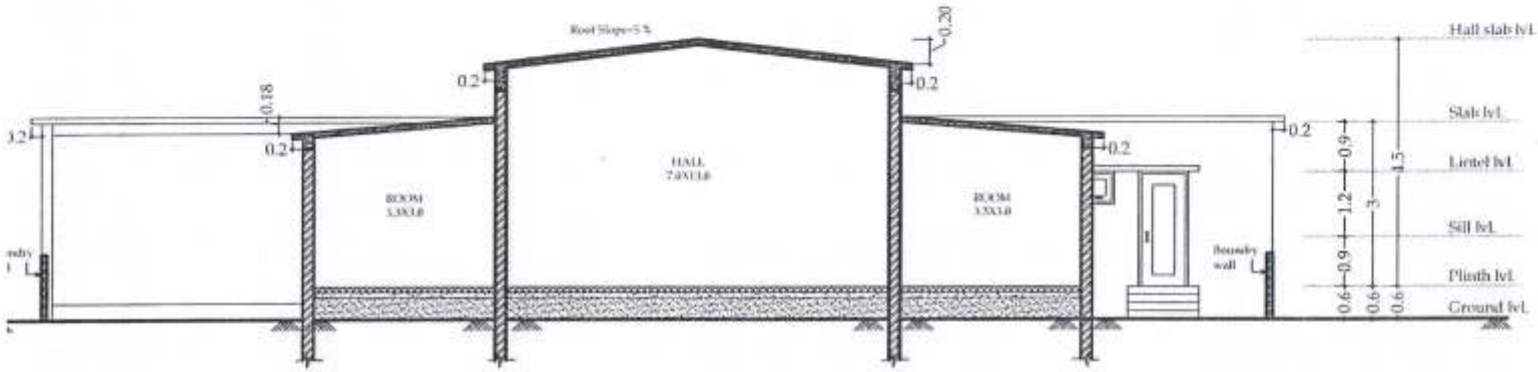

Type-2
SAMUDAYIK BHAWAN
सामुदायिक भवन
SECTION-AA'
Hall slab lvl.
Slab lvl.
Lintel lvl.
Sill lvl.
Plinth lvl.
Ground lvl.
HALL
ROOM
RURAL ENGINEERING SERVICES
DATE-
03-08-2017
SCALE-
NOT TO SCALE
APPROVED BY:-
ENGINEER IN CHIEF
R.E.S.
DESIGN BY:
AR. KIRAN PATIDAR
SAMUDAYIK BHAWAN
अधिक्षण यंत्री (तक०नीकी)
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकासआयुक्त कार्यालय
भोपाल (म. प्र.)
S.E.P. ENGINEER
R.E.S.

SAMUDAYIK BHAWAN

सामुदायिक भवन

Type-2

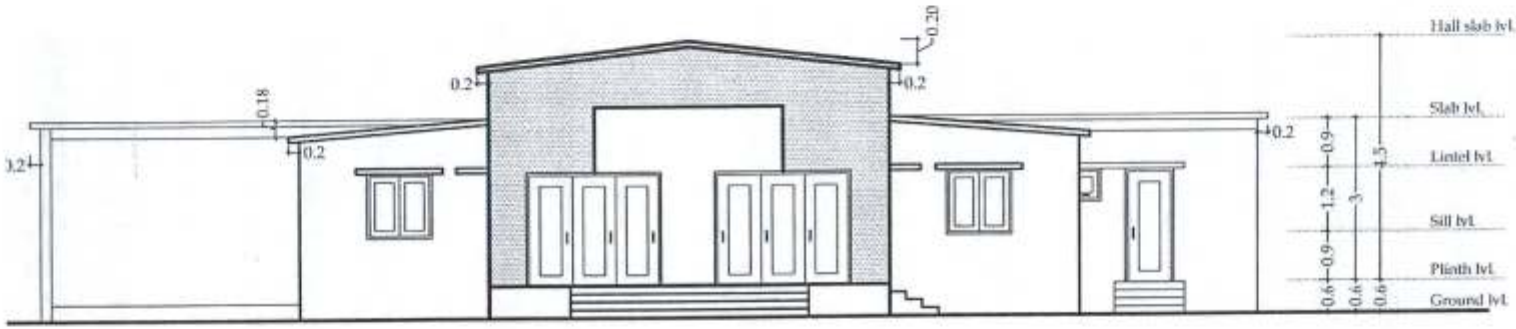

FRONT ELEVATION

RURAL ENGINEERING SERVICES	DATE:- 03-08-2017	APPROVED BY:-	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकासआयुक्त कार्यालय भोपाल (म. प्र.)	DESIGN BY:
CT:- SAMUDAYIK BHAWAN	SCALE:- NOT TO SCALE	ENGINEER.IN.CHIEF R.E.S.	SUP. ENGINEER R.E.S.	AR. KIRAN PATIDAR

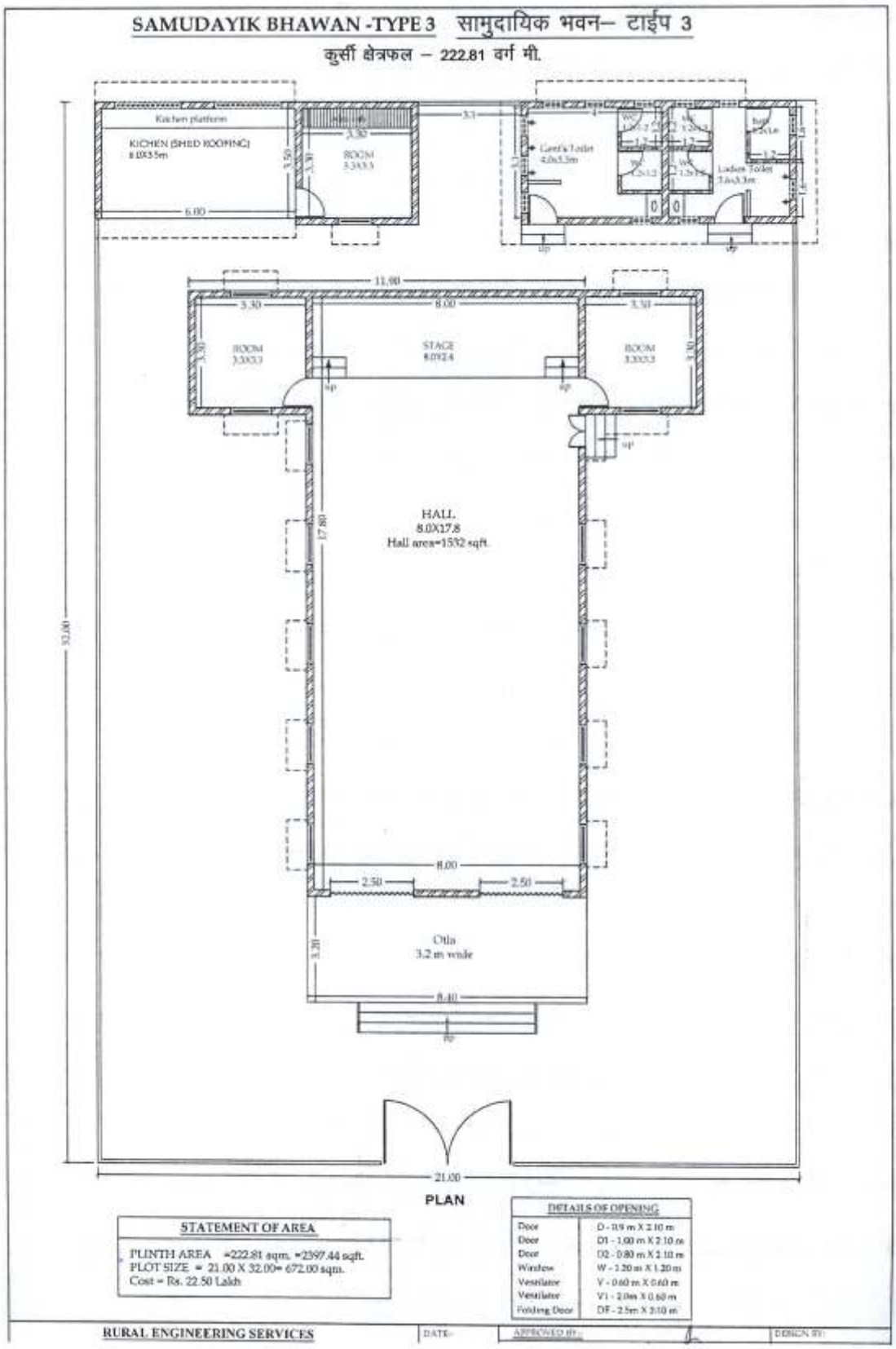

SAMUDAYIK BHAWAN -TYPE 3 सामुदायिक भवन– टाईप 3

कुर्सी क्षेत्रफल – 222.81 वर्ग मी.

PLAN

STATEMENT OF AREA
PLINTH AREA =222.81 sqm. =2397.44 sqft.
PLOT SIZE = 21.00 X 32.00= 672.00 sqm.
Cost = Rs. 22.50 Lakh

DETAILS OF OPENING

Door	D - 0.9 m X 2.10 m
Door	D1 - 1.00 m X 2.10 m
Door	D2 - 0.80 m X 2.10 m
Window	W - 1.20 m X 1.20 m
Ventilator	V - 0.60 m X 0.60 m
Ventilator	V1 - 2.0m X 0.60 m
Folding Door	DF - 2.5m X 2.10 m

RURAL ENGINEERING SERVICES | DATE- | APPROVED BY- | DESIGN BY-

SAMUDAYIK BHAWAN

सामुदायिक भवन

Type-3

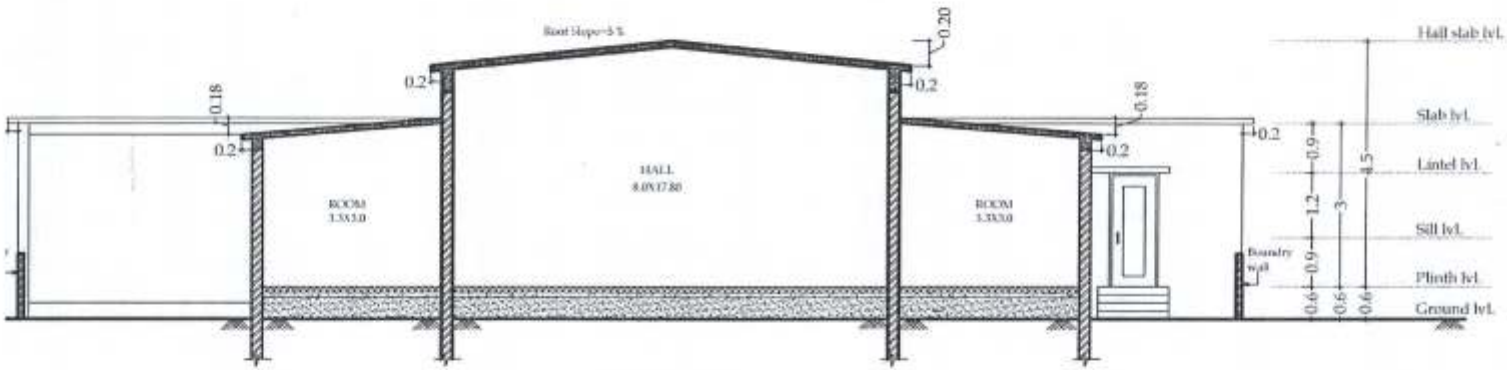

SECTION-AA'

RURAL ENGINEERING SERVICES	DATE:- 03-08-2017	APPROVED BY:-	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकासआयुक्त कार्यालय भोपाल (म. प्र.)	DESIGN BY:
CT:- SAMUDAYIK BHAWAN	SCALE:- NOT TO SCALE	ENGINEER.IN.CHIEF R.E.S.	SUP. ENGINEER R.E.S.	AR. KIKAN PATIDAR

SAMUDAYIK BHAWAN
सामुदायिक भवन

Type-3

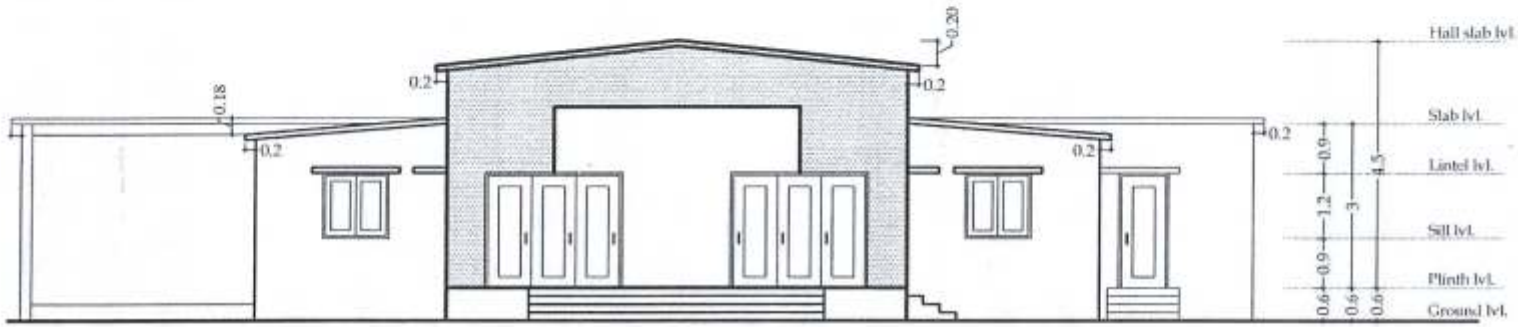

FRONT ELEVATION

RURAL ENGINEERING SERVICES	DATE:- 03-08-2017	APPROVED BY:-	अधीक्षण यंत्री (तकनीकी) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकासआयुक्त कार्यालय भोपाल (म. प्र.)	DESIGN BY:
CT:- SAMUDAYIK BHAWAN	SCALE:- NOT TO SCALE	ENGINEER.IN.CHIEF R.E.S.	SUP. ENGINEER R.E.S.	AR. KIRAN PATIDAR

PANCHAYAT BHAWAN WITH SAMUDAYIK BHAWAN- TYPE 4

पंचायत भवन सह सामुदायिक भवन – टाईप 4

कुर्सी क्षेत्रफल – 189.05 वर्ग मी.

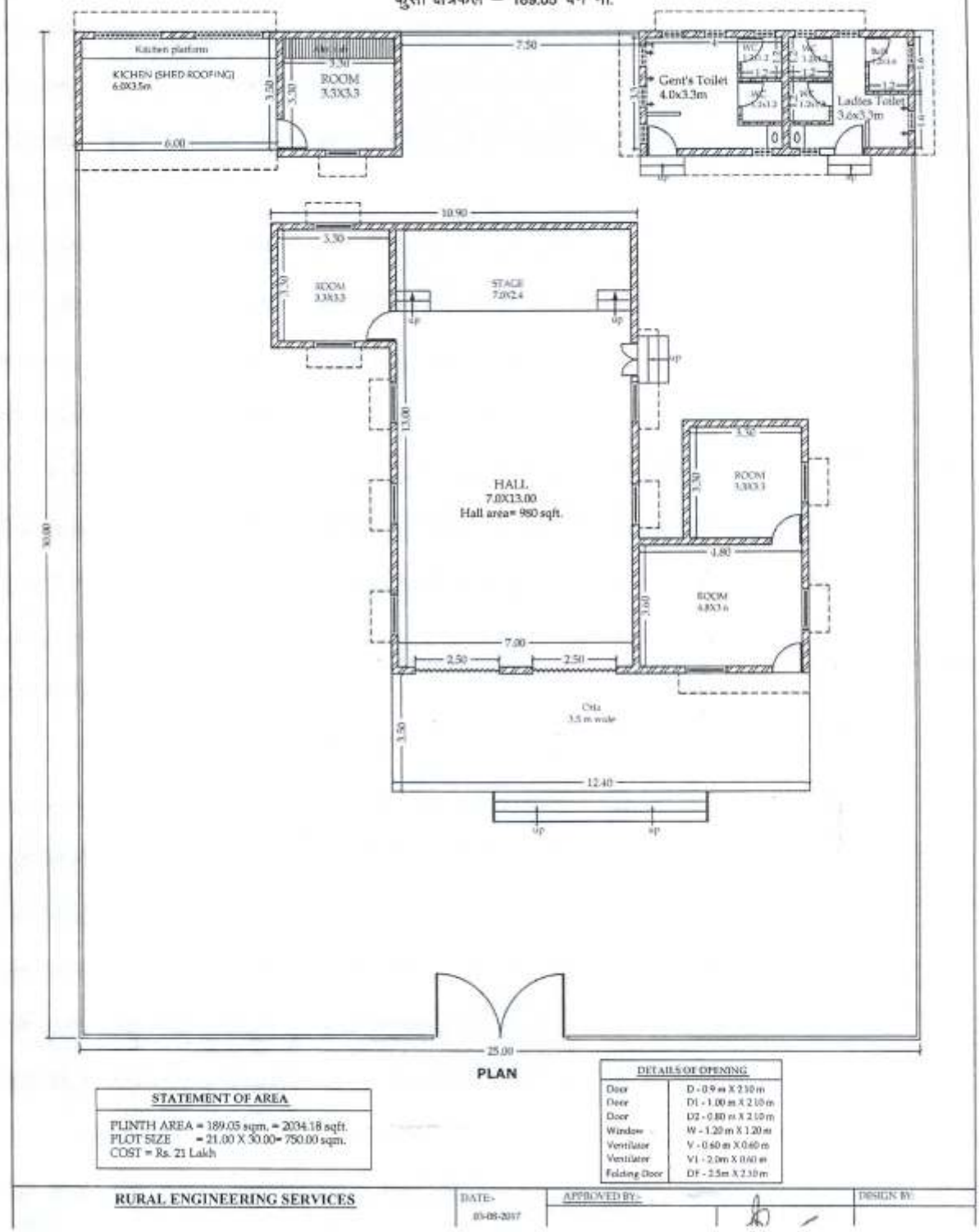

PLAN

STATEMENT OF AREA
PLINTH AREA = 189.05 sqm. = 2034.18 sqft. PLOT SIZE = 21.00 X 30.00= 750.00 sqm. COST = Rs. 21 Lakh

DETAILS OF OPENING	
Door	D - 0.9 m X 2.10 m
Door	D1 - 1.00 m X 2.10 m
Door	D2 - 0.80 m X 2.10 m
Window	W - 1.20 m X 1.20 m
Ventilator	V - 0.60 m X 0.60 m
Ventilator	V1 - 2.0m X 0.60 m
Folding Door	DF - 2.5m X 2.10 m

RURAL ENGINEERING SERVICES | DATE:- 03-08-2017 | APPROVED BY:- | DESIGN BY:

Type-4(A)

SAMUDAYIK BHAWAN WITH PANCHAYAT BHAWAN
सामुदायिक भवन सह पंचायत भवन

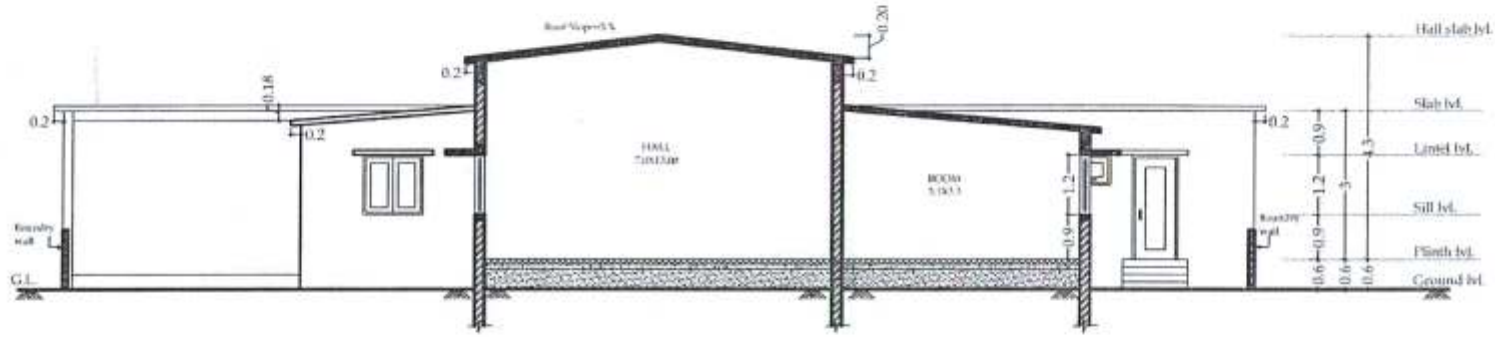

SECTION-AA'

RURAL ENGINEERING SERVICES	DATE:- 03-08-2017	APPROVED BY:-		DESIGN BY:
ECT:- SAMUDAYIK BHAWAN WITH PANCHAYAT BHAWAN	SCALE:- NOT TO SCALE	ENGINEER.IN.CHIEF R.E.S.	अधीक्षण यंत्री (तकनीकी) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल (म. प्र.) SUP. ENGINEER R.E.S.	AR. KIRAN PATIDAR

SAMUDAYIK BHAWAN WITH PANCHAYAT BHAWAN

Type-4(A)

सामुदायिक भवन सह पंचायत भवन

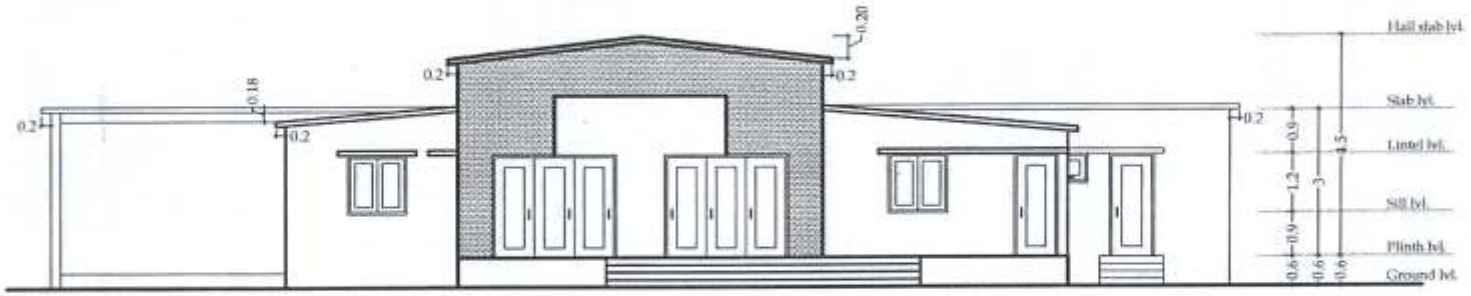

FRONT ELEVATION

RURAL ENGINEERING SERVICES	DATE:- 03-08-2017	APPROVED BY:-	अधिक्षण यंत्री (तकनीकी) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकासआयुक्त कार्यालय भोपाल (म. प्र.)	DESIGN BY:
ECT:- **SAMUDAYIK BHAWAN WITH PANCHAYAT BHAWAN**	SCALE:- NOT TO SCALE	ENGINEER IN CHIEF R.E.S.	SUP. ENGINEER R.E.S.	AR. KIRAN PATIDAR

BOUNDRY WALL

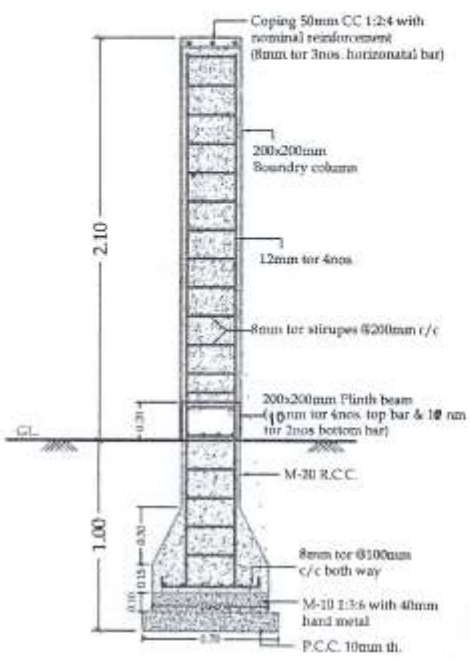

BOUNDRY WALL SECTION AT AA'

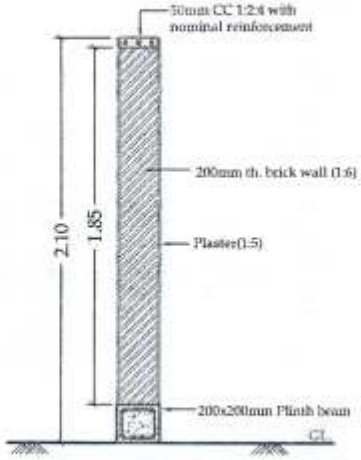

BOUNDRY WALL SECTION AT BB'

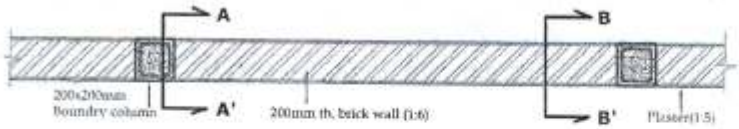

PLAN OF BOUNDRY WALL

RURAL ENGINEERING SERVICE		DRAWING APPROVED BY:	DESIGN BY:
PROJECT: BOUNDRY WALL	DRAWING: DETAIL OF BOUNDRY WALL	ENGINEER in CHIEF, RURAL ENGINEERING SERVICE GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH	AR. KIRAN PATIDAR
DRAWING NO.:	DATE: 02-08-2017		

अधीक्षण यंत्री (तकनीकी)

KITCHEN DETAIL

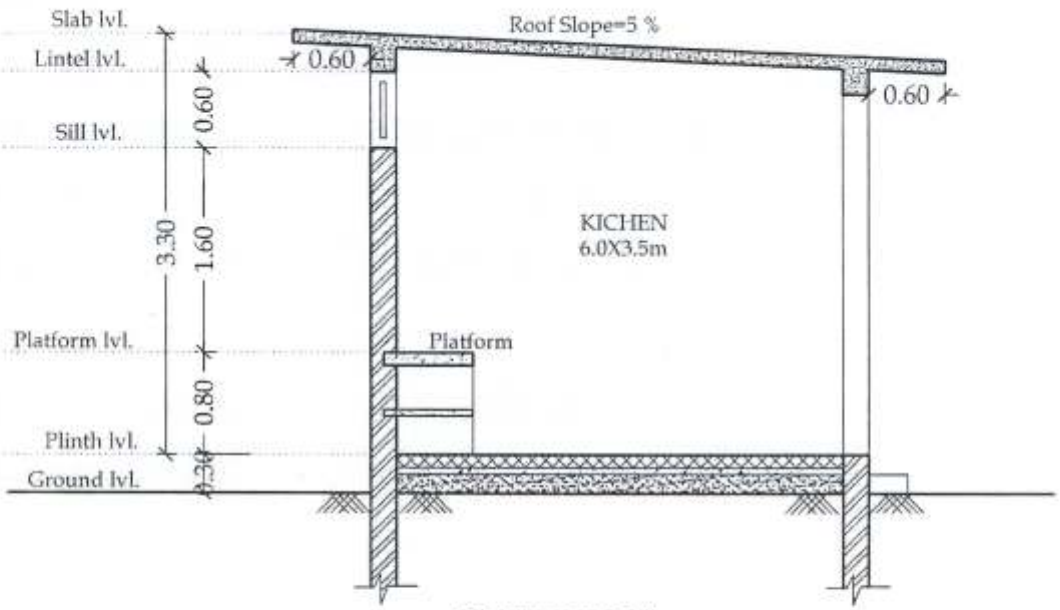

SECTION-XX'

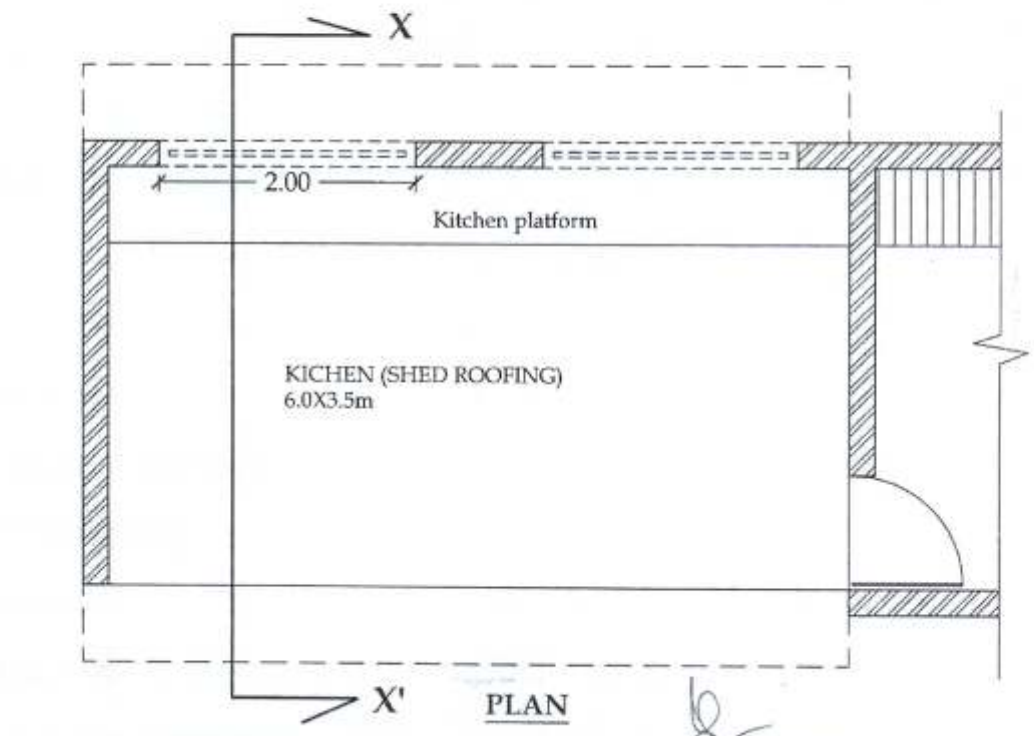

PLAN

DETAILS OF OPENING

अधिक्षण यंत्री (तकनीकी)
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

STAGE DETAIL

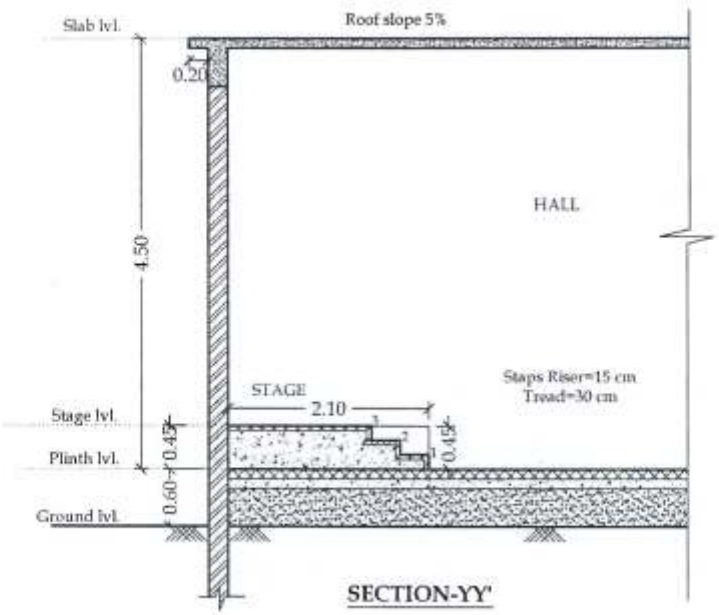

SECTION-YY'

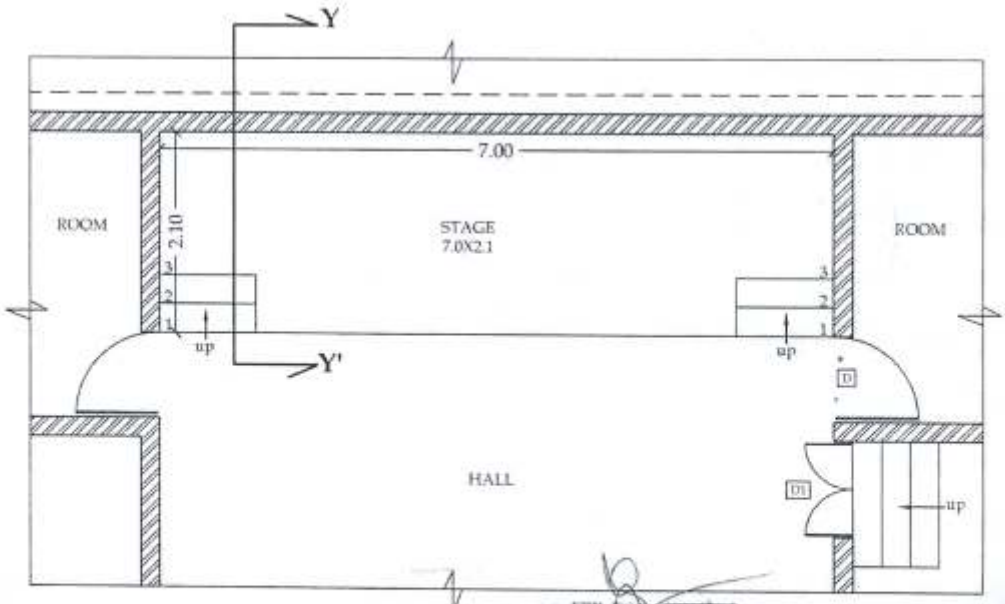

DETAILS OF OPENING	
Door	D - 0.9 m X 2.10 m

PLAN

अधीक्षण यंत्री (तकनीकी)
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकासआयुक्त कार्यालय

GATE

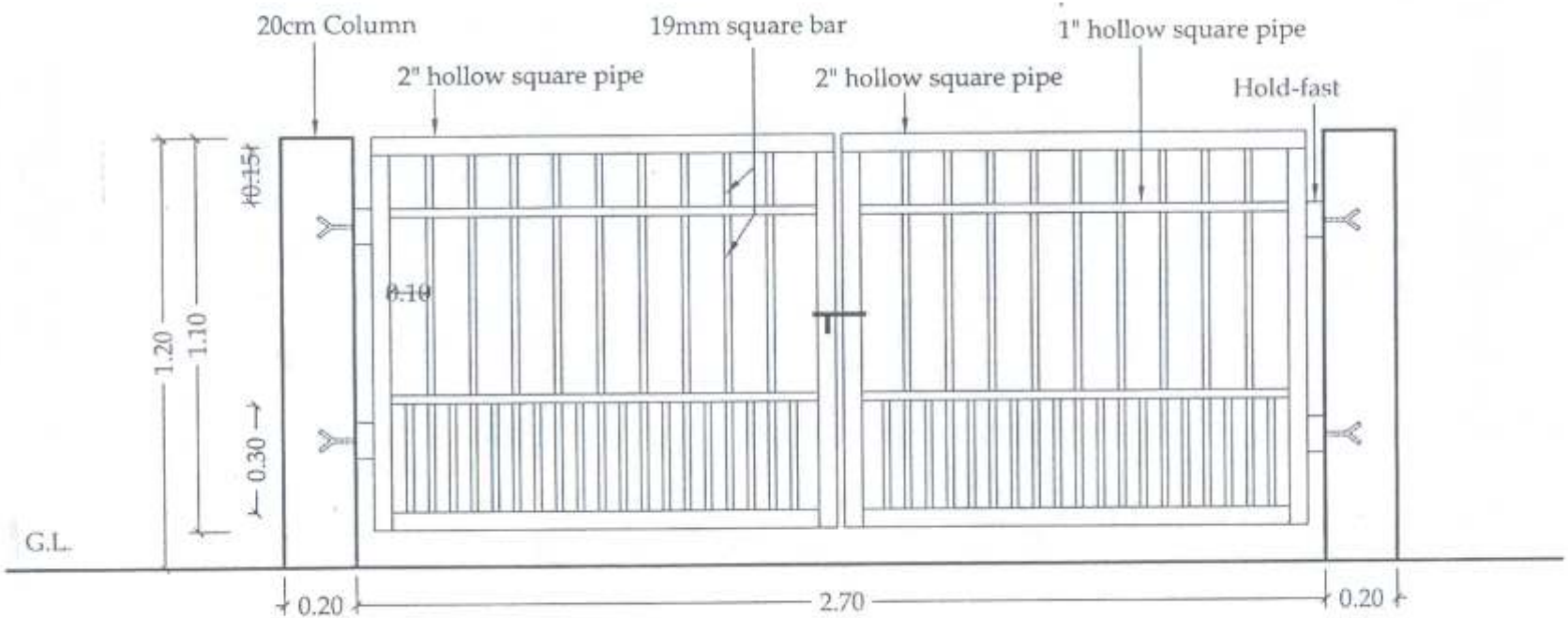

ELEVATION

अधिक्षण यंत्री (तकनीकी)
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकासआयुक्त कार्यालय
भोपाल (म. प्र.)

Design By: Ar.Kiran Patidar
Date: 03-08-2017

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 12445/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 **भोपाल, दिनांक 09.12.2016**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर (मध्यप्रदेश)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (मध्यप्रदेश)
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत "शांतिधाम" उपयोजना-मानक डिजाइन एवं प्राक्कलन।

सन्दर्भ :- शासन का पत्र क्रमांक 7315/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/17/10, दिनांक 15.07.2010।

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा "शांतिधाम" उपयोजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. शांतिधाम के लिए प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं ने दो मानक डिजाइन एवं मानक प्रक्कलन बनाकर तकनीकी स्वीकृति जारी की है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। मानक डिजाइन का शांतिधाम बनाये जाने की दशा में पृथक से तकनीकी प्राक्कलन बनाने, तकनीकी स्वीकृति लेने अथवा लागत का प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता नहीं है।
3. जिन ग्रामों की आबादी जनगणना-2011 के अनुसार 2000 अथवा उससे कम है उनमें शवदाह के लिए एक प्लेटफार्म तथा जिन ग्रामों की आबादी जनगणना-2011 में 2000 से अधिक है उनमें दो प्लेटफार्म वाला शांतिधाम बनाया जाए।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अनुमोदित मानक डिजाइन के शांतिधाम की मानक लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-
   (अ) एक शवदाह वाले शांतिधाम के लिए रुपये 1,80,000/-
   (ब) दो शवदाह वाले शांतिधाम के लिए रुपये 2,45,000/-
5. संभव हो तो शांतिधाम में पानी की व्यवस्था की जाए। पानी की व्यवस्था हेतु हैण्डपंप एवं सतही टंकी बनाने की दशा में मानक लागत रुपये 1,00,000/- (एक लाख) नियत की जाती है। धनराशि की व्यवस्था सांसद निधि, विधायक निधि, जिला एवं जनपद पंचायतों को दिये जाने वाले मूलभूत अनुदान, पंचायत कर एवं शुल्क से आय तथा जनसहयोग आदि से की जा सकती है।
6. शांतिधाम बनाने के लिए तकनीकी सहायता हेतु अनुदेश विभागीय वेबसाइट prd.mp.gov.in पर दिए गए हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित ग्राम पंचायत इन निर्देशों की प्रति निकालकर उनका उपयोग करें।
7. प्रत्येक ग्राम में एक शांतिधाम विकसित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार समयसीमा निर्धारित की जाती है :-
   (अ) जिन ग्रामों में शांतिधाम नहीं बनाए गए हैं उनमें स्थल चयन एवं तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की समयसीमा- 31 दिसम्बर 2016।
   (ब) निर्माण कार्य प्रारंभ करने की समयसीमा- 26 जनवरी, 2017
   (स) निर्माण कार्य पूर्ण करने की समयसीमा- 31 मई, 2017
8. उपरोक्त समयसीमा के भीतर लक्ष्य की कार्रवाई की समीक्षा साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस में की जाएगी।
9. पूर्व में निर्मित बिना शेड (छाया) के शांतिधाम के उन्नयन के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

कार्यालय प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
"बी" विंग, द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल
eincres@mp.gov.in, Phone : 0755-2551398

क्रमांक 7258/22/वि.-10/2016 **भोपाल, दिनांक 9.12.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. मुख्य अभियंता (समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र, मध्यप्रदेश
3. अधीक्षण यंत्री (समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
5. कार्यपालन यंत्री (समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत शमशान भूमि विकसित किये जाने हेतु "शांतिधाम उपयोजना" विषयक तकनीकी दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ :- विकास आयुक्त का पत्र क्रमांक 12445/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 भोपाल दिनांक 09.12.2016

महात्मा गांधी मनरेगा अंतर्गत शांतिधाम उपयोजना के संबंध में दिशा-निर्देश विकास आयुक्त द्वारा जारी किये गये हैं। शांतिधाम उपयोजना के संबंध में विस्तृत तकनीकी दिशा-निर्देश एवं माडल प्राक्कलन उपयोजना क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

1. स्थल का सीमांकन :

स्थल के सीमांकन पश्चात अतिक्रमण एवं पशुओं के आवागमन के अवरोध हेतु सीपीट का निर्माण किया जावेगा। सीपीटी की खुदाई सीमा लाइन से ऊपरी चौड़ाई 2.25 मीटर, गहराई 0.75 मीटर रखते हुये नीचे की चौड़ाई 0.75 मीटर में की जाये। खुदाई पश्चात् उपयोगी मिट्टी को क्षेत्र के समतलीकरण हेतु उपयोग में किया जा सकेगा। अन्य अनुपयोगी मिट्टी, पत्थर आदि को खाई के किनारे पर अंदर की ओर एकत्रित किया जाये।

2. कार्य का ले आउट :

2.1. जहां पर भवन का निर्माण करना है वहाँ निर्माण स्थल की सफाई करते हुए यथा संभव भूमि को समतल किया जावे।

2.2. सभी कोनों पर रिफरेंस पिलर लगायें। ये प्लेटफार्म से लगभग 1.5 मीटर दूरी पर होने चाहिए।

3. नींव की खुदाई एवं उसकी भराई का कार्य :

3.1. नींव की खुदाई 1 मीटर x 1 मीटर आकार में कड़ी सतह तक हो जाने के बाद सीमेंट कांक्रीट 1:3:6 मसाले से 10 से.मी. मोटाई में डालकर काम्पेक्शन किया जाये। इस कांक्रीट बेस पर कम से कम तीन दिन पानी की तराई किये जाने के बाद आरसीसी फुटिंग का कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

3.2. कांक्रीट बेस पर 12 मिमी व्यास के सरिये 15 सेमी की दूरी पर दोनों दिशाओं में बांधे जायेंगे। इसी प्रकार आरसीसी कॉलम 20 सेमी x 20 सेमी के आकार का होगा एवं इसमें चार सरिये 12 मिमी व्यास के ऊंचाई की दिशा में बांधे जायेंगे। इन सरियों को 6 मिमी व्यास की रिंग से 20 से 25 सेमी की दूरी पर बांधा जायेगा।

3.3. इसके ऊपर सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 (M-20) से जाल के ऊपर किनारे में 15 सेमी मोटी एवं कॉलम के पास 20 से 30 सेमी मोटाई में कार्य किया जायेगा। सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 को वायब्रेटर से काम्पेक्ट करना अनिवार्य है। इसकी 14 दिन तक सतत् पानी से तराई की जायेगी।

3.4. प्लिंथ स्तर के ऊपर फिर से कॉलम के सेंटर टू सेंटर को नापा जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि ड्राइंग के अनुसार कॉलम सही स्थान पर हैं। अंतर होने पर कॉलम को तोड़कर फिर से बनायें। इसके ऊपर प्लिंथ बीम साइज 20 सेमी चौड़ी एवं 30 से.मी. ऊंची रखी जाये। इसमें सामान्यतः 3 सरिये 10 मिमी के निचले तल में एवं 2 सरिये 10 मिमी के ऊपरी तल पर डाले जाते हैं। इन सरियों को आपस में बांधने के लिये 6 से 8 मिमी रिंग 20 से 30 सेमी की दूरी पर बांधी जाती है।

3.5. प्लिंथ बीम को 20 सेमी की ब्रिक वॉल के ऊपर रखा जावे। ब्रिक वॉल ग्राउण्ड लेवल से 10 सेमी नीचे से बनाई जाती है एवं इसे 10 सेमी की 1:4:8 सीमेंट कांक्रीट पर रखा जाता है। इस दीवाल के ऊपर बीम को रखा जावे। बीम के लिये सीमेंट-कांक्रीट 1:2:4 का उपयोग कर वायब्रेटर से इसे काम्पेक्शन करना अनिवार्य है। सीमेंट कांक्रीट में पानी की मात्रा प्रति सीमेंट बोरी 20 लीटर से अधिक न हो। कांक्रीट की तराई जूट के बारदानों को लपेटकर 14 दिन तक लगातार की जावेगी।

3.6. प्लिंथ का भराव मुरम से 15-15 सेमी की परत में बिछाकर प्रत्येक परत को दुरमुट से लगभग 15 प्रतिशत पानी डालकर काम्पेक्ट की जाये।

4. कॉलम के ऊपर गर्डर फिक्स करना :

4.1. इस कार्य में लोहे के गर्डर के ऊपर लोहे के ट्रस लगाये जाकर कार्य कराया जायेगा। इस हेतु आवश्यक है कि गर्डर एवं ट्रस के बनाने का फेब्रीकेशन मार्केट से आवश्यक रूप से ड्राइंग अनुसार करा लिया जाये। इसे स्थल पर आने के पूर्व में फेब्रीकेशन स्थल पर बारीकी से उपयंत्री स्वयं चैक करेंगे एवं उसके माप दर्ज करेंगे।

4.2. आरसीसी कॉलम में 16 मिमी व्यास के 4 एंकर बोल्ट को कम से कम 30 सेमी कांक्रीट में दबाया जायेगा अर्थात् यह बीम की पूरी मोटाई के नीचे तक रहेगा। गार्डर, उसकी गसेट प्लेट और प्लिंथ बीम को नक्शे में दर्शाये अनुसार सावधानी से बनाया जायेगा।

4.3. ट्रस (कैंची) फिक्स होने के बाद इसके ऊपर 0.80 मिमी मोटी लोहे की चद्दर से छत का कार्य किया जायेगा। इन चद्दरों को 'जे' हुक एवं लोहे की पट्टी से कसा जावेगा। चद्दरों में ओवरलेप कम से कम 1 नाली से अधिक हो और इस ओवरलेप 'जे' हुक इस प्रकार लगाया जाये कि वह 2 अथवा 4 चद्दरों को कस ले। जहां कहीं 4 चद्दरें आ रही हैं, वहां कटिंग की जाये। यह कार्य उपयंत्री के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पन्न हो।

5. फिनिशिंग :

प्लिंथ (कुर्सी) स्तर तक की बीम, दीवाल एवं कॉलम की 1:6 सीमेंट मसाले से प्लास्टर किया जायेगा एवं 7 दिन तक तराई की जायेगी। प्लास्टर सूखने के पश्चात् सफेद सीमेंट से इसकी पुताई की जावेगी।

6. लागत :

क्र.	विवरण	शेड का आकार	मानक लागत (रुपये लाख में)
1.	टाइप-1 शेड 6 x 6 मीटर	6 मीटर x 6 मीटर	1.80
2.	टाइप-2 शेड 6 x 9 मीटर	6 मीटर x 9 मीटर	2.45

7. तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता :

7.1. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंता (कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री) निर्माण के तकनीकी पहलुओं और गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखेंगे।

7.2. निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अवधि दो माह नियत की जाती है। यदि कार्य वर्षा ऋतु के ठीक पहले प्रारंभ किया जाता है तो उसका नियोजन इस प्रकार किया जाए कि वर्षा के कारण क्षति न हो।

7.3. सहायक यंत्री निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगा और माह में एक बार माप व मूल्यांकन का सत्यापन करेगा।

7.4. उपयंत्री सतत् तकनीकी मार्गदर्शन देगा। नियत साप्ताहिक मजदूरी दिवस के पूर्व के दिन माप लेकर माप पुस्तिका में दर्ज करेगा और मूल्यांकन करेगा।

संलग्न : परिशिष्ट-3

(प्रियदर्शी खैरा)
प्रमुख अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक 7259/22/वि.-10/2016 **भोपाल, दिनांक 9.12.2016**

प्रतिलिपि :-

1. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. संभागायुक्त समस्त, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय।
5. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्।
6. ग्रामीण विकास विभाग की सभी शाखाएं।
7. गार्ड फाइल।

प्रमुख अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट-1

शांतिधाम 6 × 6 मीटर की अनुमानित लागत का विवरण

स.क्र.	**विवरण**	**लागत (रु.)**
1.	कुर्सी स्तर तक कार्य	34,678/-
2.	लोहे की कैंची, गार्डर, लोहे की चद्दर की लागत	1,30,726/-
3.	पुताई, पेन्ट कार्य की लागत	5,269/-
4.	शांतिधाम की सुरक्षा हेतु सीपीटी निर्माण की लागत	7,576/-
5.	सूचना बोर्ड एवं अन्य आवश्यक व्यय	1,751/-
	योग	**1,80,000/-**

शांतिधाम 6 × 9 मीटर की अनुमानित लागत का विवरण

स.क्र.	**विवरण**	**लागत (रु.)**
1.	कुर्सी स्तर तक कार्य	45,419/-
2.	लोहे की कैंची, गार्डर, लोहे की चद्दर की लागत	1,84,573/-
3.	पुताई, पेन्ट कार्य की लागत	5,336/-
4.	शांतिधाम की सुरक्षा हेतु सीपीटी निर्माण की लागत	7,576/-
5.	सूचना बोर्ड एवं अन्य आवश्यक व्यय	2,096/-
	योग	**2,45,000/-**

टाईप-1, परिशिष्ट-2

शांतिधाम का मानक प्राक्कलन (6 मी. x 6 मी.)

क्र.	आयटम नं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1.	307	कड़ी मिट्टी में नींव की खुदाई, ड्रेसिंग सहित, खुदाई की मिट्टी को 50 मी. की दूरी तथा 1.50 मी. की ऊंचाई तक फेंकने सहित सम्पूर्ण कार्य।				
	(b)	(ख) सघन मिट्टी में	11.23	घन मी.	127.70	1434.33
2.	413 (b)	नींव/फर्श में 1:3:6 (1 भाग सीमेंट, 4 भाग रेत एवं 8 भाग 40 मिमी. आकार की क्रशर गिट्टी) को मिलाकर आवश्यकतानुसार पानी मिलाना, कुटाई करना एवं 14 दिन तक तराई करना।	1.39	घन मी.	2562.80	3567.41
3.	425 (b)	आरसीसी गिट्टी 1:1.5:3 (1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग रेत एवं आग 20 मिमी. आकार की क्रशर गिट्टी) को मिलाकर आवश्यकतानुसार पानी मिलाना, कुटाई करना एवं 14 दिन तक तराई करना (ख) सीमेंट कांक्रीट 1:1.5:3	2.60	घन मी.	4916.00	12764.39
4.	904 (a)	लोहे के सरिये की कटाई, मुड़ाई निर्धारित आकार देना एवं यथा स्थान गेल्वनाईज्ड तार 18 गेज से बांधना आदि सम्पूर्ण कार्य आरसीसी हेतु । (ख) Cold twisted/Hot rolled deformed steel bars	142.68	कि.ग्रा.	51.70	7376.44
5.	605 (k)	ओपन भट्टा ईंट की जुड़ाई सीमेंट मसाला 1:8 में करना (ठ) सीमेंट मसाला 1:8	2.30	घन मी.	2984.50	6876.29
6.	1005 (c)	10 मिमी. मोटा सीमेंट प्लास्टर दीवार की खुरदरी सतह पर (ग) सीमेंट मसाला 1 : 5	12.60	वर्ग मी.	96.20	1212.12
7.	402	खाइयों कुर्सी नींव की बगलों में कड़ी मुरूम की भराई दुरमुटों में कुटाई पानी सिंचाई	12.54	घन मी.	247.90	3109.66
8.	902	दरवाड़े खिड़की हेतु लोहे के अंगलर एवं चादर के पल्ले के कार्य अन्य आवश्यक सामग्री एवं कब्जे सहित बनाना और लगाना।	1204.54	कि.ग्रा.	71.70	86365.23

क्र.	आयटम नं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
9.	1101 (b)	लोहे की गेल्वनाईज्ड चद्दर छत में लगाना, जे, एल-हुक सहित पूर्ण कार्य (ख) 0.80 मिमी. मोटी	51.20	वर्ग मी.	800.30	40975.36
10.	1103 (b)	ट्रस के ऊपर लोहे की गेल्वनाईज्ड शीट (रिज) लगाना एवं जे एवं एल हुक से फिक्स करना	6.40	प्रति मी.	528.90	3384.96
11.	1314 (b)	दीवार की सतह पर आवश्यक रंग के स्नोसेम या ड्यूरोसेस से पुताई करना (क) नये काम पर तीन परतें	10.80	वर्ग मी.	24.90	268.92
12.	1337 (a)	लोहे की ट्रस, परलिन, पोस्ट आदि पर 2 कोट पेंट करना साफ-सफाई सहित (ख) 2 तहों में	लम्पसम			5000.00
12.	2530 (a)	**पशु अवरोधक नाली** पूर्व की कड़ी मिट्टी जैसे मुरूम आदि की सतह को मशीन से 30 सेमी. से अधिक गहराई में ढीला करना, मशीन के समस्त व्यवय सहित।	125.00	घन मी.	2.70	337.50
	2530 (b)	मशीन से ढीली की हुई मिट्टी को ड्रेसिंग एवं ढेले तोड़ते हुए लेवल में फैलाना, 20 मी. लीड एवं 1.50 मी. लिफ्ट तक	125.00	घन मी.	50.00	6250.00
		योग				**178922.61**
		राशि रु. लाख में				**1.80**

SHANTI DHAM/MUKTI DHAM

Type-I
टाईप 1

शांति धाम / मुक्ती धाम

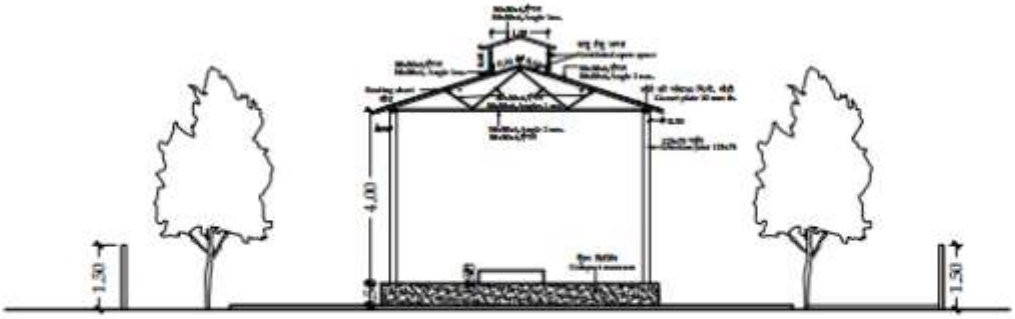

ELEVATION एलिवेशन

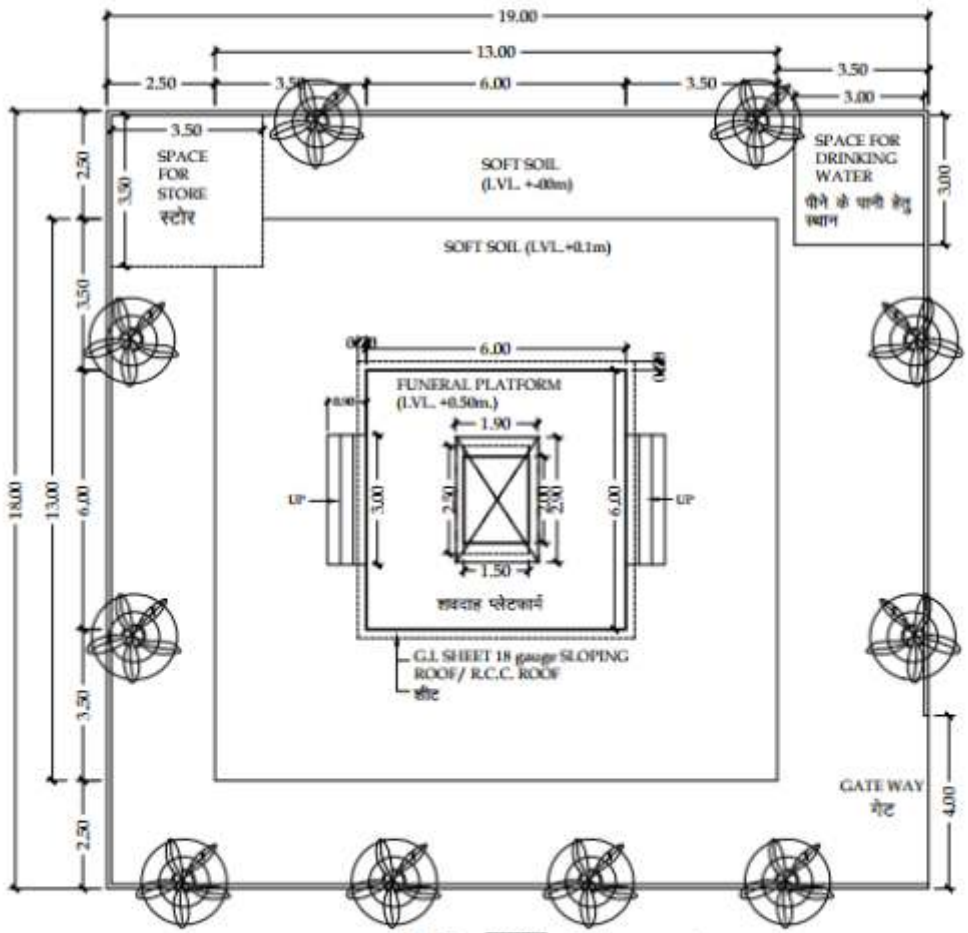

PLAN प्लान (दिनांक 01.08.15)

AREA=54.0 sqm क्षेत्रफल =36.0 वर्ग मी.

अनुमानित लागत –रु 1.80 लाख (दिनांक 01.02.16 से प्रभावशील एस.ओ.आर अनुसार)

Drawn By: Ar. Kiran Patidar
Note:-All dimensions in Metre.
नोट :- सभी नाप मीटर में है।

लोहे के गर्डर एंव आर.सी.सी कॉलम का ज्वाइंट

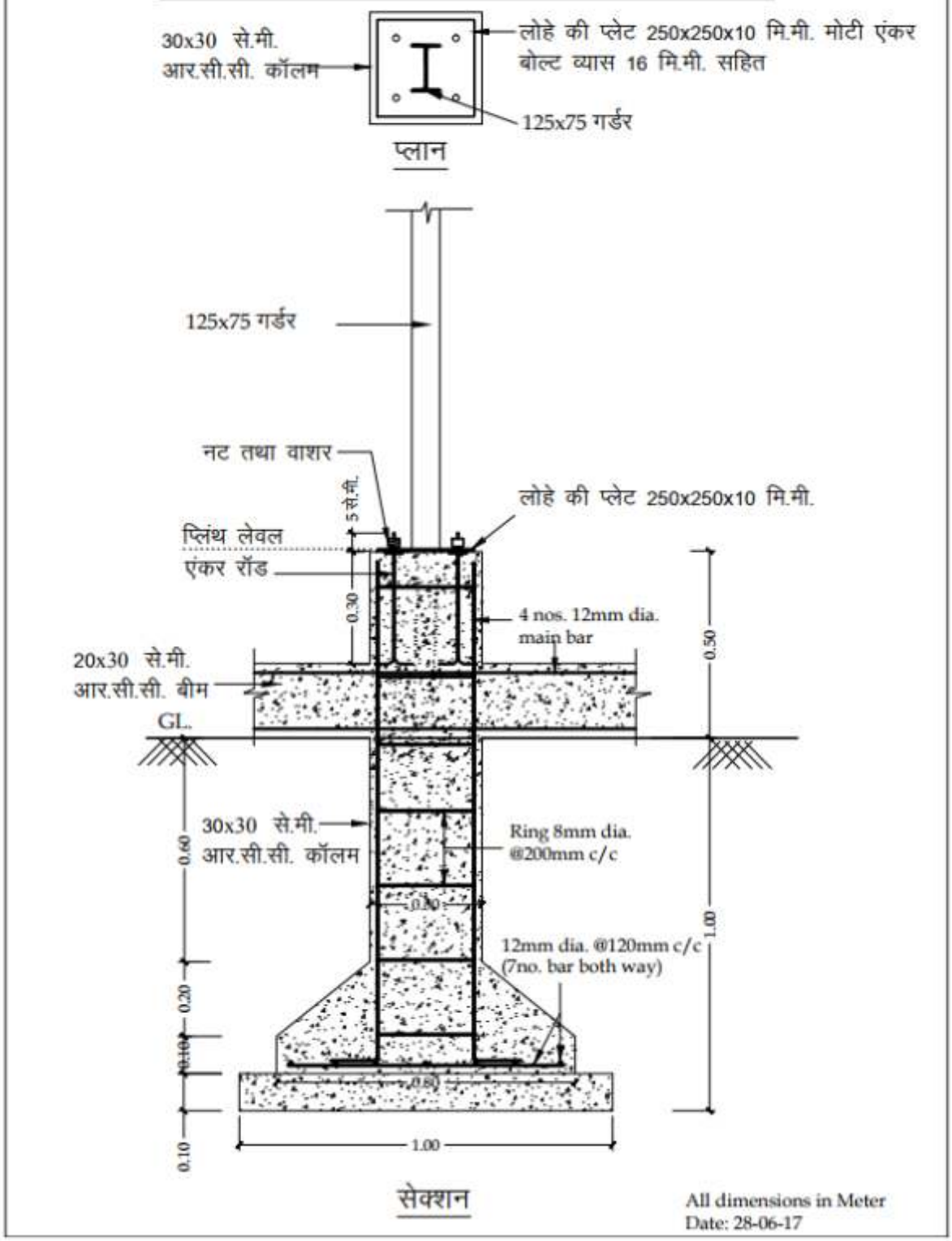

परिशिष्ट-3

शांतिधाम का मानक प्राक्कलन (6 मी. x 9 मी.) टाईप-2

क्र.	आयटम नं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	307	कड़ी मिट्टी में नींव की खुदाई, ड्रेसिंग सहित, खुदाई की मिट्टी को 50 मी. की दूरी तथा 1.50 मी. की ऊंचाई तक फेंकने सहित सम्पूर्ण कार्य।				
	(b)	(ख) सघन मिट्टी में	19.73	घन मी.	127.70	2519.27
2	413(b)	नींव/फर्श में 1:3:6 (1 भाग सीमेंट, 4 भाग रेत एवं 8 भाग 40 मिमी. आकार की क्रशर गिट्टी) को मिलाकर आवश्यकतानुसार पानी मिलाना, कुटाई करना एवं 14 दिन तक तराई करना।	1.62	घन मी.	2562.80	4141.48
3.	425 (b)	आरसीसी गिट्टी 1:1.5:3 (1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग रेत एवं आग 20 मिमी आकार की क्रशर गिट्टी) को मिलाकर आवश्यकतानुसार पानी मिलाना, कुटाई करना एवं 14 दिन तक तराई करना (ख) सीमेंट कांक्रीट 1:1.5:3	3.51	घन मी.	4916.00	17264.99
4.	904(a)	लोहे के सरिये की कटाई, मुड़ाई निर्धारित आकार देना एवं यथा स्थान गेल्वनाईज्ड तार 18 गेज से बांधना आदि सम्पूर्ण कार्य आरसीसी हेतु । (ख) Cold twisted/Hot rolled deformed steel bars	192.98	कि.ग्रा.	51.70	9977.29
5.	605 (k)	ओपन भट्टा ईंट की जुड़ाई सीमेंट मसाला 1:8 में करना (ठ) सीमेंट मसाला 1:8	2.84	घन मी.	2984.50	8487.92
6.	1005 (c)	10 मिमी. मोटा सीमेंट प्लास्टर दीवार की खुरदरी सतह पर (ग) सीमेंट मसाला 1 : 5	15.30	वर्ग मी.	96.20	1471.86
7.	402	खाइयों कुर्सी नींव की बगलों में कड़ी मुरूम की भराई दुरमुटों से कुटाई पानी सिंचाई	19.26	घन मी.	247.90	4775.55
8.	902	दरवाड़े खिड़की हेतु लोहे के एंगल एवं चादर के पल्ले के कार्य अन्य आवश्यक सामग्री एवं कब्जे सहित बनाना और लगाना।	1687.66	कि.ग्रा.	71.70	121005.28
9.	1101 (b)	लोहे की गेल्वनाईज्ड चद्दर छत में लगाना, जे, एल-हुक सहित पूर्ण कार्य (ख) 0.80 मिमी. मोटी	75.20	वर्ग मी.	800.30	60182.56

क्रं.	आयटम नं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
10.	1103(b)	ट्रस के ऊपर लोहे की गेल्वनाईज्ड शीट (रिज) लगाना एवं जे एवं एल हुक से फिक्स करना	6.40	प्रति मी.	528.90	3384.96
11.	1314 (b)	दीवार की सतह पर आवश्यक रंग के स्नोसेम या ड्यूरोसेम से पुताई करना (क) नये काम पर तीन परतें	13.50	वर्ग मी.	24.90	336.15
12.	1337 (a)	लोहे की ट्रस, परलिन, पोस्ट आदि पर 2 कोट पेंट करना साफ-सफाई सहित (ख) 2 तहों में	लम्पसम			5000.00
13.		**पशु अवरोधक नाली**				
	2530 (a)	पूर्व की कड़ी मिट्टी जैसे मुरूम आदि की सतह को मशीन से 30 सेमी. से अधिक गहराई में ढीला करना, मशीन के समस्त व्यय सहित	125.00	घन मी.	2.70	337.50
	2530 (b)	मशीन से ढीली की हुई मिट्टी को ड्रेसिंग एवं ढेले तोड़ते हुए लेवल में फैलाना, 20 मी. लीड एवं 1.50 मी. लिफ्ट तक	125.00	घन मी.	50.00	6250.00
		योग				**245134.81**
		राशि रु. लाख में				**2.45**

SHANTI DHAM/MUKTI DHAM
शांति धाम / मुक्ती धाम

Type-II
टाईप 2

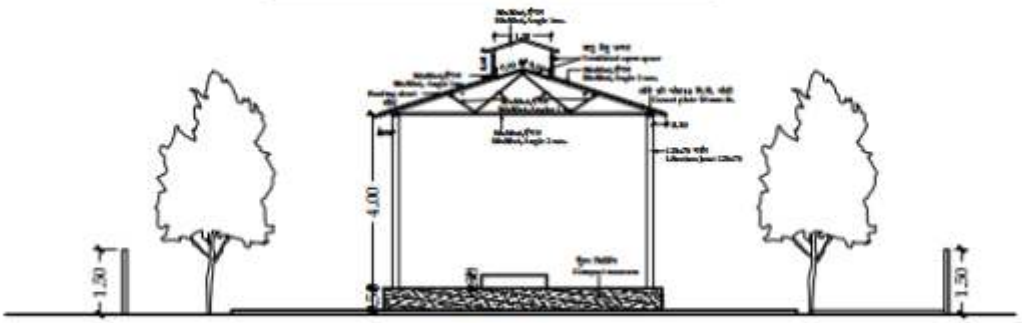

ELEVATION

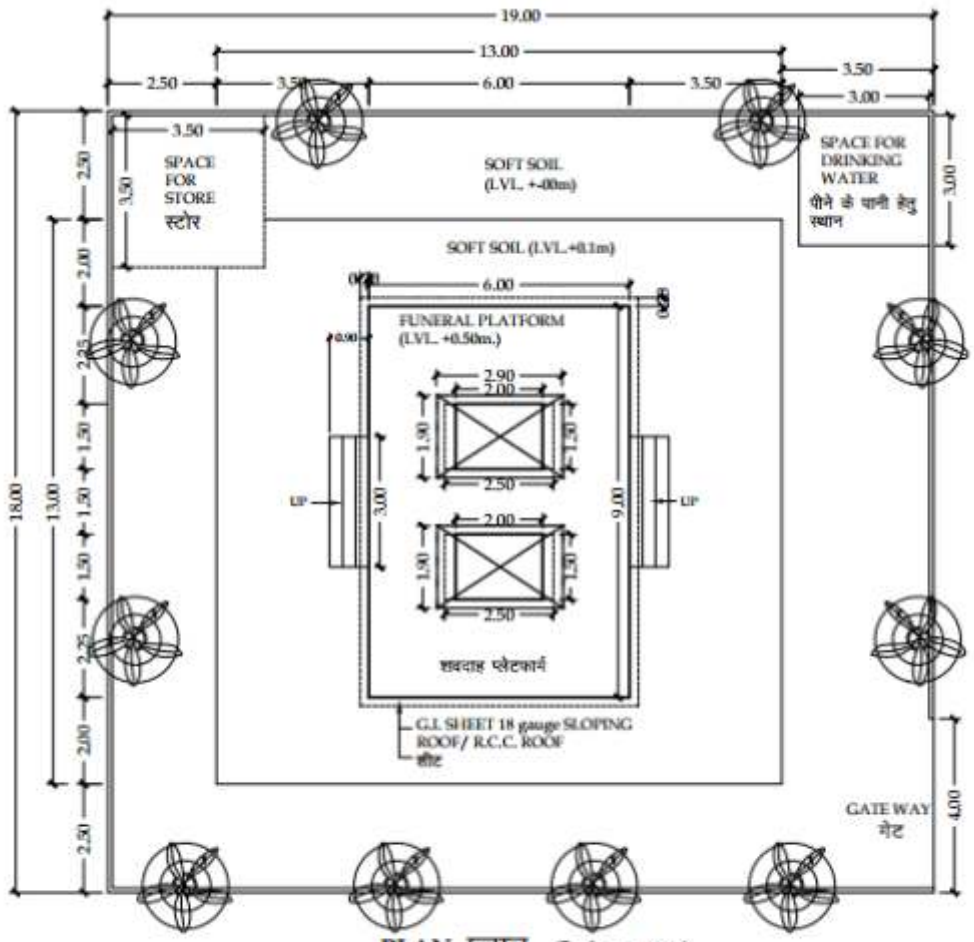

PLAN प्लान (दिनांक 01.08.15)

AREA=54.0 sqm क्षेत्रफल =54.0 वर्ग मी.

अनुमानित लागत –रु 2.45 लाख (दिनांक 01.02.16 से प्रभावशील एस.ओ.आर अनुसार)

Drawn By: Ar. Kiran Patidar
Note- All dimensions in Metre.
नोट :- सभी माप मीटर में है।

लोहे के गर्डर एंव आर.सी.सी कॉलम का ज्वाइंट

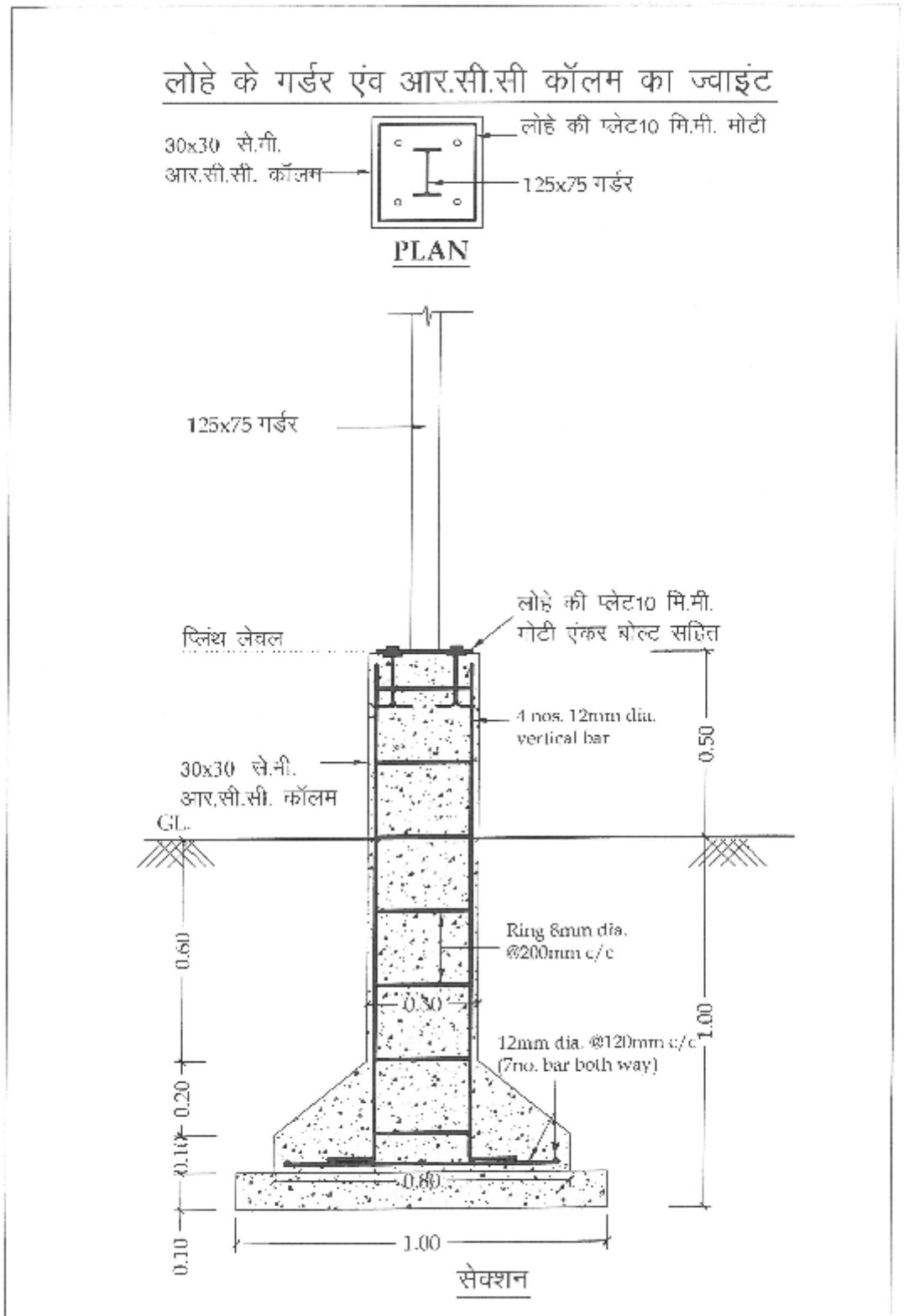

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6462/22/वि.10/2017 **भोपाल, दिनांक 23.05.2017**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय : बड़ी नदियों के किनारे शांतिधाम का निर्माण।

नर्मदा तथा बड़ी नदियों के किनारे ऐसे स्थानों, जहां आस-पास के क्षेत्रों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, पर शांतिधाम निर्माण हेतु प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के परामर्श अनुसार निम्नानुसार मानक प्राक्कलन एवं लागत निर्धारित की जाती है :-

क्र.	विवरण	विवरण/लागत (रु. लाख में)			
		टाईप-1	**लागत**	**टाईप-2**	**लागत**
	न्यूनतम आबादी	10,000		8,000	
	न्यूनतम क्षेत्रफल	7,500 वर्ग मी.		5,000 वर्ग मी.	
1.	विश्राम स्थल	9.5 x 7 मी.	4.50	9.5 x 7 मी.	4.50
2.	शवदाह गृह	6 x 9 मी. 2 यूनिट (4 शव हेतु)	4.90	6 x 9 मी. 2 यूनिट (4 शव हेतु)	4.90
3.	मुंडन संस्कार चबूतरा	5.4 x 3.6 मी.	0.50	5.4 x 3.6 मी.	0.50
4.	शव विश्राम चबूतरा	1.50 x 2.25 मी.	0.20	1.50 x 2.25 मी.	0.20
5.	कार्यालय सह काष्ठ भण्डार	4.0 x 7.0 मी.	2.00	4.0 x 7.0 मी.	2.00
6.	प्रसाधन व्यवस्था	शौचालय 1.2 मी. x 1.2 मी. - 1 नग मूत्रालय 3 नग पानी की टंकी 3,000 ली.	1.50	शौचालय 1.2 मी. x 1.2 मी. - 1 नग मूत्रालय 3 नग पानी की टंकी 3,000 ली.	1.50
7.	स्थल विकास, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं आंतरिक मार्ग	-	5.00	-	3.00
8.	गेट	6 मी. चौड़ा 4.50 मी. ऊँचा आरसीसी गेट	0.50	6 मी. चौड़ा 4.50 मी. ऊँचा आरसीसी गेट	0.50
9.	हैण्डपम्प/ट्यूबवेल मोटर सहित		1.90		1.90
10.	सोलर लाईट व्यवस्था		1.00		1.00
	योग लागत		**22.00**		**20.00**

2. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा स्वीकृत मानक रूपांकन संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

3. उक्त तालिका अनुसार शांतिधाम विकसित करने के लिए पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तालिका में निर्दिष्ट कार्यों में से किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होने की दशा में उसकी लागत कम करते हुए तकनीकी स्वीकृति इस पत्र के आधार पर बिना विस्तृत प्राक्कलन बनाए संबंधी सहायक यंत्री जारी कर सकेंगे।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से अपेक्षा है कि वे कलेक्टर से विचार विमर्श कर जिले में उक्त तालिका अनुसार टाईप-1 एवं टाईप-2 शांतिधाम की आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव निम्न प्रारूप में अर्द्ध शासकीय पत्र से विकास आयुक्त को दो सप्ताह में भेजें :-

नदी	स्थान/ग्राम	उपलब्ध क्षेत्रफल	संबद्ध ग्रामों के नाम	संबद्ध ग्रामों की जनसंख्या	शांतिधाम का टाईप

5. जो ग्राम उक्त बिन्दु 4 के तहत् बड़ी नदी के किनारे शांतिधाम से संबद्ध हों उनके लिये पृथक से शांतिधाम नहीं बनाये जायें।

6. उक्त तालिका में दर्शाये कार्यों से अधिक की आवश्यकता की दशा में क्षेत्रीय विधायक/सांसद/जिला पंचायत/जनपद पंचायत के सदस्य के विकल्प पर उपलब्ध धनराशि अथवा निजी सहयोग से अतिरिक्त कार्य कराये जाने पर कोई बंधन नहीं है। ऐसे अतिरिक्त कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित मद से पृथक से सक्षम स्तर से जारी की जाये।

संलग्न- परिशिष्ट।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 6453/22/वि.10/2017 **भोपाल, दिनांक 23.05.2017**

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
3. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.से., मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

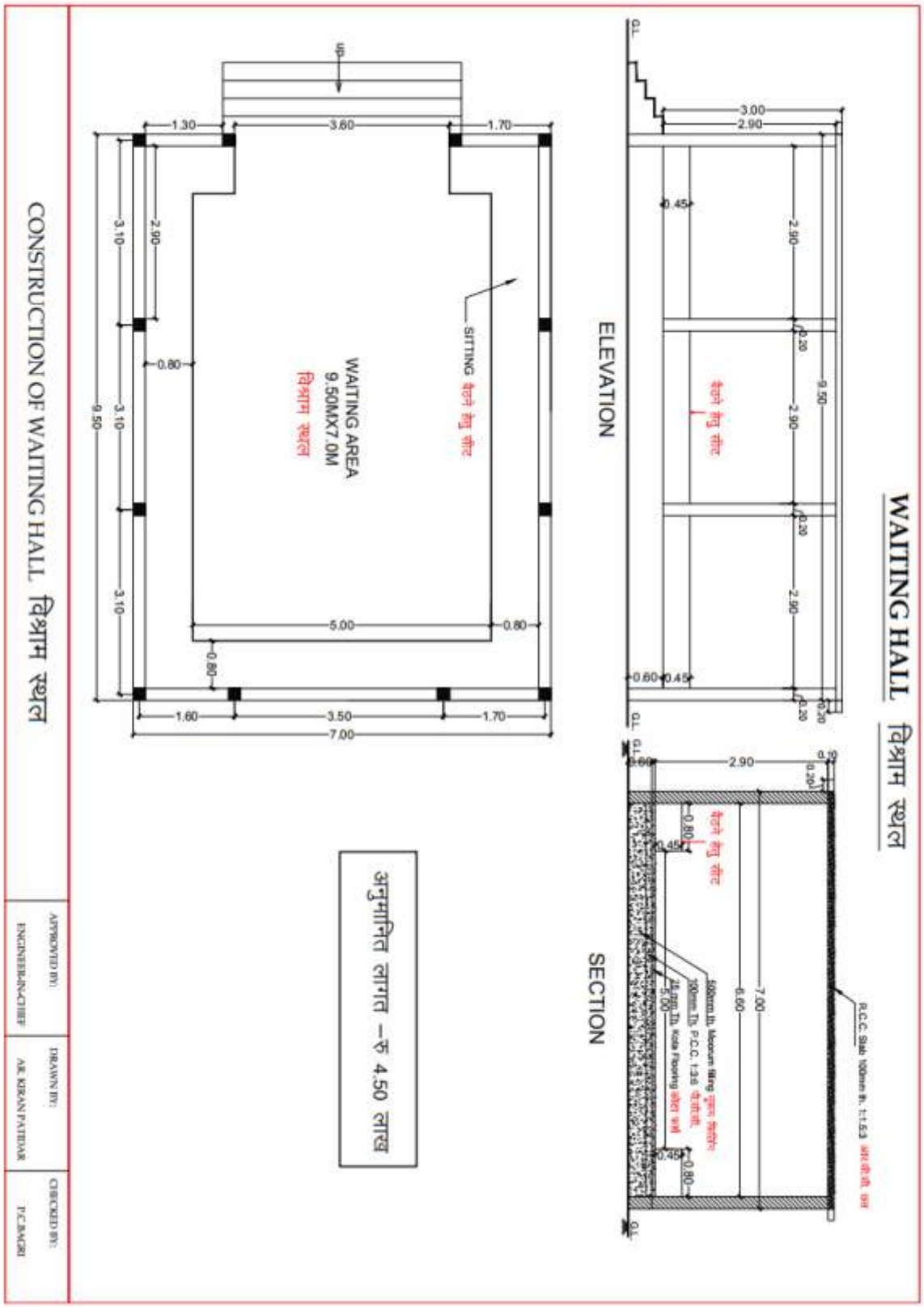

WAITING HALL विश्राम स्थल
ELEVATION
बैठने हेतु सीट
SECTION
R.C.C. Slab 100mm th. 1:1.5:3 आर.सी.सी. छत
WAITING AREA
9.50MX7.0M
विश्राम स्थल
SITTING बैठने हेतु सीट
UP
अनुमानित लागत –रु 4.50 लाख
CONSTRUCTION OF WAITING HALL विश्राम स्थल
APPROVED BY:
ENGINEER-IN-CHIEF
DRAWN BY:
AE KIRAN PATIDAR
CHECKED BY:
P.C.BAGRI

शांति धाम / मुक्ती धाम

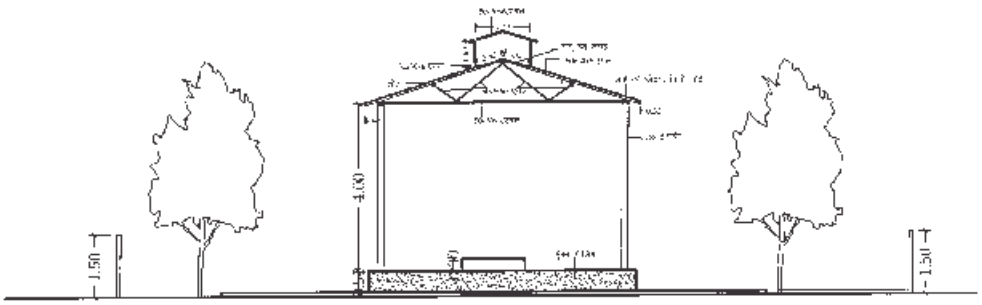

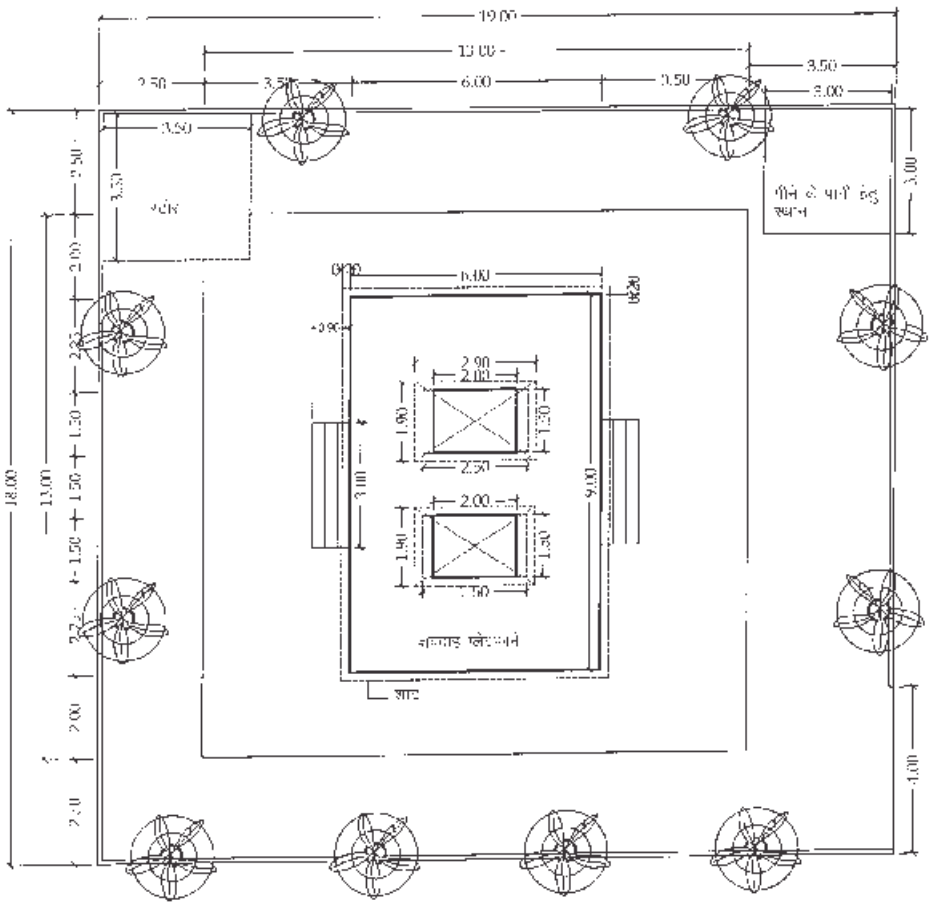

प्लान (दिनांक 01.08.15)

क्षेत्रफल =54.0 वर्ग मी.

अनुमानित लागत रु 2.45 लाख (दिनांक 01.02.16 से प्रभावशील एस.ओ.आर अनुसार)

मुंडन संस्कार चबूतरा
Mundan Sanskar Chabutara

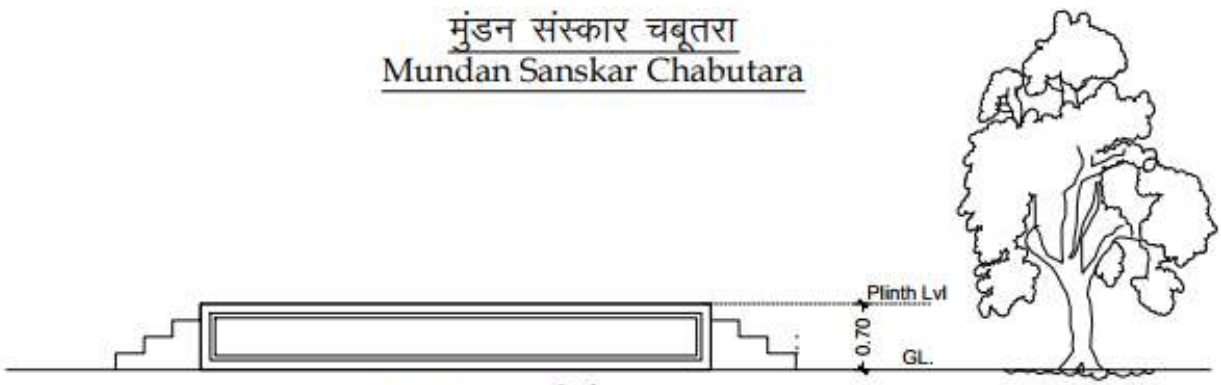

ELEVATION एलिवेशन

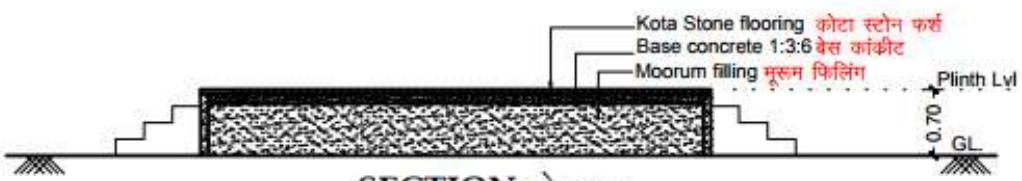

SECTION सेक्शन

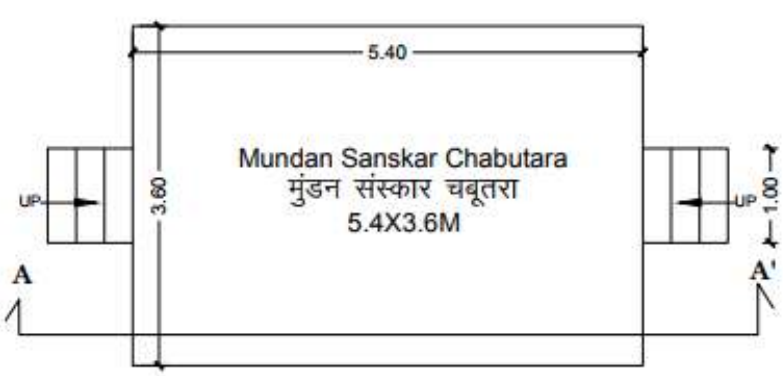

PLAN प्लान
Area=19.44 sqm. क्षेत्रफल–19.44 वर्ग मी.

अनुमानित लागत –रु 0.50 लाख

मुंडन संस्कार चबूतरा MUNDAN SANSKAR CHABUTARA
PLAN, ELEVATION & SECTION DRAWING NOT TO SCALE
DATE: 16-05-2017
APPROVED BY:
ENGINEER-IN-CHIEF R.E.S.
SUP. ENGINEER R.E.S.
DESIGN BY:
AR. KIRAN PATIDAR
CHECKED BY:
P.C.BAGRI

शव विश्राम चबूतरा

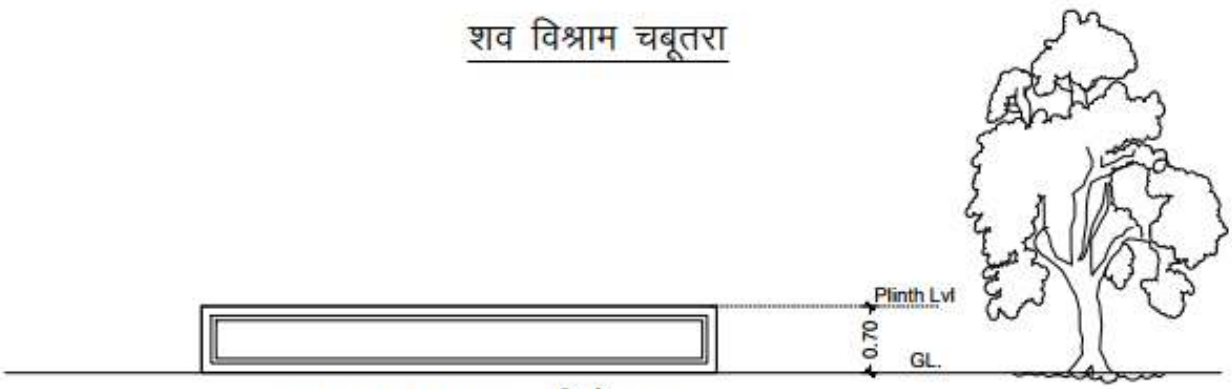

ELEVATION एलिवेशन

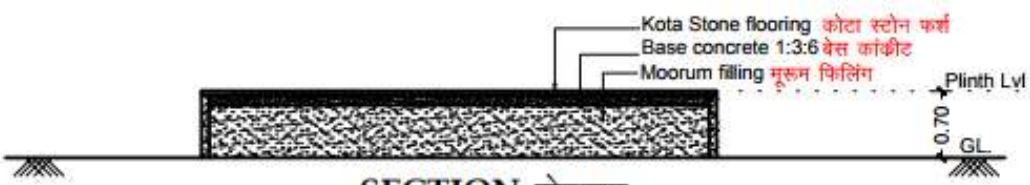

SECTION सेक्शन

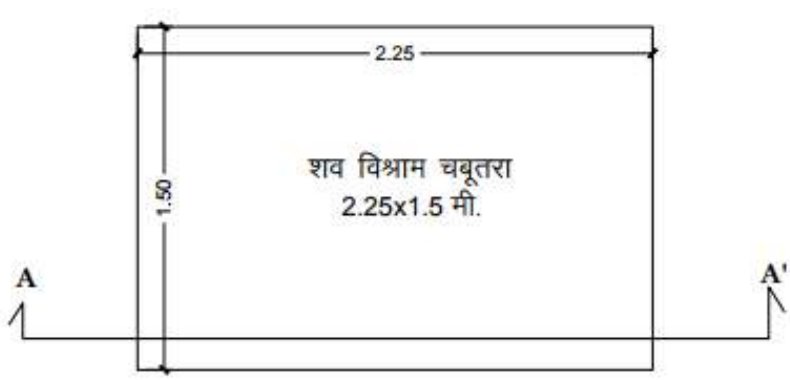

PLAN
Area=3.38 sqm.

प्लान
क्षेत्रफल–3.38 वर्ग मी.

अनुमानित लागत –रु 0.20 लाख

शव विश्राम चबूतरा CHABUTARA
PLAN, ELEVATION & SECTION DRAWING NOT TO SCALE
DATE: 17-05-2017
APPROVED BY:
ENGINEER-IN-CHIEF R.E.S.
SUP. ENGINEER R.E.S.
DESIGN BY:
AR. KIRAN PATIDAR
CHECKED BY:
P.C.BAGRI

WOOD STORE CUM OFFICE कार्यालय सह काष्ठ भंडार

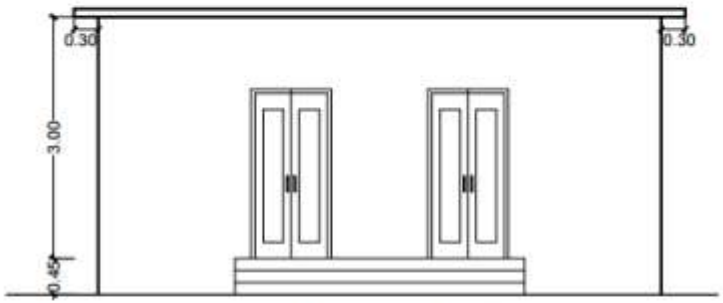

ELEVATION एलिवेशन

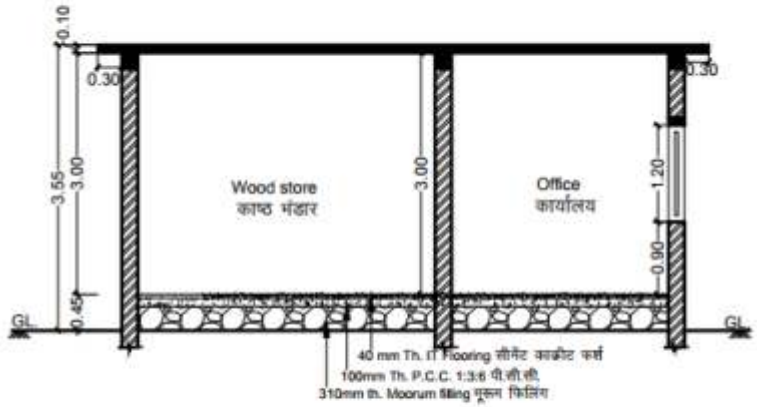

SECTION-AA सेक्शन

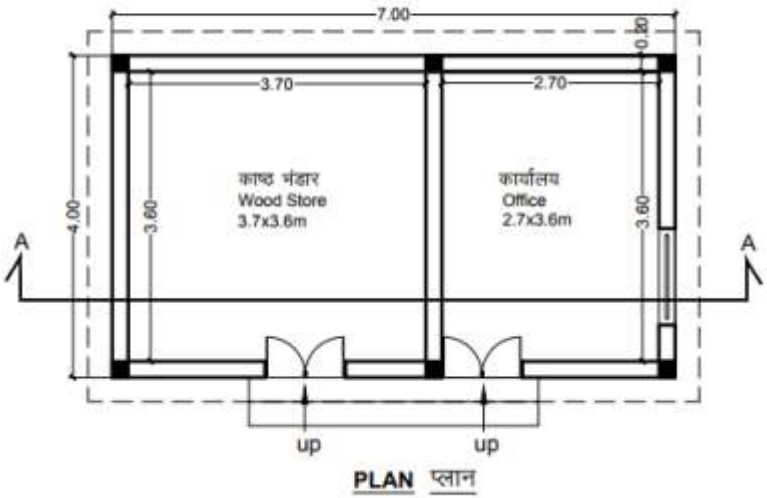

PLAN प्लान

STATEMENT OF AREA	
1. Office area =	11.60 sqm.
2. Wood store area =	16.40 sqm.
3. Building plinth area =	28.00 sqm.

लागत

अनुमानित लागत –रु 2.00 लाख

Drawn by: Ar. Kiran Patidar
Chacked by: P.C.Bagri
Date: 16-05-2017

प्रसाधन व्यवस्था TOILET UNIT

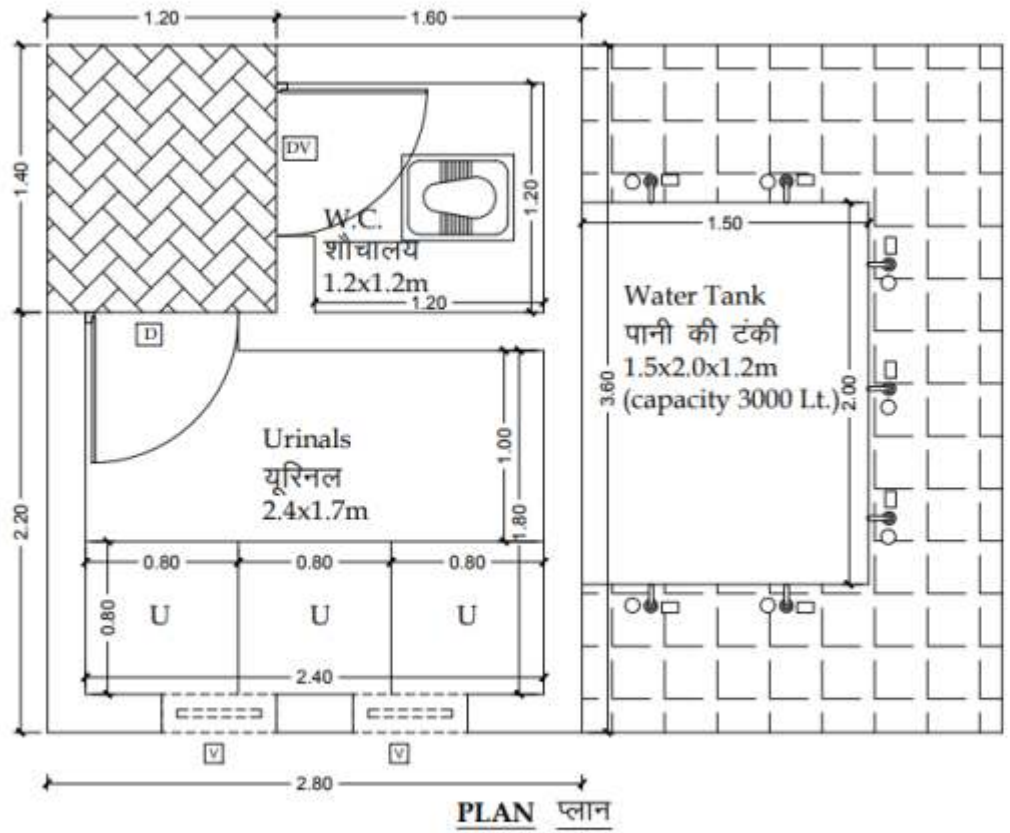

PLAN प्लान

DETAIL OF SOAK PIT

सोक पिट

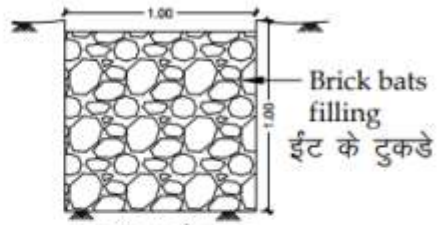

Section सेक्शन

Plan प्लान

अनुमानित लागत –रु 1.50 लाख

Design by: Ar. Kiran Patidar
Checked by: P.C.bagri
Note: Drawing not to scale.
Date: 16.05.2017

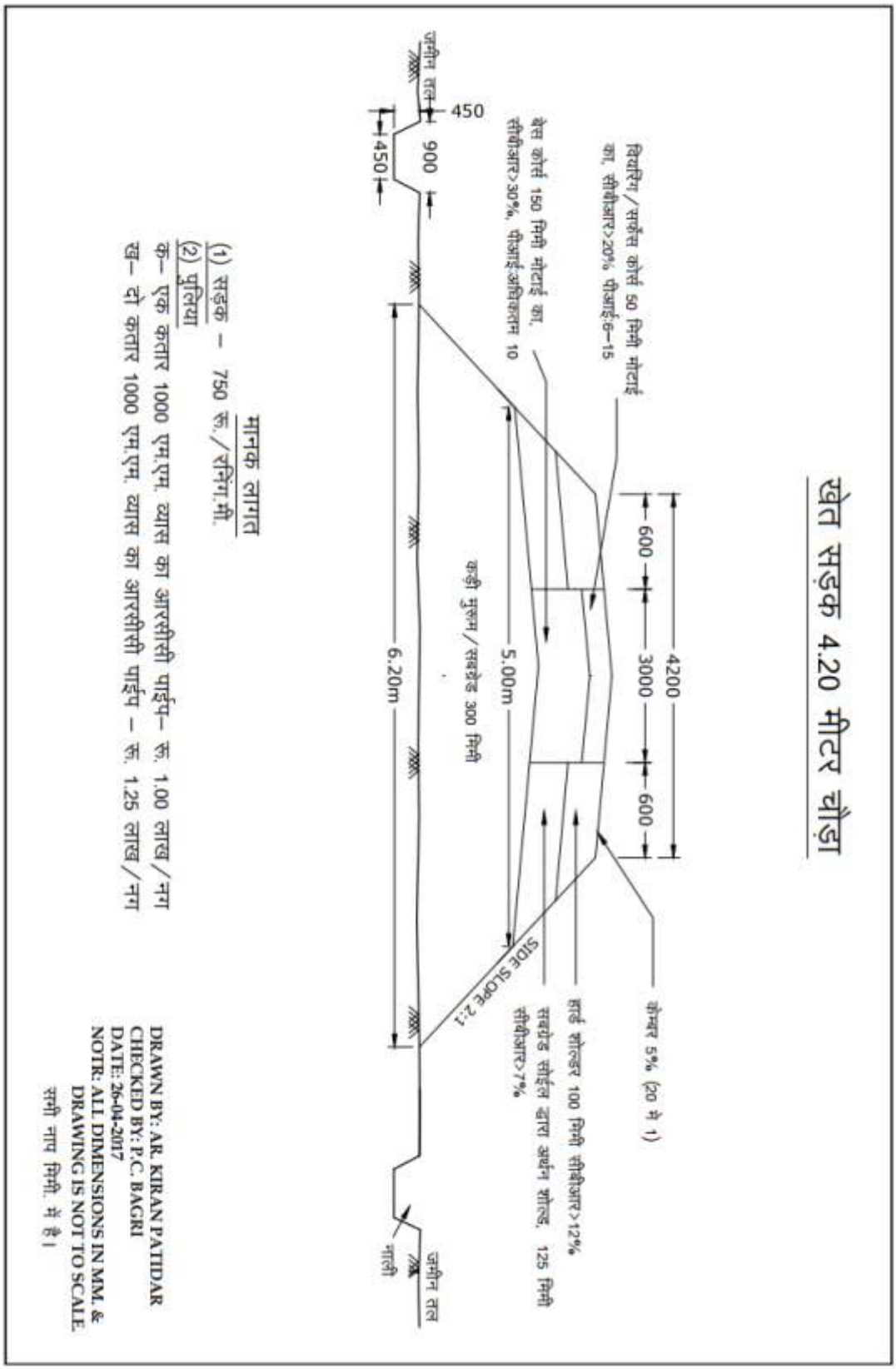

खेत सड़क 4.20 मीटर चौड़ा

मानक लागत

(1) सड़क – 750 रू./रनिंग.मी.

(2) पुलिया

क– एक कतार 1000 एम.एम. व्यास का आरसीसी पाईप– रू. 1.00 लाख/नग

ख– दो कतार 1000 एम.एम. व्यास का आरसीसी पाईप – रू. 1.25 लाख/नग

DRAWN BY: AR. KIRAN PATIDAR
CHECKED BY: P.C. BAGRI
DATE: 26-04-2017
NOTR: ALL DIMENSIONS IN MM. & DRAWING IS NOT TO SCALE.
सभी नाप मिमी. में है।

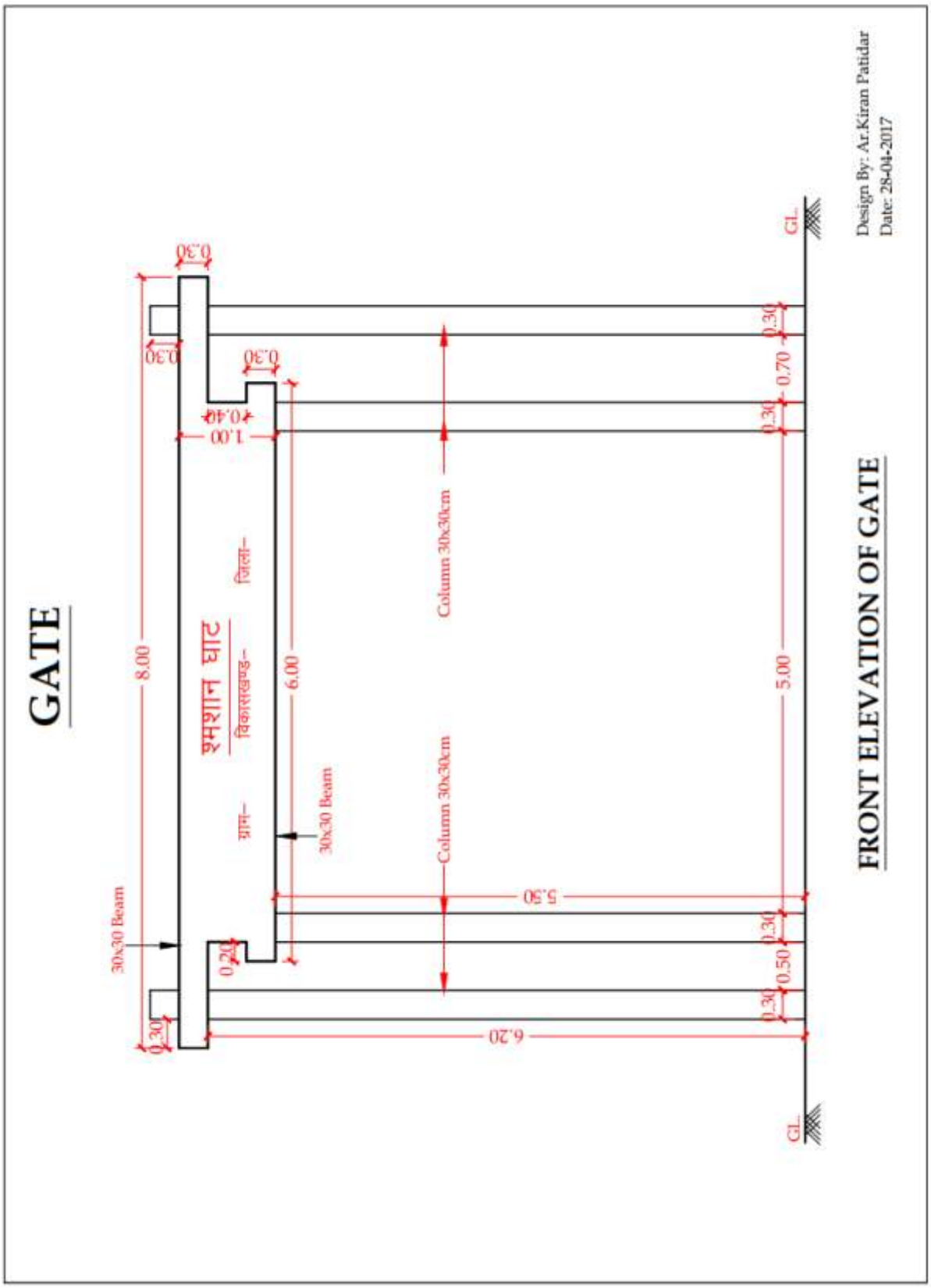

GATE
श्मशान घाट
ग्राम-
विकासखण्ड-
जिला-
30x30 Beam
30x30 Beam
Column 30x30cm
Column 30x30cm
8.00
6.00
5.00
5.50
6.20
1.00
0.40
0.30
0.70
0.50
0.20
GL
GL
FRONT ELEVATION OF GATE
Design By: Ar.Kiran Patidar
Date: 28-04-2017

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक : 12443/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 **भोपाल, दिनांक 9.12.2016**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर (मध्यप्रदेश)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (मध्यप्रदेश)
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना-मानक डिजाइन एवं प्राक्कलन।

संदर्भ :- शासन का पत्र क्रमांक 9543/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/13 दिनांक 12.12.2013

राज्य शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

I खेल का मैदान ग्राम में ऐसे स्थान पर विकसित किया जाए जिसका सहजता से उपयोग किया जा सके। स्कूल एवं पंचायत भवन से लगे प्रांगण खेल का मैदान विकसित करने के लिए उपयुक्त होते हैं और उनका उपयोग भी सहज होता है।

II प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने खेल मैदान के स्थल चयन तथा विकास के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो विभागीय वेबसाइट prd.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं।

III प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने खेल मैदान की मानक डिजाइन, प्राक्कलन तथा लागत अनुमोदित की है जो इस पत्र के परिशिष्ट-1 एवं 2 में संलग्न है। मानक आकार के खेल मैदान बनाए जाने की दशा में पृथक से तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन बनाया जाना आवश्यक नहीं होगा। प्रमुख अभियंता द्वारा जारी मानक प्राक्कलन एवं लागत को ही प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मान्य किया जा सकेगा।

IV प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा दो मानक डिजाइन बनाई गयी हैं। इनके आकार क्रमशः 100 x 100 मीटर तथा 80 x 60 मीटर हैं। खेल मैदान के आकार में मौके की स्थिति के अनुसार तब्दीली की जा सकती है बशर्ते कि खेल मैदान का क्षेत्रफल 4,000 वर्गमीटर से कम न हो।

V बैठक व्यवस्था हेतु 10 x 1 मीटर की ईंट/कांक्रीट की बैंच एवं पृथक-पृथक पुरुष तथा महिला मूत्रालय के निर्माण के लिए लागत रु. 33,000/- निर्धारित की जाती है। खेल का मैदान विकसित करने के लिए प्रति वर्गमीटर रु. 32/- मानक लागत निर्धारित की जाती है।

VI खेल मैदान 100 x 100 मीटर अर्थात् 10,000 वर्गमीटर का होने की दशा में मैदान की लागत रु. 3,20,000 एवं बैठक व्यवस्था तथा मूत्रालय निर्माण की लागत रु. 33,000 कुल लागत रु. 3,53,000 होगी। यदि खेल मैदान का आकार 80x60 मीटर अर्थात 4800 वर्गमीटर हो तो लागत रु. 1,53,600+33,000 कुल रु. 1,86,600 होगी।

2. राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है:-

(अ) जिन पंचायतों में खेल के मैदान विकसित नहीं किए गए हैं उनमें खेल मैदान विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए समयसीमा- 31 दिसम्बर 2016

(अ) जिन पंचायतों में खेल के मैदान विकसित नहीं किए गए हैं उनमें तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति देने के लिए समयसीमा- 15 जनवरी 2017

(स) निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए समयसीमा - 26 जनवरी 2017.

(द) निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए समयसीमा - 31 मई 2017.

3. आपसे अपेक्षा है कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में वर्षा ऋतु के पूर्व खेल मैदान बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करें। वीडियो कांफ्रेंस में मैं प्रगति की नियमित समीक्षा करूंगा।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ क्र. 12444/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 **भोपाल, दिनांक 9.12.2016**

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त समस्त।
2. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. ओ.एस.डी., मा. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. संयुक्त आयुक्त, समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
8. समस्त ग्राम पंचायत को वेबसाइट पर प्रकाशन से।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

कार्यालय प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
"बी" विंग, द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक 7256/22/वि-10/2016 **भोपाल, दिनांक 09/12/2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. मुख्य अभियंता (समस्त), मध्यप्रदेश
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र, मध्यप्रदेश
3. अधीक्षण यंत्री (समस्त),
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त),
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश,
5. कार्यपालन यंत्री (समस्त),
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश

विषय- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत "ग्रामीण क्रीड़ांगन" उपयोजना विषयक तकनीकी दिशा-निर्देश।

संदर्भ- विकास आयुक्त का पत्र क्र 12443/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 भोपाल दिनांक 09.12.2016

महात्मा गांधी मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्रीड़ागन उपयोजना के संबंध में दिशा-निर्देश विकास आयुक्त द्वारा जारी किये गये हैं। इसी तारतम्य में ग्रामीण क्रीड़ागन के निर्माण के संबंध में विस्तृत तकनीकी दिशा-निर्देश एवं माडल प्राक्कलन निम्नानुसार जारी किये जाते हैं:-

1. स्थल का चयन :

1.1 क्रीड़ांगन के निर्माण के लिये सामान्यतः समतल एवं आयताकार भूमि उपयुक्त होती है। ऊबड़-खाबड़ एवं ज्यादा ऊंची-नीची भूमि में समतलीकरण में व्यय अधिक होता है। कार्य स्थल ग्राम एवं स्कूल के पास हो एवं वर्षाकाल में आवागमन सुगम हो।

1.2 काली मिट्टी के क्षेत्रों में मैदान बनाने में विशेष अतिरिक्त सावधानी आवश्यक होगी।

2. सीपीटी निर्माण (पशु अवरोधक नाली)

2.1 भूमि का अधिपत्य हो जाने के पश्चात् सबसे पहले प्रापर्टी लाइन से सटाते हुए सीपीटी को मार्क किया जावे एवं चूने की लाइन डाली जावे।

2.2 सीपीटी की खुदाई का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाये। सीपीटी की ऊपरी चौड़ाई 2.25 मीटर, गहराई 0.75 मीटर एवं नीचे की चौड़ाई 0.75 मीटर होगी। खुदाई पश्चात् उपयोगी मिट्टी को खेल मैदान में समतलीकरण हेतु उपयोग में लाया जायेगा। अन्य अनुपयोगी मिट्टी, पत्थर आदि को खाई के किनारे पर अंदर की ओर एकत्रित किया जाये।

2.3 जिले के क्षेत्र में बड़े बोल्डर की उपलब्धता होने पर सीपीटी के स्थान पर ड्राय बोल्डर वॉल भी बनाई जा सकती है।

3. खेल मैदान निर्माण :

3.1 खुदाई एवं समतलीकरण करते समय मैदान का स्लोप पानी के बहाव की दिशा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाये। यह स्लोप लगभग 1:500 स्थल के पानी की निकासी अनुसार होगी। यदि पानी का ढाल मैदान के लगभग मध्य से दोनों ओर है, तो ढाल दोनों दिशाओं में दिया जाये।

3.2 मैदान समतलीकरण करने के लिये अच्छे किस्म की मिट्टी अथवा मुरूम की आवश्यकता होगी। सीपीटी से प्राप्त मिट्टी/मुरूम का उपयोग इस हेतु किया जा सकता है। यदि इसके पश्चात् भी मुरूम की आवश्यकता होती है तो, स्थल के न्यूनतम दूरी से लाई जाकर एकत्रित की जावे। काली मिट्टी अथवा एक्सपान्सिव मिट्टी का उपयोग न करें।

3.3 मुरूम को लगभग 1:500 के ढाल में 30 से.मी. मोटाई में बिछाया जाये एवं उस पर आवश्यक होने पर पानी का छिड़काव (लगभग मिट्टी के भार का 15-18 प्रतिशत) किया जावे। रोलर से इसे दबाया जायेगा।

3.4 रोलर 6 से 8 टन वजन का होता है और सामान्यतः 8 से 10 बार चलाने पर मुरूम की दबाई हो जाती है। रोलिंग तब तक की जाये, जब तक सतह पर रोलर के निशान बनना बंद न हो जायें। यदि ग्राम के नालों में मोटी रेत (20-30 प्रतिशत मिट्टी मिली हुई हो सकती है) उपलब्ध है तो उसे रोलिंग के समय ऊपरी सतह पर डाला जा सकता है। इससे सतह ठोस हो जाती है।

4. बैठक व्यवस्था :

4.1 दर्शकों के बैठने के लिये ईंट/कांक्रीट की जुड़ाई की जाकर बैंच बनाई जायेगी। इस हेतु जमीन के अंदर 45 से.मी. गहराई तक खोदा जाएगा, 10 से.मी. की मोटाई में 1:4:8 (1 सीमेंट, 4 रेत, 8 गिट्टी) बेस कांक्रीट डाली जाकर उसके ऊपर 30 से.मी. मोटाई की ईंट की जुड़ाई जमीन स्तर तक की जायेगी।

4.2 जमीन के ऊपर 45 से.मी. तक 20 सेमी चौड़ाई में ईंट से जुड़ाई की जायेगी एवं इसके भीतर पक्की दानेदार मुरूम को भरा जाकर दुरमुट से कुटाई की जायेगी। इसके ऊपर 1:2:4 सीमेंट कांक्रीट 10 से.मी. की मोटाई में पूरी चौड़ाई में की जावेगी एवं उसे चिकना किया जावेगा। जमीन के ऊपर दीवाल पर सीमेंट का प्लास्टर 1:6 के अनुपात से किया जायेगा।

5. **लागत :** दो प्रकार के ग्रामीण क्रीड़ांगन के प्राक्कलन के आधार पर खेल मैदान की मानक लागत निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	आकार	मानक लागत (रु. लाख में)	मानक लागत प्रति वर्ग मीटर (रुपये में)
1.	खेल मैदान	100 मी. x 100 मीटर	3.20	32/-
2.	खेल मैदान	80 मी. x 60 मीटर	1.536	32/-

5.1 क्रीड़ांगन की मानक लागत रु. 32/- प्रति वर्ग मीटर होगी। अनुमानित लागत का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। क्रीड़ांगन निर्माण का मॉडल एस्टीमेट परिशिष्ट-2 एवं 3 अनुसार है।

6. तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता :

6.1 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंता (कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री) निर्माण के तकनीकी पहलुओं और गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखेंगे।

6.2 निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अवधि दो माह नियत की जाती है। यदि कार्य वर्षाऋतु के ठीक पहले प्रारंभ किया जाता है तो उसका नियोजन इस प्रकार किया जाए कि वर्षा के कारण क्षति न हो।

6.3 सहायक यंत्री निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगा और माह में एक बार माप व मूल्यांकन का सत्यापन करेगा।

6.4 उपयंत्री सतत् तकनीकी मार्गदर्शन देगा। नियत साप्ताहिक मजदूरी दिवस के पूर्व के दिन माप लेकर माप पुस्तिका में दर्ज करेगा और मूल्यांकन करेगा

(प्रियदर्शी खैरा)
प्रमुख अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट-1

ग्रामीण क्रीड़ांगन (80 मी X 60 मी.) की अनुमानित लागत का विवरण

सं. क्र.	विवरण	लागत (रु.)
1.	मैदान का समतलीकरण- लगभग 30 सेमी में खुदाई कर मिट्टी को फैलाना	37,944/-
2.	अच्छे किस्म की मिट्टी मुरूम ढुलाई की लागत एवं बिछाई कार्य	70,666/-
3.	मिट्टी को रोलर से पानी डालकर दबाई कार्य	23,712/-
4.	मैदान की सुरक्षा हेतु सीपीटी (पशु अवरोधक जाली)	18,478/-
5.	सूचना बोर्ड एवं अन्य आवश्यक व्यय	2,800/-
	योगः-	**1,53,600/-**

ग्रामीण क्रीड़ांगन (100 मी X 100 मी.) की अनुमानित लागत का विवरण

सं. क्र.	विवरण	लागत (रु.)
1.	मैदान का समतलीकरण- लगभग 30 सेमी में खुदाई कर मिट्टी को फैलाना	79,050/-
2.	अच्छे किस्म की मिट्टी मुरूम ढुलाई की लागत एवं बिछाई कार्य	1,44,860/-
3.	मिट्टी को रोलर से पानी डालकर दबाई कार्य	61,750/-
4.	मैदान की सुरक्षा हेतु सीपीटी (पशु अवरोधक नाली का कार्य)	26,340
5.	सूचना बोर्ड एवं अन्य आवश्यक व्यय	8,000/-
	योगः-	**3,20,000/-**

खेल मैदान का मानक प्राक्कलन (80 मी. x 60 मी.) टाईप-1

क्र.	आयटम नं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7
		मैदान का समतलीकरण				
1	2530 (a)	पूर्व की कड़ी मिट्टी जैसे मुरूम आदि की सतह को मशीन से 30 सेमी. से अधिक गहराई में ढीला करना, मशीन के समस्त व्यय सहित।	720.00	Cum	2.70	1944.00
2	2530 (b)	मशीन से ढीली की हुई मिट्टी को ड्रेसिंग एवं ढेले तोड़ते हुए लेवल में फैलाना, 20 मी. लीड एवं 1.50 मी. लिफ्ट तक।	720.00	Cum	50.00	36000.00
		मैदान का निर्माण				
3	2530 (a)	पूर्व की कड़ी मिट्टी जैसे मुरूम आदि की सतह को मशीन से 30 सेमी. से अधिक गहराई में ढीला करना, मशीन के समस्त व्यय सहित।	465.00	Cum	2.70	1255.50
4	2530 (b)	मशीन से ढीली की हुई मिट्टी को ड्रेसिंग एवं ढेले तोड़ते हुए लेवल में फैलाना, 20 मी. लीड एवं 1.50 मी. लिफ्ट तक।	465.00	Cum	50.00	23250.00
5	1902 (h) +1904 (03)	मिट्टी ढुलाई कार्य 1.00 कि.मी. दूरी से।	465.00	Cum	99.27	46160.55

क्र.	आयटम नं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
6	2043	मैदान में फैलाई गई मिट्टी को ड्रेसिंग कर ढाल में फैलाना एवं 8 से 10 टन के वजन के रोलर से दबाई (काम्पेक्शन) करना एवं आवश्यकतानुसार पानी डालना।	960.00	Cum	24.70	23712.00
		पशु अवरोधक नाली				
7	2530 (a)	पूर्व की कड़ी मिट्टी जैसे मुरूम आदि की सतह को मशीन से 30 सेमी. से अधिक गहराई में ढीला करना, मशीन के समस्त व्यय सहित।	350.00	Cum	2.70	945.00
8	2530 (b)	मशीन से ढीली की हुई मिट्टी को ड्रेसिंग एवं ढेले तोड़ते हुए लेवल में फैलाना, 20 मी. लीड एवं 1.50 मी. लिफ्ट तक।	350.00	Cum	50.00	17500.00
9.		सूचना बोर्ड एवं आकस्मिक व्यय का प्रावधान।	1.00	each	2800.00	2800.00
		योग				**153567.05**
		राशि रु. लाख में				**1.536**

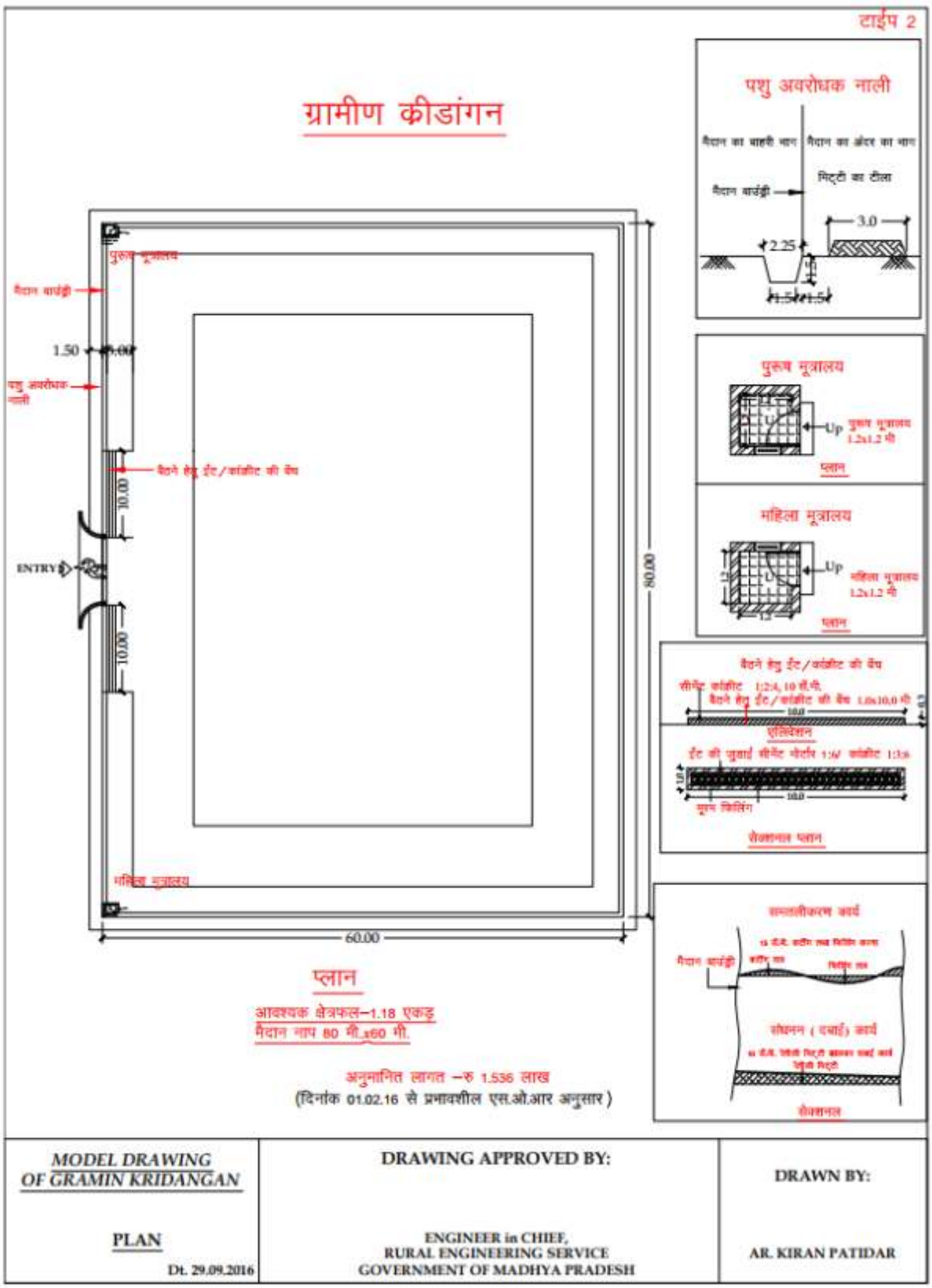

MODEL DRAWING OF GRAMIN KRIDANGAN PLAN Dt. 29.09.2016	DRAWING APPROVED BY: ENGINEER in CHIEF, RURAL ENGINEERING SERVICE GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH	DRAWN BY: AR. KIRAN PATIDAR

परिशिष्ट-3

खेल मैदान का मानक प्राक्कलन (100 मी. x 100 मी.) टाईप-2

क्र.	आयटम नं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7
		मैदान का समतलीकरण				
1	2530 (a)	पूर्व की कड़ी मिट्टी जैसे मुरूम आदि की सतह को मशीन से 30 सेमी. से अधिक गहराई में ढीला करना, मशीन के समस्त व्यय सहित।	1500.00	घन मी.	2.70	4050.00
2	2530 (b)	मशीन से ढीली की हुई मिट्टी को ड्रेसिंग एवं ढेले तोड़ते हुए लेवल में फैलाना, 20 मी. लीड एवं 1.50 मी. लिफ्ट तक।	1500.00	घन मी.	50.00	75000.00
		मैदान का निर्माण				
3	2530 (a)	पूर्व की कड़ी मिट्टी जैसे मुरूम आदि की सतह को मशीन से 30 सेमी. से अधिक गहराई में ढीला करना, मशीन के समस्त व्यय सहित।	1000.00	घन मी.	2.70	2700.00
4	2530 (b)	मशीन से ढीली की हुई मिट्टी को ड्रेसिंग एवं ढेले तोड़ते हुए लेवल में फैलाना, 20 मी. लीड एवं 1.50 मी. लिफ्ट तक।	1000.00	घन मी.	50.00	50000.00
5	1902 (h) +1904 (03)	मिट्टी ढुलाई कार्य 0.50 कि.मी. दूरी से।	1000.00	घन मी.	92.16	92160.00
6	2043	मैदान में फैलाई गई मिट्टी को ड्रेसिंग कर ढाल में फैलाना एवं 8 से 10 टन के वजन के रोलर से दबाई (काम्पेक्शन) करना एवं आवश्यकतानुसार पानी डालना।	2500.00	घन मी.	24.70	61750.00
		पशु अवरोधक नाली				
7	2530 (a)	पूर्व की कड़ी मिट्टी जैसे मुरूम आदि की सतह को मशीन से 30 सेमी. से अधिक गहराई में ढीला करना, मशीन के समस्त व्यय सहित।	500.00	घन मी.	2.70	1350.00
8	2530 (b)	मशीन से ढीली की हुई मिट्टी को ड्रेसिंग एवं ढेले तोड़ते हुए लेवल में फैलाना, 20 मी. लीड एवं 1.50 मी लिफ्ट तक।	500.00	घन मी.	50.00	25000.00
9.		सूचना बोर्ड एवं आकस्मिक व्यय का प्रावधान।	1.00	प्रति नग	8000.00	8000.00
		योग				**320010.00**
		राशि रु. लाख में				**3.20**

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक : 11002/एनआर-3/तक./मनरेगा/2016 **भोपाल, दिनांक 01.11.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कपिलधारा उपयोजना में कूप निर्माण।

सितंबर एवं अक्टूबर 2016 में मेरे द्वारा ली गई संभागीय समीक्षा बैठकों में संभागायुक्तों/कलेक्टरों/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत कपिलधारा उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

(i) कपिलधारा कूप की स्वीकृति में भविष्य में खेत तालाब और कूप दोनों शामिल होंगे।

(ii) **हितग्राही चयन:-**

2.1 कपिलधारा उपयोजना के तहत ऐसे हितग्राहियों का चयन किया जाए जिनके पास न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि हो लेकिन अधिकतम कृषि भूमि 2.5 एकड़ या कम हो।

2.2 हितग्राहियों के चयन का प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा:-

2.2.1 प्रथम प्राथमिकता में ऐसी विधवा अथवा परित्यक्त महिला जिस पर परिवार की आजीविका निर्भर हो।

2.2.2 द्वितीय प्राथमिकता में (i) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के परिवार एवं (ii) अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार।

2.2.3 तृतीय एवं अग्रिम प्राथमिकता में अन्य परिवार।

2.3 जिन कृषकों के क्षेत्र में पूर्व में कुएं अथवा सिंचाई के साधन हों, वे अपात्र माने जाएं।

2.4 पंचायतीराज पदाधिकारियों/सेवकों/मानदेय पर कार्यरत व्यक्तियों तथा शासकीय सेवकों के परिवार के किसी सदस्य का चयन आवश्यक हो तो हितग्राही के लिए स्वीकृति जारी करने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से लिखित अनुमति ली जाए।

2.5 हितग्राही का चयन करने के उपरांत चयनित हितग्राही के लिए कपिलधारा कूप ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जावे।

3. **खेत तालाब :**

3.1 खेत तालाब की न्यूनतम जल संग्रहण क्षमता 400 घनमीटर रखना होगी। इस उद्देश्य से खेत तालाब का उपयुक्त आकार तय करने की छूट हितग्राही को होगी। उपयुक्त आकार के लिए सुझावात्मक तालिका निम्नानुसार है:-

ऊपरी सतह	तल सतह	गहराई (मीटर में)
15x15	9x9	3
10x25	4x19	3
12x18	6x12	3

3.2 खेत तालाब के बाहरी और अंदरूनी हिस्से में खेत तालाब की ऊपरी सतह से एक मीटर गहराई तक पत्थर की पिचिंग करना अनिवार्य होगा।

3.3 खेत तालाब तथा कुएं की खुदाई से निकलने वाली मिट्टी का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए खेत के समतलीकरण करने अथवा खेत की मेढ़ बनाने में किया जाए।

4. कूप निर्माण :

4.1 कूप का निर्माण गोलाकार में किया जाए। कूप का व्यास सामान्यतः 5 मीटर अर्थात कुएं के मध्य बिंदु से किनारे की दूरी निर्माण के उपरांत 2.5 मीटर रहना चाहिए।

4.2 कूप की गहराई न्यूनतम 12 मीटर होना चाहिए। ग्राम पंचायत/स्व-सहायता समूह/हितग्राही कूप निर्माण की उपरोक्तानुसार लागत सीमा के भीतर अधिक गहराई का कुआं बनाने के लिए स्वतंत्र होगा।

4.3 कूप निर्माण के लिए हितग्राही मटेरियल कम्पोनेंट के तहत मशीन से बोरिंग करवा सकेगा।

4.4 कूप बंधान के लिए फाउण्डेशन हार्ड रॉक पर आरसीसी बीम डालकर बनाना होगा।

4.5 कूप बंधान सीमेंट कांक्रीट/ईंट/पत्थर/से गोलाकार में करना होगा। कूप के ऊपरी हिस्से (मुंडेर) की चौड़ाई 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। मुंडेर (पेरापेट वॉल) 75 से.मी. ऊँचाई की बनाना होगी।

4.6 कुएं के बाहरी हिस्से में न्यूनतम एक मीटर की जगत बनाना होगी।

5. खेत तालाब एवं कूप निर्माण को जोड़ना :

5.1 खेत तालाब खेत के ऊपरी क्षेत्र में और कूप निचले क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए।

5.2 खेत तालाब को कूप से जोड़ना अनिवार्य होगा ताकि तालाब का अतिशेष जल कुएं में प्रवाहित हो।

5.3 खेत तालाब को कूप से जोड़ने के लिए 4 से 6 इंच की भूमिगत पीवीसी पाइप लाइन बिछाई जा सकती है अथवा भूमि की सतह पर पक्की नाली का निर्माण किया जा सकता है।

5.4 कूप में खेत तालाब से जल आने के स्थान पर एक वर्गमीटर क्षेत्र में पत्थर तथा बजरी बिछाकर फिल्टर बनाया जाए ताकि कूप में खेत तालाब की मिट्टी बहकर न आए। इससे पानी छनकर कुएं में जाएगा।

6. स्थल चयन :

6.1 स्थल चयन हितग्राही की पसंद अनुसार किया जाए। स्थल चयन के लिए भूजलविद् की मदद ली जा सकती है। स्थल चयन हेतु भूजलविद् के निरीक्षण एवं सर्वेक्षण के लिए हितग्राही मटेरियल कम्पोनेंट के तहत भुगतान कर सकेगा।

6.2 खेत तालाब का स्थल चयन सामान्यतः खेत के ऊपरी क्षेत्र में किया जाना चाहिए ताकि तालाब में भरे पानी से भूमिगत नमी का लाभ उसी खेत में मिल सके और जल के भूमिगत रिचार्ज का लाभ कुएं में संग्रहित जल से मिल सके।

6.3 भूमिगत जल की उपलब्धता के आकलन के लिए विशेषज्ञ की मदद से हितग्राही को कूप निर्माण का स्थल चयन करना चाहिए। सामान्यतः कूप निर्माण का स्थल चयन खेत के निचले हिस्से में किया जाना चाहिए।

7. लेआउट :

खेत तालाब एवं कूप निर्माण के लेआउट देने के लिए उपयंत्री अथवा किसी तकनीकी अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। लेआउट ग्राम का कोई भी मिस्त्री अथवा अनुभवी व्यक्ति हितग्राही के साथ मिलकर तय कर सकेगा।

8. निर्माण एजेन्सी :

8.1 यदि हितग्राही आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूह का सदस्य हो तो सामान्यतः संबंधित स्व-सहायता समूह निर्माण एजेन्सी होगा। अन्य परिस्थितियों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्माण एजेन्सी होगी।

8.2 मजदूरी के लिए मस्टर रोल स्व-सहायता समूह/ग्राम पंचायत को जारी किए जाएंगे।

8.3 कपिलधारा उपयोजना के तहत मेट का कार्य अनिवार्यतः हितग्राही द्वारा किया जाए। अन्य किसी व्यक्ति से मेट का कार्य नहीं कराया जाए। हितग्राही के परिवर के सदस्यों को एवं उसके सुझाए अनुसार मजदूरों को नियोजित करने में प्राथमिकता दी जावे।

8.4 सामग्री/मशीन का भुगतान हितग्राही को सीधे उसके बैंक खाते में एफटीओ से जारी किया जाएगा।

8.5 निर्माण कार्य हितग्राही स्वयं कराएगा। ग्राम पंचायत/स्व-सहायता समूह आवश्यक सहयोग दे सकेगी।

9. लागत, मूल्यांकन एवं भुगतान :

9.1 कपिलधारा कूप (खेत तालाब सहित) की लागत रु. 2,30,000/- निर्धारित की जाती है।

9.2 निर्माण के लिए उपयंत्री/तकनीकी अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। मूल्यांकन निर्माण कार्य की प्रगति के विभिन्न चरणों के आधार पर होगा जैसा कि वर्तमान में आवास योजनाओं के लिए लागू है। मूल्यांकन के चरण निम्न तालिका अनुसार होंगे :-

चरण	निर्माण	मूल्यांकन	मजदूरी राशि	सामग्री/मशीन राशि
प्रथम	खेत तालाब की पूरी खुदाई एवं कूप की खुदाई 6 मीटर तक	60,000	50,000	10,000
द्वितीय	कुआं खुदाई 12 मीटर तक	60,000	40,000	20,000
तृतीय	खेत तालाब की पिचिंग एवं कूप बंधाई खेत स्तर तक	60,000	15,000	45,000
चतुर्थ	मुंडेर (पेरापेट) एवं जगत पूर्ण करना एवं खेत तालाब से कूप जोड़ना	50,000	10,000	40,000
	योग	**2,30,000**	**1,15,000**	**1,15,000**

9.3 मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार साप्ताहिक आधार पर किया जाए। प्रत्येक चरण के लिए मजदूरी अंश की उक्त तालिका में निर्धारित राशि उस चरण का कार्य पूरा होने तक के लिए उस चरण की सीमा होगी।

9.4 सामग्री अंश (मटेरियल कम्पोनेंट) के तहत हितग्राही को प्रत्येक चरण के लिए धनराशि अग्रिम दी जाए। स्वीकृति देने पर प्रथम चरण के लिए रु. 10,000/- अग्रिम दिया जाए। प्रथम चरण का कार्य पूण होने पर द्वितीय चरण के लिए रु. 20,000/- का अग्रिम दिया जाए। द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण होने पर तृतीय चरण के लिए रु. 45,000/- अग्रिम दिया जाए। तृतीय चरण का कार्य पूर्ण होने पर चतुर्थ चरण के लिए रु. 40,000/- अग्रिम दिया जाए।

9.5 सामग्री अंश के लिए हितग्राही को वेन्डर माना जाए। सामग्री अंश के संबंध में हितग्राही द्वारा संलग्न परिशिष्ट-अ में प्रस्तुत देयक को मान्य किया जाए।

10. रोजगार सहायक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्माण के विभिन्न चरणों का निरीक्षण कर उनके जियोटेग फोटो लेकर हितग्राही को एफटीओ कराने के लिए मांग पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रस्तुत करे।

11. कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्माण के लिए सुझावात्मक रूपांकन संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।

12. प्रभावशीलता :

12.1 यह दिशा-निर्देश दि. 1 नवंबर, 2016 से स्वीकृत कूप के लिए लागू होंगे।

12.2 पूर्व में स्वीकृत कूप में यदि निर्माण कार्य प्रारंभ न हुआ हो तो यह दिशा-निर्देश लागू होंगे।

12.3 निर्माण कार्य प्रारंभिक चरण में हो तो संबंधित हितग्राही के चाहने पर पर भी ये दिशा-निर्देश लागू हो सकेंगे।

संलग्न - दो परिशिष्ट

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त

परिशिष्ट-अ

देयक एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र

महात्मा गाँधी नरेगा योजना अन्तर्गत मुझे (..... पिता/पति श्री ..... निवासी ग्राम .....) स्वीकृत कपिलधारा कूप सह खेत तालाब के लिए मुझे सामग्री अंश के लिए प्राप्त अग्रिम धनराशि के उपयोग के संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैः-

चरण	अग्रिम प्राप्त	उपयोग राशि
प्रथम		
द्वितीय		
तृतीय		
चतुर्थ		

मैंने उपरोक्त धनराशि से सामग्री क्रय करके तथा मशीनें किराए पर लेकर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ चरण का कार्य पूरा करा दिया है।

कृपया सामग्री अंश के तहत व्यय राशि का समायोजन स्वीकार करें।

दिनांक -
स्थान-

हस्ताक्षर .....

हितग्राही का नाम .....

ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत .....

जिला .....

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, सी-विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
फोन न. 0755-2551043, 2555465, Email - ce.nregs@gmail.com

क्र./1273/MGNREGS-MP/NR-3/17 **भोपाल, दिनांक 15.02.2017**

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला - समस्त (मध्यप्रदेश)।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कपिलधारा उपयोजना में कूप निर्माण।

संदर्भ :- विकास आयुक्त कार्यालय का पत्र क्र./11002/NR-3/Tech/MGNREGA-MP/2016 भोपाल, दिनांक 29.10.2016।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कपिलधारा कूप (खेत तालाब सहित) की लागत राशि रु. 2.3 लाख निर्धारित की गई है। दिनांक 12.01.2017 को संपन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग में मात्र कूप के लिये राशि रु. 2 लाख की सीमा तय की गई है।

केवल कूप निर्माण - मूल्यांकन के चरण निम्न तालिका अनुसार होंगे :-

चरण	निर्माण	मूल्यांकन	मजदूरी राशि	सामग्री/ मशीन राशि
प्रथम	कुआं खुदाई 6 मीटर तक	47,000	37,000	10,000
द्वितीय	कुआं खुदाई 12 मीटर तक	60,000	40,000	20,000
तृतीय	कुआं बंधाई खेत स्तर तक	50,000	14,000	36,000
चतुर्थ	मुंडेर (पेरापिट वॉल) एवं जगत पूर्ण करना	43,000	9,000	34,000
	योग	**2,00,000**	**1,00,000**	**1,00,000**

उपरोक्त चरण अनुसार कार्यवाही उन्हीं जनपदों में किया जाना है जो दोहित (critical), अर्द्धदोहित (semi critical) या अतिदोहित (over exploited) की श्रेणी में नहीं है।

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल, दिनांक 15.02.2017

पृ.क्र./1274/MGNREGS-MP/NR-3/17

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. ओ.एस.डी., मा. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. राज्य समन्वयक, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
7. संयुक्त आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल, मध्यप्रदेश।
9. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
10. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
11. समस्त ग्राम पंचायत को वेबसाइट पर प्रकाशन से।

आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

विकास आयुक्त, कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 5227/22/वि-10/ग्रायांसे/2016 **भोपाल, दिनांक 19.08.2016**

संशोधन क्रमांक - 4

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 12.04.2013 को जारी जिला दर अनुसूची के पंचम डाटाबेस के आधार पर जिले में तैयार की जा रही दर अनुसूची के अध्याय क्र. 25-मनरेगा कार्य में नवीन आयटम क्र. 2530 (a) एवं 2530 (b) को जोड़ा जाता है :-

Code	Description	Unit	Current Rate (Rs.)
2530 (a)	Loosening of hard soil such as moorum etc. by ploughing (tractor etc.) the existing ground exceeding 30 cm in depth as well as 10 sqm on plan including all running expenses of machine.	cum	2.70
2530 (b)	Spreading, dressing, breaking of clods of ploughed earth upto 20m. lead and lift upto 1.5m. disposed soil to be leveled and neatly dressed.	cum	50.00

उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से जिला दर अनुसूची पर कराये जाने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों पर लागू होगा।

2. विकास आयुक्त कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 3355 दिनांक 28.05.2016 द्वारा जारी राज्य दर अनुसूची में चतुर्थ संशोधन में मिट्टी कार्य के लिये रुपये 40/- प्रति क्यूबिक मीटर की दर निर्धारित की गई है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छोड़कर शेष सभी योजनाओं के संबंध में लागू होगी।

(अनिरुद्ध डी. कपाले)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल

पृ. क्रमांक 5228/22/वि-10/ग्रायांसे/2016 **भोपाल, दिनांक 19.08.2016**

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. आयुक्त (समस्त) राजस्व संभाग मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख अभियंता मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
6. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश।
7. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर मध्यप्रदेश।
8. अधीक्षण यंत्री (समस्त) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश।
9. कार्यपालन यंत्री (समस्त) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

कृपया मैदानी अधिकारियों को आवश्यक रूप से एक प्रति उपलब्ध कराई जावे। अध्यायवार संशोधन दर अनुसूची में चस्पा करें।

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 12677/MGNRGS/2016 **भोपाल, दिनांक 18.10.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
   जिला-समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
3. कार्यपालन यंत्री,
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण "सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क" उपयोजना।

सन्दर्भ :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 9581/MGNRGS-MP/NR-3/SE-1/2013 दिनांक 17.12.2013

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कार्य की स्वीकृति की प्रक्रिया, क्रियान्वयन, गुणवत्ता, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण आदि संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं।

2. 'सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना' के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया में निम्न प्रावधान निहित हैं :-
   (i) उपयोजना का उद्देश्य निस्तार पत्रक/वाजिब-उल-अर्ज में अंकित मार्गों का ग्रेवल सड़क में उन्नयन किया जाना है।
   (ii) ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर निस्तार पत्रक/वाजिब-उल-अर्ज में अंकित सभी मार्गों का वाक थ्रू कर मार्गों की सूची तैयार कर प्रत्येक मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्राम, मजरे-टोले और उनकी जनसंख्या, खेत से सड़क संपर्क जोड़े जाने की दशा में मिलने वाले लाभ का आकलन करना।
   (iii) मार्गों के उन्नयन से होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए मार्गों को ग्रेवल सड़क में उन्नयन करने के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना।
   (iv) महात्मा गांधी नरेगा तथा अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्राथमिकता क्रम से निस्तार पत्रक/वाजिब-उल-अर्ज में अंकित मार्गों का ग्रेवल सड़क में उन्नयन करना।

3. 'सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना' के उपरोक्त संदर्भित दिशा-निर्देशों के तहत सड़क निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन, गुणवत्ता तथा पर्यवेक्षण के लिए निम्न प्रावधान हैं :-
   (i) निर्माण कार्य (मार्ग के ग्रेवल सड़क में उन्नयन कार्य) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परिवहन, पानी के छिड़काव एवं काम्पेक्शन करने के लिए ट्रक/ट्रेक्टर, टैंकर एवं रोड रोलर की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
   (ii) निर्माण कार्य संपादन में आवश्यक सामग्री एवं शिल्प कौशल के लिए प्रयोगशाला एवं फील्ड टेस्टिंग सुनिश्चित करना।
   (iii) मार्ग के चयन, सघन निगरानी, तकनीकी अवयव, गुणवत्ता के लिए संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने, निर्माण के दौरान तथा निर्माण के पश्चात कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री से अपेक्षित कर्तव्यों का विस्तृत विवरण उपरोक्त संबंधित पत्र में दिया गया है।

(iv) 'सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना' की गुणवत्ता के मापदण्ड इस प्रकार नियत किए गये हैं कि कालान्तर में उनको मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत पक्की सड़क में उन्नयन किया जा सके।

4. विगत दिनों निर्माणाधीन मार्गों का निरीक्षण विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल के अधिकारियों से कराने के साथ-साथ विषयान्तर्गत विस्तृत चर्चा संभागीय समीक्षा बैठकों में की गई है।

5. 'सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना' के तहत अपेक्षित गुणवत्ता के मार्गों का निर्माण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

5.1 निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में

जो मार्ग निस्तार पत्रक/वाजिब-उल-अर्ज में वर्ष 2013 के पूर्व से अंकित हैं उनसे मिलने वाले परस्पर लाभ का आकलन कर निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में मार्गों को सूचीबद्ध किया जाए :-

(i) ग्राम मजरे-टोले मार्ग को प्रथम क्रम में लिया जाए।

(ii) यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम के मजरे-टोले की सड़क निर्माणाधीन हो तो उनका परस्पर प्राथमिकता क्रम लाभान्वित होने वाली आबादी के घटते क्रम में रखा जाए।

(iii) ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों के मजरे-टोले अर्थात् आबादी क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्गों के ग्रेवल सड़क में उन्नयन हो जाने के उपरान्त मार्ग के उत्पादक केन्द्रों अर्थात् खेत से सड़क सम्पर्क जोड़ने वाले मार्गों को प्राथमिकता क्रम में रखा जाए।

(iv) खेत से संपर्क जोड़ने के लिए एक से अधिक निर्माणाधीन मार्ग होने की दशा में लाभान्वित होने वाले कृषक समूह तथा भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में परस्पर वरीयताक्रम में निर्धारित किया जाए।

(v) निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार कराया जाए। इस हेतु यथास्थिति निर्माण कार्य का आकलन कर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन तैयार किया जाए। प्रत्येक प्राक्कलन का परीक्षण सहायक यंत्री द्वारा किया जाए।

(vi) निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री का तकनीकी पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं सत्यापन विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 17.12.2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

(vii) उपरोक्त क्रम में चयनित मार्गों में से सर्वोच्च प्राथमिकता के मार्ग को यथासंभव इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में पूर्ण किया जाए।

(viii) जब तक सर्वोच्च प्राथमिकता क्रम का मार्ग पूर्ण न हो तब तक ग्राम पंचायत के अधीन निर्माणाधीन अन्य मार्गों पर कोई धनराशि व्यय न की जाए।

5.2 नवीन कार्यों के संबंध में

(i) सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना के तहत नवीन मार्गों की स्वीकृति देने के पूर्व शासन दिशा-निर्देश दिनांक 17.12.2013 में वर्णित कार्य की स्वीकृति की प्रक्रिया का पालन करते हुए निस्तार पत्रक/वाजिब-उल-अर्ज में वर्ष 2013 के पूर्व से अंकित मार्गों का परस्पर वरीयताक्रम निर्धारित किया जाए।

(ii) यदि किसी ग्राम पंचायत में सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना के तहत कोई मार्ग निर्माणाधीन न हो तो निम्न प्राथमिकता क्रम में प्रथम प्राथमिकता के मार्ग का ग्रेवल मार्ग में उन्नयन करने के लिए स्वीकृति दी जाए :-

(अ) ग्राम मजरे-टोले मार्ग को प्रथम क्रम में लिया जाए।

(ब) यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम के मजरे-टोले की सड़क निर्माणाधीन हो तो उनका परस्पर प्राथमिकता क्रम लाभान्वित होने वाली आबादी के घटते क्रम में रखा जाए।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

कार्यालय प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
'बी' विंग, द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल
eincres@mp.gov.in, Phone : 0755-2551398

क्रमांक/442/वि-10/ग्रायांसे/स.प्र./2017 **भोपाल, दिनांक 31.01.2017**

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला समस्त मध्यप्रदेश।
कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त संभाग म.प्र.

विषय :- मनरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण हेतु "सुदूर ग्राम सम्पर्क एवं खेत सड़क उपयोजना" के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- विकास आयुक्त कार्यालय का पत्र क्र. 12677/MGNREGS/2017, दिनांक 18.10.2016

"सुदूर ग्राम सम्पर्क एवं खेत सड़क उपयोजना" के क्रियान्वयन में गति लाये जाने हेतु राज्य स्तर के संदर्भित पत्र से निर्देश जारी किये गये हैं। कार्य की लागत के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी के निर्धारण एवं कार्य दो ग्राम पंचायत की सीमा में होने पर कार्य के संपादन हेतु निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

1. ग्राम पंचायत अंतर्गत सड़क की लागत राशि रुपये 15 लाख से अधिक होने पर सक्षम स्तर से तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी। कार्य संपादन हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी ग्राम पंचायत को बनया जावे।
2. दो ग्राम पंचायतों की सीमा में कार्य होने पर संबंधित ग्राम पंचायतें अपने-अपने लेबर बजट व SOP में उनके हिस्से के कार्य का अंश शामिल करेगी। ऐसे कार्यों की सक्षम स्तर से स्वीकृति एक साथ संबंधित ग्राम पंचायतों को उनकी ग्राम पंचायत सीमा में कार्य करने हेतु पृथक-पृथक दी जावेगी।
3. ह्यूम पाईप पुलिया के अलावा मौके पर बॉक्स कल्वर्ट की स्थिति होने पर 6 मीटर लंबाई तक के बॉक्स कल्वर्ट ही महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लिये जा सकेंगे।

(अनिरुद्ध डी कपाले)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

पृ. क्र./443/वि-10/ग्रायांसे/स.प्र./2017 **भोपाल, दिनांक 31.01.2017**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/5241/22/वि-10/ग्रायांसे/2016 **भोपाल, दिनांक 19.06.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त
   मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त,
   मध्यप्रदेश

विषय :- मनरेगा एवं अन्य मदों से सम्पादित कार्यों में मिट्टी की खुदाई की दरों हेतु जिला दर अनुसूची में संशोधन।

विभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा/अन्य मदों में विभिन्न श्रम मूलक कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्यों हेतु जिला दर अनुसूची में दरें निर्धारित हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत जॉबकार्डधारी श्रमिकों में महिलायें (विशिष्ट श्रेणी की भी), सीनियर सिटीजन (65 वर्ष से अधिक आयु के), विकलांग भी शामिल होते हैं। निर्माण कार्यों में मिट्टी की खुदाई का कार्य अन्य अवयव की तुलना में अधिक श्रम साध्य है। मिट्टी कड़ी (Hard Soil) होने पर, मार्ग हेतु खंती की खुदाई, तालाब मरम्मत/जीर्णोद्धार आदि में श्रमिकों के माध्यम से खुदाई का कार्य परम्परागत औजार (गैंती), फावड़ा आदि से करना संभव नहीं हो पाता। खुदाई की दरों में ढेलों को तोड़ना, कोर्सर मटेरियल को छांटना, 20 मीटर की दूरी एवं 1.5 मी. की लिफ्ट में शामिल रहता है।

भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा जारी IRC:SP:20-2002 की कंडिका 8.11 अंतर्गत हार्ड स्वाईल को Tractor-towed mould broad plough/rotavator द्वारा खुदाई किये जाने का एवं Soft Soil श्रमिकों से (मेनुअली) कराये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने विकास आयुक्त कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 5227 दिनांक 19.08.2016 द्वारा जिला दर अनुसूची में चतुर्थ संशोधन जारी किया है। संशोधन की प्रति संलग्न है। इस संशोधन के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मशीन द्वारा मिट्टी खुदाई कार्य करने के लिये रुपये 2.70 प्रति क्यूबिक मीटर ओर मिट्टी के कार्य की मजदूरी रुपये 50/- प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित निर्धारित की गई है।

विकास आयुक्त कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 3355 दिनांक 28.05.2016 द्वारा जारी राज्य दर अनुसूची में चतुर्थ संशोधन में मिट्टी कार्य के लिये रुपये 40/- प्रति क्यूबिक मीटर की दर निर्धारित की गई है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छोड़कर शेष सभी योजनाओं के संबंध में लागू होगी।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक : 14631/22/वि-7/पीएमएवाय-जी/16 **भोपाल, दिनांक 06/12/ 2016**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला- समस्त मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला-पंचायत मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- भारत सरकार का पत्र क्र. एम-12018/3/2014 - आरएच (ए/सी) दिनांक 12/11/2016

उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत सभी कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिकी आवास सॉफ्ट के माध्यम से ही की जानी है।

2. हितग्राही के पंजीकरण के दौरान आवश्यकताएं :-

(i) हितग्राही के वर्तमान निवासरत् स्थान एवं जहाँ आवास निर्माण किया जाना है, के सामने खड़े हितग्राही का फोटो AwaasApp का उपयोग करते हुए अपलोड करने के उपरांत ही आवास स्वीकृति जारी की जाए।

(ii) AwaasSoft पर हितग्राही के पंजीकरण के समय, हितग्राही का धर्म अनिवार्य रूप से फीड किया जाए।

(iii) हितग्राही के आवास से संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी ए.डी.ई.ओ/पी.सी.ओ. की जानकारी व चिन्हित प्रशिक्षित मिस्त्री जो हितग्राही के आवास का निर्माण करेगा उसकी जानकारी भी AwaasSoft पर फीड की जाना है। इस संबंध में भी प्रावधानAwaasSoft में किया जा रहा है।

(iv) हितग्राही का आधार नम्बर उसकी सहमति लेकर AwaasSoft में दर्ज किया जाना है।

3. हितग्राही के बैंक खातों को फ्रीज करना : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में चयनित हितग्राहियों के बैंक खाते के विवरण AwaasSoft पर सावधानीपूर्वक एवं सही ढंग से दर्ज किया जाना है। PFMS द्वारा खाते के सत्यापन के बाद ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लॉग-इन में खाता फ्रीज होने हेतु प्रदर्शित होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खाता फ्रीज करने के पूर्व एक बार पुनः खाते के विवरण की जांच कर लें। इस तीन चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के बाद फ्रीज किये हुये खाते को अनफ्रीज नहीं किया जा सकेगा।

4. भुगतान प्रबंधन : राज्य नोडल खाते से राशि का हस्तांतरण फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) के माध्यम से ही किया जाएगा।

5. किश्तों की संख्या व विभिन्न चरणों के फोटो अपलोड करना : आवास का निर्माण आवास स्वीकृत होने की तारीख से अधिकतम एक वर्ष में पूर्ण किया जाना चाहिए, तथा हितग्राही को निम्नानुसार तीन किश्तों में राशि जारी की जाये:-

(i) प्रथम किश्त - आवास की स्वीकृति पर रु. 40,000/-

(ii) द्वितीय किश्त - प्लिंथ स्तर (कुर्सी) तक निर्माण होने व उसका आवास सॉफ्ट पर फोटो अपलोड होने पर रु. 40,000/- /45,000 (I.A.P.)

(iii) तृतीय किश्त - लिंटल लेवल (दरवाजा स्तर) तक निर्माण होने पर 25,000/- / 30,000/- (I.A.P.)

(iv) आवास पूर्ण करके आवास सॉफ्ट में फोटो अपलोड होने के उपरांत रु. 15,000/-

6. शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि रु. 12,000/- तथा महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी रु. 18,000/- कुल रु. 30,000/- दी जाएगी।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश

कार्यालय प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
"बी" विंग, द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल
ceresho@mp.gov.in, Phone : 0755-2552770

क्रमांक 245/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 **भोपाल, दिनांक 16/01/2017**

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
   मण्डल-समस्त (म.प्र.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत - समस्त, (म.प्र.)
3. कार्यपालन यंत्री
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
   संभाग-समस्त (म.प्र.)

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की ड्राइंग एवं डिजाइन के संबंध में।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6281/22/वि-10/ग्रायांसे/PMAY-G/16 दिनांक 20.10.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संलग्न प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 09 भवन निर्माण संबंधी प्लान निर्देशों सहित जारी किए गए थे। उक्त 09 प्लान के विस्तृत ड्राइंग एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार कर इस पत्र के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं। इस संबंध में उचित होगा कि जिले के लिए चयनित एक या अधिक प्रकार के मानचित्र के इन स्टैण्डर्ड डिजाइन का समुचित परीक्षण संबंधित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कर लिया जाए एवं उपयुक्त पाए जाने पर तद्नुसार इसमें लगने वाली विभिन्न सामग्रियों की गणना जिला स्तर पर कर ली जाए।

कृपया इन 09 विस्तृत मानचित्रों के अनुसार ही भवन निर्माण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(ए.डी. कपाले)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र. भोपाल

पृ. क्र. 246/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 **भोपाल, दिनांक 16.01.2017**

प्रतिलिपि

1. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र भोपाल, जबलपुर एवं इन्दौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कलेक्टर, जिला समस्त म.प्र.।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र. भोपाल

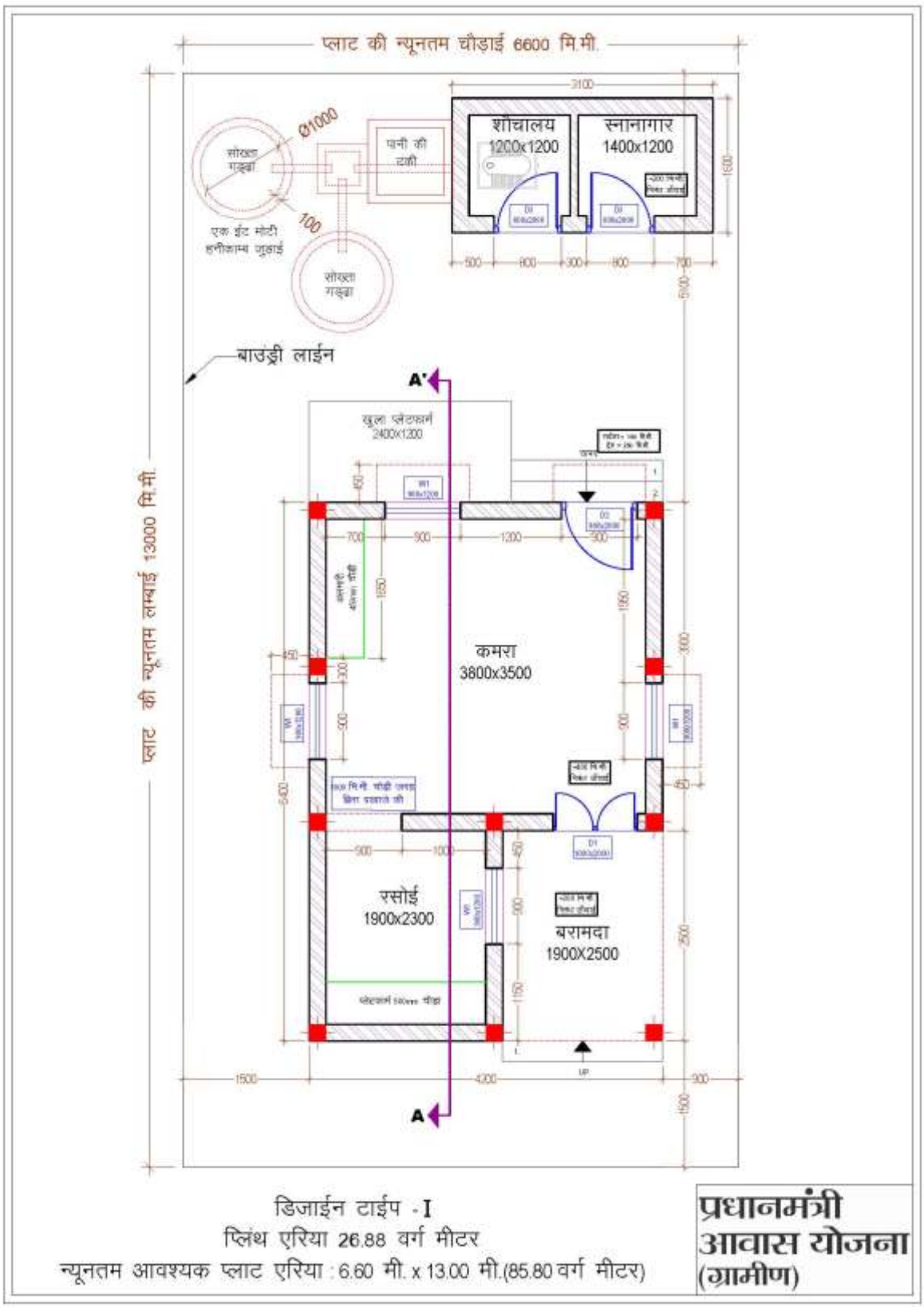

डिजाईन टाईप - I
प्लिंथ एरिया 26.88 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 6.60 मी. x 13.00 मी.(85.80 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

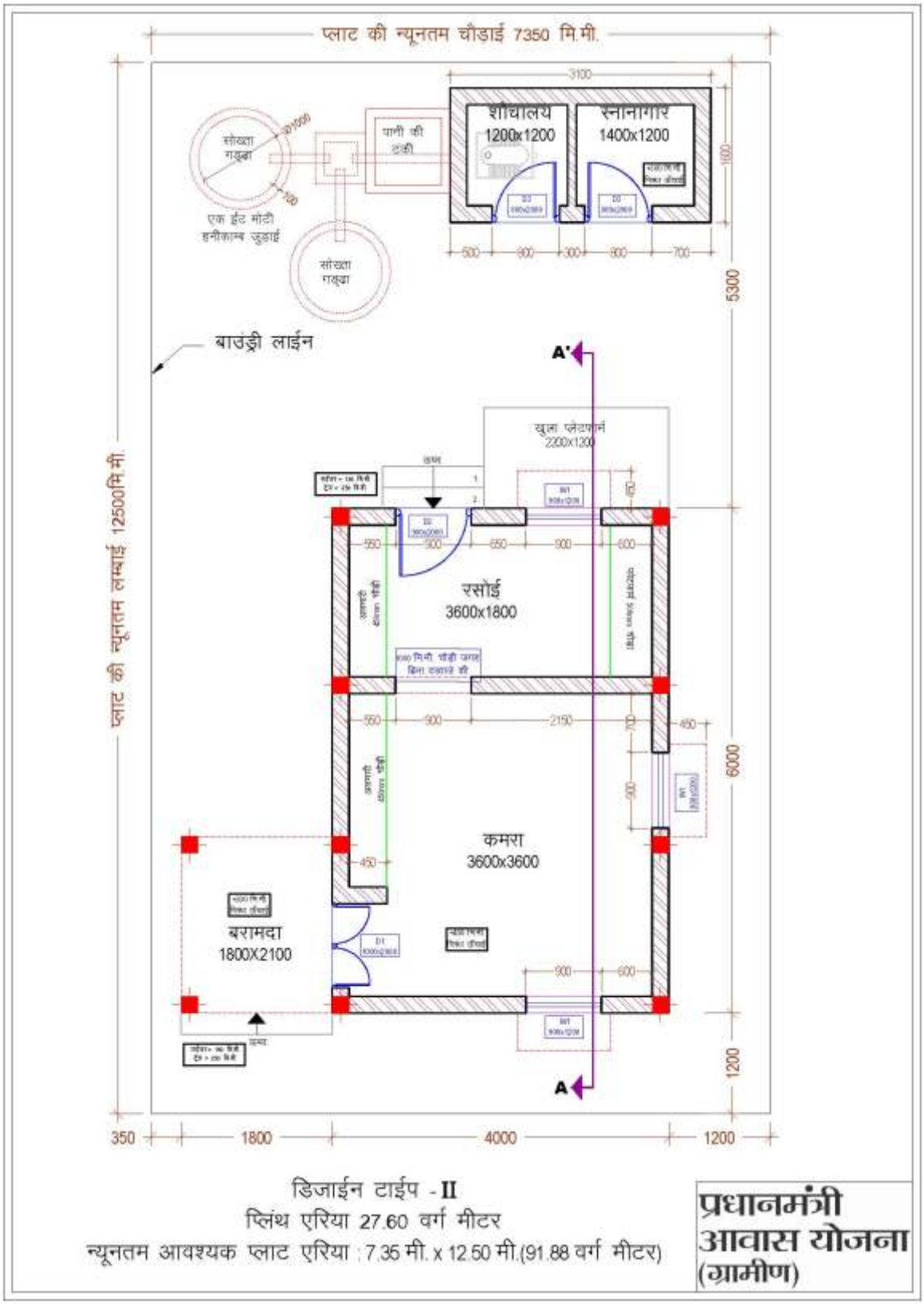

डिजाईन टाईप - II
प्लिंथ एरिया 27.60 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 7.35 मी. x 12.50 मी.(91.88 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

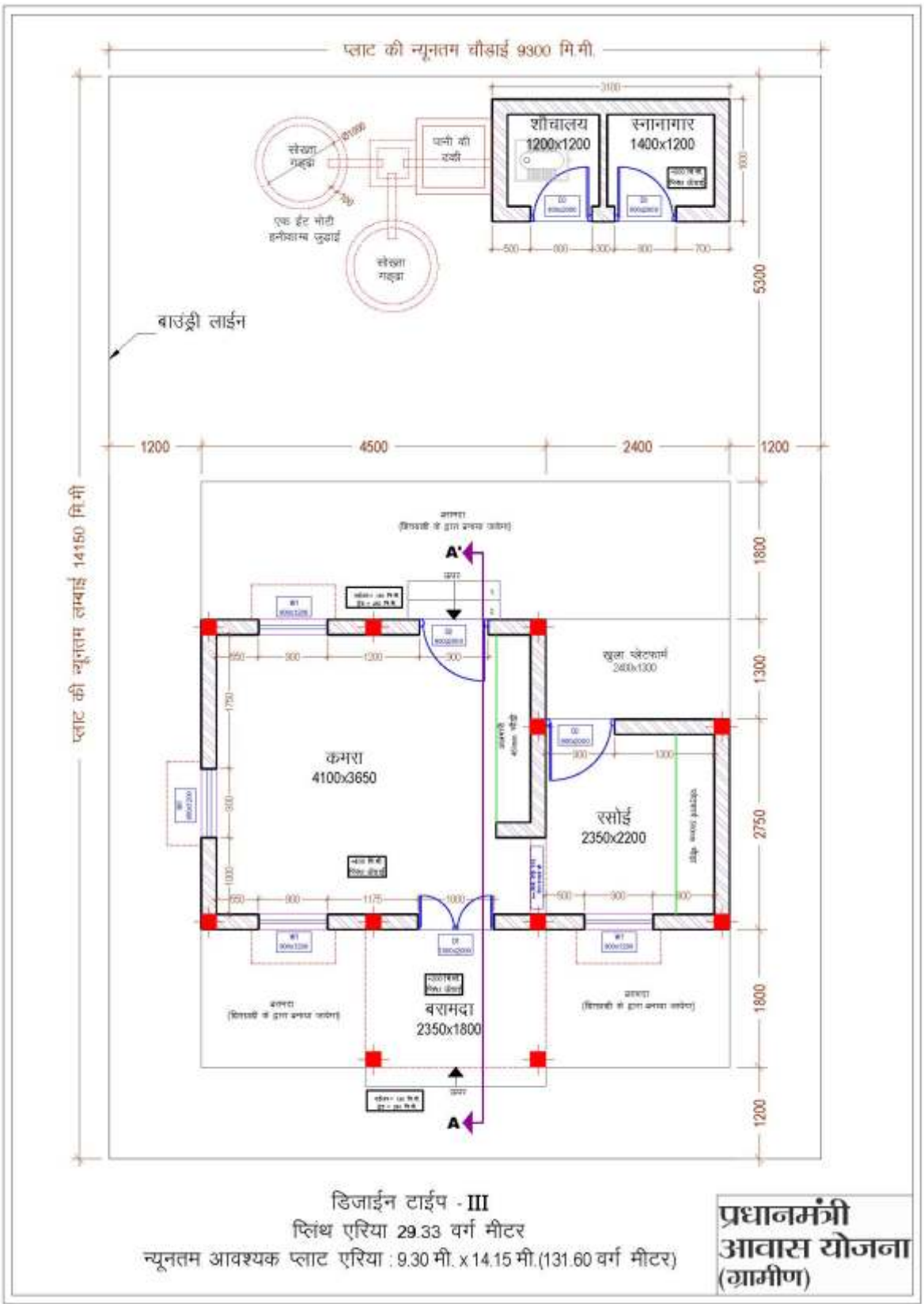

डिजाईन टाईप - III
प्लिंथ एरिया 29.33 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 9.30 मी. x 14.15 मी.(131.60 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

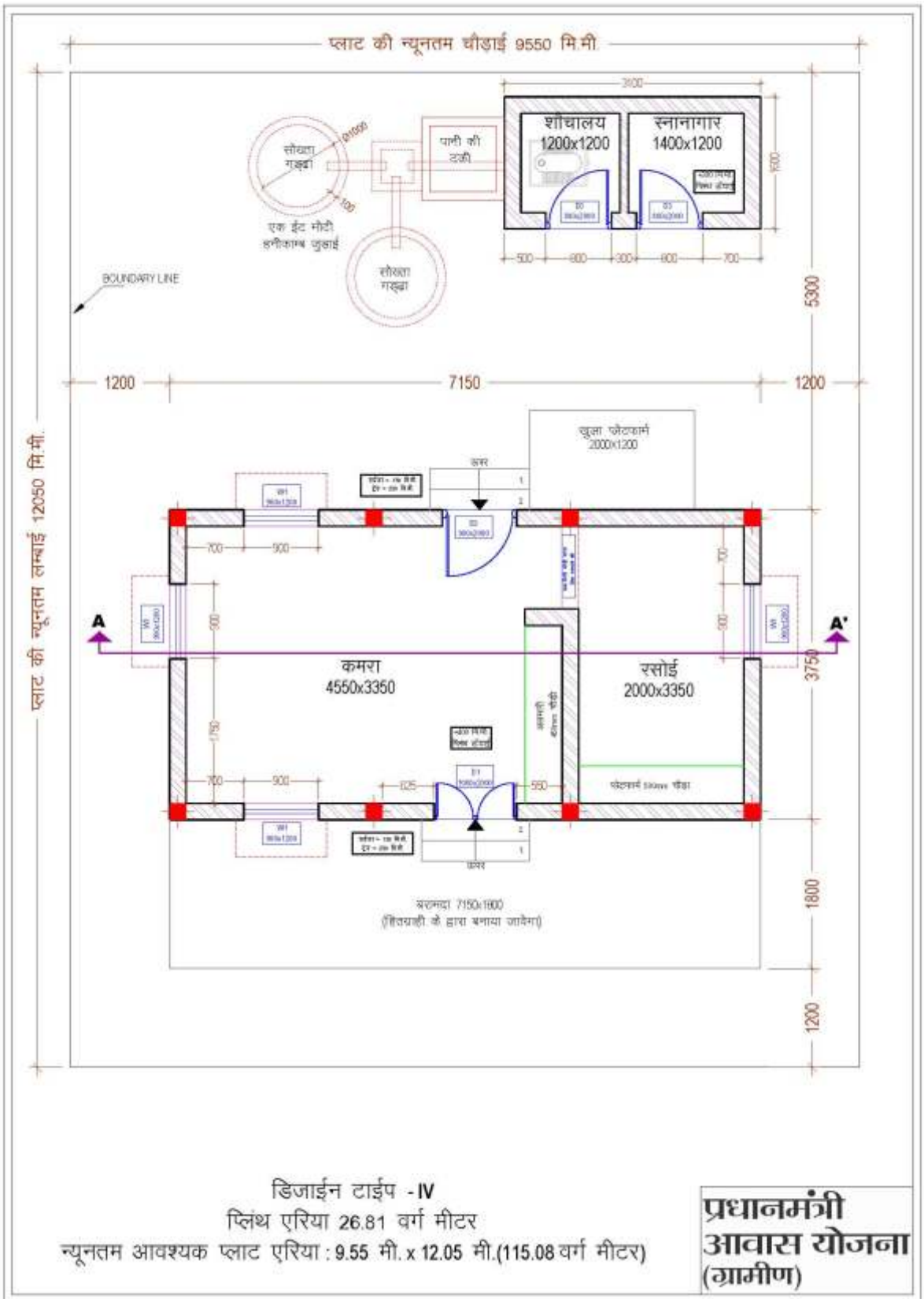

डिजाईन टाईप - IV

प्लिंथ एरिया 26.81 वर्ग मीटर

न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 9.55 मी. x 12.05 मी.(115.08 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

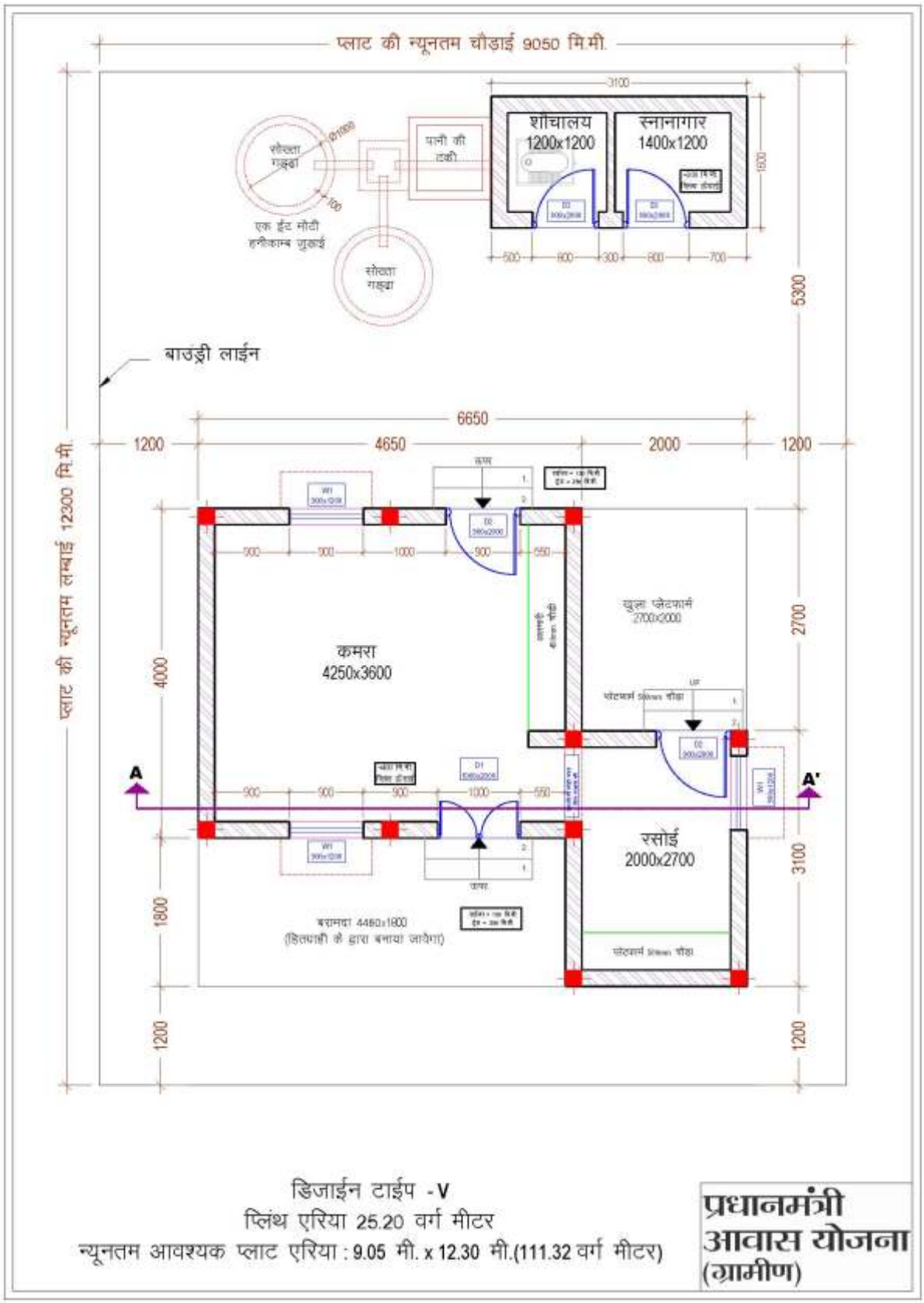

डिजाईन टाईप - V
प्लिंथ एरिया 25.20 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 9.05 मी. x 12.30 मी.(111.32 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

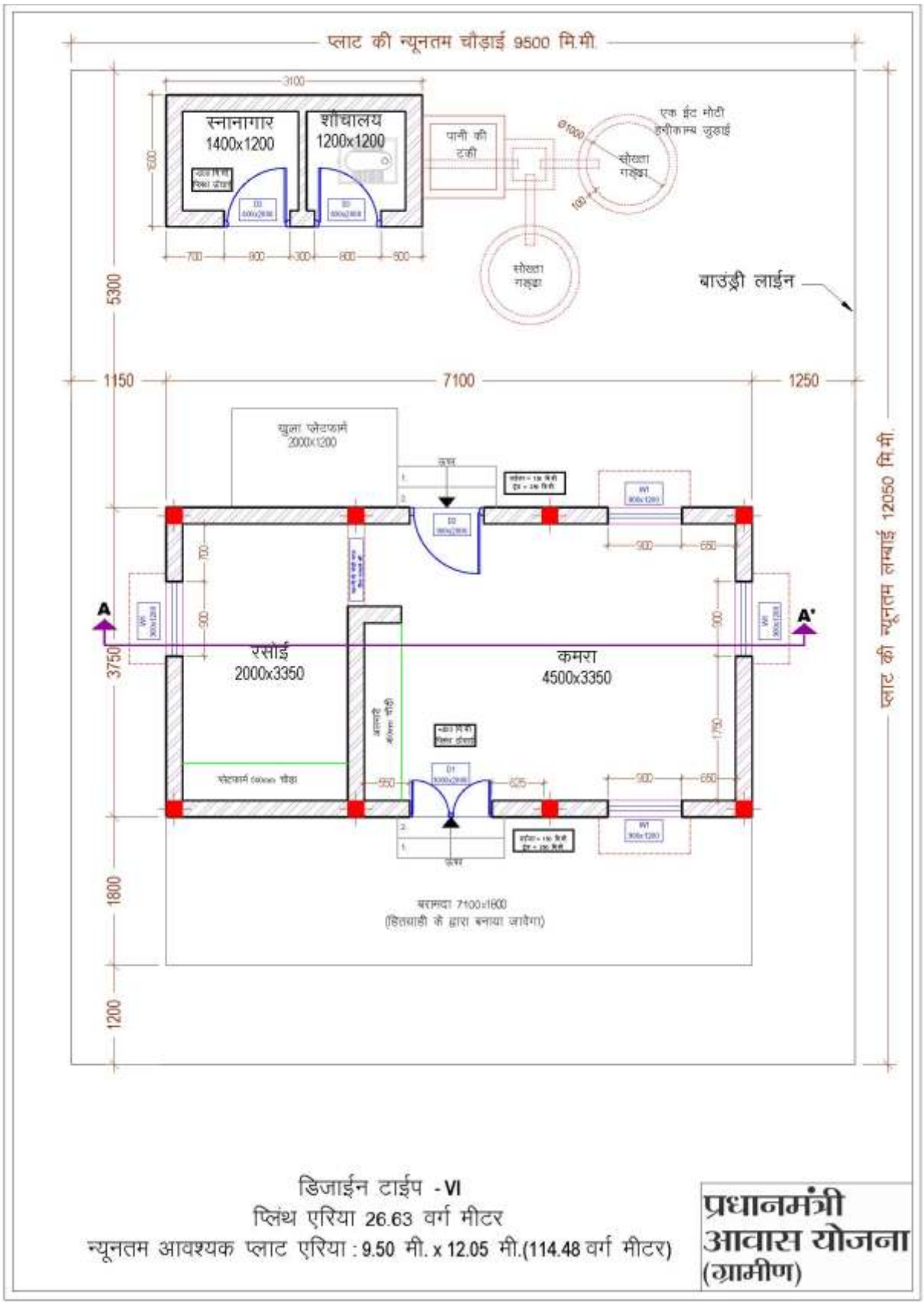

डिजाईन टाईप - VI
प्लिंथ एरिया 26.63 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 9.50 मी. x 12.05 मी.(114.48 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

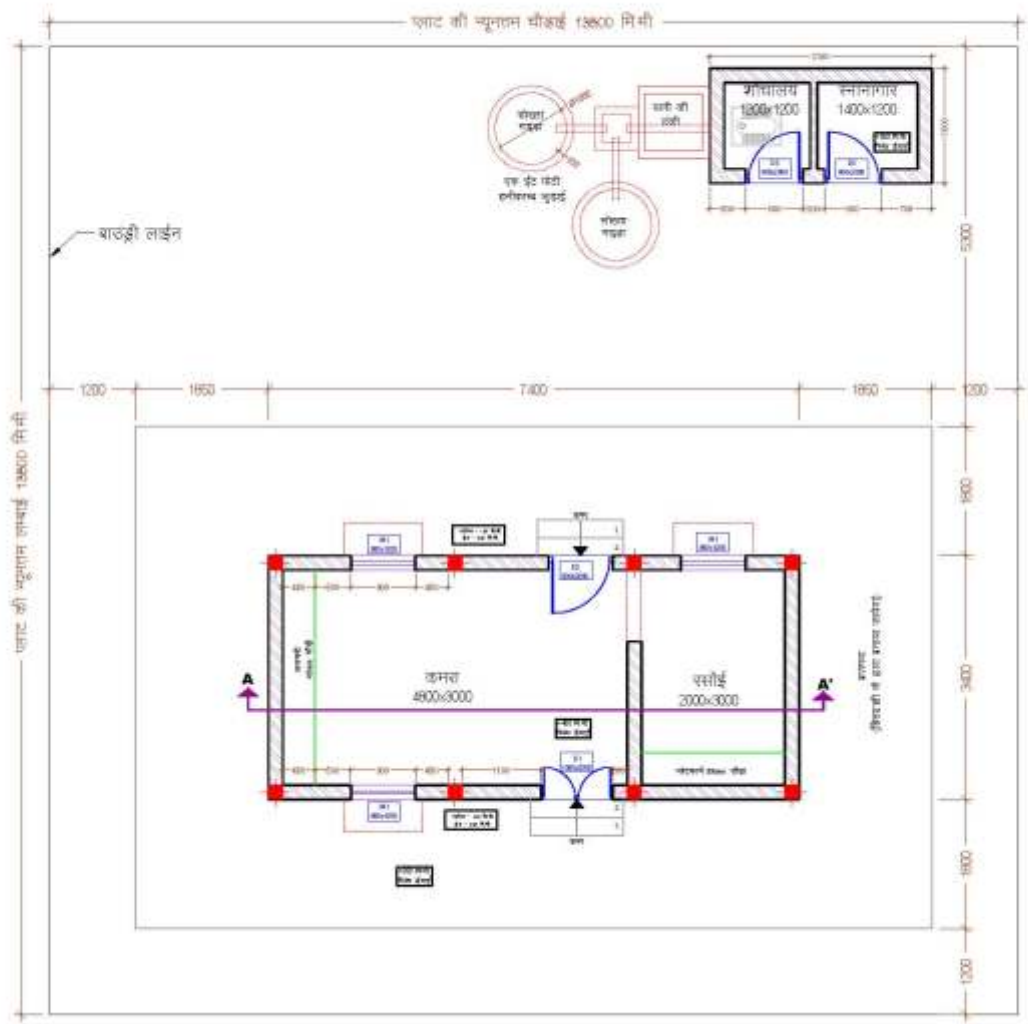

डिजाईन टाईप - VII
प्लिंथ एरिया 26.64 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : **13.50** मी. x **13.30** मी.(**182.25** वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

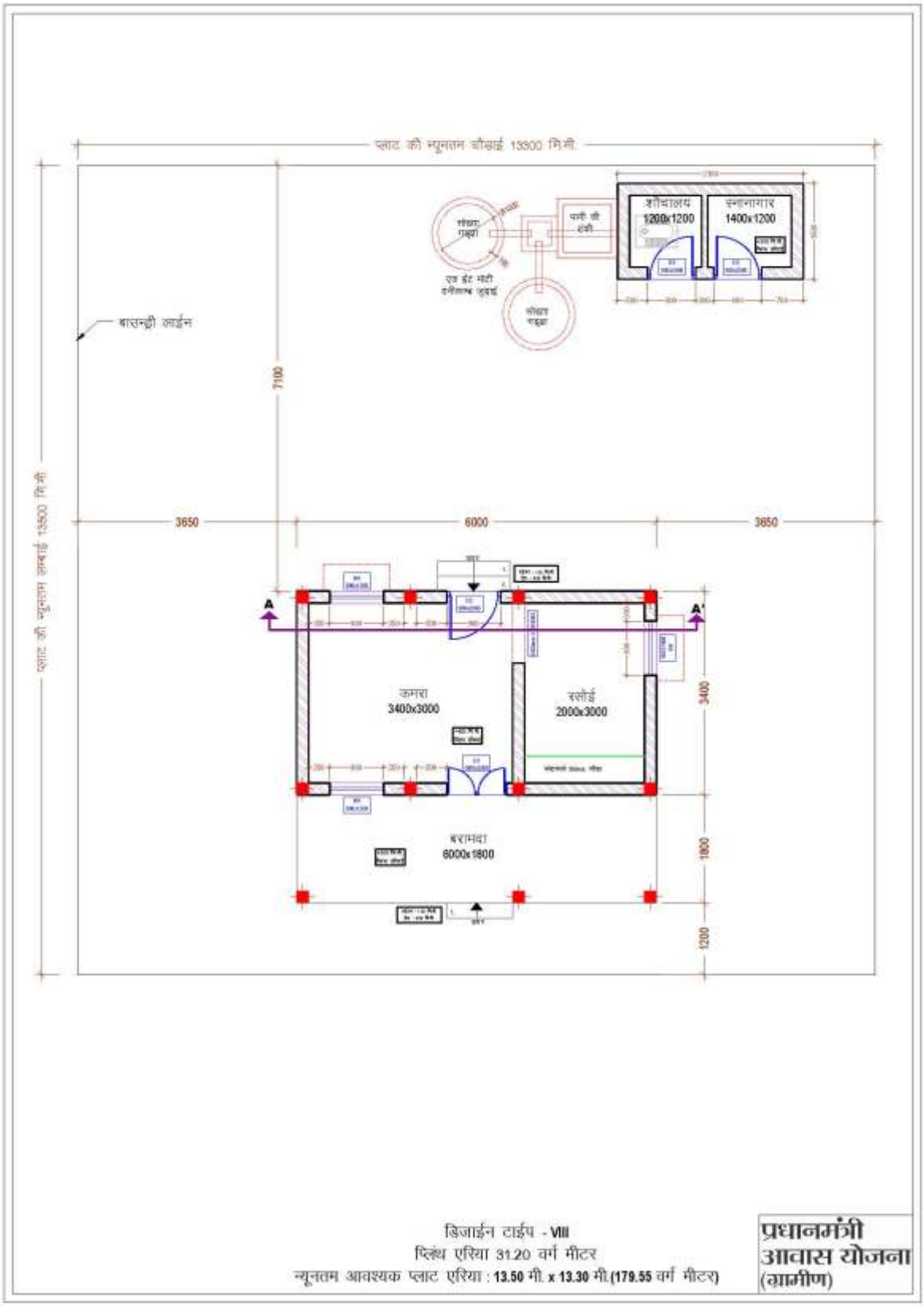

डिजाईन टाईप - VIII
प्लिंथ एरिया 31.20 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : **13.50** मी. **x 13.30** मी. (**179.55** वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

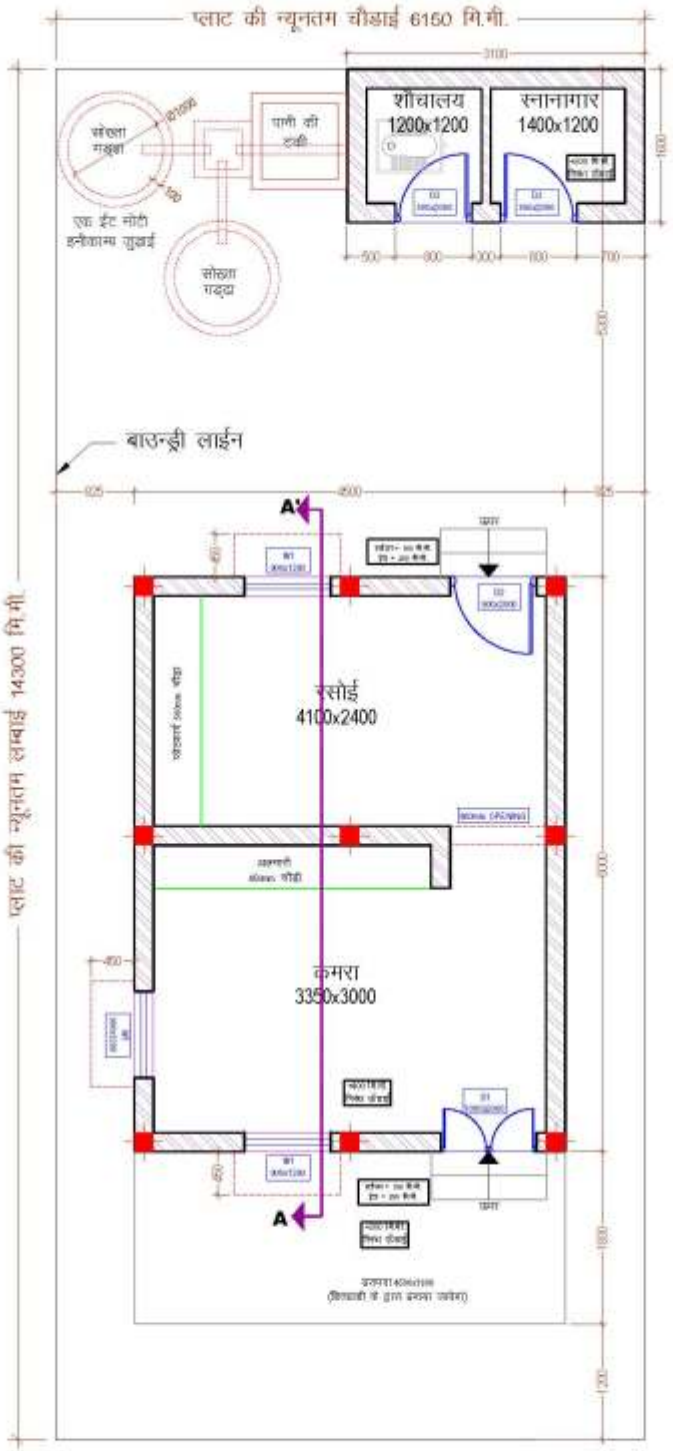

डिजाईन टाईप - IX
प्लिंथ एरिया 27.30 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 6.15 मी. x 14.30 मी. (87.95 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

कार्यालय प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
"बी" विंग, द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल
eincres@mp.gov.in, Phone : 0755-2551398

क्रमांक 975/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 **भोपाल, दिनांक 03/03/2017**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत - समस्त, (म.प्र.)
2. कार्यपालन यंत्री
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
   संभाग-समस्त (म.प्र.)

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पत्थर की दीवारों का उपयोग।

विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों की 09 प्रकार की ड्राइंग, उनके रूपांकन एवं विशिष्टियां निर्धारित की गयी थीं। कुछ जिलों से यह प्रश्न आया है कि क्या योजना के भवनों में ईंटों के स्थान पर पत्थर की दीवारें बनाई जा सकती हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यों में ईंटों के स्थान पर पत्थर की जुड़ाई करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूंकि पत्थर की दीवारों की चौड़ाई अधिक होती है, इसलिए कमरों का आंतरिक क्षेत्रफल समान रखने के लिए बाहरी दीवारों की लम्बाई एवं चौड़ाई बढ़ाना होगी। इससे लागत कुछ अधिक हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों हेतु पत्थर की जुड़ाई की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जा सकती है :-

1. 75 से.मी. गहराई तक पक्का स्ट्रेटा उपलब्ध हो, तो ओपन फाउण्डेशन का कार्य किया जावे।
2. प्लिंथ स्तर, लिंटल स्तर और छत स्तर पर 15 से.मी. गहराई की बीम डाली जाए।
3. भवन की छत आर.सी.सी. से पूर्व में प्रसारित डिजाइन अनुसार बनाई जाए।

उपरोक्त संशोधनों के साथ ड्राइंग क्रमांक-1 की संशोधित ड्राइंग संलग्न की जा रही है। कार्यपालन यंत्री द्वारा इसी आधार पर डिजाइन आदि का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार अन्य ड्राइंग भी संशोधित कर कार्य कराया जा सकता है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(ए.डी. कपाले)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र. भोपाल

पृ. क्र. 976/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 **भोपाल, दिनांक 03.03.2017**

प्रतिलिपि

संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र. भोपाल

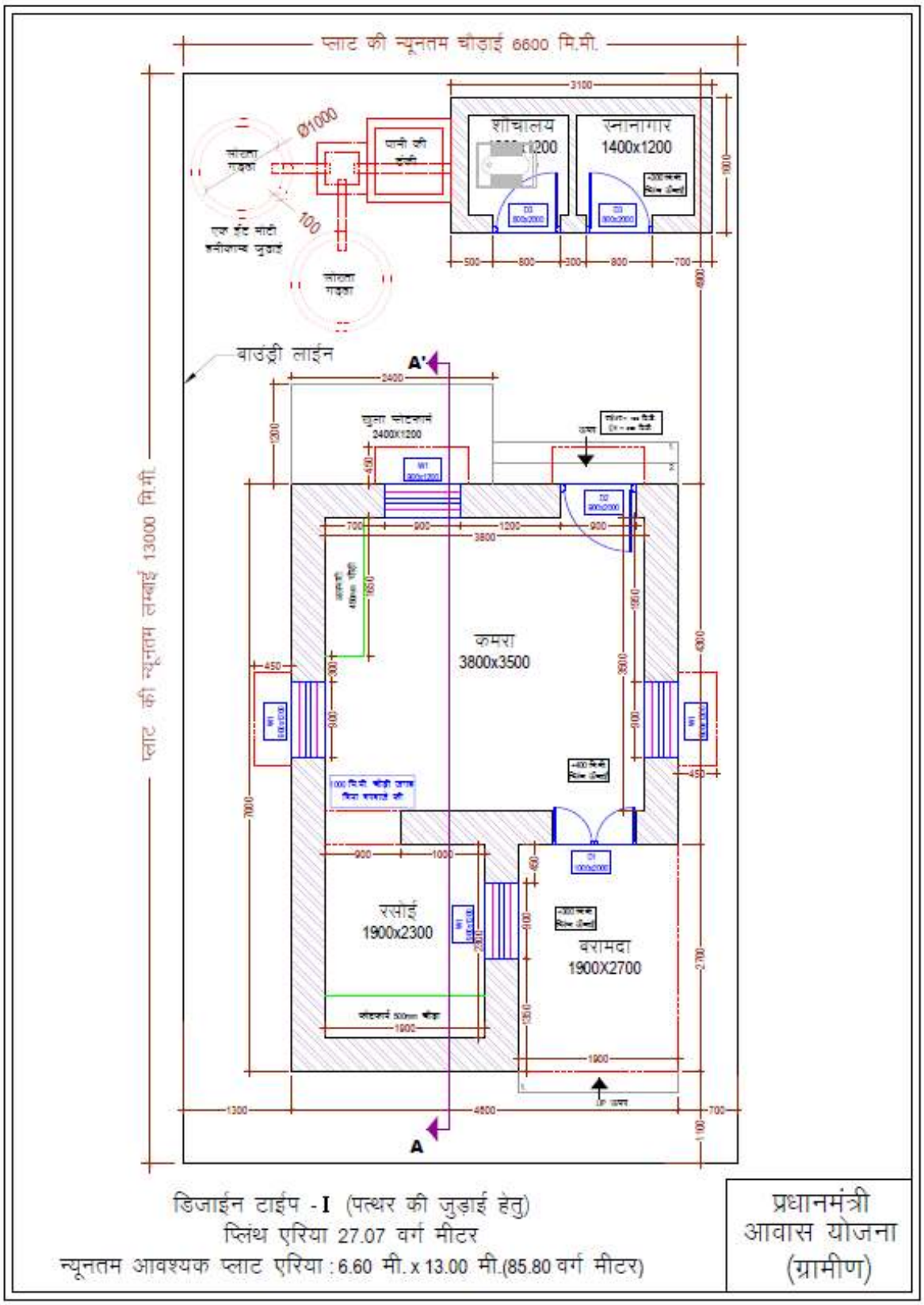

डिजाईन टाईप - I (पत्थर की जुड़ाई हेतु)
प्लिंथ एरिया 27.07 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 6.60 मी. x 13.00 मी.(85.80 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री
आवास योजना
(ग्रामीण)

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्र. 13/22/वि.आ./2017 **भोपाल, दिनांक 25.04.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त) म.प्र.

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - जिला स्तरीय अपील समिति का गठन।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। इस योजना के तहत भारत सरकार से अब तक 8,37,679 हितग्राहियों का लक्ष्य प्रदेश को मिला है। योजना के दिशा निर्देशों के तहत पात्र हितग्राहियों का चयन SECC-2011 में सूचीबद्ध परिवारों की परस्पर वंचितता की तीव्रता के क्रम में किए जाने के निर्देश हैं। मार्गदर्शी दिशा निर्देश (Framework of implementation) के तहत अपात्रता के 13 बिंदुओं के संबंध में राज्य की परिस्थितियों के अनुसार स्पष्टीकरण देते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के तहत पात्रता के क्रम निर्धारण और अपात्रता के बिंदुओं के संबंध में प्रत्येक ग्राम में पोस्टर चस्पा करने की व्यवस्था भी की गई है।

2. पक्के मकान वाले तथा 4 पहिया वाहन धारण करने वाले परिवारों को पात्र दर्शाते हुए योजना का लाभ देने के कुछ प्रकरण शासन के संज्ञान में आने की पृष्ठभूमि में शासन ने अपात्रों को योजना का लाभ देने की दशा में सूचनादाता को रु. 5000/- पुरस्कार और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की नीति प्रसारित की है।

3. योजना के तहत पात्रता के संबंध में समय-समय पर निम्न स्पष्टीकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस में अथवा दूरभाष पर अधिकारियों को दिए गए हैं :-

3.1. SECC-2011 में जनगणना के लिए परिवार से आशय साथ रहने वाले एक रसोई से भोजन करने वाले व्यक्तियों की यूनिट से है। SECC-2011 में परिवार की परिभाषा निम्नानुसार है :-

"A household is usually a group of persons who normally live together and take their meals from a common kitchen"

3.2. यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अविवाहित/विधुर/विधवा हो और परिवार की उक्त परिभाषा में आता हो तो वह पात्र है।

3.3. स्वीकृति एवं प्रथम किश्त जारी होने के उपरांत यदि हितग्राही के परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में लग जाए तो वह अपात्र नहीं होगा।

3.4. यदि भूमि संयुक्त परिवार में किसी एक व्यक्ति के नाम हो और अभिलेख में भूमि का बंटवारा नहीं हुआ हो लेकिन मौके पर भूमि का आपसी बंटवारा कर खेती की जा रही हो तो आपसी बंटवारे को मान्य करते हुए पात्रता निर्धारित की जाए।

3.5 स्वीकृति के बाद यदि हितग्राही की मृत्यु हो जाए तो उसकी विधवा/विधुर/संतान (जो भी परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले हों) के नाम प्रकरण अंतरित किया जाए। परिवार में यदि केवल नाबालिग ही बचे तो उसके निकटस्थ रिश्तेदार को संरक्षक बनाकर नाबालिग हितग्राही को आगामी किश्त दी जाए।

3.6 संयुक्त परिवार में मोटर साईकल होने की दशा में पात्रता का निर्धारण उपरोक्त बिंदु 3.1 में दी गई परिवार की परिभाषा के आधार पर किया जाए।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिला स्तरीय अपील समिति के गठन का प्रावधान है। पात्रता संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्नानुसार अपील समिति गठित की जाती है :-

1. जिला कलेक्टर	- अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	- सदस्य सचिव
3. जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित एक गैर शासकीय सदस्य	- सदस्य

5. उपरोक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :-
   (1) जनपद पंचायत स्तर से जिन परिवारों को अपात्र माना गया है उनकी अपात्रता के कारणों की समीक्षा कर उनकी पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में निर्णय लेगी ताकि कोई गरीब परिवार पात्र होते हुए भी योजना के लाभ से वंचित नहीं हो।
   (2) पात्रता संबंधी शिकायतों का निराकरण करेगी।
   (3) जिन प्रकरणों में समिति पात्रता/अपात्रता का निर्धारण करने में कठिनाई महसूस करे, उन प्रकरणों को विकास आयुक्त को पूर्ण जानकारी के साथ निर्णय हेतु भेजेगी।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 14/22/वि.आ./2017 **भोपाल, दिनांक 25.04.2017**

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त समस्त।
2. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. ओ.एस.डी. मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. समस्त अध्यक्ष, जिला जनपद/पंचायत/सरपंच को वेबसाइट पर प्रकाशन से।
5. संयुक्त आयुक्त, समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. 264 A/22/वि-7/पीएमएवायजी/17 **भोपाल, दिनांक 09.08.2017**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत - समस्त मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवासों में योजना का लोगो (Logo) लगाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित समस्त आवासों में योजना का लोगो (Logo) लगाना अनिवार्य है।

अतः संलग्न प्रारूप अनुसार समस्त आवासों में लोगो (Logo) लगवाया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु लोगो (Logo) का स्टेंसिल बनवाकर क्लस्टर स्तर पर प्रदाय करें। इस कार्य हेतु 2000/- रुपये प्रति जनपद स्वीकृत किया जाता है।

15/6/17

(हेमवती वर्मन)
संचालक, पीएमएवाय-जी
विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 3990/प्रशा./एनआरएलएम/2017 **भोपाल, दिनांक 22.05.2017**

प्रति

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों एवं उनके संगठनों को भवन उपलब्ध कराने हेतु।

राज्य में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1.80 लाख सशक्त समूहों का गठन किया गया है तथा यह प्रक्रिया लगातार जारी है। इन समूहों द्वारा अनेक सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिनके लिये उन्हें अधोसंरचनाओं की आवश्यकता है। अतः उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. जिलों में जनपद पंचायत स्तर/ग्राम स्तर पर ऐसे भवन जो रिक्त हैं या उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उन्हें स्व-सहायता समूहों की माँग पर समूहों के संगठनों को सौंपा जाये।
2. पूर्व में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकासखण्ड स्तर पर BRC भवनों का निर्माण किया गया था, परंतु इनमें से कई भवन, जिस उद्देश्य के लिये निर्मित कराए गये थे, उनके अलावा अन्य कार्यों हेतु उपयोग में लाये जा रहे हैं। अतः विकासखण्ड स्तर पर स्व-सहायता समूहों के संगठनों को प्रशिक्षण एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी/विकय हेतु BRC भवनों को स्व-सहायता समूहों के संकुल स्तरीय संगठनों की मांग पर उन्हें सौंपा जाये।
3. प्रत्येक जिले में "आजीविका केंद्र" की स्थापना हेतु एक उपयुक्त भवन जिले के परियोजना प्रबंधक, ग्रामीण आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जाए, जिसमें आजीविका मिशन से संबंधित प्रमुख गतिविधियाँ संचालित करने के अलावा आजीविका उत्पादों का विक्रय भी हो सकेगा, मिशन की महिलाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकेंगे। रीवा जिले में इस प्रकार का भवन कलेक्टर द्वारा मिशन को उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः सभी कलेक्टर्स जिला स्तर पर किसी एक उपयुक्त भवन को चिंहित कर आजीविका मिशन की गतिविधियों हेतु मिशन को सौंपे।
4. एस.जी.एस.वाई. के तहत राज्य में अनेक अधोसंरचनाएं निर्मित की गयी थीं, इन अधोसंरचनाओं को स्वरोजगारियों के उपयोग हेतु बनाया गया था। कई जिलों में इन भवनों का उपयोग अन्य कार्यों में किया जा रहा है। अतः इन संरचनाओं को आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों अथवा उनके संगठनों को सौंपा जाए ताकि इन भवनों/संरचनाओं का सदुपयोग हो सके।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव

स्वच्छ भारत मिशन

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
बी-विंग, द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्र./1502/22/वि-7/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम. (जी.)/2017 **भोपाल, दिनांक : 20.04.2017**

प्रति,

कलेक्टर
जिला-समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय- दोहरे गड्ढों वाले लीच-पिट (Twin leach Pit) तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ- सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत शासन से प्राप्त पत्र क्रमांक D.O. No.- 2/2/Secy(DWS)/16 दिनांक 6 अप्रैल 2017

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू शौचालयों के निर्माण में दोहरे गड्ढों वाले लीच-पिट (Twin leach Pit) तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश हैं। अन्य तकनीक (चेम्बर सहित एक लीच-पिट अथवा सेप्टिक टैंक) वाले शौचालय का उपयोग अपरिहार्य परिस्थिति में ही मान्य है।

2. यह वैज्ञानिक तौर पर साबित हुआ है कि दो गड्ढों वाला लीच-पिट शौचालय-
   1. 6 सदस्यों वाले एक परिवार द्वारा 5 वर्षों तक उपयोग पश्चात् ही भरता है।
   2. भरे हुए गड्ढे का अपशिष्ट 6 महीने से 1 वर्ष में पूरी तरह से विघटित हो जाता है।
   3. यह विघटित कचरा एन.पी.के. (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम) जैसे पोषक तत्वों में परिवर्तित होकर कृषि के लिए आदर्श खाद बनाता है।
   4. गड्ढे को खाली करने के बाद पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है।
3. यही कारण है कि इस शौचालय तकनीक को एक ग्रामीण परिवार के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल शौचालय तकनीक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।
4. यह एक आम धारणा है कि कम लागत से जुड़वां गड्ढे वाले लीच-पिट शौचालय केवल गरीब और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए हैं। कई परिवार अन्य प्रौद्योगिकियों की तरह ही शौचालयों का शहरी क्षेत्रों में प्रचलित विकल्प चुनते हैं जैसे- सेप्टिक टैंक जो अपेक्षाकृत असुरक्षित एवं महंगा होता है साथ ही, उसे खाली करने में कठिनाई होती है।
5. प्रामाणिक संस्थाओं द्वारा किये गये सर्वे में यह पाया गया है कि कम लागत वाले दोहरे लीच-पिट के शौचालयों का निर्माण और/ या उपयोग नहीं करने में इन गड्ढों को खाली करने के साथ जुड़ी भ्रांतियाँ है जिसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता।
6. कम लागत के जुड़वां गड्ढे वाले लीच-पिट शौचालय से संबंधित जानकारी को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न सूचना और संचार (आईईसी) गतिविधियां किया जाना आवश्यक है।
7. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से मीडिया के समक्ष उच्च राजनीतिक व्यक्तियों एवं राज नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भरे हुए गड्ढों के विघटित पदार्थ को खाली करने का प्रदर्शन कर लीच-पिट शौचालय से जुड़ी भ्रांतियों को कम करने तथा इस तकनीक से संबंधित जानकारी देने के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि आप शौचालय निर्माण की तकनीकी में जुड़वां गड्ढे वाले लीच-पिट शौचालय को बढ़ावा देने की समुचित गतिविधियां आयोजित करावें तथा शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु जुड़वां गड्ढे वाले लीच-पिट के अतिरिक्त अन्य तकनीक से निर्मित शौचालय को अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मान्य करें। साथ ही, दो लीच-पिट से जुड़ी भ्रांति को समाप्त करने हेतु भरे लीच-पिट को खाली करने का सार्वजनिक आयोजन करावें, जिससे आम जनता इस तकनीक को अपनाने हेतु सहर्ष आगे आ सके।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विकास आयुक्त कार्यालय
बी विंग द्वितीय तल विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक 12673/22/वि-7/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम. (जी)/2016 **भोपाल, दिनांक 18.10.2016**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
जिला-समस्त

विषय - शौचालय प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्रता।

संदर्भ - राज्य कार्यक्रम अधिकारी का पत्र क्रमांक 2049/22/एसबीएम/दि. 23.05.2016

संदर्भित पत्र द्वारा हितग्राहियों को भारत सरकार के एम.आई.एस. अनुसार शौचालय प्रोत्साहन राशि की पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

2. शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि हेतु हितग्राहियों की पात्रता के सबंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-
   (i) एक घर एक शौचालय के मान से जिन हितग्राहियों को भारत सरकार की एम.आई.एस. सूची में उनके नाम दर्ज होने के आधार पर पूर्व में पात्रता पर्ची जारी की गई है उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता है।
   (ii) ऐसे हितग्राही जिनके नाम भारत सरकार की एम.आई.एस. में पात्रता सूची में है और जिनकी पात्रता का सत्यापन स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर हो जाता है, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि की पात्रता है भले ही हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी नहीं की गई हो।
   (iii) भारत सरकार के एम.आई.एस. में पात्रता सूची में जिनके नाम नहीं हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं है।
   (iv) स्वच्छ भारत मिशन के प्रावधान अनुसार जो हितग्राही पात्रता रखते हैं तथा वर्तमान में उनके निवास में शौचालय नहीं है उन हितग्राहियों के नाम राज्य स्तर से भारत सरकार की एम.आई.एस. सूची में जोड़े जाएंगे। तत्पश्चात् वे उक्त श्रेणी। (ii) के तहत आएंगे।
   (v) भारत सरकार के एम.आई.एस. में एक घर में एक से ज्यादा हितग्राही की पात्रता की प्रविष्टि की गई है तो उस घर में केवल एक हितग्राही को ही प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी। शेष हितग्राहियों का नाम पात्रता सूची से हटा दिया जाए।
3. भारत सरकार के एम.आई.एस. में पात्रों के नाम जोड़ने तथा अपात्रों के नाम हटाने के लिए जिले का एकजाई प्रस्ताव राज्य कार्यक्रम अधिकारी को Soft copy में यथाशीघ्र भेजा जाए।
4. पात्रता सूची को उपरोक्तानुसार परीक्षण कराने के जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की होगी।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग. बी-विंग अपर बेसमेन्ट, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

क्र/3329/पं.ग्रा.वि/वि-7/एस.बी.एम. (जी.)/2016 **भोपाल, दिनांक 15/06/2016**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला-समस्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-जिला-समस्त, मध्यप्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-समस्त-जनपद, मध्यप्रदेश

विषयः- शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का हितग्राहियों के खाते में सीधा इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण।

संदर्भः- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 3163/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम.(जी)/2015 भोपाल, दिनांक 01.06.2016

उपरोक्त संदर्भित पत्र की कंडिका-6 में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का हितग्राही के खाते में भुगतान करने के लिए अधिकतम समय-सीमा 15 दिवस नियत की गई है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में भुगतान के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र हितग्राही शौचालय के प्रथम/अन्तिम चरण के पूर्ण होने अथवा सम्पूर्ण निर्माण पूर्ण होने के पश्चात प्रोत्साहन राशि की मांग सीधे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कर सकेगा।

(ii) हितग्राही द्वारा धनराशि की मांग उसकी समग्र आई.डी. का उपयोग कर swachh.mp.gov.in पर ऑनलाइन की जाएगी। धनराशि की मांग शासकीय अथवा पंचायतीराज संस्था के किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि के माध्यम से करना आवश्यक नहीं होगा। यदि हितग्राही चाहे तो वह धनराशि की ऑनलाइन मांग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद ले सकेगा।

(iii) स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन व्यवस्थाः-

(a) swachh.mp.gov.in वेबसाइट पर धनराशि की मांग आने से 7 दिवस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत निर्दिष्ट पंजीकृत संकुल समन्वय अधिकारी/सहायक विकास विस्तार अधिकारी/उपयंत्री/पंचायत सचिव/रोजगार सहायक अथवा अन्य किसी अधिकारी से शौचालय निर्माण का निरीक्षण कराएगा। (b) वेबसाइट पर धनराशि की मांग प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम हेतु निर्दिष्ट निरीक्षणकर्ता अधिकारी शौचालय निर्माण स्थल का 'जीओ-टैग्ड' फोटो लेगा एवं मांग की गई किश्त अनुसार कार्य की भौतिक स्थिति दर्ज कर इसे वेबसाइट पर 'स्वच्छ मध्यप्रदेश' एप के माध्यम से अपलोड करेगा। (c) निर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी शौचालय की भौतिक स्थिति अनुसार किश्त निर्धारण संबंधी अभिमत संदर्भित पत्र के कंडिका क्रमांक-1 से 4 अनुसार करेगा। (d) स्थल निरीक्षण के दौरान शौचालय निर्माण में सुधार आवश्यक पाया जाने की दशा में निरीक्षणकर्ता अधिकारी हितग्राही को मार्गदर्शन देकर यथोचित सुधार कराएगा।

(iv) शौचालय निर्माण का सत्यापन कराने और जीओ-टैग्ड फोटो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के उपरांत पात्र हितग्राही को देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा 'इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर आर्डर' जारी कर किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सामान्यतः हितग्राही की वेबसाइट पर मांग प्राप्त होने से 15 दिवस के भीतर किया जाना अपेक्षित है।

(v) शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का भुगतान केवल हितग्राही के बैंक खाते में ही किया जाए। हितग्राही अपनी सुविधानुसार पंचायत अथवा अन्य किसी निर्माणकर्ता से कार्य कराने हेतु स्वतंत्र है।

(vi) यदि शौचालय निर्माण हितग्राही द्वारा नहीं किया जाकर पंचायत/अन्य निर्माणकर्ता द्वारा कराया गया हो तो निर्मित शौचालय की गुणवत्ता से हितग्राही संतुष्ट होकर स्वीकार करने के उपरांत प्रोत्साहन राशि हितग्राही के बैंक खाते में जमा की जावेगी जो निर्माण एजेंसी को भुगतान करेगा।

(vii) उपरोक्त संदर्भित पत्र की कंडिका-7 को संशोधित कर, हितग्राही द्वारा फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है।

2. जिन शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है, उन प्रकरणों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व्यक्तिशः निरीक्षण करने एवं हितग्राही की लिखित संतुष्टि प्राप्त होने पर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पूर्व प्रक्रिया अनुसार भुगतान कर सकेंगे। यदि भुगतान 30 जून 2016 के बाद किया जाता है तो एफ.टी.ओ. से भुगतान करना होगा।

3. दिनांक 01 जुलाई 2016 से आर.टी.जी.एस. प्रणाली से भुगतान पूर्णतः बन्द हो जाएगा।

(विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेशित)

15/6/16

(हेमवती वर्मन)
राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

विकास आयुक्त कार्यालय
बी विंग द्वितीय तल विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक 3638/ पं.ग्रा.वि./वि-7/एस.बी.एम. (जी.)/2016 **भोपाल, दिनांक 11.07.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर
जिला (समस्त)
मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला-समस्त
मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत
समस्त-जनपद
मध्यप्रदेश

विषय : शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का हितग्राहियों के खाते में सीधा इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण।

सन्दर्भ :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 3163/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम.(जी)/2015 भोपाल दि. 01.06.2016 एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी का पत्र क्र. 3329 दिनांक 15.06.2016

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3163 की कंडिका-6 में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का हितग्राही के खाते में भुगतान करने के लिए अधिकतम समय-सीमा 15 दिवस नियत की गई है। पत्र क्र. 3329 संदर्भित पत्र में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का हितग्राहियों के खाते में सीधा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसी क्रम में शौचालय के स्थल निरीक्षण के लिये निर्दिष्ट अधिकारी के कर्तव्य दायित्व के महत्व को ध्यान में रखकर यह निर्देशित किया जाता है कि :-

1. स्थल निरीक्षण के लिये निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समयावधि के भीतर स्थल निरीक्षण कर शौचालय का "जीओ टैग्ड" फोटो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने की दशा में जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर हितग्राही से प्रोत्साहन राशि की मांग की तिथि से 15 दिवस के तत्काल पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रकरण जिला कलेक्टर को भेजेगा।
2. निरीक्षण हेतु निर्दिष्ट अधिकारी यदि संविदा पर नियुक्त है तो वर्ष में 2 से अधिक बार चूक की दशा में उसकी संविदा नियुक्ति समाप्त की जाए।

अतः निरीक्षण कार्य की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 1657/22/स्व.भा.मि./SLWM/2017 **भोपाल, दिनांक 01.05.2017**

प्रति,

कलेक्टर
जिला-समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय - ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) की परियोजनाओं की स्वीकृति के संबध में।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रोजेक्ट की स्वीकृति वर्तमान में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति SLSSC द्वारा दी जा रही थी। उक्त प्रावधान में संशोधन करते हुए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) की मार्गदर्शिका की कंडिका 5.10.4 अनुसार राज्य स्तर से अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित SLWM की प्रत्येक ग्राम पंचायत की वैयक्तिक परियोजना का अनुमोदन एतद् द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदित कराया जाये।

अतः राज्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप अनुसार प्रत्येक वैयक्तिक परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) निर्मित किया जाकर जिला जल एवं स्वच्छता समिति में स्वीकृति पश्चात् कार्य कराया जाए।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 1658/22/स्व.भा.मि./SLWM/2017 **भोपाल, दिनांक 01.05.2017**

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव MDWS भारत शासन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव/अध्यक्ष SLSSC, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागायुक्त, संभाग-समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-समस्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग-समस्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. 4813/22/वि-9/आर.जी.एम./सा.अ./2017 **भोपाल, दिनांक 24.04.2017**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-समस्त, भोपाल (म.प्र.)

विषय : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास की परियोजनाओं के कार्यों के संबंध में।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग से "पी.एम.के.एस.वाय. - वाटरशेड विकास" हेतु वार्षिक आयोजना के विरुद्ध विगत 2 वर्षों से बहुत कम राशि प्राप्त हुई है। अतः भारत सरकार ने उनके पत्र जेड-11011/10/2016, दिनांक 02.02.2017 में बजट में उपलब्ध राशि के आधार पर परियोजना के कार्यों की प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिये हैं।

2. "पी.एम.के.एस.वाय.-वाटरशेड विकास" के अंतर्गत प्रचलित परियोजनाओं में वाटरशेड विकास के कार्यों हेतु प्रावधानित राशि रुपये 1427 के विरुद्ध अद्यतन स्थिति में रुपये 460 करोड़ के ही कार्य हुए हैं एवं योजना के प्रमुख उद्देश्य अर्थात् "सिंचाई सामर्थ्य का विकास" की प्राप्ति के लिए शेष कार्यों को पूरा करना होगा, जिसके लिए रुपये 967 करोड़ की आवश्यकता है। परियोजना क्षेत्रों में पी.एम.के.एस.वाय. के उद्देश्य की पूर्ति हेतु महात्मा गांधी नरेगा के वित्तीय स्त्रोतों से भी अभिसरण कर वाटरशेड विकास कार्य किये जाने हैं। अतः ऐसी स्थिति में और पैरा-1 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार के निर्देश के अनुक्रम में "पी.एम.के.एस.वाय.-वाटरशेड विकास" अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष 2017-18 में परियोजना कार्यों को निम्नानुसार नियोजित किया जाना है। :-

1. सभी बैच की परियोजनाओं में आगामी आदेश तक आस्थामूलक कार्य, आजीविका उन्नयन, उत्पादन प्रणाली और क्षमता विकास मद की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस आदेश के जारी होने की तिथि से आजीविका उन्नयन, उत्पादन प्रणाली और क्षमता विकास मद में कोई गतिविधि स्वीकृत नहीं की जाये। आदेश के जारी होने की तिथि के पूर्व आजीविका उन्नयन, उत्पादन प्रणाली और क्षमता विकास मद में स्वीकृत ऐसी गतिविधियाँ जो प्रारंभ नहीं हुई हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाये। केवल प्रचलित गतिविधियों को ही पूर्ण किया जाये किन्तु इन गतिविधियों हेतु परियोजना राशि से आगे और राशि न प्रदाय की जावे।
2. सभी बैच की परियोजनाओं में आजीविका उन्नयन मद में ऐसे समूह जिन्हें केवल सीड मनी दिया गया है उन्हें अब रिव्हलविंग फण्ड न दिया जाये। समूहों को दिये गये सीड मनी एवं रिव्हलविंग फण्ड की वापसी की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाये।
3. सभी बैच की परियोजनाओं में प्रशासनिक मद में व्यय की अधिकतम सीमा परियोजना लागत की 2 प्रतिशत वार्षिक रखी जाये, ताकि इस मद में अपव्यय न हो।
4. जिले को प्राप्त होने वाली परियोजना राशि से प्राथमिकता क्रम में सर्वप्रथम वर्ष 2010-11 की परियोजनाओं में 56 प्रतिशत परियोजना लागत के समतुल्य वाटरशेड विकास कार्य दिसम्बर 2017 तक पूर्ण करा लिये जायें क्योंकि यह परियोजनायें मार्च 2018 में समाप्त की जाना है। इस बैच की परियोजनाओं में समेकन चरण की कार्यवाही पर परियोजना लागत का अधिकतम 2 प्रतिशत व्यय किया जाये।
5. जिले को प्राप्त होने वाली परियोजना राशि से द्वितीय प्राथमिकता में अन्य बैच की परियोजनाओं में वार्षिक आयोजना में शामिल वाटरशेड विकास कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाये। साथ ही इन परियोजनाओं महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से रिज लाईन के कार्य जैसे कंटूर ट्रेंच, गेबियन संरचनायें तथा वृक्षारोपण के कार्य भी लिये जायें।

3. कृपया उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु सभी परियोजनाओं की वाटरशेड डेव्हलपमेंट टीम को अवगत कराने का कष्ट करें।

(हेमवती वर्मन)
संचालक
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

वृक्षारोपण एवं फलोद्यान

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/3005/MGNREGS/NR-3/2017 **भोपाल, दिनांक 28.04.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.
   जिला- समस्त

विषय : महात्मा गांधी नरेगा के तहत वृक्षारोपण संबंधी दिशा निर्देश।

विषयान्तर्गत आदेश क्रमांक 2908-2909 दिनांक 25.04.2017 को जारी वृक्षारोपण संबंधी निर्देश में मानक लागत की गणना में त्रुटि पाये जाने के कारण इस आदेश को निरस्त करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण परियोजना बनाने और क्रियान्वयन के लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. वृक्षारोपण सड़क/नहर किनारे, सार्वजनिक भवनों/परिसरों (मोक्षधाम, खेल मैदान, विद्यालय, छात्रावास, पंचायत/सामुदायिक भवन आदि) में तथा उनकी बाउण्ड्री पर और सामुदायिक/शासकीय भूमि पर किया जा सकेगा।

2. वृक्षारोपण के संबंध में तकनीकी आवश्यकता अनिवार्य एवं बंधनकारी होगी :-

क्र.	वृक्षारोपण का प्रकार	पौधों के बीच अंतराल	पौधों की संख्या	रोपित की जाने वाली प्रजाति के उदाहरण	सुरक्षा के उपाय
1.	सड़क किनारे	10 मीटर x 10 मीटर	100 पौधे प्रति कि.मी. (एक तरफ) 200 पौधे प्रति कि.मी. (दोनों तरफ)	आम, इमली, जामुन, महुआ, नीम, करंज, सुरजना (मुनगा), अर्जुन सप्तवर्णी, कैसिया सामिया, गुलमोहर, पेल्टाफारम, चिरोल, अमलतास, पीपल, बरगद, बांस आदि	(ट्रीगार्ड) ट्रीगार्ड कंटीली झाड़ी/बांस से बनाए जा सकते हैं।
2.	सामुदायिक स्थल पर ब्लॉक प्लानटेशन	4 मीटर x 4 मीटर	625 पौधे प्रति हेक्टर	आम, जामुन, नीम, आंवला, नीबू, अमरूद, मीठी नीम, सीताफल, सुरजना (मुनगा), बेर, पीपल, बांस आदि	सीपीटी खुदाई 1 मीटर x 1 मीटर एवं उसके बंड पर प्रोसोपिस, बबूल/खेर के बीज बुआई/ सीसल के बुलबिल को लगाना।
3.	सार्वजनिक परिसर में अथवा परिसर के चारों तरफ (यथा विद्यालयों, छात्रावास परिसर, खेल मैदान, मोक्षधाम आदि)	4 मीटर x 4 मीटर	स्थल उपलब्धता के अनुसार (कुल 200 पौधों के लिये)	सिरस, खमेर, करंज, नीम, आंवला, सुरजना (मुनगा), बांस आदि	बाउंड्रीवाल होने/नहीं होने की स्थिति में कंटीली झाड़ी/ बांस के ट्रीगार्ड/कंटीले तार

3. वृक्षारोपण परियोजना की अवधि तथा मानक लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

विवरण	सड़क किनारे		सामुदायिक		सार्वजनिक परिसर		नहर किनारे	
परियोजना अवधि	05 वर्ष		05 वर्ष		05 वर्ष		03 वर्ष	
पौधों का अंतराल	10 मी. x 10 मी.		4 मी. x 4 मी.		4 मी. x 4 मी.		5 मी. x 5 मी.	
पौधों की संख्या	200 प्रति कि.मी.		625 प्रति हेक्टर		200 प्रति ग्राम		400 प्रति कि.मी.	
परियोजना की मानक लागत	3,35,000		5,35,000		3,35,000		3,00,000	
परियोजना की प्रति पौधा लागत	1,675		855		1,675		750	
परियोजना की वर्षवार मानक लागत	**सामग्री**	**श्रम दिवस**	**सामग्री**	**श्रम दिवस**	**सामग्री**	**श्रम दिवस**	**सामग्री**	**श्रम दिवस**
प्रथम वर्ष	41,300	475	54,720	545	41,300	475	37,160	470
द्वितीय वर्ष	11,720	240	18,240	455	11,720	240	13,600	450
तृतीय वर्ष	11,720	240	18,240	455	11,720	240	13,600	450
चतुर्थ वर्ष	11,720	240	18,240	455	11,720	240	लागू नहीं	
पंचम वर्ष	11,720	240	18,240	455	11,720	240	लागू नहीं	

नोट :- (i) मजदूरी की दर में वृद्धि की दशा में पुनरीक्षित स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। मजदूरी भुगतान उक्त तालिका में दर्शाये श्रम दिवस के लिये मान्य होगा।

(ii) सामुदायिक वृक्षारोपण (Block Plantation) के लिये उपलब्ध भूमि 1 हेक्टर से अधिक हो तो प्रति हेक्टर को एक यूनिट मानकर परियोजना बनाई जावे। उदाहरण के लिये 8 हेक्टर भूमि उपलब्ध होने की दशा में 8 परियोजना माना जाये तथा 8 पौध रक्षक रखे जायें।

(iii) क्षेत्रफल 1 हेक्टर से अधिक होने की दशा में सीपीटी एकजाई पूरे क्षेत्र में ली जावे।

4. परियोजना के लिए डीपीआर का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति देने के लिए ग्राम पंचायत अधिकृत होगी। पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रविष्टि डीपीआर पर करना तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति का अभिलेख होगा। इसके लिए पृथक से कोई दस्तावेज बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. वृक्षारोपण परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित ग्राम की वन समिति/स्व-सहायता समूह (जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/तेजस्विनी के तहत गठित किया गया हो), क्षेत्र में सक्रिय गैर शासकीय संस्था अथवा संबंधित ग्राम पंचायत हो सकती है।

6. क्रियान्वयन एजेंसी को उपरोक्त बिंदु 3 की तालिका में दर्शाई गई मानक पौधों की संख्या को यूनिट मानकर प्रति यूनिट एक पौधरक्षक की व्यवस्था करना होगी।

7. ग्राम में अथवा ग्राम के सार्वजनिक परिसरों यथा स्कूल, छात्रावास, सार्वजनिक भवन, मोक्षधाम आदि में सफाई के लिये अंशकालीन मानदेय पर कार्यरत कोई जॉबकार्डधारी उपलब्ध हो, तो उसे पौधरक्षक बनाने में सर्वोच्च प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।

8. पौधरक्षक निम्नानुसार कार्य संपन्न करेगा :-

8.1 वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 0.6 मी. x 0.6 मी. x 0.6 मी. आकार के गड्ढे खोदना, गड्ढों में उपजाऊ मिट्टी एवं खाद डालकर पौध रोपण के लिए गड्ढे तैयार करना।

8.2 उपरोक्त बिंदु 3 की तालिका में निर्दिष्ट प्रजाति के 2 वर्ष या अधिक उम्र के पौधों की शासकीय/मान्यता प्राप्त नर्सरी से व्यवस्था करना।

8.3 पौध रोपण करना तथा पौधों की सिंचाई के लिए मध्यम आकार के मटके की व्यवस्था कर उसमें एक छोटा छेद कर उसे बत्ती से जोड़कर पौधे के पाले (क्यारी) में मिट्टी में गाड़ना ताकि बूंद-बूंद पानी की टपक से पौधे सिंचित होते रहें।

8.4 पौधों की रक्षा के लिए ट्री-गार्ड की व्यवस्था कर ट्री-गार्ड लगाना। लागत सीमा के भीतर पौधरक्षक बांस, कंटीली झाड़ी अथवा कंटीले तार की ट्री-गार्ड बनाकर लगा सकता है।

8.5 पौधों में समय-समय पर निंदाई-गुड़ाई, दवा छिड़काव, खाद, सिंचाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना।

8.6 पौध मृत होने की दशा में नया पौधा लाकर लगाना।

9. पौधरक्षक संबंधित ग्राम का निवासी होकर नरेगा का जॉबकार्डधारी होना चाहिए। पौधरक्षक के पास उसकी स्वयं की साइकिल होना चाहिए ताकि साइकिल पर वह पीपे/केन लगाकर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करे और पौधों की सिंचाई करे।
स्पष्टीकरण :- मानक लागत व्यय सीमा के भीतर सिंचाई की कोई भी उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है। उदाहरण के लिये पानी की टंकी अथवा पाइप लाइन से सिंचाई करने पर कोई रोक नहीं है।
10. पौधरक्षक को सामग्री क्रय करने के लिए वेण्डर और नरेगा मजदूरी के लिए नियोजक मान्य किया जाए। पौधरक्षक आवश्यकतानुसार स्वयं के साथ-साथ अन्य जॉबकार्डधारी लोगों को मजदूरी पर रख सकेगा।
11. पौधरक्षक को मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार किया जा सकेगा :-

11.1 प्रथम वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 4 किश्तों में किया जाए :-

किश्त भुगतान		**सड़क किनारे**		**सामुदायिक**		**सार्वजनिक परिसर**		**नहर किनारे**		**भुगतान की संभावित अवधि**
		सामग्री की राशि	**मजदूरी के दिन**	**सामग्री की राशि**	**मजदूरी के दिन**	**सामग्री की राशि**	**मजदूरी के दिन**	**सामग्री की राशि**	**मजदूरी के दिन**	
पौध रोपण के लिए गड्ढा खोदकर मिट्टी एवं खाद डालकर तैयारी करने पर		अग्रिम 3,000/-	-	अग्रिम 3,000/-	-	अग्रिम 3,000/-	-	अग्रिम 3,000/-	-	मई-15 जून
		-	40	-	95	-	40	-	67	15 जून के पूर्व
पौध रोपण के करने पर		अग्रिम 14,000/-	-	अग्रिम 20,000/-	-	अग्रिम 14,000/-	-	अग्रिम 12,000/-	-	15-25 जून
		-	10	-	35	-	10	-	20	15-31 जुलाई
ट्रीगार्ड लगाना और सिंचाई के लिए मटके तथा साइकिल/ पीपे की व्यवस्था करने पर		अग्रिम 14,300/-	-	अग्रिम 21,720/-	-	अग्रिम 14,300/-	-	अग्रिम 12,160/-	-	31 अगस्त
		-	320	-	205	-	320	-	173	31 अक्टूबर
अंतिम किश्त	पौधरक्षक को	5,000/-	-	5,000/-	-	5,000/-	-	5,000/-	-	आगामी वर्षा ऋतु के आगमन या 15 जून जो भी पहले हो
		-	105	-	210	-	105	-	210	
	ग्राम पंचायत को	5,000/-	-	5,000/-	-	5,000/-	-	5,000/-	-	
	योग	**41,300/-**	**475**	**54,720/-**	**545**	**41,300/-**	**475**	**37,160/-**	**470**	

11.2 द्वितीय वर्ष और उसके पश्चात प्रतिवर्ष भुगतान 3 किश्तों में किया जाएगा :-

किश्त का विवरण		सड़क किनारे		सामुदायिक		सार्वजनिक परिसर		नहर किनारे		भुगतान की संभावित अवधि
		सामग्री की राशि	मजदूरी के दिन	सामग्री की राशि	मजदूरी के दिन	सामग्री की राशि	मजदूरी के दिन	सामग्री की राशि	मजदूरी के दिन	
मृत पौधों के स्थान पर गैप फिलिंग हेतु पौध रोपण, क्षतिग्रस्त मटके व ट्रीगार्ड को बदलना आदि सम्पूर्ण कार्य।		अग्रिम 2,000	-	4,000	-	अग्रिम 2,000	-	3,000	-	30 जून
		-	80	-	150	-	80	-	150	31 अगस्त
सिंचाई, निदाई, गुड़ाई, थाला बनाना, दवा छिड़काव, खाद एवं कीटनाशक माह में दो बार		अग्रिम 2,500	-	6,000	-	अग्रिम 2,500	-	3,000	-	31 अक्टूबर
		-	80	-	155	-	80	-	150	31दिसम्बर
अंतिम किश्त	पौधरक्षक को	2,220	-	3,240	-	2,220	-	2,600	-	आगामी वर्षा ऋतु के आगमन या 15 जून जो भी पहले हो
		-	80	-	150	-	80	-	150	
	ग्राम पंचायत को	5,000/-	-	5,000/-	-	5,000/-	-	5,000/-	-	
	योग	**11,720**	**240**	**18,240**	**455**	**11,720**	**240**	**13,600**	**450**	

11.3 आगामी वर्षाऋतु के आगमन तक जीवित पौधों की संख्या, तालिका में दर्शाई मात्रा से कम होने की दशा में प्रत्येक वर्ष की अंतिम किश्त की राशि स्वतः शून्य हो जाएगी और कोई भुगतान देय नहीं होगा :-

प्रथम वर्ष के अंत में वर्षाऋतु के आगमन तक जीवित पौधों की संख्या	द्वितीय वर्ष के अंत में वर्षा ऋतु के आगमन तक जीवित पौधों की संख्या	तृतीय वर्ष के अंत में वर्षाऋतु के आगमन तक जीवित पौधों की संख्या	चतुर्थ एवं पांचवें वर्ष के अंत में वर्षाऋतु के आगमन तक जीवित पौधों की संख्या
80%	90%	95%	100%

12. ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष जीवित पौधों की गणना कराकर अपनी स्टॉक पंजी में प्रविष्टि करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि क्रियान्वयन एजेंसी वृक्षारोपण का रख रखाव करे। पर्यवेक्षण हेतु प्रति परियोजना अवधि में प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत को प्रति परियोजना रुपये 5,000/- का भुगतान बिन्दु क्र. 11.3 की शर्त पूरी होने की दशा में सामग्री मद से किया जाएगा।
13. सामग्री खरीदी एवं क्रय आदि के देयक संधारित करना आवश्यक नहीं होगा। परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रारूप में पौधरक्षक द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित देयक मान्य होगा। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा परिशिष्ट-2 में किया गया सत्यापन, देयक पारित करने के लिये पर्याप्त होगा।
14. परियोजना अवधि पूर्ण होने पर पौधरक्षक को परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ (यथा- फल, जलाऊ/इमारती लकड़ी) का 50 प्रतिशत रखने का अधिकार होगा। शेष 50 प्रतिशत पर ग्राम पंचायत का अधिकार होगा और उसका निपटारा ग्राम पंचायत करेगी।
15. ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा है कि ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक ग्राम के लिए 2 वृक्षारोपण परियोजनाएँ उपरोक्त बिंदु 3 की तालिका में दर्शाई मानक लागत के आधार पर तैयार कराएं और उनका क्रियान्वयन करें।

संलग्न :- परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक/3005-06/MGNREGS/NR-3/2017 दिनांक 28.04.2017 का परिशिष्ट-1

वृक्षारोपण परियोजना की डीपीआर, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति

ग्राम....., ग्राम पंचायत....., जनपद पंचायत....., जिला.....

वृक्षारोपण का प्रकार	स्थान का विवरण	स्वीकृत लागत (राशि रु. में) विकास आयुक्त के मानक दिनांक 28.04.17 अनुसार	एमआईएस के लिये		क्रियान्वयन एजेन्सी
			T.S. No.	A.S. No.	
सड़क किनारे अवधि 05 वर्ष		3,35,000/-			
सामुदायिक (ब्लॉक प्लानटेशन) अवधि 05 वर्ष		5,35,000/-			
सार्वजनिक परिसर अवधि 05 वर्ष	i	3,35,000/-			
	ii				
	iii				
	iv				
	v				
नहर किनारे अवधि 03 वर्ष		3,00,000/-			

टीपः- 1. उक्त तालिका में से जो परियोजनायें ली जावें उन्हें (√) करें। स्थान का पूर्ण विवरण भरें, जिससे आसानी से पहचाना जा सके। ब्लॉक प्लानटेशन में भूमि का सर्वे नंबर भरा जावे।

प्रस्ताव ठहराव क्र. ....., दिनांक ....., शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट क्र. .....

हस्ताक्षर सचिव/सहायक सचिव
सील

हस्ताक्षर सरपंच
सील

नाम एवं हस्ताक्षर पौध रक्षक-

1. .....
2. .....
3. .....

विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक/3005-06/MGNREGS/NR-3/2017 दिनांक 28.04.2017 का परिशिष्ट-2

वृक्षारोपण परियोजना का देयक

1. ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... जनपद .....
2. परियोजना का नरेगा कोड नम्बर .....
3. परियोजना का वर्ष : प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम (जो लागू हो उसे √ करें)

कार्य का विवरण	सामग्री अंश का देयक राशि रुपये		
	अग्रिम	कार्य उपरान्त (हो तो)	योग
योग			

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :-

(i) मैं वचन देता हूँ कि मैं उक्त अग्रिम राशि का उपयोग उक्त वृक्षारोपण परियोजना के लिए सामग्री क्रय करने तथा परिवहन आदि के लिए करूंगा। (प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त के लिए)

अथवा

(ii) मैंने पूर्व देयक से लिए गए अग्रिम का उपयोग उक्त वृक्षारोपण परियोजना के लिए सामग्री क्रय करने तथा परिवहन आदि के लिये किया है (प्रथम वर्ष के प्रथम देयक के लिए यह प्रमाणीकरण लागू नहीं है)।

पौधरक्षक का नाम ..... हस्ताक्षर.....

पता (आधार नं. सहित) ..... मो. नं. .....

क्रियान्वयन एजेंसी का सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि पौधरक्षक द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार वृक्षारोपण परियोजना का कार्य स्थल पर गुणवत्तायुक्त संपादित किया गया है।

क्रियान्वयन एजेंसी प्रमुख का नाम ..... पदनाम.....

हस्ताक्षर ..... दिनांक ...../...../.....

वर्ष की अंतिम किश्त के भुगतान हेतु क्लस्टर अधिकारी का (15 मई से 15 जून के मध्य) सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि क्रियान्वयन एजेंसी .....

द्वारा ..... स्थल पर रोपित पौध संख्या ..... का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक .....

को किया गया। रोपित पौधों में से ..... प्रतिशत पौधे जीवित एवं औसतन लगभग ..... मीटर ऊंचाई के पाए गए। वृक्षारोपण परियोजना का कार्य संतोषजनक पाया गया।

(हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता)..... नाम क्लस्टर अधिकारी.....

पदनाम..... दिनांक ...../...../.....

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/3723/MGNREG S/NR-3/2017 **भोपाल, दिनांक 03.06.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर, (नर्मदा बेसिन के 24 जिले)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (नर्मदा बेसिन के 24 जिले)
3. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी (नर्मदा बेसिन के 24 जिले)

विषय : महात्मा गांधी नरेगा के तहत नर्मदा बेसिन में निजी खेत में फलोद्यान परियोजना।

नर्मदा बेसिन में सघन वृक्षारोपण करने के लिए नर्मदा बेसिन के भीतर महात्मा गांधी नरेगा योजना के पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार के निजी खेत में फलोद्यान परियोजना हेतु संचालक उद्यानिकी की तकनीकी सलाह एवं प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की अनुशंसा पर निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. इस योजना के तहत नरेगा जॉबकार्डधारी पात्र वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला मुखिया, IAY/PMAY के लाभार्थी परिवार, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टाधारी परिवार एवं सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक) के खेतों में फल पौध रोपण किया जा सकेगा।
2. फलोद्यान परियोजना के संबंध में निम्न तकनीकी आवश्यकता अनिवार्य एवं बंधनकारी होगी-

क्र.	वृक्षारोपण का प्रकार	पौधों के बीच अंतराल	पौधों की संख्या	गड्ढे का आकार (मीटर)	रोपित की जाने वाली प्रजाति के उदाहरण	सुरक्षा के उपाय
1.	खेत में ब्लॉक प्लानटेशन	3 मीटर x 3 मीटर	400 पौधे प्रति एकड़	0.6 x 0.6 x 0.6	नीबू, अमरूद, अनार, मुनगा आदि।	कटीले तार से फंसिंग
		4 मीटर x 4 मीटर	250 पौधे प्रति एकड़	0.6 x 0.6 x 0.6	ग्राफटेड संतरा, आम, जामुन, कटहल, आंवला, नीबू, अमरूद, सीताफल, बैर आदि।	
		6 मीटर x 6 मीटर	100 पौधे प्रति एकड़	0.9 x 0.9 x 0.9	आम, आंवला, कटहल, बैर, जामुन, चीकू आदि।	

3. निजी खेत में फलोद्यान परियोजनाओं के लिए मानक परियोजना निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

विवरण	खेतों में ब्लॉक प्लानटेशन		
पौधों की संख्या	400 प्रति एकड़	250 प्रति एकड़	100 प्रति एकड़
परियोजना अवधि	03 वर्ष	03 वर्ष	03 वर्ष
पौधों का अंतराल	3 मी. x 3 मी.	4 मी. x 4 मी.	6 मी. x 6 मी.
परियोजना की मानक लागत	2,46,000	1,86,250	1,45,000
परियोजना की प्रति पौधा मानक लागत	615	745	1450

वर्षवार मानक लागत		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1.	नरेगा मजदूरी (श्रम दिवस)	360	160	80	275	150	75	300	120	80
2.	मनरेगा सामग्री मद-राशि (रु.)	24,000	12,400	11,200	15,750	7,500	7,000	5,900	3,100	2,800
3.	कृषक अंश-राशि (रु.)	48,000	24,000	23,200	40,000	15,000	15,000	32,500	7,300	7,400

नोट :- मजदूरी की दर में वृद्धि की दशा में पुनरीक्षित स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। मजदूरी भुगतान उक्त तालिका में दर्शाया श्रम दिवस के लिये मान्य होगा।

4. फलोद्यान के लिए भूमि में फेंसिंग के लिए सामग्री एवं सिंचाई व्यवस्था तथा सिंचाई संबंधी समस्त व्यय भार लाभान्वित कृषक को स्वयं के स्रोत से वहन करना होगा।
5. महात्मा गांधी नरेगा से उक्त बिंदु-3 की तालिका में दर्शाए अनुसार मानक लागत के आधार पर गणित श्रम दिवस के लिए मजदूरी एवं सामग्री राशि का भुगतान अनुमत्य होगा।
6. एक ग्राम के लिए न्यूनतम एक परियोजना बनाई जाए जिसमें अधिकतम 10 कृषक शामिल किये जा सकेंगे। परियोजना की मानक डीपीआर संलग्न **परिशिष्ट-1** अनुसार है।
7. इस योजना के तहत परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति 3 प्रति में संबंधित जनपद पंचायत द्वारा परिशिष्ट-1 के प्रारूप में नरेगा सॉफ्टवेयर से नम्बर लेकर जारी की जाए। तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति जनपद पंचायत कार्यालय में संधारित की जाए। दूसरी प्रति क्रियान्वयन, एजेंसी उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (SHDO) को दी जाए और तीसरी प्रति संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ भेजी जाए।
8. परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी उद्यानिकी विभाग होगा। परियोजना का क्रियान्वयन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी (RHEO) करेगा और पर्यवेक्षण एवं सत्यापन विकासखण्ड में पदस्थ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (SHDO) करेगा। पर्यवेक्षण एवं औचक निरीक्षण कर सत्यापन करने की जिम्मेदारी जिले में पदस्थ उद्यानिकी विभाग के उप/सहायक संचालक की होगी। योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए ये तीनों अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।
9. लाभान्वित कृषकों द्वारा लगाए जाने वाले फलोद्यान की भूमि का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न होने की पृष्ठभूमि में उपरोक्त बिंदु-2 में वर्णित पौधों के अंतराल की दूरी के आधार पर पौध संख्या भिन्न-भिन्न होगी। अतः लाभावन्ति कृषक के पौध रोपण की संख्या के आधार पर मानक लागत के हिसाब से नरेगा के तहत मजदूरी एवं सामग्री भुगतान देय होगा। देयक का प्रारूप **परिशिष्ट-2** अनुसार है।

10. भुगतान व्यवस्था :-

10.1 मजदूरी भुगतान-

लाभान्वित कृषक द्वारा उसके खेत में लगाए गए वृक्षों की संख्या के आधार पर गणित श्रम दिवस की उपस्थिति संबंधित कृषक को देते हुए मजदूरी का भुगतान कृषक के बैंक खाते में किया जाए।

10.2 सामग्री भुगतान-

i. सामग्री मद में भुगतान क्रियान्वयन एजेन्सी के सत्यापन उपरान्त देयक (परिशिष्ट-2) पारित कर परियोजना से लाभान्वित कृषकों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रति फल पौध मानक लागत के आधार पर किया जाए।

ii. उद्यानिकी विभाग उन्नत किस्म के 2 वर्ष या अधिक के फलदार वृक्षों के पौधों की व्यवस्था शासकीय/मान्यता प्राप्त/प्रदेश के बाहर अच्छी नर्सरी से पौधे क्रय करके करा सकेंगे। पौधे के मूल्य का भुगतान लाभान्वित कृषक को करने के स्थान पर विकासखण्ड की परियोजनाओं के लिए एकजाई रूप से किया जा सकेगा।

iii. कृषक तक पौधे पहुंचाने में परिवहन व्यय लगने की दशा में परिवहन व्यय की गणना प्रति पौधा करते हुए पौधे के क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा।

iv. उद्यानिकी विभाग द्वारा पौधों की उपरोक्तानुसार व्यवस्था की दशा में परियोजना की सामग्री मद की मानक लागत में से पौध क्रय मूल्य कम करते हुए शेष राशि का भुगतान लाभान्वित कृषकों को किया जाए।

v. उद्यानिकी विभाग द्वारा पौधे की व्यवस्था करने की दशा में संचालक, उद्यानिकी को वेण्डर माना जाएगा। जनपद पंचायत के क्षेत्र में स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के लिए एकल देयक बनाया जा सकता है। देयक का प्रारूप **परिशिष्ट-3** अनुसार है।

vi. कृषक समूह द्वारा उन्नत किस्म के पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर उन्हें सामग्री मद में देय राशि का सम्पूर्ण भुगतान किया जावे।

11. परियोजना से लाभान्वित कृषकों के उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे :-

11.1 फलोद्यान परियोजना के लिए गड्ढे का आकार बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार खोदना, गड्ढों में उपजाऊ मिट्टी एवं खाद डालकर पौध रोपण के लिए गड्ढे तैयार करना।

11.2 उपरोक्त बिंदु 2 में निर्दिष्ट प्रजाति के 2 वर्ष से अधिक उम्र के पौधों की शासकीय/मान्यता प्राप्त नर्सरी से व्यवस्था करना।

11.3 पौधरोपण करना तथा पौधों की सिंचाई के लिए व्यवस्था कर नियमित सिंचाई करना।

11.4 पौधों की सुरक्षा के लिए कंटीले तार की फेंसिंग करना।

11.5 पौधों में समय-समय पर निंदाई-गुढ़ाई, दवा छिड़काव, खाद, सिंचाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना।

11.6 पौधा मृत होने की दशा में नया पौधा लाकर लगाना।

12. मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार किया जा सकेगा :-

12.1 प्रथम वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 3 किश्तों में प्रति वृक्ष के मान से किया जाए :-

किश्त	कब देय	सामग्री मद (राशि रु.) पौध अंतराल मी. ग मी.			श्रम दिवस पौध अंतराल मी. ग मी.			देय तिथि
		3 ग 3	4 ग 4	6 ग 6	3 ग 3	4 ग 4	6 ग 6	
प्रथम	पौध रोपण करने पर	40	40	40	0.2	0.2	0.5	5 से 15 जुलाई
द्वितीय	कटीले तार की फेंसिंग करने के उपरांत	10	13	10	0.4	0.4	1.5	1 से 15 अक्टूबर
अंतिम	अगले वर्ष वर्षाऋतु के आगमन तक 80 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर	10	10	9	0.3	0.5	1.0	अगले वर्ष 30 जून से 10 जुलाई

टीप : 1. प्रथम किश्त में वृक्षारोपण हेतु गड्ढों की तैयारी एवं पौधे की व्यवस्था शामिल है।

2. फेंसिंग नहीं करने की दशा में प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त के अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।

3. सिंचाई व्यवस्था नहीं करने की दशा में द्वितीय किश्त के बाद कोई देय नहीं होगा।

12.2 द्वितीय वर्ष के लिए भुगतान 3 किश्तों में निम्नानुसार प्रति वृक्ष प्रति वर्ष के मान से किया जाए :-

किश्त	कब देय	सामग्री मद (राशि रु.) पौध अंतराल मी. ग मी.			श्रम दिवस पौध अंतराल मी. ग मी.			देय तिथि
		3 ग 3	4 ग 4	6 ग 6	3 ग 3	4 ग 4	6 ग 6	
प्रथम	मृत पौधे के स्थान पर गेप फिलिंग हेतु पौधरोपण, क्षतिग्रस्त फेंसिंग सुधार आदि	11	10	11	0.1	0.2	0.2	5 से 10 जुलाई
द्वितीय	सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई, थाला बनाना, दवा छिड़काव, खाद कीटनाशक आवश्यकतानुसार माह में दो बार	10	10	10	0.15	0.2	0.5	1 से 15 अक्टूबर
अंतिम	अगले वर्ष वर्षाऋतु के आगमन तक 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर	10	10	10	0.15	0.2	0.5	अगले वर्ष 30 जून से 10 जुलाई

12.3 तृतीय वर्ष के लिए भुगतान 3 किश्तों में निम्नानुसार प्रति वृक्ष प्रति वर्ष के मान से किया जाए :-

किश्त	कब देय	सामग्री मद (राशि रु.) पौध अंतराल मी. ग्मी.			श्रम दिवस पौध अंतराल मी. ग्मी.			देय तिथि
		3 ग्3	4 ग्4	6 ग्6	3 ग्3	4 ग्4	6 ग्6	
प्रथम	मृत पौधे के स्थान पर गेप फिलिंग हेतु पौधरोपण, क्षतिग्रस्त फेंसिंग सुधार आदि	10	10	10	0.1	0.1	0.1	5 से 10 जुलाई
द्वितीय	सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई, थाला बनाना, दवा छिड़काव, खाद कीटनाशक आवश्यकतानुसार माह में दो बार	9	9	9	0.05	0.1	0.35	1 से 15 अक्टूबर
अंतिम	अगले वर्ष वर्षाऋतु के आगमन तक 100 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर	9	9	9	0.05	0.1	0.35	अगले वर्ष 30 जून से 10 जुलाई

13. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के जीवित पौधों की संख्या निम्न से कम होने की दशा में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा :- प्रथम वर्ष के अंत में वर्षाऋतु के आगमन तकजीवित पौधों की संख्या 80 प्रतिशत से कम होने पर।

द्वितीय वर्ष के अंत में वर्षाऋतु के आगमन तक	जीवित पौधों की संख्या 90 प्रतिशत से कम होने पर।

संलग्न- परिशिष्ट-1, 2 एवं 3

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/3724/MGNREGS/NR-3/2017 **भोपाल, दिनांक 03.06.2017**

प्रतिलिपि :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
4. संभागायुक्त, संभाग समस्त।
5. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।
6. संचालक राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
8. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
9. निज सहायक, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ।
10. समस्त अध्यक्ष, जिला जनपद पंचायत एवं समस्त सरपंच को मध्यप्रदेश पंचायिका में प्रकाशन द्वारा।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 3723/MGNREGS-MP/NR-3/2017, दिनांक 3.6.2017 का परिशिष्ट-1

निजी खेत में फलोद्यान परियोजना की डीपीआर, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति

ग्राम..... ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत.....

अनु. क्र.	हितग्राही कृषक का नाम	जॉबकार्ड नम्बर	पात्र वर्ग	भूमि का सर्वे नम्बर	पौध अंतराल	पौध संख्या	मजदूरी		नरेगा से सामग्री		कृषक अंश	कुल लागत (राशि (रु.)
							दर दिवस	राशि	प्रति वृक्ष दर	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
योग												

टीप :- 1. मजदूरी की दर में वृद्धि की दशा में पुनरीक्षित स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। मजदूरी भुगतान उक्त तालिका में दर्शाये श्रम दिवस के लिये मान्य होगा।

2. कालम 8 एवं 10 के लिए पत्र के बिंदु 13 की तालिकाओं से लागू मानक दर ली जाए।

प्रस्ताव ठहराव क्र. ..... दिनांक ..... शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट क्र. .....
एमआईएस के लिए तकनीकी स्वीकृति क्रमांक ..... प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक.....

हस्ताक्षर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	हस्ताक्षर विकासखण्ड के भारसाधक उद्यानिकी अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
नाम.....	नाम.....	नाम.....
सील	सील	सील
दिनांक	दिनांक	दिनांक .....

विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 3723/MGNREGS-MP/NR-3/2017, दिनांक 3.6.2017 का परिशिष्ट-2

निजी खेत में फलोद्यान परियोजना का देयक

1. ग्राम..... ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत.....
2. परियोजना का नरेगा कोड नम्बर :.....
3. परियोजना का वर्ष :- प्रथम/द्वितीय/तृतीय (जो लागू हो उसे सही करें)

अनु. क्र.	कृषक का नाम	जॉबकार्ड नम्बर	पौध अंतराल की संख्या	रोपित पौधों की की दर	सामग्री मद की दर	व्यय राशि
योग						

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कृषकों ने उनके खेत में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए पौधे लगाए हैं। पौधों का निरीक्षण श्री ..... ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी ने दिनांक ..... को किया है और 20 प्रतिशत से अधिक का सत्यापन श्री ..... वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी ने दिनांक..... को किया है।

उपरोक्त तालिका में दर्शाया भुगतान संबंधित कृषकों को सामग्री व्यवस्था के लिए देय है। देयक पारित किया जाता है।

हस्ताक्षर ग्रामीण
उद्यान विस्तार अधिकारी

नाम.....

सील

दिनांक.....

हस्ताक्षर विकासखण्ड के
भारसाधक उद्यानिकी अधिकारी

नाम.....

सील

दिनांक.....

विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 3723/MGNREGS-MP/NR-3/2017, दिनांक 3.6.2017 का परिशिष्ट-3

निजी खेत में फलोद्यान परियोजना के लिए पौध क्रय देयक

क्र.	ग्राम	ग्राम पंचायत	परियोजना स्वीकृति क्रमांक	नरेगा कोड नम्बर	पौध संख्या	क्रय दर	क्रय मूल्य

1. प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त तालिका में दर्शाई परियोजनाओं के लिए तालिका में दर्शाई पौध संख्या क्रय करने के लिए दर्शाई गई धनराशि व्यय की गई है।

2. देयक पारित किया जाता है।

हस्ताक्षर ग्रामीण
उद्यान विस्तार अधिकारी

नाम.....

सील

दिनांक.....

हस्ताक्षर विकासखण्ड के
भारसाधक उद्यानिकी अधिकारी

नाम.....

सील

दिनांक.....

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/3725/MGNREGS/NR-3/2017 **भोपाल, दिनांक 03/06/2017**

प्रति,

1. कलेक्टर (नर्मदा बेसिन के 24 जिले)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (नर्मदा बेसिन के 24 जिले)

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा के तहत नर्मदा बेसिन में निजी खेत की मेड़ (बाउण्ड्री) पर वृक्षारोपण।

नर्मदा बेसिन में सघन वृक्षारोपण करने के लिए नर्मदा बेसिन के भीतर महात्मा गांधी नरेगा योजना के पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार की निजी खेत की मेड़ (बाउन्ड्री) पर वृक्षारोपण हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैः-

1. इस योजना के तहत नरेगा जॉबकार्डधारी पात्र वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला मुखिया, IAY/PMAY के लाभार्थी परिवार, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टाधारी परिवार एवं सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक) के खेतों में मेड़ पर वृक्षारोपण किया जा सकेगा।
2. इस योजना के तहत नरेगा के तहत वृक्षारोपण केवल खेत की मेड़ पर किया जा सकेगा।
3. खेत में नरेगा से फलोद्यान के लिए विकास आयुक्त के पत्र क्र. /3723/MGNREGS/NR-3/2017 दि. 03.06.2017 से जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
4. वृक्षारोपण केवल बांस तथा छायादार वृक्ष, जिनमें फल देने वाले छायादार वृक्ष भी शामिल हैं, की प्रजाति का ही किया जा सकेगा। छायादार वृक्षों की प्रजाति में आम, खेर, बेल, चीकू, अमरूद, कठहल, खमेर, सागौन, बेर, आँवला, इमली, जामुन, नीम, करंज तथा सुरजना (मुनगा) माने जाएंगे।
5. निजी खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण के लिए मानक परियोजना निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

परियोजना अवधि	03 वर्ष	
प्रति परियोजना पौधों की संख्या	200	
पौध अंतराल	7.5 मी x 7.5 मी.	
परियोजना की मानक लागत	रु. 1,87,600	
परियोजना की प्रति पौधा मानक लागत	938	
परियोजना की वर्षवार मानक लागत	सामग्री (रु.)	श्रम दिवस
प्रथम वर्ष	34,000	400
द्वितीय वर्ष	8,000	200
तृतीय वर्ष	8,000	200

नोटः-मजदूरी की दर में वृद्धि की दशा में पुनरीक्षित स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। मजदूरी भुगतान उक्त तालिका में दर्शाये श्रम दिवस के लिये मान्य होगा।

6. एक परियोजना में सामान्यतः 3 से 10 पात्र कृषक शामिल होंगे। परियोजना की मानक डीपीआर संलग्न **परिशिष्ट-1** अनुसार है।
7. मानक परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति की पृथक से आवश्यकता नहीं होगी। तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा डीपीआर (परिशिष्ट 1) में ही दर्ज की जाएगी।
8. परियोजना की प्रति वृक्ष मानक लागत के अनुसार सामग्री एवं जल की व्यवस्था करने के लिए लाभान्वित प्रत्येक कृषक स्वतंत्र होगा।
9. परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत होगी।
10. लाभान्वित कृषक को प्रतिवृक्ष मानक लागत के अनुसार सामग्री मद का भुगतान किया जाएगा। वृक्षारोपण की निर्धारित चरण की कार्रवाही पूर्ण होने का सत्यापन किश्त के भुगतान हेतु पर्याप्त होगा। देयक का प्रारूप **परिशिष्ट-2** अनुसार है।

11. भुगतान व्यवस्था :-

11.1 **मजदूरी भुगतान -** लाभान्वित कृषक द्वारा उसके खेत में लगाए गए वृक्षों की संख्या के आधार पर गणित श्रम दिवस की उपस्थिति संबंधित कृषक को देते हुए मजदूरी का भुगतान कृषक के बैंक खाते में किया जाएगा।

11.2 **सामग्री भुगतान-**

(i) सामग्री मद में भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा देयक (परिशिष्ट-2) पारित कर परियोजना से लाभान्वित कृषकों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रति वृक्ष मानक लागत के आधार पर किया जाएगा।

(ii) कलेक्टर/CEO, ZP उन्नत किस्म के 2 वर्ष या अधिक के छायादार वृक्षों के पौधों की व्यवस्था शासकीय/मान्यता प्राप्त/प्रदेश के बाहर अच्छी नर्सरी से पौधे क्रय करके करा सकेंगे। ऐसी दशा में पौधे के मूल्य का भुगतान लाभान्वित कृषक को करने के स्थान पर विकासखण्ड की परियोजनाओं के लिए एकजाई रूप से किया जा सकेगा।

(iii) कलेक्टर/CEO, ZP द्वारा उन्नत किस्म के पौधे वन/उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्धारित अथवा उनके द्वारा क्रय की गई दरों पर बिना निविदा बुलाए किया जा सकेगा। कृषक तक पौधे पहुंचाने में परिवहन व्यय लगने की दशा में परिवहन व्यय की गणना प्रति पौधा करते हुए पौधे के क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा।

(iv) कलेक्टर/CEO, ZP द्वारा पौधों की उपरोक्तानुसार व्यवस्था की दशा में परियोजना की सामग्री मद की मानक लागत में से पौध क्रय मूल्य कम करते हुए शेष राशि का भुगतान लाभान्वित कृषकों को किया जाए।

(v) कलेक्टर/CEO, ZP द्वारा पौधे की व्यवस्था करने की दशा में जनपद पंचायत के क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के लिए CEO जनपद पंचायत को वेण्डर माना जाएगा। देयक का प्रारूप **परिशिष्ट-3** अनुसार है।

12. परियोजना से लाभान्वित कृषकों के उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे:-

12.1 वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2x2x2 फीट आकार के गड्ढे खोदना, गड्ढों में उपजाऊ मिट्टी एवं खाद डालकर पौध रोपण के लिए गड्ढे तैयार करना।

12.2 उपरोक्त बिंदु 4 में निर्दिष्ट प्रजाति के 2 वर्ष से अधिक उम्र के पौधों की शासकीय/मान्यता प्राप्त नर्सरी से व्यवस्था करना।

12.3 पौधरोपण करना तथा पौधों की सिंचाई के लिए मध्यम आकार के मटके की व्यवस्था कर उसमें एक छोटा छेद कर उसे बत्ती से जोड़कर पौधे के पाले (क्यारी) में मिट्टी में गाड़ना ताकि बूंद-बूंद पानी की टपक से पौधे सिंचित होते रहें।

12.4 पौधों की रक्षा के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था कर ट्री गार्ड लगाना। लागत सीमा के भीतर लाभान्वित कृषकों बांस/कटीली झाड़ी/कटीले तार का ट्रीगार्ड बनाकर लगा सकता है।

12.5 पौधों में समय-समय पर निंदाई-गुढ़ाई, दवा छिड़काव, खाद, सिंचाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना।

12.6 पौधा मृत होने की दशा में नया पौधा लाकर लगाना।

12.7 सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कर पौधे की नियमित सिंचाई करना। यह स्पष्ट किया जाता है कि मानक लागत व्यय सीमा के भीतर सिंचाई की कोई भी उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है जिसमें पाइप लाइन अथवा पानी की टंकी से सिंचाई करना शामिल है।

13. मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार किया जा सकेगा:-

13.1 प्रथम वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 3 किश्तों में प्रति वृक्ष के मान से किया जाए:-

किश्त	कब देय	सामग्री मद (राशि रु.)	श्रम दिवस	देय तिथि
प्रथम	वृक्षारोपण उपरांत	40	0.3	5 से 10 जुलाई
द्वितीय	ट्री गार्ड एवं सिंचाई व्यवस्था करने के उपरांत	100	1.2	1 से 15 अक्टूबर
अंतिम (कृषकों को)	अगले वर्ष वर्षाऋतु के आगमन तक 85 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर	10	0.5	अगले वर्ष 30 जून से 10 जुलाई
ग्राम पंचायत को	द्वितीय किश्त देय होने की पात्रता के भौतिक सत्यापन के बाद	10	–	1 से 15 अक्टूबर
	अगले वर्ष वर्षाऋतु के आगमन तक 85 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर	10	–	अगले वर्ष से 30 जून से 10 जुलाई

टीप - प्रथम किश्त में वृक्षारोपण हेतु गड्ढों की तैयारी एवं पौधे की व्यवस्था शामिल है।

12.2 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए भुगतान 3 किश्तों में निम्नानुसार प्रति वृक्ष प्रति वर्ष के मान से किया जाए:-

किश्त	कब देय	सामग्री मद (राशि रु.)	श्रम दिवस	देय तिथि
प्रथम	मृत पौधे के स्थान पर गेप फिलिंग हेतु पौधरोपण, क्षतिग्रस्त मटके व ट्री गार्ड को बदलना आदि संपूर्ण कार्य	6	0.3	5 से 10 जुलाई
द्वितीय	सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई, थाला बनाना, दवा छिड़काव, खाद कीटनाशक माह में एक बार	6	0.3	1 से 15 अक्टूबर
अंतिम कृषकों को	अगले वर्ष वर्षाऋतु के आगमन तक 85 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर	8	0.4	अगले वर्ष 30 जून से 10 जुलाई
ग्रा.पं. को	(i) द्वितीय किश्त देय होने की पात्रता के भौतिक सत्यापन के बाद	10	–	1 से 15 अक्टूबर
	(ii) अगले वर्ष वर्षाऋतु के आगमन तक 85 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर	10	–	30 जून से 10 जुलाई

14. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के जीवित पौधों की संख्या निम्न से कम होने की दशा में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा:-

प्रथम वर्ष के अंत में वर्षाऋतु के आगमन तक	जीवित पौधों की संख्या 85 प्रतिशत से कम होने पर।
द्वितीय वर्ष के अंत में वर्षाऋतु के आगमन तक	जीवित पौधों की संख्या 95 प्रतिशत से कम होने पर।

संलग्न- परिशिष्ट-1, 2 एवं 3

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त,
मध्यप्रदेश

पृ क्र. /3726/ MGNREGS/NR-3/2017 **भोपाल, दिनांक 03/06/17**

प्रतिलिपि-

1. संभागायुक्त, संभाग समस्त।
2. आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।
3. संचालक राजीव गाँधी जल ग्रहण मिशन, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
5. निज सहायक, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ।
6. समस्त अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत एवं समस्त सरपंच को मध्यप्रदेश पंचायिका में प्रकाशन द्वारा।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 3725/MGNREGS-MP/NR-3/2017 दिनांक 03/06/17 का परिशिष्ट- 1

खेत की मेड़ पर परियोजना की डीपीआर, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति

ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत .....

अनु. क्र.	हितग्राही कृषक का नाम	जॉबकार्ड नम्बर	पात्र वर्ग	भूमि का सर्वे नम्बर	पौध संख्या	मजदूरी (प्रति पौधा 4 दिवस रु. 688)	सामग्री (प्रति पौध रु. 250)	कुल लागत (राशि रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
	योग				**200**	**1,37,600**	**50,000**	**1,87,600**

टीप: 1. मजदूरी की दर में वृद्धि की दशा में पुनरीक्षित स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। मजदूरी भुगतान उक्त तालिका में दर्शाये श्रम दिवस के लिये मान्य होगा।

2. प्रति पौधा दर से पौध संख्या की गणना कर कालम 7 से 8 भरा जाए।

प्रस्ताव ठहराव क्र. ..... दिनांक ..... शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट क्र. .....

एमआईएस के लिए तकनीकी स्वीकृति क्रमांक ..... प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक .....

हस्ताक्षर सचिव/सहायक सचिव

नाम -

सील

दिनांक .....

हस्ताक्षर सरपंच

नाम -

सील

दिनांक .....

विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 3725/MGNREGS-MP/NR-3/2017 दिनांक 03/06/17 का परिशिष्ट- 2

खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण परियोजना का देयक

1. ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत .....
2. परियोजना का नरेगा कोड नम्बर :- .....
3. परियोजना का वर्ष :- प्रथम/द्वितीय/तृतीय (जो लागू हो उसे✓ करें)

अनु. क्र.	कृषक का नाम	जॉबकार्ड नम्बर	मेड़ पर लगाए वृक्षों की संख्या	सामग्री मद की दर	व्यय राशि
योग					

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कृषकों ने उनके खेत की मेड़ पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए पौधे लगाए हैं। पौधों का ग्राम पंचायत ने सत्यापन करा लिया है। उपरोक्त तालिका में दर्शाया भुगतान संबंधित कृषकों को सामग्री व्यवस्था के लिए देय है। देयक पारित किया जाता है।

हस्ताक्षर सचिव/सहायक सचिव

नाम -

सील

दिनांक .....

हस्ताक्षर सरपंच

नाम -

सील

दिनांक .....

विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 3725/MGNREGS-MP/NR-3/2017 दिनांक 03/06/17 का परिशिष्ट- 3

खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण परियोजना के लिए पौध क्रय देयक

जनपद पंचायत .....

क्र.	ग्राम	ग्राम पंचायत	परियोजना स्वीकृति क्रमांक	नरेगा कोड नम्बर	पौध संख्या	क्रय दर	क्रय मूल्य

प्रमाणिकरण - 1. प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त तालिका में दर्शाई परियोजनाओं के लिए तालिका में दर्शाई पौध संख्या क्रय करने के लिए दर्शाया क्रय मूल्य व्यय किया गया है।

2. देयक पारित किया जाता है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नाम -

सील -

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/3805/MGNREGS/NR-3/2017 **भोपाल, दिनांक 08.06.2017**

प्रति,

कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त)

विषय :- महात्मा गाँधी नरेगा के तहत वृक्षारोपण संबंधी दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्र./3005/MGNREGS/NR-3/2017 भोपाल, दिनांक 28.04.2017

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा नरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क/नहर किनारे सार्वजनिक भवनों/परिसरों में तथा उनकी बाउण्ड्री पर और सामुदायिक/शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण परियोजना के निर्देश जारी किए गये हैं।

2. प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में उक्त निर्देशों के तहत वृक्षारोपण की दो परियोजनाएं ली जाना हैं। वृक्षारोपण हेतु पौधों की व्यवस्था हेतु उपरोक्त पत्र दिनांक 28.04.2017 की कंडिका 8.2 के अतिरिक्त निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

i. कलेक्टर/CEO, ZP उन्नत किस्म के दो वर्ष या अधिक के छायादार वृक्षों के पौधों की व्यवस्था शासकीय/मान्यता प्राप्त अथवा प्रदेश के बाहर अच्छी नर्सरी के पौधे क्रय करके करा सकेंगे।

ii. कलेक्टर/CEO, ZP उन्नत किस्म के पौधे वन/उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्धारित अथवा उनके द्वारा क्रय की गयी दरों पर बिना निविदा बुलाये किया जा सकेगा। कृषक तक पौधे पहुँचाने में परिवहन व्यय लगने की दशा में परिवहन व्यय की गणना प्रति पौधा करते हुए पौधे के क्रय मूल्य में जोड़ा जाऐगा।

iii. कलेक्टर/CEO, ZP द्वारा पौधों की उपरोक्तानुसार व्यवस्था की दशा में परियोजना की सामग्री मद की मानक लागत में से पौधे का मूल्य कम करते हुये शेष राशि का भुगतान लाभांवित कृषकों को किया जाए।

iv. कलेक्टर/CEO, ZP के द्वारा पौधे की व्यवस्था की दशा में जनपद पंचायत के भीतर आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के लिए जनपद पंचायत को वेण्डर माना जाऐगा। देयक का प्रारूप इस पत्र के पीछे अंकित परिशिष्ट अनुसार है।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त

पृ. क्रमांक./3806/MGNREGS/NR-3/2017 **भोपाल, दिनांक 08.06.2017**

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त, संभाग समस्त।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोज़गार गारंटी परिषद, भोपाल।
3. संचालक राजीव गाँधी जलग्रहण मिशन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
5. निज सहायक, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ।
6. समस्त अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत एवं समस्त सरपंच को मध्यप्रदेश पंचायिका में प्रकाशन द्वारा।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 3805 MGNREGS-MP/NR-3/2017 दिनांक 08/06/2017 का परिशिष्ट

वृक्षारोपण परियोजना के लिए पौध क्रय देयक

जनपद पंचायत .....

क्र.	ग्राम	ग्राम पंचायत	परियोजना स्वीकृति क्रमांक	नरेगा कोड नम्बर	पौध संख्या	क्रय दर	क्रय मूल्य

प्रमाणिकरण - 1. प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त तालिका में दर्शाई परियोजनाओं के लिए तालिका में दर्शाई पौध संख्या क्रय करने के लिए दर्शाया क्रय मूल्य व्यय किया गया है।

2. देयक पारित किया जाता है।

दिनांक .....

हस्ताक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नाम -

सील -

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र./4466/NR-3/MGNREGS-MP/2017 **भोपाल, दिनांक 07/07/17**

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक

महात्मा गांधी नरेगा, जिला-समस्त

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा के तहत नर्मदा बेसिन में निजी खेत की मेड़ (बाउण्ड्री) पर वृक्षारोपण।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार की निजी खेत की मेढ़ (बाउण्ड्री) पर वृक्षारोपण हेतु विकास आयुक्त कार्यालय के संलग्न पत्र क्रमांक 3725/MGNREGS/NR-3/2017 भोपाल, दिनांक 03.06.2017 नर्मदा बेसिन के 24 जिलों हेतु दिशा - निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों को प्रदेश के शेष सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त,
मध्यप्रदेश

पृ क्र. /4467/NR-3/MGNREGS-MP/2017 **भोपाल, दिनांक 07/07/17**

प्रतिलिपि-

1. संभागायुक्त, संभाग समस्त।
2. आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।
3. संचालक राजीव गाँधी जलग्रहण मिशन, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
5. निज सहायक, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ।
6. समस्त अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत एवं समस्त सर पंच को मध्यप्रदेश पंचायिका में प्रकाशन द्वारा।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र./4468/NR-3/MGNREGS-MP/2017 **भोपाल, दिनांक 07.07.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक

महात्मा गाँधी नरेगा, जिला - समस्त

विषय : महात्मा गाँधी नरेगा के तहत नर्मदा बेसिन में निजी खेत में फलोद्यान परियोजना।

महात्मा गाँधी नरेगा योजना के पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार की निजी खेत में फलोद्यान परियोजना हेतु विकास आयुक्त कार्यालय के संलग्न पत्र क्र. 3723/MGNREGS/NR-3/2017 भोपाल, दिनांक 03.06.2017 नर्मदा बेसिन के 24 जिलों हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों को प्रदेश के शेष सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक./4469/NR-3/MGNREGS-MP/2017 **भोपाल, दिनांक 07.07.2017**

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त, संभाग समस्त।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोज़गार गारंटी परिषद, भोपाल।
3. संचालक, राजीव गाँधी जलग्रहण मिशन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
5. निज सहायक, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ।
6. समस्त अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत एवं समस्त सरपंच को मध्यप्रदेश पंचायिका में प्रकाशन द्वारा।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

विकास आयुक्त कार्यालय
'बी' विंग द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन

क्रमांक 6698/22/वि-7/पीएमएवाय/2017 **भोपाल, दिनांक 25/05/2017**

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत म.प्र.

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास के साथ वृक्षारोपण।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों द्वारा उनके आवास परिसर में अथवा आवासगृह के आसपास वृक्षारोपण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत परियोजना स्वीकृत की जाए। परियोजना के मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं:-

1. PMAY के वृक्षारोपण हेतु इच्छुक हितग्राही को न्यूनतम 5 फलदार/छायादार वृक्ष (आम, जामुन, नीम, सुरजना/मुनगा, आंवला आदि) लगाने होंगे।
2. हितग्राही को पौधे की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था करना होगी। ट्री गार्ड बांस/कंटीले झाड़/कंटीले तार/ईंट अथवा पत्थर से बनाया जा सकता है।
3. पौधरोपण के लिए पौधा 2 वर्ष का अर्थात न्यूनतम एक मीटर ऊँचाई का होना चाहिए।
4. पौधे की सुरक्षा, नियमित पानी, गुढ़ाई, खाद, दवाई आदि की व्यवस्था करना हितग्राही की जिम्मेदारी होगी।
5. यदि किसी कारणवश पौधा मृत हो जाए तो हितग्राही को नया पौधा लगाना होगा।
6. वृक्षारोपण परियोजना की लागत प्रति हितग्राही रु. 5000/- (सामग्री रु. 1560/- एवं मजदूरी 20 दिवस निर्धारित की जाती है।)
7. एक ग्राम के इच्छुक हितग्राहियों के लिए एक परियोजना संलग्न प्रारूप में बनाकर स्वीकृत की जाए उदाहरण के लिए यदि ग्राम में PMAY के 15 इच्छुक हितग्राही हों तो परियोजना लागत रु. 75000/- होगी।
8. आवासगृह निर्माण पूर्ण होने पर जियो टैग फोटो लेते समय पौधे का सत्यापन किया जाए। यथासंभव आवास का जियो टैग फोटो इस तरह लिया जाए कि कुछ पौधे आवास के साथ दिखें।
9. भुगतान व्यवस्थाः मकान पूर्ण होने पर निम्नानुसार भुगतान नरेगा से किया जाएः-

(अ) सामग्री मद का भुगतान एकमुक्त संबंधित PMAY हितग्राही को उसके बैंक खाते में किया जाए। वृक्षारोपण हेतु उसे वेन्डर माना जाए। देयक का प्रारूप संलग्न है।

(ब) हितग्राही को 20 दिन की मजदूरी की उपस्थिति देते हुए मजदूरी का भुगतान स्वीकृत किया जाए।

संलग्न : उक्तानुसार 2 प्रारूप

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त, म.प्र.

वि.आ. कार्यालय के पत्र क्र. 6698, दिनांक 25.05.2017 का परिशिष्ट

प्रारूप-1

ग्राम ..... ग्राम पंचायत .....

जनपद ..... जिला .....

PMAY वृक्षारोपण परियोजना

अनु. क्र.	PMAY हितग्राही		लागत (रु.)
	ID	नाम	
1.			5,000
2.			5,000
3.			5,000
4.			5,000
5.			5,000
		योग	

GP प्रस्ताव क्र. ..... दिनांक .....

हस्ताक्षर सरपंच सचिव

प्रारूप-2

सामग्री मद का देयक

PMAY हितग्राही ID ..... नाम .....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने मेरे आवास परिसर/आवास के आसपास ..... वृक्षारोपण के लिए पौधे, गिट्टी, खाद, दवाई, ट्री गार्ड आदि सामग्री की व्यवस्था रु. 1560/- के व्यय से की है।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
तिथि .....

पुरस्कार एवं सम्मान संबंधी निर्देश

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्र. /9071/22/वि-7/पीएमएवाय-जी/2017 **भोपाल, दिनांक 22.07.2017**

प्रति,

कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत समस्त, मध्यप्रदेश

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार योजना।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में उत्कृष्ट कार्यों के लिए निम्नानुसार पुरस्कार योजना तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

1. जिला स्तर

श्रेणी-1

पुरस्कार	उपलब्धि दिनांक 31.10.2017 तक	पुरस्कार राशि
3 प्रथम पुरस्कार	2000 आवास पूर्ण करने वाले पहले तीन जिले	2,00,000
3 द्वितीय पुरस्कार	2000 आवास पूर्ण करने वाले अगले तीन जिले	1,50,000
4 तृतीय पुरस्कार	2000 आवास पूर्ण करने वाले अगले चार जिले	1,00,000

श्रेणी-2. दिनांक 31.10.2017 तक लक्ष्य का एक तिहाई आवास पूर्ण करने वाले प्रत्येक जिले को रु. 2.00 लाख।

श्रेणी-3. दिनांक 31.12.2017 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने वाले प्रत्येक जिले को रु. 5.00 लाख।

2. जनपद स्तर

श्रेणी-1

पुरस्कार	उपलब्धि दिनांक 31.10.2017 तक	पुरस्कार राशि
10 प्रथम पुरस्कार	500 आवास पूर्ण करने वाले पहले 10 जनपद	1,00,000
10 द्वितीय पुरस्कार	500 आवास पूर्ण करने वाले अगले 10 जनपद	75,000
10 तृतीय पुरस्कार	500 आवास पूर्ण करने वाले अगले 10 जनपद	50,000

श्रेणी-2. दिनांक 31.10.2017 तक लक्ष्य का 40 प्रतिशत पूर्ण करने वाली प्रत्येक जनपद को रु. 1.00 लाख।

श्रेणी-3. दिनांक 31.12.2017 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने वाली प्रत्येक जनपद को रु. 2.00 लाख।

3. ग्राम पंचायत स्तर :-

दिनांक 30.10.2017 तक लक्ष्य का शत-प्रतिशत आवास गृह (जो 10 से कम न हो) निर्माण पूर्ण करने तथा ग्राम पंचायत के समस्त आबादी क्षेत्र के लिये सीसी सड़क एवं पक्की नाली का निर्माण कार्य पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायत को रु. 50,000/-

4. शर्तें :-

4.1. जिला/जनपद स्तर के पुरस्कार में किसी भी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकेगा।

4.2 ग्राम पंचायत स्तर के पुरस्कार में सरपंच को 50 प्रतिशत राशि दी जावेगी। शेष राशि के लिये ग्राम पंचायत निर्णय लेगी।

4.3 निर्वाचित पंचायतीराज प्रतिनिधियों को पुरस्कार दिया जा सकेगा।

5. पुरस्कार के लिये आवास की पूर्णता के निम्न मापदण्डों का पूर्ण होना अनिवार्य होगा :-

5.1 पूर्ण आवास में अपेक्षित सुविधाएं यथा अंदर एवं बाहर प्लास्टर, पुताई, रसोई प्लेटफार्म एवं शौचालय की व्यवस्था अनिवार्यतः हो। पूर्ण बताए गए आवासगृहों में यदि इनमें से कोई भी सुविधा की कमी पाई गई तो संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पुरस्कार के लिये अपात्र हो जाएगा।

5.2 पूर्णता के प्रमाण के लिए भारत सरकार के पोर्टल "आवास सॉफ्ट" पर पूर्णता की प्रविष्टि एवं फोटो का अपलोड ही मान्य होगा।

6. पुरस्कार सम्मान समारोह भोपाल में जनवरी 2018 में आयोजित किया जाएगा।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय

क्रमांक /51/अमुस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 14/08/2017**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश

विषय : "Intensified मिशन इन्द्रधनुष" के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरस्कार योजना।

मान. प्रधानमंत्रीजी ने शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए Intensified मिशन इन्द्रधनुष देश भर में लागू किया है। मिशन के तहत प्रदेश के चिन्हित 13 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार पुरस्कार योजना लागू की जाती है :-

1. उद्देश्य

(अ) पुरुस्कार योजना का उद्देश्य 13 जिलों (विदिशा, रायसेन, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, श्योपुर, झाबुआ एवं अलीराजपुर) के ग्रामीण क्षेत्र में 31 जनवरी 2018 तक शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है।

(ब) शत-प्रतिशत टीकाकरण से आशय दो वर्ष तक की उम्र के समस्त बच्चों का सूचीकरण, आरसीएच पोर्टल में इन्द्राज तथा ड्यूलिस्टिंग के साथ निर्धारित आयु सीमा का पालन करते हुए निम्न टीकों द्वारा टीकाकरण करने से है :
(i) BCG; (ii) DPT 3 तथा Penta/DPT (iii) Measles

2. पुरस्कार-

(अ) जिला स्तर- रु. 2.00 लाख

(ब) स्वास्थ्य विभाग का सेक्टर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) स्तर- रुपये 1.00 लाख

(स) ग्राम पंचायत- रुपये 2.00 लाख

3. पुरस्कार की शर्तें-

(अ) जिला एवं सेक्टर स्तर के पुरस्कार में से किसी भी व्यक्ति विशेष को अधिकतम 10 प्रतिशत राशि दी जा सकेगी। शेष पुरस्कार राशि जिला/सेक्टर स्तर के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को वितरित करना होगी। पुरस्कार राशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(ब) ग्राम पंचायत की पुरस्कार राशि में से रुपये 20,000 पुरस्कार वितरण किया जायेगा। शेष 1,80,000 राशि ग्राम पंचायत अधोसंरचना विकास के कार्यों में व्यय कर सकेगी। नगद पुरस्कार रुपये 20,000 में से सरपंच/उप सरपंच को अधिकतम रुपये 10,000 दिए जा सकेंगे और शेष रुपये 10,000 टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी अमले को दिया जाएगा। पुरस्कार राशि पंचायत संचालनालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

4. पुरस्कार के लिए सत्यापन-

दिनांक 18 फरवरी 2018 से 28 फरवरी 2018 के मध्य प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग 2 वर्ष उम्र तक के प्रत्येक शिशु के टीकाकरण का सत्यापन कराकर परस्कार के लिए पात्र जिला/सेक्टर/ग्राम पंचायत की जानकारी विकास आयुक्त को उपलब्ध कराएंगे।

5. शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत व्यक्तियों को भोपाल में मार्च माह में सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा।

6. यह योजना स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से लागू की जा रही है।

(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र/141/22/वि-7/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम. (जी.)/2016 **भोपाल दिनांक 20/01/2017**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला-समस्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत
   जिला-समस्त, मध्यप्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत
   समस्त-जनपद, मध्यप्रदेश

विषयः- मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस का प्रत्येक माह आयोजन।

स्वच्छ भारत मिशन में अहम भूमिका निभाने वाले सक्रिय व्यक्तियों को पूरे मध्यप्रदेश में एक निश्चित तिथि को सम्मानित करने हेतु शासन द्वारा **"मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस"** आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

1. मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस आयोजित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें-

i. **आयोजन का दिन-** प्रतिमाह 15 तारीख को पिछले माह में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान समारोह जिला स्तर पर आयोजित किया जाकर इन्हें सम्मानित किया जाए।

ii. **आयोजन के अतिथि-** इस समारोह की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष से कराई जाए। मुख्य अतिथि के लिए माननीय मंत्री/प्रभारी मंत्री/सांसद तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विधायक को आमंत्रित किया जाए।

iii. **सम्मान हेतु व्यक्ति (चैम्पियन) की श्रेणी-** यह पी.आर.आई. मेम्बर, आशा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, अधिकारी/कर्मचारी, समुदाय सदस्य, राजनीतिक/स्वाभाविक नेता आदि कोई भी स्वच्छता चैम्पियन हो सकते हैं जिन्होंने विगत माह स्वच्छता मिशन में उत्कृष्ट कार्य किया हो।

iv. **चयन का मानदण्ड** (Criteria)-

(अ) एक या एक से ज्यादा ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करने में असाधारण योगदान दिया हो;
अथवा
(ब) महिलाओं की अभियान में सक्रिय भागीदारी कराकर ग्राम को खुले में शौच से मुक्त किया हो; अथवा
(स) ग्रामीण बच्चों को अभियान में सतत् रूप से जोड़कर ग्राम/ग्रामों को शौच से मुक्त किया हो; अथवा
(द) मिशन की गतिविधियों से संबंधित शासकीय दायित्वों, जैसे सबसे ज्यादा ऑनलाइन माँग का सत्यापन/एफ.टी.ओ./ओ.डी.एफ. सत्यापन/प्रेरकों का अभिप्रेरण कार्य में समयबद्ध संलग्नता आदि का उत्कृष्ट निर्वहन हो; अथवा
(इ) राजमिस्त्री के रूप में सबसे ज्यादा गुणवत्तापूर्ण सर्वश्रेष्ठ शौचालयों का निर्माण करने में योगदान दिया हो; अथवा
(फ) मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समुदाय की भागीदारी के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो।

v. **जनपद स्तरीय चयन समिति-** इस समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अध्यक्ष जनपद पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होंगे जो प्रतिमाह 01 से 04 तारीख के बीच अपने क्षेत्रान्तर्गत अधिकतम 05 उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का चयन कर 05 तारीख तक इनका नाम मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस में सम्मानित होने हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

vi. **जिला स्तरीय चयन समिति-** इस समिति में कलेक्टर, अध्यक्ष जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रहेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रत्येक माह की 6-8 तारीख के बीच जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक

आयोजित कर उसमें जनपद पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों में जिला स्तर से 05 अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का भी चयन मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान हेतु करेंगे।

vii. **घोषित ओ.डी.एफ. ग्रामों का सत्यापन एवं ओ.डी.एफ. करने में प्रमुख भूमिका निभाने वालों को आमंत्रण-** जिस माह में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके पिछले माह में खुले में शौच से मुक्त घोषित पंचायतों/ग्रामों का जनपद पंचायत द्वारा 5 तारीख तक सत्यापन किया जावे। सत्यापन में ओ.डी.एफ. पाये गये गाँव/पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक सहित ओ.डी.एफ. करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 10 व्यक्तियों की सूची जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदित कराकर प्रत्येक माह के 6 तारीख को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजें एवं इन सभी को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें।

viii. **स्वच्छता सम्मान दिवस का कार्यक्रम-** प्रत्येक माह की 15 तारीख को जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस का कार्यक्रम प्रातः 11.00 बजे प्रारंभ किया जाए। सुझावात्मक समय-सारणी संलग्न है।

ix. सम्मान-समारोह में पुरस्कृत होने वाले समस्त चैम्पियन्स को बन्द गले का जैकेट एवं मिशन के लोगो वाला केप/गमछा सम्मान स्वरूप दिया जायेगा तथा प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जायेगा। प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न है।

x. **कार्यालय में होर्डिंग-** माह में जिले में सम्मान दिवस हेतु चयनित समस्त व्यक्तियों का चित्र कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय परिसर में होर्डिंग पर अगले सम्मान समारोह तक प्रदर्शित किया जायेगा। चित्र के नीचे सम्मानित व्यक्ति का नाम लिखा जाए। ब्लॉक स्तर पर भी उस जनपद के सम्मानित व्यक्तियों का इसी प्रकार की होर्डिंग जनपद पंचायत परिसर में सहज दृश्य स्थल पर लगाया जाये।

xi. **सम्मानित व्यक्तियों की डायरेक्ट्री-** प्रत्येक जिला मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस पर सम्मानित व्यक्तियों की जानकारी राज्य स्तर पर निर्मित ऑनलाइन डायरेक्ट्री में दर्ज करेगा।

xii. **वित्तीय व्यवस्था-** कार्यक्रम आयोजन हेतु व्यय की अधिकतम सीमा निम्नानुसार नियत की जाती है-

1. कार्यक्रम के आयोजन एवं सम्मानित व्यक्तियों के होर्डिंग आदि के लिए अधिकतम रु. 50,000/-।
2. सम्मानित किये जाने वाले व्यक्तियों के परिवहन, भोजन एवं चाय-नाश्ता के लिए रु. 250/- प्रति सम्मानित व्यक्ति एवं सम्मान (जैकेट एवं केप/गमछा) तथा प्रमाण-पत्र के लिए रु. 500/- प्रति सम्मानित व्यक्ति।
3. ओडीएफ ग्रामों से प्रतिभागियों के लिए प्रति व्यक्ति रु. 250/- (परिवहन, चाय-नाश्ता, भोजन) के मान प्रति ओडीएफ ग्राम के अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए।
4. कार्यक्रम का कुल व्यय रु. 2 लाख से अधिक होने की संभावना की दशा में राज्य कार्यक्रम अधिकारी (एसबीएम) से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

3. उपरोक्त क्र. 1 एवं 2 का व्यय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के सूचना शिक्षा संचार मद से एवं क्र. 3 का व्यय प्रशिक्षण मद से विकलनीय होगा।

संलनः 1. कार्यक्रम की रूपरेखा।
2. चैम्पियन्स की डायरेक्ट्री।
3. होर्डिंग एवं प्रमाण-पत्र का डिजाइन।

(नीलम शमी राव)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा

समय	कार्यक्रम	वक्ता
10.30 से 11.00	पंजीयन	
11.00 से 11.05	कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ एवं अतिथियों का स्वागत	
11.05 से 11.20	कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उपलब्धियों पर उद्‌बोधन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
11.20 से 11.35	मिशन लीडर का उद्‌बोधन	जिला कलेक्टर
11.35 से 12.35	खुले में शौच से मुक्त ग्राम को स्थाई एवं सतत् बनाये रखने के लिये आवश्यक व्यवस्थाओं पर प्रशिक्षण	संसाधन व्यक्ति
12.35 से 1.35	कचड़ा मुक्त कीचड़ मुक्त ग्राम बनाने हेतु निर्मित की जाने वाली कार्ययोजना का प्रशिक्षण	संसाधन व्यक्ति
1.35 से 2.00	चयनित चैम्पियन्स एवं खुले में शौच से मुक्त सत्यापित ग्राम के सरपंच का सम्मान एवं प्रमाण-पत्र वितरण	
2.00 से 2.15	मुख्य अतिथि का उद्‌बोधन	
2.15 से 2.30	अध्यक्षीय उद्‌बोधन	
2.30 से 2.35	आभार प्रदर्शन	
2.35 से 3.00	आमंत्रितों को भोजन	

चैम्पियन्स की डायरेक्ट्री

क्र.	जनपद का नाम	स्वच्छता चैम्पियन का नाम	महिला/ पुरुष	आयु	शासकीय/ अशासकीय	वर्तमान वृत्ति (प्रोफेशन)	निवास का पता	मो./फोन नम्बर	किये गये उत्कृष्ट कार्य का विवरण (न्यूनतम 50 शब्द)	फोटो
1.										
2.										

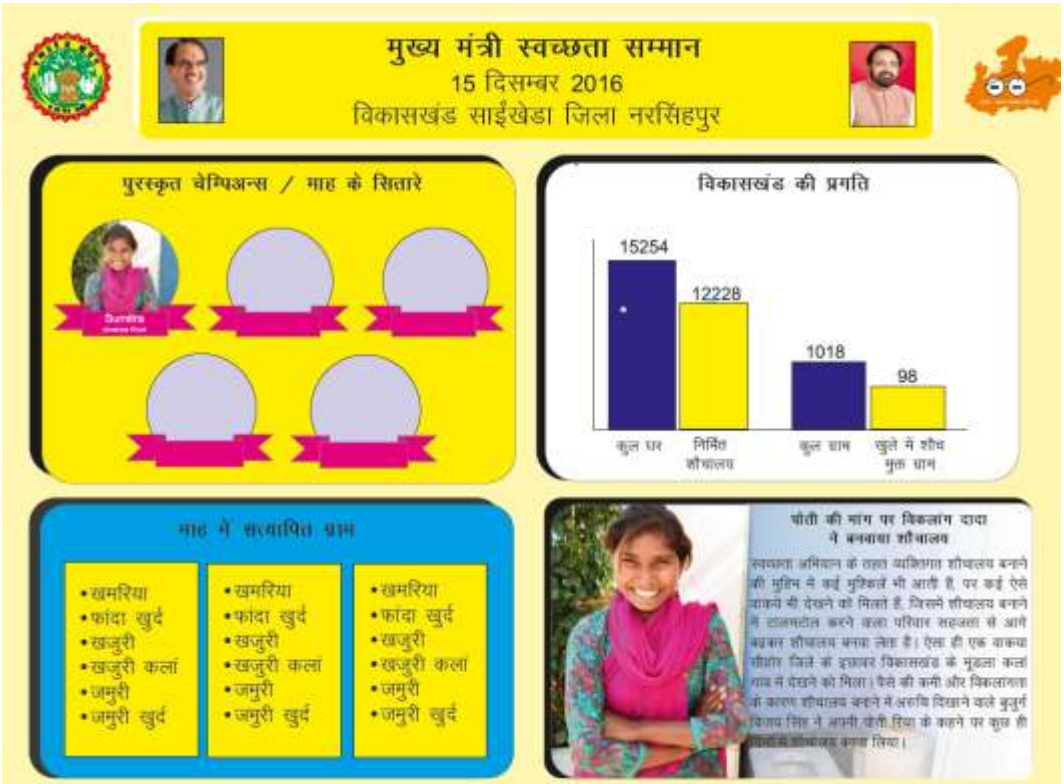

होर्डिंग

प्रमाण-पत्र

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 1900/MPS-4/NR-6/155/2017 **भोपाल, दिनांक 22.06.2017**

सामाजिक अंकेक्षण परिपत्र क्रमांक-1 (ख)

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला-समस्त (म.प्र.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत-समस्त (म.प्र.)

विषय :- नरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण।

संदर्भित परिपत्र 01(क) क्र. 175 दिनांक 06.01.2014 को अधिक्रमित करते हुए नरेगा कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु नवीन दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं:-

1. ग्राम संपरीक्षा समिति (GSS):-

1.1 गठन- ग्राम पंचायत के अधीन समस्त ग्रामों के प्रतिनिधित्व वाली 07 से 09 सदस्यीय ग्राम संपरीक्षा समिति का गठन ग्राम सभा में किया जाए, जिसमें नरेगा अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक दिवस कार्य करने वाले परिवार के सदस्य, महिला एवं अनु.जा./जनजाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जावे। GSS बहुमत के आधार पर एक सदस्य को अध्यक्ष तथा प्रतिवेदन लेखन हेतु शिक्षित सदस्य को सचिव के रूप में चिन्हांकित करेगी।

1.2 कार्यकाल- कार्यकाल एक सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया हेतु रहेगा। आगामी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया हेतु पुनर्गठन ग्राम सभा से किया जाए।

1.3 दायित्व- दस्तावेजों की प्राप्ति, सत्यापन एवं प्रतिवेदन निर्माण- समिति द्वारा नरेगा से संबंधित समस्त दस्तावेज सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा के 15 दिवस पूर्व क्रियान्वयन एजेन्सी (ग्राम पंचायत) से प्राप्त किए जावें। दस्तावेजों के आधार पर भौतिक, मौखिक एवं दस्तावेजी सत्यापन किया जावे। सत्यापन प्रक्रिया एवं ग्राम सभा के निर्णयों के आधार पर स्थानीय भाषा में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाकर ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जावे।

2. ग्राम सामाजिक एनिमेटर (VSA) - ग्राम पंचायत के लिए 03 VSA का समूह निर्धारित रहेगा। एक समूह को 02 अथवा अधिक ग्राम पंचायतें आवंटित की जाएं। VSA के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रेरक, स्व-सहायता समूह के सदस्य, पूर्व में संलग्न रहे VSA एवं स्वयं सेवी संगठनों के मैदानी कार्यकर्ताओं का चयन किया जाए। VSA को उनके निवास स्थान से पृथक ग्राम पंचायत आवंटित की जाए। VSA को प्रदेश में कुशल श्रमिक दर पर एक ग्राम पंचायत के लिए 07 कार्य दिवस के मान से पारिश्रमिक दिया जाए।

2.1 दायित्व:-

- ग्राम संपरीक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं सत्यापन कार्य में सहयोग।
- सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्माण एवं ग्राम सभा में प्रस्तुतिकरण।
- समस्त भरे हुए प्रपत्र एवं प्रतिवेदन जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करना।
- जनसुनवाई पैनल के समक्ष उपस्थित रहकर मुद्दे एवं साक्ष्य प्रस्तुत करना।

3. सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा- ग्राम पंचायत के अधीन समस्त ग्रामों की संयुक्त सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाए, जिसकी अधिसूचना कलेक्टर 15 दिवस पूर्व जारी करेंगे। ग्राम सभा में पिछली लेखा-परीक्षा पर की गई कार्रवाई का वाचन किया जाए। तत्पश्चात् सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन ग्राम सामाजिक एनिमेटर द्वारा प्रस्तुत किया जाए। परिलक्षित मुद्दों पर निर्णय बहुमत के आधार पर ग्राम सभा द्वारा लिया जाए। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक अनिवार्यतः उपस्थित रहकर आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

3.1 **अध्यक्षता-** ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच अथवा क्रियान्वयन एजेन्सी से संबद्ध व्यक्ति के स्थान पर ग्राम सभा द्वारा बहुमत के आधार पर चिन्हांकित अन्य व्यक्ति द्वारा की जावे।

3.2 **मिनिट-** क्रियान्वयन एजेन्सी से पृथक कलेक्टर द्वारा नामांकित शासकीय कर्मी द्वारा लिखे जावे।

3.3 **नोडल अधिकारी-** ग्राम सभा में कलेक्टर द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है।

3.4 **प्रचार-प्रसार-** ग्राम सभा तिथि की जानकारी ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाए और मुनादी करवाई जाए।

4. **विकासखण्ड स्तरीय जनसुनवाई-** विशेष ग्राम सभा में पारित निर्णयों पर अग्रेत्तर कार्रवाई तथा अनिर्णीत रहे मुद्दों पर निर्णय हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की जाए। जनसुनवाई पैनल में स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। हितग्राही, क्रियान्वयन एजेन्सियों का स्टॉफ, ग्राम संपरीक्षा समिति, ग्राम सभा के सदस्य, मीडिया, जनप्रतिनिधि एवं स्वैच्छिक संगठन प्रतिनिधि जनसुनवाई में उपस्थित रहें।

5. **नरेगा पोर्टल में प्रविष्टि-** सामाजिक अंकेक्षण पश्चात नरेगा वेबपोर्टल www.nrega.nic.in में समस्त प्रविष्टियां ग्राम सभा के 10 दिवस में सामाजिक अंकेक्षण जिला प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जावें।

6. **सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन-** सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर आधारित प्रतिवेदन जिला एवं जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत किए जावें।

7. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) के दायित्व-**

7.1 लेखा परीक्षा नियम, 2011 के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया संपादित कराना।

7.2 प्रथम ग्राम सभा ग्राम संपरीक्षा समिति के गठन तथा द्वितीय ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा के आयोजन हेतु अधिसूचना जारी करना।

7.3 ग्राम पंचायतवार नोडल अधिकारी, ग्राम सभा कार्यवाही लेखक का नामांकन तथा ग्राम सभा के 15 दिवस पूर्व सभी रिकार्ड GSS/VSA को उपलब्ध कराना।

7.4 विशेष ग्राम सभा में क्रियान्वयन एजेन्सी के पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना।

7.5 ग्राम सभा एवं जनसुनवाई निर्णयों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई 15 दिवस में पूर्ण कराना।

7.6 गबन या दुरुपयोग की गई रकम की वसूली एवं संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

8. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जि.पं)./अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) के दायित्व-**

8.1 कलेक्टर के दायित्वों के निर्वहन में सहयोग एवं उनकी अनुपस्थिति में दायित्वों का निर्वहन।

8.2 नरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुसार व्यापक प्रचार-प्रसार एवं दीवार लेखन की कार्रवाई कराना।

8.3 सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पंचायत की सामान्य सभा में प्रस्तुत करना।

8.4 सामाजिक अंकेक्षण उपरांत एमआईएस पोर्टल में प्रविष्टि एवं मुद्दों पर अग्रेत्तर कार्रवाई।

8.5 सामाजिक अंकेक्षण पर व्यय की जानकारी राज्य इकाई को प्रस्तुत करना।

9. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)/कार्यक्रम अधिकारी के दायित्व-**

9.1 जनसुनवाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था एवं प्रचार-प्रसार।

9.2 ग्राम सभा एवं जनसुनवाई उपरांत आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई 15 दिवस में पूर्ण करना।

9.3 सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन जनपद पंचायत की सामान्य सभा में प्रस्तुत करना।

(एस.आर. चौधरी)
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग, भोपाल